सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

वर्ष 2014-15 के लिए

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

संघ सरकार

संघ सरकार के लेखे

2015 की प्रतिवेदन सं. 50

(वित्तीय लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

वर्ष 2014-15 के लिए

संघ सरकार
संघ सरकार के लेखे
2015 की प्रतिवेदन सं. 50
(वित्तीय लेखापरीक्षा)

विषय सूची

पैरा सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	ix
	विशिष्टताएँ	xi
	अध्याय-1: संघीय वित्त 2014-15 का विहंगावलोकन	
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	संसाधनों का सृजन	4
1.2.1	राजस्व प्राप्तियां	5
1.2.2	राजस्व प्राप्तियों के संघटक: बजट अनुमानों तथा वास्तविक आंकड़ों के बीच अंतर	5
1.2.3	कर राजस्व	6
1.2.4	गैर-कर राजस्व	7
1.2.5	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	9
1.3	व्यय विश्लेषण	10
1.3.1	राजस्व तथा पूंजीगत व्यय	12
1.3.2	राजस्व व्यय का विश्लेषण	13
1.3.3	पूंजीगत लेखा व्यय का विश्लेषण	19
1.3.4	योजनागत व्यय का विश्लेषण	21
1.3.5	योजनागत व्यय के मुख्य घटक	22
1.3.6	सरकार के मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम - वास्तविक व्यय	23
1.3.7	मुख्य मंत्रालयों में योजनागत व्यय में सहायता अनुदान का अनुपात	24
1.4	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का अनुपालन	25
1.4.1	घाटे	26
1.5	ऋण प्रबंधन	31
1.5.1	लोक लेखा देयता का कम कथन	33
1.5.2	लोक ऋण का कुल पुनर्भुगतान	34
1.5.3	अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता	35
1.5.4	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की तुलना में निष्पादन	36
1.6	संघ सरकार की आकस्मिक देयताओं में वृद्धि	37
1.7	निष्कर्ष	39

	अध्याय-2: लेखाओं पर टिप्पणियां	
2.1	प्रस्तावना	41
2.2	पारदर्शिता के मुद्दे	41
2.2.1	संघ के वित्त लेखाओं में बारहवें, तेरहवें तथा चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विवरणियों/सूचनाओं का समावेश न करना	41
2.2.2	सरकारी लेखाओं में अपारदर्शिता	42
2.2.3	सरकारी लेखे से बाहर पड़ी लोक निधियाँ	43
(क)	सरकारी लेखाओं के बाहर नियामकों की निधियां	44
(ख)	सरकारी लेखाओं के बाहर भा.टे.नि.प्रा. सामान्य निधि का प्रतिधारण	46
(ग)	सरकारी लेखाओं के बाहर क्ष.व.प्र.यो.प्रा. निधियों का प्रतिधारण	46
2.3	लोक लेखे के संबंध में अभ्युक्तियाँ	49
2.3.1	सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि	49
2.3.2	अनुसंधान तथा विकास उपकर निधि के अंतर्गत संग्रहित उपकर का कम उपयोग	51
2.3.3	बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में निरंतर प्रतिकूल शेष	53
2.3.4	शिक्षा उपकर का लेखा-जोखा	54
(क)	प्राथमिक शिक्षा उपकर	54
(ख)	माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर	55
2.3.5	नवीकरण आरक्षित निधि को अंतरण को गलत दर्शाया जाना	56
2.3.6	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि	56
2.3.7	महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत शेषों का अनियमित प्रतिधारण	57
2.3.8	आयकर कल्याण निधि	57
2.3.9	सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क कल्याण निधि	59
2.3.10	लोक लेखे में केन्द्रीय सड़क निधि (के.स.नि.) को उपकर का कम अंतरण	62
2.3.11	लोक लेखे में चिन्हित निधियों को उपकर का कम अंतरण	63
2.3.12	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि का बंद न होना	64
2.4	सत्यता एवं समाधान संबंधी मुद्दे	64
2.4.1	कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना के विशेष जमा के शेषों में असंगति	64
2.4.2	प्रतिभूति विमोचन निधि को राशि क्रेडिट न करना	65
2.4.3	पोत परिवहन विकास निधि समिति को ऋण का गलत दर्शाया जाना	65
2.4.4	निष्क्रिय आरक्षित निधियां/जमा/अन्य निधि	66

2.4.5	बाह्य ऋण के लेखांकन को कम बताना	67
2.4.6	बाह्य ऋण का वर्तमान दर पर असंगत दर्शाया जाना	69
2.4.7	अन्य विसंगतियां	69
(क)	संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं.11 में सूचना का अधूरा दर्शाया जाना	69
(ख)	संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं.-15 में विसंगतियां/ भिन्नताएं	72
2.5	लेखाओं की परिशुद्धता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक	74
2.5.1	मुख्य उचंत लेखे के अन्तर्गत बकाया शेष	74
2.5.2	ऋण, जमा एवं प्रेषण (ऋ.ज.प्रे.) शीर्षों के अंतर्गत अधिक प्रतिकूल शेष	80
2.5.3	'चैक एवं बिल' शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष	81
2.5.4	प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा शेषों की समीक्षा न करना	83
2.5.5	विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम-प्रोफार्मा लेखाओं की स्थिति	83
2.5.6	हानियाँ तथा गैर-वसूलनीय प्राप्यों को बट्टे खाते में डालना/स्थगित करना	85
2.6	निष्कर्ष	85
	अध्याय-3: विनियोग लेखे: 2014-15	
3.1	प्रस्तावना	87
3.2	2014-15 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों तथा बचतों का सारांश	88
3.3	प्रभारित तथा दत्तमत संवितरण	91
3.4	अधिक संवितरण वाले अनुदान/विनियोग	92
3.5	अनुदानों में निरंतर आधिक्य	95
3.6	लघु/उपशीर्ष-वार आधिक्य व्यय	97
3.7	अनुदानों/विनियोगों में ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचत	97
3.8	बचतों का अभ्यर्पण (संपूर्ण)	99
3.9	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचतों का अभ्यर्पण (अनुदान-वार)	100
3.10	अवास्तविक बजटीय अनुमान के कारण बहुत अधिक अनुपूरक अनुदानें (मूल प्रावधान के 40 *प्रतिशत* से अधिक)	100
3.11	अनावश्यक नकद अनुपूरक प्रावधान (अनुदान-वार)	103
3.12	लघु/उपशीर्षों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग (₹5 करोड़ से अधिक)	104
3.13	लघु/उपशीर्षों से अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग (₹5 करोड़ से अधिक)	104

3.14	उपशीर्षों के अंतर्गत प्राप्त अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान	104
3.15	संपूर्ण प्रावधान की बचत (उपशीर्ष-वार)	105
3.16	एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की बचत	106
3.17	निरंतर बचत (उपशीर्ष-वार)	108
3.18	मार्च के दौरान तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में अंधाधुंध व्यय	108
3.19	रक्षा सेवा अनुदानों में निरंतर बचतें	111
3.20	रक्षा सेवा अनुदानों में बचतों का अभ्यर्पण	112
3.21	निष्कर्ष	113
	अध्याय-4: विनियोग लेखे: लेखाओं पर टिप्पणियां	
4.1	प्रस्तावना	114
4.2	भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114(3) का लगातार उल्लंघन - सी.बी.डी.टी द्वारा करों की वापसी पर ब्याज पर किया गया व्यय	114
4.3	बजट रेखा के बिना किया गया व्यय	116
4.4	कैंटीन स्टोर्स विभाग (सी.एस.डी) में व्यय बजट से प्राप्ति/विविध आय शीर्ष को निधि का पुर्नविनियोजन	117
4.5	प्रावधानों के संवर्धन हेतु वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने में विफलता	118
4.5.1	वस्तु शीर्ष 31-सहायता अनुदान-सामान्य' के लिए प्रावधान में संवर्धन	118
4.5.2	वस्तु शीर्ष 35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के प्रावधान का संवर्धन	120
4.5.3	वस्तु शीर्ष 36- सहायता अनुदान-वेतन' के प्रावधान का संवर्धन	122
4.5.4	वस्तु शीर्ष 33-सब्सिडी' के प्रावधान का संवर्धन	123
4.5.5	वस्तु शीर्ष 'मुख्य निर्माण कार्य' तथा 'मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत प्रावधान का संवर्धन	125
4.5.6	वस्तु शीर्ष '55 ऋण एवं अग्रिम' के अंतर्गत अधिक व्यय	126
4.6	पूंजीगत लेखे के बजाय राजस्व लेखे के अंतर्गत तथा प्रतिक्रम में व्यय का गलत वर्गीकरण	127
4.6.1	पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण	127
4.6.2	राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण	129
4.6.3	व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण पर ₹365 करोड़ की राशि के व्यय का पूंजीगत खंड में गलत दर्ज किया जाना	130
4.6.4	गलत वर्गीकरण के अन्य मामले	131
4.7	अनुदान/विनियोग के एक ही प्रभाग के भीतर गलत वर्गीकरण के अन्य मामले	133

4.7.1	भारतीय लोक लेखे के स्थान पर भारत की समेकित निधि के माध्यम से गलत लेन-देन पारित होना	133
4.7.2	वस्तु शीर्ष 'सहायता अनुदान वेतन' का परिचालन न होना	135
4.7.3	अनुदान के एक ही प्रभाग के अंतर्गत वस्तु शीर्षो में गलत वर्गीकरण	137
4.7.4	अन्य देशों को दी जा रही सहायता को दर्ज करने हेतु लक्ष्य शीर्ष 'अंशदान' का प्रचालन	148
4.7.5	'विशेष केन्द्रीय सहायता' का लेखे के गलत लघु शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना	149
4.8	एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करने के माध्यम से अप्राधिकृत संवर्धन	150
4.9	लक्ष्य शीर्ष के अंतर्गत एकमुश्त प्रावधान की प्राप्ति	152
4.10	अनुमोदन बिना योजना से योजनेत्तर शीर्ष को निधियों का पुनर्विनियोग	153
4.11	सुसंगत उपशीर्ष का प्रचालन न करने के कारण व्यय का गलत वर्गीकरण	154
4.12	संसदीय प्राधिकरण के बिना किया गया व्यय	155
4.13	कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट के मामले में विस्तृत शीर्ष 99- सूचना प्रौद्योगिकी का प्रचालन न करना	156
4.14	रक्षा मंत्रालय में बजट का गलत अनुमान	156
4.15	रक्षा अनुदानों में गलत तकनीकी पूरक प्रावधान प्राप्त करना	158
4.16	रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तीय अनुशासन का पालन न करना	161
4.17	निष्कर्ष	162
	अध्याय 5: सहायता अनुदान: एक विश्लेषण	
5.1	प्रस्तावना	163
5.2	व्यय की प्रवृत्ति	163
5.2.1	प्रभारित तथा दत्तमत सहायता अनुदान	165
5.2.2	योजनागत तथा गैर-योजनागत अनुदान	166
5.3	योजनागत सहायता अनुदान व्यय की बदलती प्रकृति	167
5.3.1	सहायता अनुदान व्यय के मामले में नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रबंधन	168
5.4	उपयोग प्रमाणपत्र (उ.प्र.)	171
5.5	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सहायता अनुदानों पर व्यय की विस्तृत जांच	173

	अनुदान सं. 46- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	
5.5.1	प्रस्तावना	173
5.5.2	बजट एवं व्यय	174
5.5.3	सहायता अनुदान पर व्यय का माह-वार प्रवाह	175
5.5.4	अभिकरणों को संस्वीकृत एवं निर्गत अनुदानें	176
5.5.5	सरकारी अनुदान में से अनुदानग्राहियों द्वारा सृजित पूंजीगत परिसम्पत्तियों के डाटा का गैर-अनुरक्षण	177
5.5.6	सहायता अनुदान रजिस्टर का अनुचित अनुरक्षण	178
5.5.7	अनुदानों के प्राधिकृत तथा निर्गम के बीच विलम्ब	179
5.5.8	जारी किए गए अनुदानों की निगरानी	180
(क)	स्वायत्त संगठनों की समकक्ष समीक्षा	180
(ख)	निष्पादन-सह-उपलब्धि रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण न करना	180
(ग)	वार्षिक प्रतिवेदनों के द्वारा संसद को ब्यौरों की सूचना न देना	181
(घ)	बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.)	181
	अनुदान सं. 30 - पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	
5.5.9	प्रस्तावना	182
5.5.10	बजट एवं व्यय	184
5.5.11	सहायता अनुदान पर माह-वार व्यय का प्रवाह	185
5.5.12	स्वायत्त निकायों, इकाइयों-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, पंजीकृत समितियां आदि के संबंध में व्यय	186
5.5.13	सरकारी अनुदानों में से अनुदानग्राहियों द्वारा सृजित पूंजीगत परिसम्पत्तियों के डाटा का अनुरक्षण न करना	187
5.5.14	संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन न किया जाना	187
5.5.15	अनुदान जारी करने तथा प्राधिकरण के बीच विलंब	188
5.5.16	उपयोग प्रमाणपत्रों में ऋणों तथा अग्रिमों पर किए व्यय का प्रकटीकरण न होना	188
5.5.17	उपयोग प्रमाणपत्र (उ.प्र.)	189
5.5.18	निष्पादन सह उपलब्धि रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण न किया जाना	189
5.5.19	अनुदान रजिस्टर के अनुरक्षण में विसंगतियां	190
5.5.20	मंत्रालय की वेबसाईट पर अनुदानग्राही निकायों से संबंधित सूचना का अधूरा प्रकटीकरण	190
5.5.21	स्वायत्त संगठनों की पीयर समीक्षा नहीं की गई	191
5.5.22	त्रुटिपूर्ण आंतरिक पर्यवेक्षण	191
5.6	निष्कर्ष	192

	अनुबंध	
	अनुबंध 1.1	195
	अनुबंध 2.1	204
	अनुबंध 2.2	205
	अनुबंध 2.3	206
	अनुबंध 2.4	209
	अनुबंध 2.5	211
	अनुबंध 2.6	215
	अनुबंध 2.7	217
	अनुबंध 3.1	218
	अनुबंध 3.2	221
	अनुबंध 3.3	222
	अनुबंध 3.4	223
	अनुबंध 3.5	228
	अनुबंध 3.6	233
	अनुबंध 3.7	240
	अनुबंध 3.8	241
	अनुबंध 3.9	246
	अनुबंध 3.10	248
	अनुबंध 3.11	249
	अनुबंध 3.12	252
	अनुबंध 3.13	257
	अनुबंध 3.14	285
	अनुबंध 4.1	288
	अनुबंध 4.2	292
	अनुबंध 5.1	295
	अनुबंध 5.2	296
	शब्दावली	297

प्राक्कथन

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे तथा विनियोग लेखों की नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत मामले इस प्रतिवेदन में शामिल हैं।

मंत्रालयों की लेखापरीक्षा से उद्भूत अभ्युक्तियां विभिन्न प्रतिवेदनों में सम्मिलित है। संघ सरकार के लिए, वैज्ञानिक विभागों, रक्षा सेवाएं- थल सेना तथा आयुध कारखाने, रक्षा सेवाएं- वायु सेना एवं नौ सेना, रेलवे, अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर तथा प्रत्यक्ष कर पर पृथक प्रतिवेदन भी संसद को प्रस्तुत किए जाते हैं।

विशिष्टताएं

विशिष्टताएं

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन संघ सरकार के लेखाओं पर है तथा वर्ष 2014-15 हेतु संघ सरकार के वित्त का विश्लेषण करता है। इसमें वर्ष 2014-15 के संघ सरकार के लेखाओं के संबंध में विनियोग लेखे का विश्लेषण तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां भी सम्मिलित की गई हैं।

अध्याय-1

- 2014-15 में संघ सरकार की वित्तीय स्थिति की विशिष्टता सकल राजस्व प्राप्तियों में 8.51 प्रतिशत की वृद्धि में रही जो प्रमुख रूप से पिछले वर्ष की अपेक्षा कर राजस्व प्राप्तियों (9.32 प्रतिशत) तथा गैर-कर राजस्व प्राप्तियों (6.18 प्रतिशत) दोंनों में पर्याप्त वृद्धि के कारण थी।

  (पैरा 1.2, 1.2.3 एवं 1.2.4)

- राजस्व व्यय 2013-14 में 10.89 प्रतिशत के प्रति 2014-15 के दौरान 7.62 प्रतिशत से बढ़ गया। सहायता अनुदान, ब्याज भुगतान, पेंशन तथा रक्षा एवं रेलवे को मिला कर राजस्व व्यय, वर्ष 2014-15 के राजस्व व्यय का 90 प्रतिशत है।

  (पैरा 1.3.2)

- पूंजीगत व्यय जी.डी.पी. का 1.71 प्रतिशत था, जो तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित राजकोषीय सुदृढ़ीकरण मार्ग में वर्ष के लिए निर्दिष्ट 4.5 प्रतिशत से काफी नीचे था। कुल पूंजीगत व्यय में से 38 प्रतिशत रक्षा पर किया गया था।

  (पैरा 1.5.4 एवं 1.3.3)

- योजनागत व्यय के विश्लेषण ने प्रकट किया कि कुल योजनागत व्यय का 69 प्रतिशत सहायता अनुदान भुगतान के रूप में था। सबसे अधिक योजनागत व्यय कर रहे 10 मंत्रालयों/ विभागों में से चार में 98 प्रतिशत से अधिक व्यय सहायता अनुदान के संवितरण के रूप में था।

  (पैरा 1.3.5 एवं 1.3.7)

- वर्ष 2014-15 का राजस्व घाटा 2013-14 में जीडीपी के 3.15 प्रतिशत के प्रति जीडीपी का 2.92 प्रतिशत था। जीडीपी के 2.92 प्रतिशत का राजस्व घाटा 2014-15 में प्राप्त किये जाने वाले जीडीपी के 0.50 प्रतिशत के राजस्व अधिशेष के विपरीत था, जैसा कि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा रेखंकित किया गया था। वर्ष 2014-15 का राजकोषीय घाटा 2013-14 में जीडीपी के 4.44 प्रतिशत के प्रति जीडीपी का 4.11 प्रतिशत था।

(पैरा 1.5.4)

अध्याय - 2

- ग्यारह मुख्य शीर्षों में उच्च अपारदर्शिता देखी गई थी जिनमें कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक लघु शीर्ष 800- अन्य व्यय के अन्तर्गत दर्ज किया गया था।

(पैरा 2.2.2)

- दूरसंचार विभाग ने वर्ष 2014-15 के दौरान सार्वभौमिक उपयोग उद्ग्रहण के प्रति ₹7537.88 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ निधि) को केवल ₹2,086.98 करोड़ का अंतरण किया जिसे कथित उद्देश्यों के प्रति आगे संवितरित किया गया। यू.एस.ओ निधि में शेष राशि के हस्तान्तरित न करने के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए यू.एस.ओ. निधि के अंत शेष को ₹5450.90 करोड़ तक कम बताया गया। 2002-03 से 2014-15 के दौरान यू.एस.ओ निधि के अंतशेष में कुल मिलाकर ₹39,133.76 करोड़ को कम बताया गया था।

(पैरा 2.3.1)

- 1996-97 से 2014-15 की अवधि के दौरान कुल ₹5,783.49 करोड़ का अनुसंधान तथा विकास उपकर संग्रहित किया गया था। इसमें से केवल ₹549.16 करोड़ (9.50 प्रतिशत) का उपयोग कथित उपकर के उद्ग्रहण के उद्दश्यों के प्रति किया गया था।

(पैरा 2.3.2)

- बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि (निधि) से प्राप्तियों से काफी अधिक मात्रा में व्यय होने के कारण वर्षो से निधि में शेष प्रतिकूल हो गया था। 2008-09 से 2014-15 की अवधि के दौरान निधि में प्रतिकूल शेष जारी रहा था, जो 2008-09 में (-) ₹ 53.51 करोड़ से 2014-15 में (-) ₹ 171.29 करोड़ तक लगातार बढ़ा।

(पैरा 2.3.3)

- सी.एफ.आई. में प्राथमिक शिक्षा उपकर के रूप में ₹1,54,818 करोड़ के कुल संग्रहण के प्रति भारत की समेकित निधि में ₹13,298 करोड़ की राशि का शेष छोड़ते हुए, 2004-05 से 2014-15 के दौरान चयनित योजनाओं पर व्यय को पूरा करने के लिए लोक लेखा में प्रारम्भिक शिक्षा कोष को केवल ₹1,41,520 करोड़ का अतंरण किया गया था।

(पैरा 2.3.4)

- केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कल्याण निधि से ₹3.91 करोड़ का अनियमित व्यय किया जो संबंधित निधि के सृजन के वित्तीय औचित्य के सिद्धांतो के अनुरूप नहीं था।

(पैरा 2.3.9)

अध्याय-3

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114(3) के प्रावधानों के अनुसार भारत की समेकित निधि (सी.एफ.आई.) से, विधि द्वारा किए गए विनियोजनों के अतरिक्त, कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी। तथापि, 2014-15 के दौरान सी.एफ.आई. के प्राधिकार से ₹16,201.33 करोड़ से अधिक के संवितरण किये गए सिविल मंत्रालयों/विभागों में आधिक्य तीन अनुदानों/विनियोगों के पांच खण्डों में ₹15,640.55 करोड़ था। रेल मंत्रालय में छः अनुदानों/विनियोगों के छः खंडों में ₹490.37 करोड़, रक्षा सेवाओं के एक अनुदान के एक खंड में ₹0.13 लाख, तथा डाक विभाग के एक अनुदान के एक खंड में ₹70.41 करोड़

सम्मिलित थे। इन अधिक संवितरणों को संविधान के अनुच्छेद 115(1) (ख) के अंतर्गत नियमन करने की आवश्यकता है।

(पैरा 3.4)

- 93 अनुदानों (सिविल, डाक, रेलवे तथा रक्षा सेवाएं सहित) के 122 मामलों में ₹100 करोड़ से अधिक की बचतें हुई जिनकी कुल धनराशि ₹5,80,970 करोड़ थी। जिन अनुदानों में बड़ी बचतें देखी गई वे थी - विनियोग- ऋण का पुनर्भुगतान (₹3,56,325 करोड़), विनियोग- ब्याज भुगतान (₹24,784 करोड़), वित्तीय सेवाएं विभाग (₹17,560 करोड़), स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (₹14,615 करोड़), राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण (₹13,403 करोड़)।

(पैरा 3.7 एवं अनुबंध 3.5)

अध्याय-4

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 (3) में यह व्यवस्था है कि भारत की समेकित निधि से विधि द्वारा किए गए विनियोजन के अतिरिक्त, कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान संसद के अनुमोदन के बिना प्रतिदायों के ब्याज पर ₹5,332 करोड़ का व्यय किया। पिछले सात वर्षो से आवश्यक विनियोजनों के माध्यम से संसद से अनुमोदन प्राप्त किए बिना ब्याज भुगतानों पर ₹48,235 करोड़ का व्यय लोक लेखा समिति ने अपनी 66वीं एवं 96वीं प्रतिवेदन में सिफारिश के बावजूद किया गया था।

(पैरा 4.2)

- भारत की समेकित निधि से किसी निकाय अथवा प्राधिकरण को पुनर्विनियोजन द्वारा 'सहायता अनुदान' के प्रावधान का आवर्धन केवल संसद की पूर्वानुमति से ही किया जा सकता है। चार अनुदानों के पांच मामलों में, 2014-15 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा बिना संसदीय पूर्वानुमति प्राप्त किए विभिन्न निकायों/ प्राधिकरणों को वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अन्तर्गत प्रावधान का आवर्धन करके ₹60.25 करोड़ का व्यय किया गया था। इसी प्रकार, दो

अनुदानों के नौ मामलों में, ₹144.72 करोड़ का वर्तमान प्रावधानों के उल्लंघन में बिना संसदीय पुर्वानुमति के वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों' का आवर्धन किया गया था। इसके अतिरिक्त, दो अनुदानों के तीन मामलों में कुल ₹8.29 करोड़ की निधियों का संसद की पूर्वानुमति के बिना वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' में आवर्धन किया गया था। इन सभी अधिक व्ययों ने नई सेवा/सेवा के नए साधन (एन एस/एन आई एस) की सीमाओं का उल्लंघन किया।

(पैरा 4.5.1, 4.5.2 तथा 4.5.3)

- वस्तु शीर्ष 'सब्सिडी' में पुनर्विनियोजन द्वारा वर्तमान विनियोगों में प्रावधान के आवर्धन हेतु संसद की पूर्वानुमति आवश्यक होती हैं यदि अतिरिक्तता संसद द्वारा पहले से दत्तमत विनियोग के 10 प्रतिशत अथवा ₹10 करोड़, जो भी कम हो, से अधिक हो। दो अनुदानों के चार मामलों में संसदीय पूर्वानुमति लिए बिना एन एस/ एन आई एस की सीमाओं का उल्लंघन कर वस्तु शीर्ष सब्सिडी में ₹202.04 करोड़ का संवर्धन किया गया था।

(पैरा 4.5.4)

- वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' तथा '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अन्तर्गत एन एस/ एन आई एस के सभी मामलों के संबंध में ₹2.5 करोड़ से अधिक या पहले से दत्तमत विनियोग के 10 प्रतिशत दोनों में जो कम हो, से अधिक के आर्वधन से संबंधित सभी मामलों में संसद की पूर्वानुमति अपेक्षित होगी चाहे आवर्धन नये निर्माण कार्यों हेतु हों अथवा वर्तमान निर्माण कार्यों हेतु हों। तीन अनुदानों के छः मामलों में, 2014-15 के दौरान संसदीय पूर्वानुमति के बिना मंत्रालयों/विभागों द्वारा इन वस्तु शीर्षों के अन्तर्गत प्रावधान को आवर्धन द्वारा ₹41.12 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था। इस अधिक व्यय ने नई सेवा/सेवा के नए साधन की सीमाओं का उल्लंघन किया था।

(पैरा 4.5.5)

- विभिन्न विभागों/मंत्रालयों ने राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में तथा प्रतिक्रम में गलत वर्गीकरण किया। गलत वर्गीकरण का परिणाम ₹748.43 करोड़ तक पूंजीगत व्यय के अतिकथन तथा ₹522.67 करोड़ तक पूंजीगत व्यय कम बताए जाने में हुआ। सरकारी व्यय पर समग्र प्रभाव ₹225.76 करोड़ के पूंजीगत व्यय का अधिक बताये जाने में हुआ।

(पैरा 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 तथा 4.6.4)

- वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 छठी श्रेणी अर्थात् वस्तु शीर्ष तक व्यय के वर्गीकरण के उद्देश्य हेतु विवरणों/परिभाषाओं सहित विनियोग की मानक प्राथमिक इकाईयाॅ निर्धारित करता है। 19 अनुदानों/ विनियोगों के 27 मामलों में, ₹2954.65 करोड़ का कुल व्यय विनियोग की कई प्राथमिक इकाईयों में गलत वर्गीकृत किया गया था।

(पैरा 4.7.3)

अध्याय-5

- ऋण पुनर्भुगतान का अपवाद छोड़कर संघ सरकार के व्यय की एकमात्र सबसे बड़ी मद के रूप में सहायता अनुदान 2014-15 के दौरान संघ संरकार के कुल राजस्व व्यय का लगभग 28 प्रतिशत से अधिक बना रहा।

(पैरा 5.1 तथा 5.2)

- यह सत्यापन करने के लिए कि धन उसी प्रयोजन हेतु उपयोग किया गया है जिसके लिए यह दिया गया था, मंत्रालयों के लिए उपयोग प्रमाण पत्र (यू.सी.) एकमात्र तंत्र है। 26 मंत्रालयों/ विभागों में ₹51,527.10 करोड़ की राशि के 37,569 यू सी बकाया थे जो संबंधित मंत्रालयों/ विभागों में दोषपूर्ण निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई तंत्र को दर्शाता है।

(पैरा 5.4)

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी अनुदान सहायता पर व्यय के विस्तृत विश्लेषण द्वारा दोषपूर्ण नियंत्रण तंत्र और किए गए व्यय की गुणवत्ता के संबंध में अपर्याप्त आश्वासन का पता चला।

(पैरा 5.5)

1: संघीय वित्त 2014-15 का विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

संसद में प्रस्तुत किए गए संघ सरकार के वार्षिक लेखे जिसमें वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे शामिल हैं। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे से प्राप्तियों तथा भुगतानों के विवरणों को दर्शाते हैं। विनियोग लेखे प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अंतर्गत विधायिका द्वारा प्राधिकृत राशियों की तुलना में व्यय तथा परिणामत: आधिक्य/बचत के लिए स्पष्टीकरणों को दर्शाते हैं।

पेटिका 1.1: संघ सरकार निधियां एवं लोक लेखा

समेकित निधि	•संघ सरकार द्वारा प्राप्त किये गये समस्त राजस्व, राजकोषीय बिलों के निर्गम द्वारा उठाए गए समस्त ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन मिलकर एक समेकित निधि निर्मित करते हैं जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित की गई "भारत की समेकित निधि" कहा जाता है।
आकस्मिक निधि	•संविधान के अनुच्छेद 267(1) के अंतर्गत स्थापित भारत की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखे गए एक अग्रदाय के रूप में है जो उन्हें, संसद से प्राधिकार प्राप्त हो जाने तक अतिआवश्यक अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम प्रदान करने का अधिकार देता है। •इस प्रकार किये गये व्यय और समेकित निधि से इसके बराबर राशि के आहरण के लिए वैधानिक अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है। जिसके पश्चात आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिमों की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।
लोक लेखा	•समेकित निधि से संबंधित सरकार की सामान्य प्राप्तियों तथा व्ययों के अतिरिक्त सरकारी लेखाओं में कुछ ऐसे लेन-देन भी सम्मिलित होते हैं जिनके संबंध में सरकार अधिकतर बैंकर के रूप में कार्य करती है। भविष्य निधियों, लघु बचतों, अन्य जमाओं आदि से संबंधित लेन-देन इसके कुछ उदाहरण हैं। •इस प्रकार प्राप्त लोक धन को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है तथा सम्बद्ध संवितरण इसी से किए जाते हैं।

1.1.1 वर्ष 2014-15 सकल घरेलु उत्पाद (स.घ.उ.)[1] वृद्धि से मापे गये आर्थिक विकास में सुधार के लिये उल्लेखनीय रहा जोकि 2013-14 में विकास दर के 6.9 *प्रतिशत* की तुलना में 7.3 *प्रतिशत* रही।

2012-13 में स.घ.उ. के 4.95 प्रतिशत तथा 2013-14 में 4.44 *प्रतिशत* 2014-15 में 4.11 प्रतिशत तक की गिरावट के साथ राजकोषीय घाटे के स्तर पर भी सुधार पाया गया था। 2014-15 के दौरान यह सुधार प्रमुख रूप से गैर ऋण प्राप्ति में पिछले वर्ष से 9.55 *प्रतिशत* की वृद्धि तथा वास्तविक व्यय में पिछले वर्ष की 10.73 प्रतिशत की वृद्धि से 7.56 *प्रतिशत* की कम वृद्धि हुआ है।

पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान राजस्व व्यय में हुई ₹1,20,040 करोड़ (7.62 *प्रतिशत)* की वृद्धि के प्रति निवल राजस्व प्राप्ति में ₹1,11,115 करोड़ (9.12 *प्रतिशत)* की वृद्धि द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान संघ सरकार के राजस्व घाटे को ₹8,925 करोड़ से कम करने में मदद मिली हालांकि, उसी अवधि के दौरान ₹14,163 करोड़ की वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा पिछले वर्षों से ₹12,718 करोड़ पूंजीगत व्यय में अधिक हो गया। 2014-15 के दौरान लोक ऋण के रूप में सरकार द्वारा सकल उधार पिछले वर्ष की तुलना में ₹2,23,230 करोड़ अधिक था।

भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) में ₹5,451 करोड़ के घाटे एवं लोक लेखे में ₹72,393 करोड़ के अधिशेष के संयुक्त प्रभाव का परिणाम वित्तीय वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर संघ सरकार के रोकड़ शेषों में ₹77,844 करोड़ की कमी में हुआ।

तालिका 1.1 वर्ष 2014-15 के लिए संघ सरकार की प्राप्तियों संवितरणों तथा उधारों की स्थिति का सारांश प्रस्तुत करती है।

[1] 29 मई, 2015 को सी.एस.ओ. द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, स्थिर मूल्यों (2011-12) पर स.घ.उ. के आकलनों में पिछले वर्ष से 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वर्तमान मूल्यों पर, यह वृद्धि 10.5 *प्रतिशत* तक बढ़ी।

तालिका 1.1: चालू वर्ष (2014-15) के लेन-देन का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां		व्युत्पन्न मापदण्ड	संवितरण	
भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.)				
राजस्व प्राप्तियां*	1328909 (1217794)	**राजस्व घाटा 366228 (357303)**	राजस्व व्यय	1695137 (1575097)
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	37740 (29368)		पूंजीगत व्यय	172085 (168844)
कर्जों की वसूली	26547 (24549)		ऋण तथा अग्रिम	41922 (31000)
कुल गैर ऋण प्राप्तियां	1393196 (1271711)	**राजकोषीय घाटा 515948 (503230)**	वास्तविक व्यय	1909144 (1774941)
लोक ऋण	4218196 (3994966)		लोक ऋण	3707699 (3511291)
भा.स.नि. में कुल प्राप्तियां	5611392 (5266677)	**भा.स.नि. में कमी 5451 (19555)**	भा.स.नि. से कुल व्यय	5616843 (5286232)
आकस्मिकता निधि				
प्राप्तियां	0		विनियोग	0
लोक लेखा				
लघु बचतें	499555 (407541)		लघु बचतें	505402 (389826)
आरक्षित एवं निक्षेप निधि	147041 (127520)		आरक्षित एवं निक्षेप निधि	141932 (124057)
जमा	131184 (113712)		जमा	103498 (101028)
अग्रिम	42238 (37895)		अग्रिम	42380 (25035)
उचन्त लेख	28484 (2744)		उचन्त लेखे	116525 (13110)
प्रेषण	2004 (3548)		प्रेषण	13162 (1182)
कुल लोक लेखे	850506 (692960)	**लोक लेखा में घाटा 72393 (38722 अधिशेष)**	कुल लोक लेखे	922899 (654238)
आरंभिक रोकड़ शेष	87618 (68451)	**नकद रोकड़ शेष में कमी 77844 (19167 वृद्धि)**	रोकड़ अंत शेष	9774 (87618)
लोक लेखा घाटा (मांग)		72393	रोकड़ शेष में कमी(-) भा.स.नि. में घाटा	
वार्धिक देयताएं (आपूर्ति)		537445	(ऋण+लघुबचत+आ.नि.+जमा) का अधिशेष	
वार्धिक देयताएं (मांग)		537445	राजकोषीय घाटा (-) रोकड़ में कमी (+) (अग्रिम+ उचन्त+ प्रेषण) का निवल संवितरण	

**राज्य को सौंपे गये करों एवं शुल्कों के आंकड़े शामिल नहीं है (2014-15 के लिए ₹3,37,808 करोड़ तथा 2013-14 के लिए ₹ 3,18,230 करोड़,*

नोट: (1) कोष्ठक में आंकड़े वर्ष 2013-14 हेतु समान आंकड़ों को दर्शाते हैं।

(2) 2014-15 के लिए राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय ₹5,332 करोड़ से कम हैं क्योंकि करों की वापसी पर ब्याज पर हुए व्यय को त्रुटिवश व्यय के बजाय 'राजस्व में कटौती' के रूप में दर्शाया गया था। विवरण के लिए कृपया इस प्रतिवेदन के पैरा 4.2 का संदर्भ लें।

1.2 संसाधनों का सृजन

राजस्व तथा पूंजीगत, प्राप्तियों के दो स्रोत हैं जो संघ सरकार के संसाधन निर्मित करते हैं। कर राजस्व, गैर-कर राजस्व तथा कुछ बाह्य एजेंसियों से सहायता अनुदान को मिलाकर राजस्व प्राप्तियां बनती हैं। पूंजीगत प्राप्तियों के दो संघटक हैं-ऋण प्राप्तियां जो भविष्य में पुनर्भुगतान बाध्यताओं को सृजित करती है तथा गैर-ऋण प्राप्तियां जिनमें विनिवेश तथा कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियों से प्राप्तियां शामिल है जिससे वास्तविक अथवा संभावित परिसंपत्तियों में कटौती होती हैं।

जैसा कि **तालिका 1.2** से देखा जा सकता है कि स.घ.उ. की तुलना में सकल प्राप्तियों के अनुपात में पिछले चार वर्षों में स्थिर गिरावट दर्शाई है तथा यह अनुपात 2014-15 के दौरान स.घ.उ. के 54.20 *प्रतिशत* पर रहा। वर्ष 2014-15 में 8.51 *प्रतिशत* सकल राजस्व प्राप्तियों में की तुलना में 2013-14 में केवल 14 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई थी। परन्तु, सकल प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान 8.28 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। सकल प्राप्ति की तुलना में सकल ऋण प्राप्ति 2014-15 हेतु 62.05 *प्रतिशत* रही जो 2013-14 में 63.64 प्रतिशत थी यद्यपि, ऋण प्राप्तियों से सकल प्राप्तियों का अंश कम हो रहा है, जोकि काफी अधिक है, जोकि बजट को संतुलित करने हेतु ऋण पर निरंतर निर्भरता का पता चलता है।

तालिका 1.2: संसाधन एवं स.घ.उ.

(₹करोड़ में)

अवधि	सकल राजस्व प्राप्तियां* (1)	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (2)	सकल ऋण प्राप्तियां (3)	लोक लेखे में सकल उपार्जन (4)	सकल प्राप्तियां (1+2+3 +4) (5)	वर्तमान मूल्यों पर स.घ.उ.@ (6)	सकल प्राप्तियां/स.घ.उ. (7)
2011-12	1165691 (20)	54906 (1)	4063177 (69)	620667 (11)	5904441	8832012	66.85
2012-13	1347438 (22)	52513 (1)	3968038 (66)	660784 (11)	6028773	9988540	60.36
2013-14	1536024 (24)	53917 (1)	3994966 (64)	692960 (11)	6277867	11345056	55.34
2014-15	1666717 (25)	64287 (1)	4218196 (62)	848686 (12)	6797886	12541208	54.20

राज्यों को सौंपे गए करों तथा शुल्कों के आंकड़े (2014-15 के लिए, ₹3,37,808 करोड़) सम्मिलित हैं। 2014-15 में ₹13,28,909 करोड़ 2014-15 में केंद्र की निवल राजस्व प्राप्तियां हैं। जिसे **तालिका 1.1 में दिखाया गया है।*

नोट: (I) कोष्टक में आंकडे सकल प्राप्तियों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

चार्ट 1.1: स.घ.उ. में की प्रतिशतता के रूप में सकल प्राप्तियां

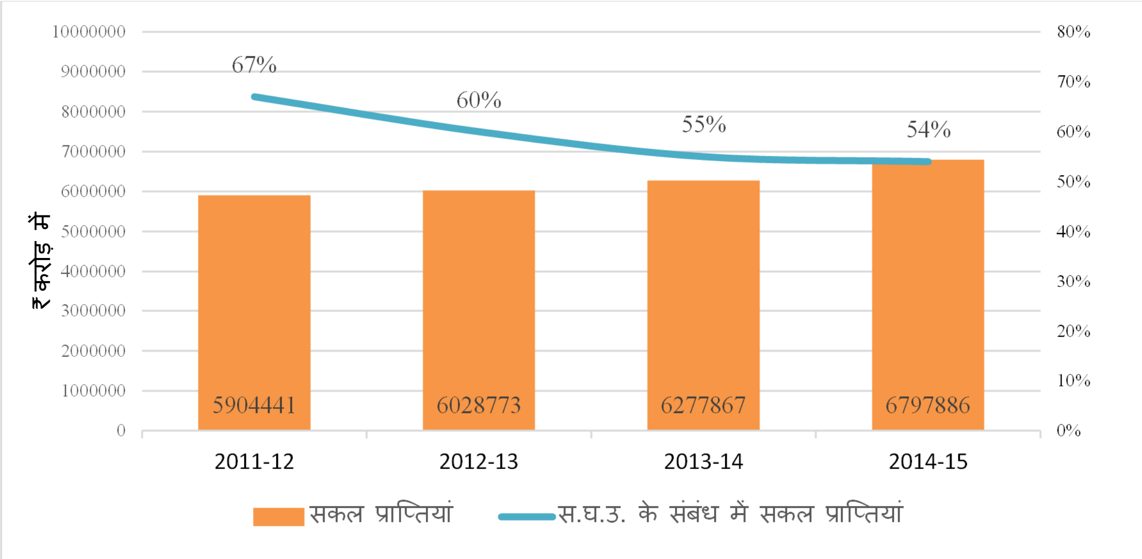

1.2.1 राजस्व प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियां जिसमें कर एवं गैर-कर प्राप्तियां शामिल होती हैं, राजस्व की सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं क्योंकि इन प्राप्तियों द्वारा किसी तरह की भविष्य देयताओं की बाध्यता उत्पन्न नहीं होती। राजस्व प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की चर्चा आगामी पैरों में की गई है।

1.2.2 राजस्व प्राप्तियों के संघटक: बजट अनुमानों तथा वास्तविक आंकड़ों के बीच अंतर

यथार्थवादी बजटीय अनुमानों का निरूपण व्यय नियंत्रण तथा रोकड़ एवं ऋण प्रबन्धन हेतु महत्वपूर्ण है। **चार्ट 1.2** दर्शाता है कि बजट अनुमान (ब.अ) से वास्तविक कर राजस्व प्राप्तियां कम थी। सेवा कर (22.23 प्रतिशत) तथा उत्पाद शुल्क (8.39 प्रतिशत) के मामलों में प्रमुख गिरावट सूचित की गई थी। गैर-कर राजस्व क्षेत्र में, ब्याज प्राप्तियों से बजट अनुमान अधिक थे (10.18 प्रतिशत)।

चार्ट 1.2 बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक मुख्य राजस्व संघटक: 201415

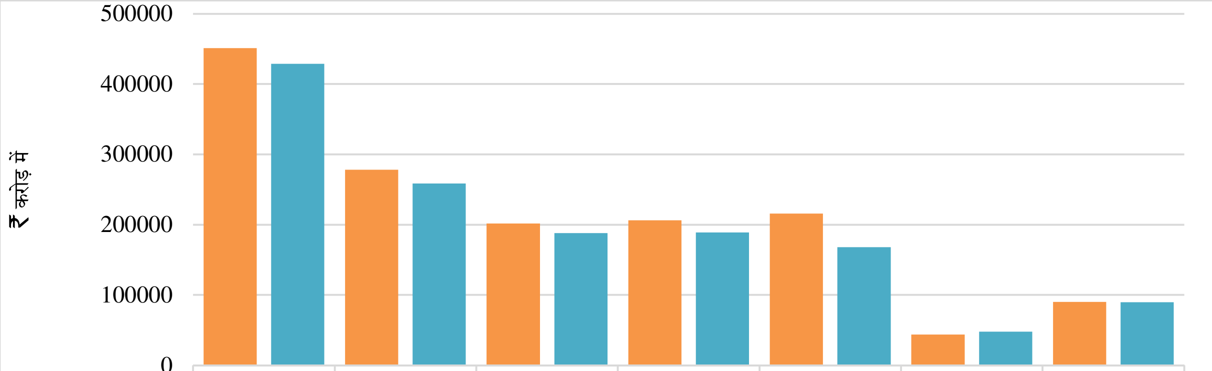

	निगम कर	आय कर	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	ब्याज प्राप्तियां	लाभ एवं लाभांश
बजट अनुमान	451005	278275	201819	206356	215973	43572	90229
वास्तविक	428925	258374	188016	189038	167969	48007	89861

1.2.3 कर राजस्व

2013-15 से स.घ.उ. की वृद्धि सकल करों की वृद्धि से कम रही थी हालांकि, कर राजस्व क्षेत्र के संघटकों की वृद्धि के कारणवश सकल कर राजस्व में 9.32 प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई थी **(तालिका 1.3)**।

तालिका 1.3: कर राजस्व के घटक (सकल)

(₹ करोड़ में)

अवधि	कुल सकल कर राजस्व#	निगम कर	आय कर	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य *	स.घ.उ. वर्तमान मूल्य पर
2011-12	889118	322816	164525	149328	144901	97509	10039	8832012
2012-13	1036461	356326	196844	165346	175845	132601	9499	9988540
2013-14	1138996	394678	237870	172085	169455	154780	10128	11345056
2014-15	1245136	428925	258374	188016	189038	167969	12814	12541208
वृद्धि की वार्षिक दर (प्रतिशत)								
2011-12	12.08	8.08	18.28	9.95	5.23	37.31	(-) 8.64	@
2012-13	16.57	10.38	19.64	10.73	21.36	35.99	(-)5.38	13.09
2013-14	9.89	10.76	20.84	4.08	(-)3.63	16.73	6.62	13.58
2014-15	9.32	8.68	8.62	9.26	11.56	8.52	26.52	10.54

 # राज्यों/सं.शा.क्षे.को दिए गए करों/शुल्कों के आंकड़े शामिल हैं।

** अन्य करों में होटल प्राप्ति कर, ब्याज कर, संपत्ति कर, उपहारकर, अनुषंगी लाभ कर, प्रतिभूति लेन-देन कर, बैंकिंग रोकड़ लेन-देन कर आदि शामिल हैं।*

@ स.घ.उ. से 2011-12 के आधार वर्ष में परिवर्तन के कारण आंकड़े उपलब्ध नहीं।

आयकर एवं सेवाकर की वृद्धि 2013-14 में 20.84 प्रतिशत और 16.73 प्रतिशत से वर्तमान वर्ष में क्रमश: 8.62 प्रतिशत एवं 8.52 प्रतिशत तक कम हुआ था।

उत्पाद शुल्क की वृद्धि की दर 2013-14 में नकारात्मक (-3.63 *प्रतिशत*) थी परंतु 2014-15 में 11.56 *प्रतिशत* तक बढ़ी थी।

2013-14 तथा 2014-15 (**चार्ट 1.3**) के दौरान कर राजस्वों के घटकों के सापेक्ष योगदानों की तुलना, सेवा कर (एक प्रतिशत) के अंशों में आंशिक वृद्धि तथा निगम कर (एक प्रतिशत) के हिस्सों में गिरावट को दर्शाती है। कर राजस्व के शेष संघटकों के अंश वही थे।

चार्ट 1.3: कर राजस्व के घटक

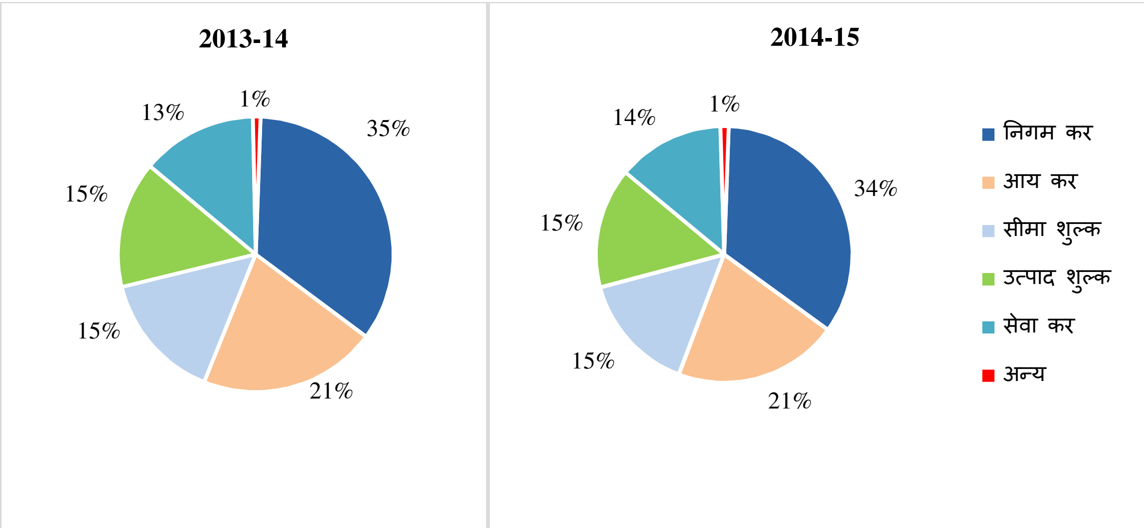

1.2.4 गैर-कर राजस्व

2014-15 में, गैर-कर राजस्व का सबसे बड़ा अंश (57.76 प्रतिशत) विभिन्न विभागों जो आम जनता को आर्थिक सेवाएं प्रदान करते हैं **(तालिका 1.4)** द्वारा लगाए गए उपभोक्ता प्रभारों से आया है। ब्याज प्राप्तियां गैर कर राजस्व का 11.39 *प्रतिशत* रही जबकि लाभांश तथा लाभ का योगदान लगभग 21.32 *प्रतिशत* रहा (पिछले वर्ष से 1.46 *प्रतिशत* कम)। गैर-कर राजस्व की वार्षिक वृद्धि दर 2013-14 में 27.67 *प्रतिशत* से घटकर 2014-15 में 6.18 *प्रतिशत* हो गयी। यह मुख्यत: लाभांश एवं लाभ से प्राप्तियों (2013-14 में 68.23 *प्रतिशत से 2014-15 में -0.64 प्रतिशत*) में महत्वपूर्ण कमी आर्थिक सेवाओं (2013-14 में 23.29 प्रतिशत से 2014-15 में 6.96 *प्रतिशत*) की प्राप्तियों में तुलना में कमी के कारण थी।

सामाजिक सेवाओं से प्राप्तियों ने सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण उपायों से ₹3,594 करोड़ की एक बार की बड़ी प्राप्ति के कारण 2011-12 की तुलना में 2012-13 के दौरान 387.75 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई थी इसमें आगे ₹836.52 करोड़ के 'डी.टी.एच. परिचालकों से लाईसेंस शुल्क' के रूप में बड़ी प्राप्ति के कारण 2014-15 में 31.84 प्रतिशत की वद्धि दर्शाई थी। हालांकि, गैर-कर राजस्व प्राप्तियों की तुलना में सामाजिक प्राप्तियों के सापेक्ष अंश नगण्य रहा।

तालिका 1.4: गैर-कर राजस्व की संरचना (अंश एवं वृद्धि की प्रवृत्ति)

(₹ *करोड़ में*)

अवधि	कुल गैर कर राजस्व#	ब्याज प्राप्तियां	लाभ एवं लाभांश	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	शासकीय तथा अन्य कार्य**
2011-12	276573	40054	50609	988	158283	26639
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	14.84	18.30	0.36	57.23	9.63
2012-13	310977	38860	53762	4819	184662	28874
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	12.50	17.29	1.55	59.38	9.28
2013-14	397028	44027	90442	1316	227661	33582
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	11.09	22.78	0.33	57.34	8.46
2014-15	421582	48007	89861	1735	243512	38467
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	11.39	21.32	0.41	57.76	9.12
वृद्धि की औसत वार्षिक दर						
2011-12	(-)22.89	13.47	5.45	21.38	(-)36.24	1.20
2012-13	12.44	(-)2.98	6.23	387.75	16.67	8.39
2013-14	27.67	13.30	68.23	(-)72.69	23.29	16.31
2014-15	6.18	9.04	(-)0.64	31.84	6.96	14.55

अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा सहायता अनुदान एवं योगदान शामिल है।

सामाजिक सेवाएं: शिक्षा, स्वास्थ्य जल आपूर्ति, स्वच्छता तथा सामाजिक सुरक्षा आदि।

आर्थिक सेवा: डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्यपालन, वानिकी, वृक्षारोपण, खाद्य संचयन तथा भंडारण, कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सिंचाई हेतु उपभोक्ता, प्रभार, ऊर्जा का प्रावधान, सरकारी विभागीय प्रबंधित सरकारी उपक्रम की प्राप्तियां इत्यादि।

** *राजकोषीय सेवाएं तथा सामान्य सेवाएं (पुलिस, लोक निर्माण कार्य, रक्षा, अन्य प्रशासनिक सेवाएं, सहायता-अनुदान तथा अंशदान आदि)*

2011-12 से गैर-कर राजस्व का प्रमुख भाग आर्थिक सेवाओं पर प्राप्ति बनाता है। आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत, वृद्धि के लिए मुख्य योजनाएं/कार्यक्रम/ क्रियाकलाप उत्तरदायी थे (i) भारतीय रेल (वाणिज्यिक लाइनें-मालभाड़ा प्राप्ति) 2013-14 में ₹93,788.29 करोड़ से 2014-15 में ₹1,05,661.21 करोड़ (12.66 प्रतिशत) तक बढ़ा, (ii) सड़कों एवं पुलों पर कर जोकि 2013-14 में ₹5,144.67 करोड़

से ₹5,927.13 (15.21 प्रतिशत) तक बढ़ा, (iii) 'अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं' जोकि 2013-14 में ₹3,368.47 करोड़ से 2014-15 में ₹4,773.93 करोड़ (41.72 प्रतिशत) तक बढ़ा (iv) अन्य सेवाएं एवं सेवा शुल्क (डाक प्राप्तियां) जोकि 2013-14 में ₹6,139.61 करोड़ से 2014-15 में ₹7,094.05 करोड़ (15.55 प्रतिशत) में वृद्धि हुई है तथा (v) 'कोयला एवं लिग्नाइट' जोकि 2013-14 में ₹136.18 करोड़ से 2014-15 में ₹6,179.26 करोड़ (4,437.57 प्रतिशत) तक वृद्धि हुई थी।

1.2.5 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां

राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों, विदेशी सरकारों, सरकारी निगमों, गैर सरकारी संस्थानों तथा सरकारी कर्मचारियों से विविध पूंजीगत प्राप्तियों (बोनस शेयर, विनिवेश आदि) तथा ऋण एवं अग्रिमों की वसूली से गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, बनती हैं। 2011-15 की अवधि के दौरान, ब.अ. की तुलना में विविध पूंजीगत प्राप्तियां हमेशा से कम थी। कथित अवधि के दौरान, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, ब.अ से अधिक रही, जिससे आकलनों के निर्धारण में कमी पता चलती है **(तालिका 1.5)**।

तालिका 1.5: गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति से वसूली

अवधि	विविध पूंजीगत प्राप्ति			ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली		
	ब.अ.	वास्तविक*	*वा.* की ब.अ. से प्रतिशतता	ब.अ.	वास्तविक	*वा.* की ब.अ. से प्रतिशतता
	(₹ करोड़ में)			*(₹ करोड़ में)*		
2011-12	40000	16471	41.18	26510	36818	138.88
2012-13	30000	25408	84.69	23095	26624	115.28
2013-14	55814	29368	52.62	22054	24549	111.31
2014-15	63425	37737	59.50	22817	26547	116.35

**बोनस शेयरों से प्राप्तियां शामिल नहीं है*

विविध पूंजीगत प्राप्ति का प्रमुख भाग विनिवेश बनाता है। **चार्ट 1.4** दर्शाता है कि अकेले कोल इंडिया लिमिटेड कुल ₹24,894.71 करोड़ के विनिवेश प्राप्तियों के 91 प्रतिशत (₹22,532.81 करोड़) का योगदान करता है। अन्य मुख्य योगदानकर्ता भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमि. (₹1,717.65 करोड़, 7 प्रतिशत) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (₹550.00 करोड़, 2 प्रतिशत), एन टी पी

सी लिमि. (₹48.16 करोड़), नालको (₹12.45 करोड़), मेकॉन (₹12.60 करोड़) आदि हैं।

चार्ट 1.4 विनिवेश की प्रक्रिया के घटक

(₹ करोड़ में)

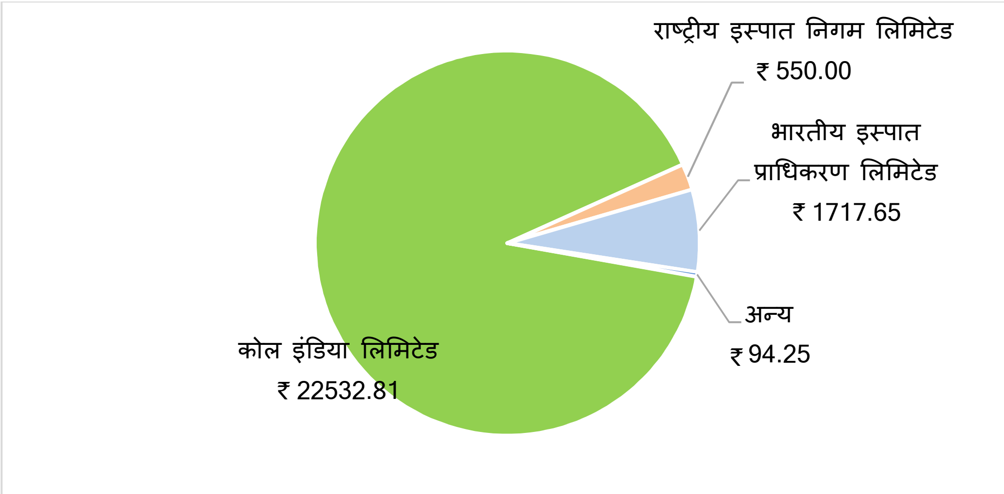

1.3 व्यय विश्लेषण

भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) तथा लोक लेखे (लो.ले.) से 2014-15 के लिए कुल संवितरण ₹ 65,39,742 करोड़ के थे।

चार्ट 1.5: कुल संवितरणों की घटक तालिका

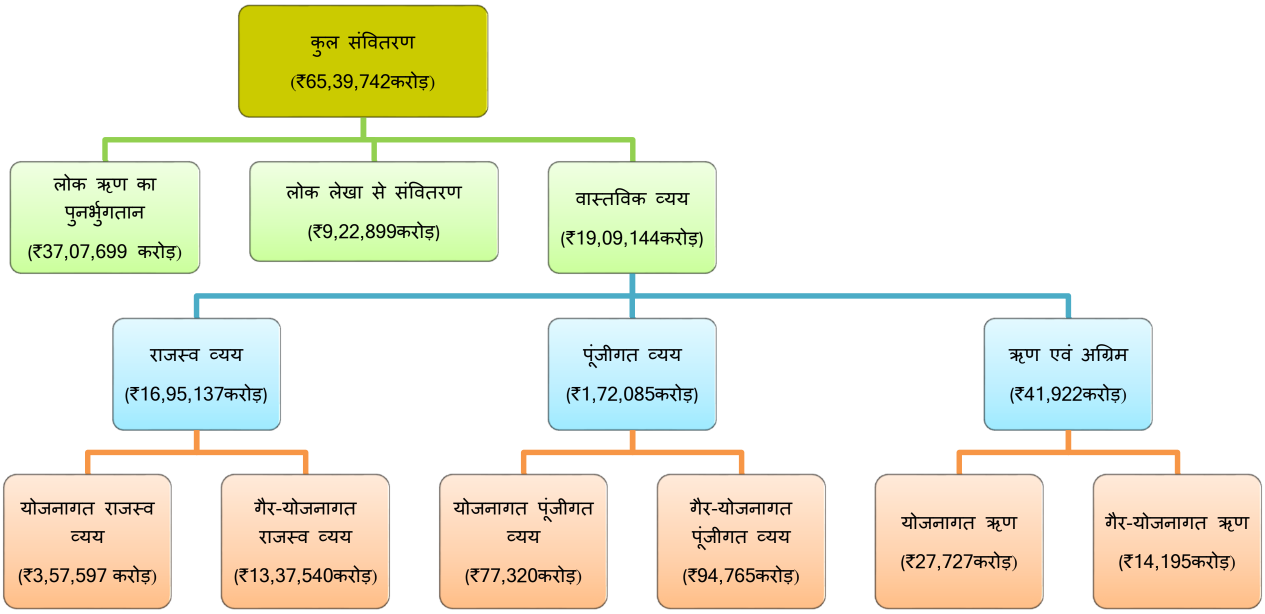

2014-15 में, सरकार के कुल संवितरण ₹ 59,40,471 करोड़ के पिछले वर्ष के संवितरणों से 10.09 *प्रतिशत* तक बढ़े। भा.स.नि. से 85.89 *प्रतिशत* (लोक ऋण का पुनर्भुगतान 56.70 *प्रतिशत* तथा वास्तविक व्यय 29.19 *प्रतिशत*) था। शेष 14.11 *प्रतिशत* संवितरण लोक लेखा से था **(चार्ट 1.5)**।

तालिका 1.6 में सरकार द्वारा किए गए संवितरणों के विभिन्न घटकों के अंश को दिया गया है। कुल संवितरण में ऋण के पुनर्भुगतान का अनुपात 2011-12 के दौरान 62.06 *प्रतिशत* से 2014-15 में 56.70 *प्रतिशत* तक घट गया है। हालांकि, उसी अवधि के दौरान लोक लेखा संवितरण का अंश 11.61 प्रतिशत से बढ़कर 14.11 *प्रतिशत* तक हो गया। 2011-12 से 2013-14 के दौरान वास्तविक व्यय का अंश 26.33 *प्रतिशत* से बढ़कर 29.88 *प्रतिशत* हुआ तथा 2014-15 में 29.19 तक की कमी आई थी। 2011-15 के दौरान वास्तविक व्यय के अनुपात के रूप में राजस्व व्यय लगभग 88 प्रतिशत पर रहा। वास्तविक व्यय के प्रति योजनागत व्यय का अनुपात 2011-12 में 27.81 *प्रतिशत* से 2014-15 में 24.23 *प्रतिशत* तक घटा है।

तालिका 1.6: कुल संवितरण के विभिन्न घटकों का अंश

(*प्रतिशत में*)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
कुल संवितरण के घटक				
ऋण का पुनर्भुगतान	62.06	60.27	59.11	56.70
लोक लेखा से संवितरण	11.61	11.54	11.01	14.11
वास्तविक व्यय (वा.व्य.)	26.33	28.19	29.88	29.19
वास्तविक व्यय के घटक				
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	88.01	88.62	88.74	88.79
पूंजीगत व्यय (पूं.व्य.)	9.40	9.38	9.51	9.01
कर्जे एवं पेशगियां (क.प.)	2.59	2.00	1.75	2.20
राजस्व व्यय के घटक				
योजनागत राजस्व व्यय	25.57	23.18	22.39	21.10
गैर योजनागत राजस्व व्यय	74.43	76.82	77.61	78.90
पूंजीगत व्यय के घटक				
योजनागत पूंजीगत व्यय	41.98	45.24	48.52	44.93
गैर योजनागत पूंजीगत व्यय	58.02	54.76	51.48	55.07
ऋण अग्रिमों के घटक				
योजनागत कर्जे	52.35	51.13	60.24	66.14
गैर योजनागत कर्जे	47.65	48.87	39.76	33.86
योजनागत व्यय की वा.व्य. से *प्रतिशतता*	27.81	25.80	25.54	24.23
गैर-योजनागत व्यय की वा.व्य. से *प्रतिशतता*	72.19	74.20	74.46	75.77

1.3.1 राजस्व तथा पूंजीगत व्यय

राजस्व व्यय वह वर्तमान व्यय है, जिससे परिसम्पत्तियों का सृजन का परिणाम नहीं होता। यह केवल सरकार के नियमित परिचालन के लिए होता है जिसमें अनुरक्षण व्यय, ब्याज भुगतान, आर्थिक सहायता अंतरण आदि शामिल होते हैं। राज्य सरकारों अथवा अन्य निकायों या प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों को भी राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है। पूंजीगत व्यय में परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु भुगतान, शेयर पूंजी में निवेश तथा सरकार द्वारा दिए गए कर्जे एवं पेशगियां शामिल हैं। **चार्ट 1.6** पूंजीगत व्यय के ऊपर राजस्व व्यय के प्रभुत्व को दर्शाता है। वर्ष 2011-12 में पूंजीगत व्यय का अंश 12 *प्रतिशत* था तथा राजस्व व्यय 88 *प्रतिशत* पर था। तथापि, अगले वर्ष में पूंजीगत व्यय 11 *प्रतिशत* रह गया तथा 2012-15 में उसी स्तर पर रहा। 2013-14 में

पूंजीगत व्यय में 9.54 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की थी लेकिन 2014-15 में 7.09 प्रतिशत की हुई थी।

चार्ट 1.6: पूंजीगत व्यय के साथ राजस्व व्यय की तुलना

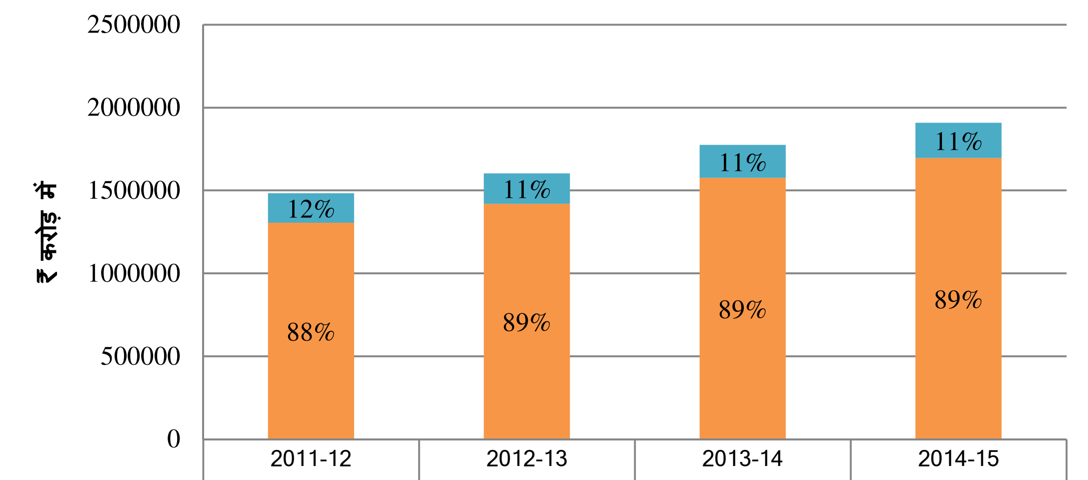

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
पूंजीगत व्यय*	177869	182445	199844	214007
राजस्व व्यय	1305195	1420473	1575097	1695137

**ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।*

1.3.2 राजस्व व्यय का विश्लेषण

चूंकि वित्त लेखे में घटक वार व्यय के विवरण उपलब्ध नही है, इस रिपोर्ट के कुछ अध्यायों में विश्लेषणों को पूरा करने के लिए ई-लेखा का उपयोग किया गया है। ई-लेखा वेतन एवं लेखा कार्यालयों तथा अन्य ऑफलाइन इंटरफेसों में उपयोग होने के कारण मूल्य वर्धित रिर्पोटिंग तथा मॉनीटरिंग तंत्र के लिए दैनिक, मासिक एवं वार्षिक लेखांकन प्रक्रिया के एकीकरण के साथ मूल लेखांकन की प्रणाली प्रदान करता है।

वित्त लेखे में व्यय आंकड़ों को वसूलियों के निवल के रूप में दर्शाया गया था और इस प्रकार, ई-लेखा से आंकड़े जहां अपनाए गए है, वह निवल प्राप्तियां है। ई-लेखा से प्राप्त घटकों की संख्या का डाटा समय पर ई-लेखा के अद्यतन न किए जाने के कारण वित्त लेखे में उपलब्ध डाटा से मेल नहीं खाता।

वर्ष 2014-15 के लिए कुल राजस्व व्यय ₹16,95,137 करोड़ था जोकि वास्तविक व्यय का 88.79 प्रतिशत है। राजस्व व्यय पिछले वर्ष के 10.89 प्रतिशत के प्रति 2014-15 के दौरान 7.62 प्रतिशत तक बढ़ा था।

ब्याज भुगतानों, सहायता अनुदान, आर्थिक सहायता, पेंशन तथा रक्षा-संबंधी व्यय राजस्व व्यय के मुख्य घटकों (लगभग 90 प्रतिशत) का गठन करते है जैसाकि **चार्ट 1.7** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.7: राजस्व व्यय के मुख्य घटक

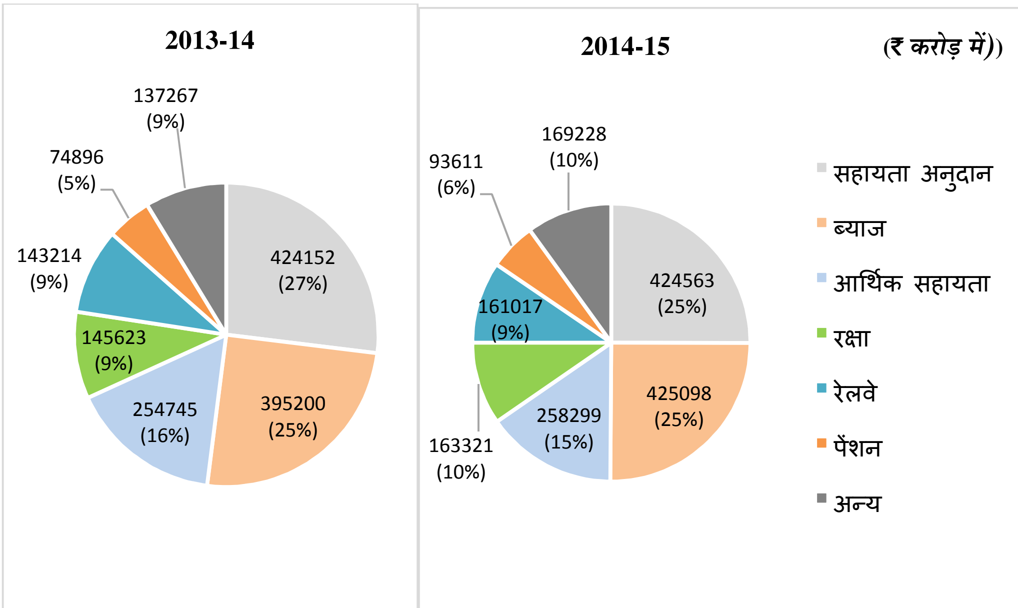

(क) सहायता अनुदान: सामान्य उद्देश्य तथा पूंजीगत सृजन दोनों के लिए सहायता अनुदान राज्य/ संघ शासित क्षेत्र की सरकारों तथा विदेशी सरकारों को दी गई है। भा.स.नि. से अनुदान निकायों/प्राधिकरणों/हस्तियों को दोनों उद्देश्यों तथा वेतनों के भुगतान हेतु भी दी जाती है। अनुदानों को उसी उद्देश्य जिसके लिए वे संस्वीकृत किए गए हैं, उपयोग किया जाना होता है तथा शेष अप्रयुक्त राशियों को अभ्यर्पित अथवा आवर्ती अनुदानों के मामले में भविष्य में समायोजित किया जाना होता है। राजस्व व्यय का सहायता अनुदान से अनुपात पूर्व वर्ष से 2014-15 में 27 *प्रतिशत* से 25 *प्रतिशत* तक घट गया है। **(चार्ट 1.7)**।

(ख) **ब्याज भुगतान** : लोक ऋण, (आंतरिक एवं बाह्य दोनों) पर ब्याज तथा सरकार की अन्य ब्याज सहित देयताओं जिसमें बीमा तथा पेंशन निधियों, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा, विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज आदि शामिल हैं, का भुगतान करने की व्यवस्था करता है। यह ऋण की कटौती अथवा बचाव दर व्यय को भी सम्मिलित करता है। ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का दूसरा बड़ा घटक है **(चार्ट 1.7)**। राजस्व व्यय से ब्याज भुगतान का अनुपात वर्ष 2011-12 में

21.99 *प्रतिशत* था जो चालू वर्ष में 25.08 *प्रतिशत* तक बढ़ गया **(तालिका 1.7)**। बढ़ते हुए ब्याज भुगतानों का अंश अन्य व्यय में से परिपूर्णता को दर्शाता है। हालांकि 2013-14 में 19.70 *प्रतिशत* की वृद्धि के प्रति 2014-15 में ब्याज भुगतान की वृद्धि 7.57 *प्रतिशत* थी।

तालिका 1.7: राजस्व व्यय का ब्याज भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व व्यय (रा.व्य.)	ब्याज भुगतन (ब्य.भु.)	ब्य.भु. की वृद्धि रा.व्य का अंश	ब्या.व्य. से रा.व्य. का अंश
2011-12	1305195	286982	11.98	21.99
2012-13	1420473	330171	15.05	23.24
2013-14	1575097	395200	19.70	25.09
2014-15	1695137	425098	7.57	25.08

2014-15 में किए गए ब्याज भुगतान के घटक **चार्ट 1.8** में दर्शाए गए हैं। आंतरिक ऋण के कारण ब्याज भुगतान कुल ब्याज भुगतानों का 87 *प्रतिशत* (₹3,71,420 करोड़) है।

चार्ट 1.8: ब्याज व्यय के प्रमुख घटक

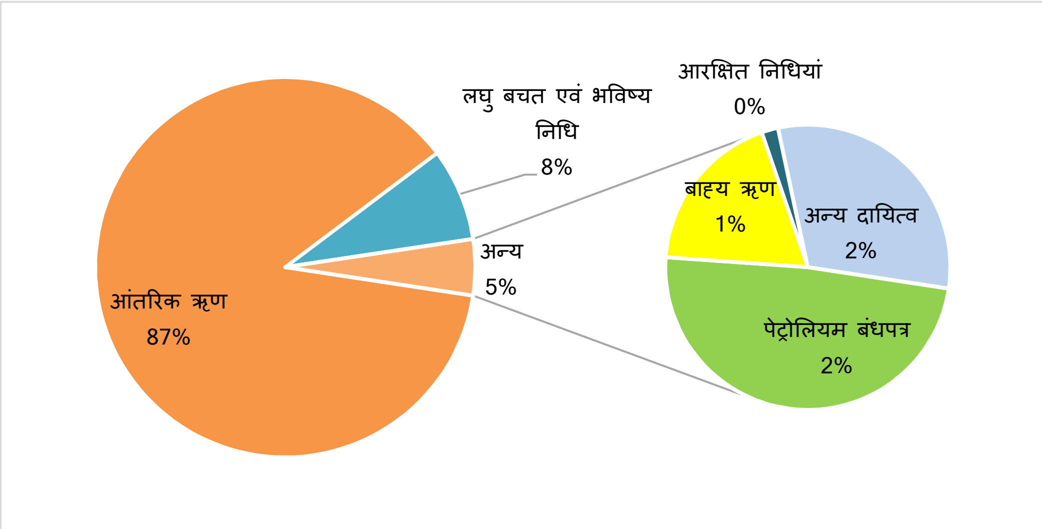

कुल ब्याज भुगतान ₹4,25,098 करोड़, (आंतरिक ऋण पर ब्याज ₹3,71,420 करोड़, बाह्य ऋण पर ब्याज : ₹3,766 करोड़, लघु बचत एवं भविष्य निधि पर ब्याज: ₹33,478 करोड़, पेट्रोलियम बंध पत्रों पर ब्याज : ₹9,849 करोड़, आरक्षित निधि पर ब्याज ₹379 करोड़ तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज : ₹6,206 करोड़)।

(ग) आर्थिक सहायताएं: आर्थिक सहायताएं आर्थिक लाभ (जैसे कर भत्ता या शुल्क छूट) या वित्तीय सहायता (जैसे नकद अनुदान या आसान ऋण) को प्रदर्शित करती है जो सरकार द्वारा किसी वस्तु के बाजार मूल्य को इसके लागत

मूल्य से कम करने के लिए प्रदान की जाती है। आर्थिक सहायताएं न केवल सुस्पष्ट रूप से, अर्थात् बजट के माध्यम से, बल्कि लोगों को आर्थिक सहायता प्राप्त लोक सेवाएं प्रदान करके भी प्रदान की जाती हैं। वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों को बजटीय सहायता, लो.क्षे.उ. में निवेश से अपर्याप्त वापसियां तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं, जो सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं, से उपभोक्ता प्रभारों की अपर्याप्त वसूली अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायताओं की श्रेणी में आती हैं। **तालिका 1.8** आर्थिक सहायताओं जिसे सरकार ने सुस्पष्ट रूप से प्रदान किया था, की स्थिति दर्शाती है। इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय का बढ़ा हिस्सा खाद्य, उरर्वक एवं पेट्रोलियम आर्थिक सहायता की ओर है। आर्थिक सहायता पर कुल व्यय पिछले वर्ष से 2014-15 में 1.40 प्रतिशत तक सीमान्त रूप से बढ़ा है। तथापि, खाद्य तथा यूरिया पर आर्थिक सहायताएं कथित अवधि से 2014-15 में क्रमशः ₹25,671 करोड़ (28 प्रतिशत) तथा ₹12,385 करोड़ (33 प्रतिशत) तक बढ़ा। विनियंत्रित उर्वरकों तथा पेट्रोलियम पर आर्थिक सहायताओं ने पिछले वर्ष से 2014-15 में क्रमशः 30 प्रतिशत तथा 29 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि देखी जो इस प्रकार आर्थिक सहायताओं पर कुल व्यय आविष्ट करने को योग्य बनाता है।

तालिका 1.8: संघ सरकार के बजट में सुस्पष्ट आर्थिक बाध्यताएं

अवधि	खाद्य	उर्वरक@ (यूरिया)	उर्वरक# (विनियंत्रित)	पैट्रोलियम आर्थिक सहायता	अन्य *	कुल आर्थिक सहायता	आर्थिक सहायता (क)	आर्थिक सहायता (ख)
	(₹ करोड़ में)						*प्रतिशतता*	
2011-12	72822 (14)	33924 (39)	36108 (-13)	68481 (78)	6567 (-32)	217902 (23)	2.47	16.69
2012-13	85000 (17)	35132 (4)	30576 (-15)	96880 (41)	9591 (46)	257179 (18)	2.57	18.11
2013-14	92000 (8)	38038 (8)	29427 (-4)	85378 (-12)	9902 (3)	254745 (-1)	2.25	16.17
2014-15	117671 (28)	50423 (33)	20667 (-30)	60269 (-29)	9269 (-6)	258299 (1)	2.06	15.24

@ देशी एंव आयातित उर्वरकों (यूरिया) पर दी गई आर्थिक सहायता को दर्शाता है।

 # विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री पर किसानों को छूट के रूप में दी गई आर्थिक सहायता को दर्शाता है।

** अन्य में ब्याज आर्थिक सहायता, नेफेड को दिया गया अनुदान, मुद्रा नुकसान के लिए मुआवजा, हज अध्यायों के लिए आर्थिक सहायता के लिए आदि।*

(क) सं.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में *(ख) राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में*

नीचे **चार्ट 1.9** आर्थिक सहायताओं के विभिन्न घटकों का हिस्सा प्रस्तुत करता है। पेट्रोलियम आर्थिक सहायताओं का हिस्सा 2013-14 में 33 प्रतिशत से 2014-15 में 23 प्रतिशत तक कम हो गया है। इसी प्रकार विनियंत्रित उर्वरकों के हिस्सा ने भी चार प्रतिशत बिन्दुओं की कमी दर्ज की। तथापि खाद्य आर्थिक सहायता का हिस्सा उसी अवधि के दौरान 36 प्रतिशत से 46 प्रतिशत तक बढ़ गया।

चार्ट 1.9: सुस्पष्ट आर्थिक सहायताओं के घटक

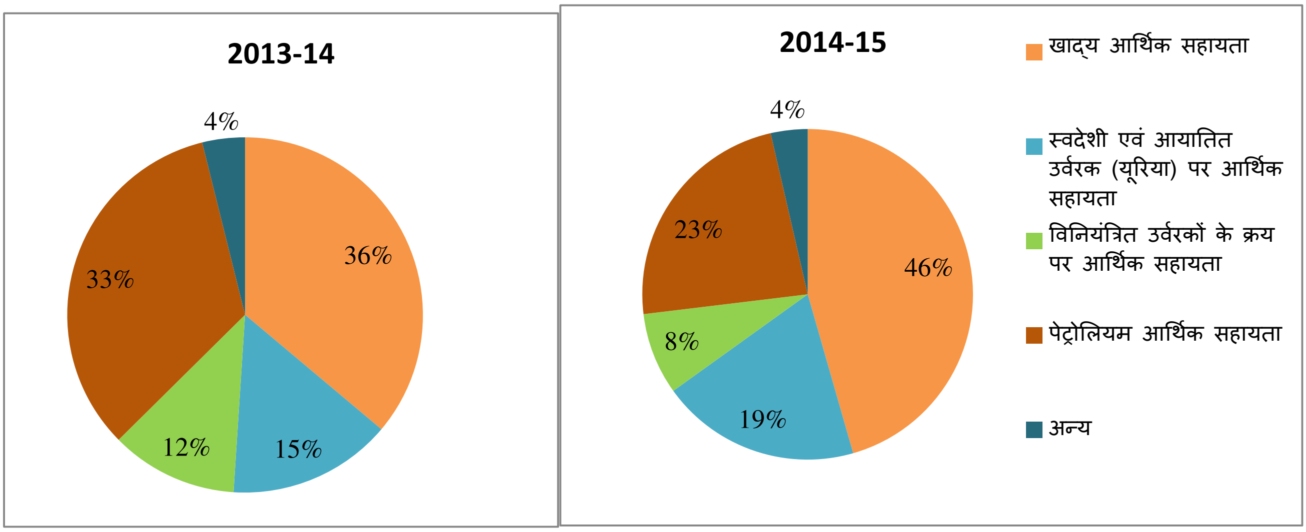

खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम के क्षेत्रों में कार्यरत निगम तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए प्राप्य संबंधित मंत्रालयों से पूर्ण सूचना के अभाव में संघ सरकार द्वारा की गई तदनुरूपी आर्थिक सहायता प्रतिपूर्तियों के साथ सहसंबंधित थे। चार सी.पी.एस.यू. यथा राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (एन एफ एल), फर्टिलाइजर्स एण्ड केमीकल्स ट्रावनकोर लिमि., मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमि., हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमि. तथा भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) के लेखाओं की जांच की गई और इस कवायद के दौरान सहसंबंध किया गया था।

इस जांच के आधार पर यह प्रकट हुआ कि ₹27,759 करोड़ के आर्थिक सहायता दावे (एफ सी आई की ₹23,699 करोड़ और उर्वरक तथा पेट्रोलियम क्षेत्रों में उपक्रमों को ₹4,060 करोड़) वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान संघ सरकार द्वारा अदा नहीं किए गए हैं जैसा **अनुबंध 1.1** में दर्शाया गया है। ₹27,759 करोड़ के आंकड़ों की, इस संख्या को निकालते समय 2014-15 की अंतिम तिमाही के दौरान सरकार को प्रस्तुत दावे बाहर रखे गए हैं। यदि वित्त वर्ष के दौरान तीन तिमाहियों के इन दावों का भुगतान किया गया होता तो आर्थिक सहायताओं पर

कुल व्यय ₹2,86,058 करोड़ होता। इस संख्या को हिसाब में लेकर आर्थिक सहायताओं पर व्यय 2.06 प्रतिशत के प्रति 2014-15 में जी डी पी का 2.28 प्रतिशत होता। यदि बकाया आर्थिक सहायता दावे विगत अप्रदत्त दावों सहित कुल जोड़ में लिए जाते तथा 2014-15 के दौरान चौथे तिमाही के दावे ₹44,941 करोड़ को छोड़ने के पश्चात् तब कुल आर्थिक सहायता व्यय ₹3,03,240 करोड़ होता जो जी डी पी का 2.42 प्रतिशत बनता है। **अनुबंध 1.1** से यह देखने में आएगा कि एफ सी आई तथा एन एफ एल के मामले में अप्रदत्त आर्थिक सहायता दावे गत पांच वर्षीय अवधि के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाते हैं। ये 2010-11 में ₹15,669 करोड़ तथा ₹1,497 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में क्रमश: ₹58,654 करोड़ तथा ₹4,975 करोड़ हो गए।

(घ) **पेंशन भुगतान**: पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय 2011-12 में ₹61,166 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹93,611 करोड़ हो गया जिसमें चार वर्षों की अवधि के दौरान 2011-15 में 53.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई **(चार्ट1.10)**। विचाराधीन रक्षा पेंशनों के मामले में, 60.90 *प्रतिशत* तक वृद्धि हुई तथा यह ₹60,450 करोड़ था। 2011-12 में सिविल पेंशन ₹23,597 करोड़ रही, जो कि 2014-15 में बढ़कर ₹33,161 करोड़ हो गई और उसमें 2011-15 के दौरान 40.53 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज हुई। चार वर्षों की अवधि के दौरान, रक्षापेंशन भुगतान कुल पेंशन भुगतान के 60-65 प्रतिशत के बीच दोलायमान था।

चार्ट 1.10: पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय

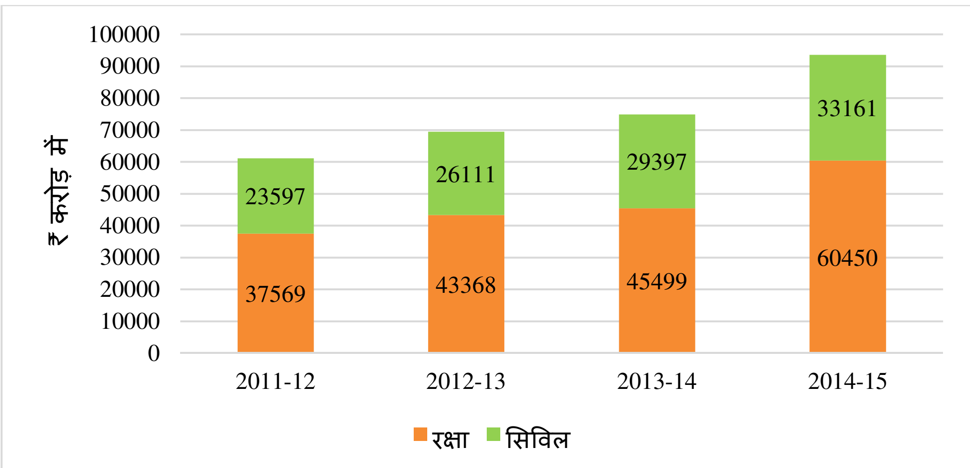

(ड़) रक्षा व्यय: जैसा कि **चार्ट 1.11** में दर्शाया गया है, रक्षा राजस्व व्यय (₹2,23,771 करोड़) में, थल सेना (₹99,322 करोड), नौसेना (₹14,352 करोड़), वायु सेना (₹22,685 करोड़), आयुध कारखाने (₹2,550 करोड़) अनुसंधान एवं विकास (₹6,237 करोड़) रक्षा पेंशन (₹60,450 करोड़) तथा रक्षा मंत्रालय (₹18,175 करोड़)[2] के व्यय शामिल हैं। 2014-15 में, राजस्व व्यय 2013-14 के दौरान 12.13 *प्रतिशत* के प्रति केन्द्रीय सरकार के कुल राजस्व व्यय का 13.20 *प्रतिशत* था। 2014-15 में रक्षा पेंशन को छोड़ने के बावजूद, रक्षा राजस्व व्यय ₹1,63,321 करोड़ (10 प्रतिशत) कुल राजस्व व्यय का था।

चार्ट 1.11: रक्षा पर राजस्व व्यय

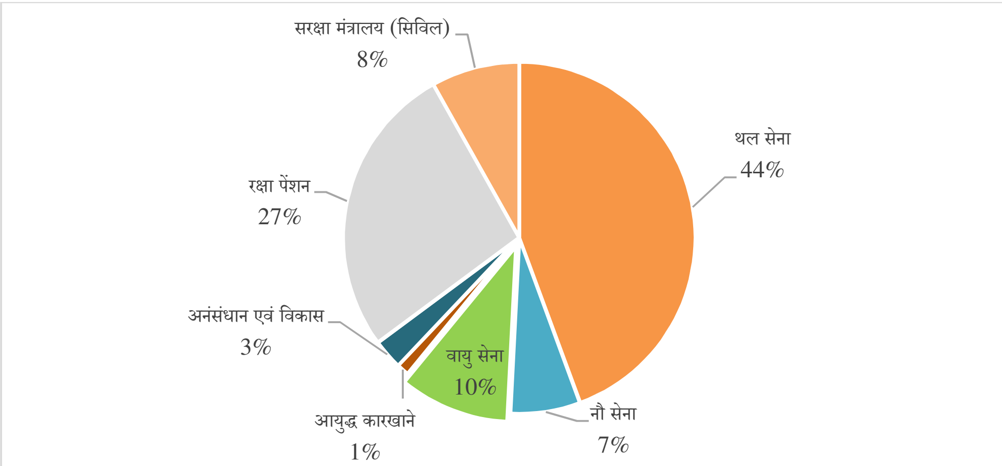

1.3.3 पूंजीगत व्यय का विश्लेषण

पूंजीगत लेखा व्यय (ऋण तथा अग्रिमों सहित) परिसंपत्ति अर्जन तथा मौजूदा परिसंपत्तियों के उपयोग में वृद्धि करने पर किया जाता है। पूंजीगत लेखा व्यय 2013-14 (**चार्ट 1.6**) में ₹1,99,844 करोड़ के प्रति पिछले वर्ष में ₹14,163 करोड़ (7.09 *प्रतिशत*) तक बढ़ा तथा 2014-15 में ₹2,14,007 करोड़ (₹41,922 करोड़ ऋण तथा अग्रिम सहित) रहा। वास्तविक व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश 2013-14 में 9.51 *प्रतिशत* से 2014-15 में 9.01 *प्रतिशत* तक सीमांत रूप से बढ़ा है (**तालिका 1.6**)।

चार्ट 1.12 से यह देखने में आएगा कि रक्षा सेवाओ, परिवहन, रेलवे तथा सामान्य आर्थिक सेवाओं पर व्यय कुल पूंजीगत व्यय का 71 *प्रतिशत* बना।

---

[2] स्रोत: अनुदान सं.-20 के विनियोग लेखे - रक्षा मंत्रालय। यह कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, जे एण्ड के लाइट इनफेन्ट्री, तटस्थल संगठन आदि पर व्यय शामिल करता है।

चार्ट 1.12: 2014-15 में पूंजीगत लेखा व्यय-मुख्य क्षेत्र

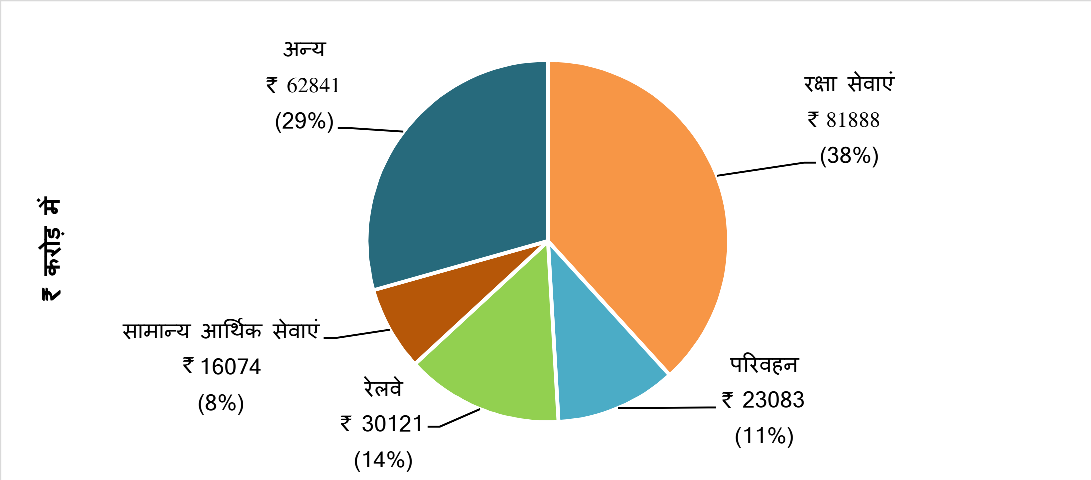

सामान्य आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत ₹16,074 करोड़ के पूंजीगत व्यय में से मुख्य व्यय निम्नलिखित घटकों पर किया गया था।

(₹ करोड़ में)

पूंजीगत व्यय के प्रमुख घटक: आर्थिक सेवाएं	राशि
सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों/बैंकों में निवेश	7090
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि	4619
अन्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	2428
एशियाई विकास बैंक में निवेश	263
पुनर्निर्माण तथा विकास के अंतराष्ट्रीय बैंक में निवेश	231
जोड	**14631**

₹62,841 करोड़ के अन्य पूंजीगत व्यय की श्रेणी के अंतर्गत प्रमुख व्यय निम्नलिखित घटकों पर किया गया था।

(₹ करोड़ में)

अन्य पूंजीगत व्यय के मुख्य घटक	राशि
राज्य योजना के लिए सकल ऋण	11897
भारतीय खाद्य निगम को उधार	10000
विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण (संघ सरकार को एन टी पी सी लिमि. द्वारा जारी बोनस ऋणपत्रों के प्रति 7726 करोड़ के ऋण सहित)	9060
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	6035
नगर निगमों को ऋण	4351

भूटान को अग्रिम	2113
शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1780
लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	1076
इंजीनियरी, उपभोक्ता तथा दूरसंचार एवं इलेक्ट्रानिक उद्योगों को ऋण	1025
सरकारी आवासीय भवन पर पूंजीगत परिव्यय	1010
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	938
कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश एवं ऋण	862
कमजोर वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	764
जोड़	**50911**

1.3.4 योजनागत व्यय का विश्लेषण

वित्त लेखे व्यय को आगे योजनागत और गैर योजनागत में बांटने का प्रावधान करते हैं। योजनागत व्यय, सामान्यत: नई परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर संवृद्धि विकासात्मक व्यय से संबंधित होता है। दूसरी ओर गैर योजनागत व्यय सामान्यत: पहले से प्राप्त सेवाओं के स्तरों को बनाए रखने के लिए होता है। तथापि, योजनागत तथा गैर योजनागत व्यय दोनों में राजस्व व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय में वृद्धि को गुणात्मक रूप से अधिक वांछनीय माना जाता है क्योंकि इससे सरकार द्वारा सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना नेटवर्क का विस्तार और पूंजी निर्माण होता है। **चार्ट 1.13** दर्शाता है कि वास्तविक व्यय के अनुपात के रूप में योजनागत व्यय 2011-12 के दौरान 28 *प्रतिशत* था परंतु 2014-15 में 24 *प्रतिशत* के स्तर तक घटा।

चार्ट 1.13: योजनागत व्यय एवं गैर योजनागत व्यय

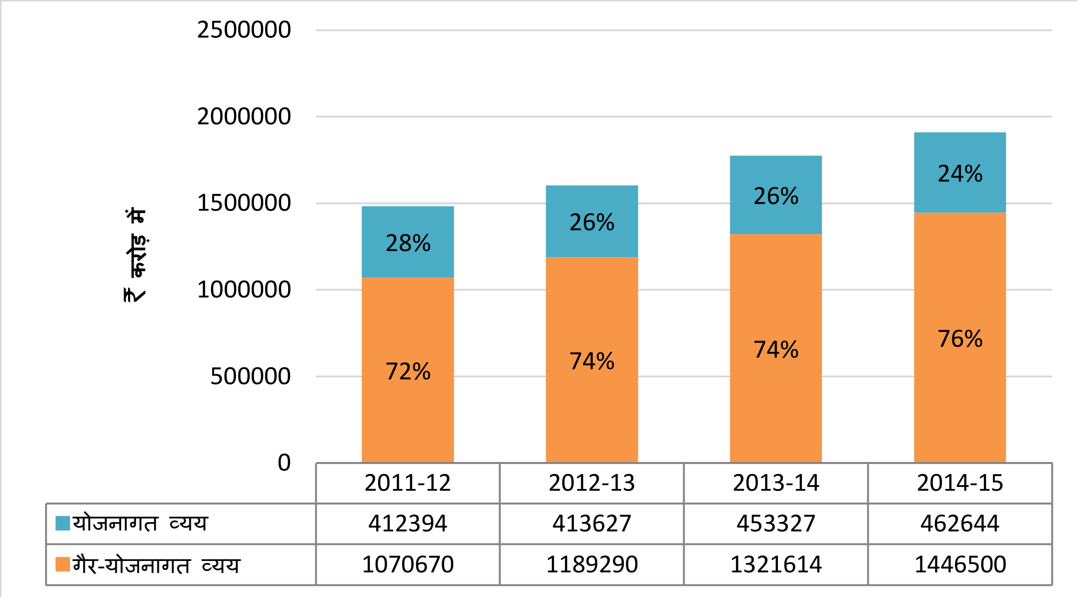

1.3.5 योजनागत व्यय के मुख्य घटक

जैसा कि **चार्ट 1.14** से देखा जा सकता है सहायता अनुदान, निवेश, तथा ऋण 2014-15 में योजनागत व्यय का 82 *प्रतिशत* बनते है। 2013-14 की तुलना में 2014-15 के दौरान सहायता अनुदान 70 प्रतिशत से सीमान्त रूप से कुल योजनागत व्यय के 69 प्रतिशत तक कम हो गया।

चार्ट 1.14: योजनागत व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

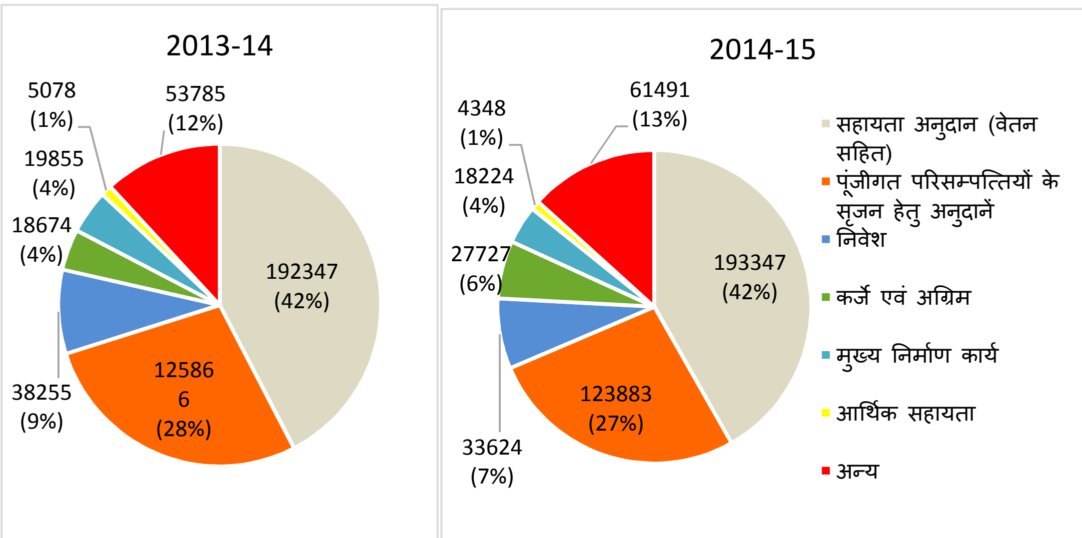

स्रोत: 06 नवम्बर 2015 को प्रदत्त ई-लेखा द्वारा प्रदत्त डाटा डम्प 59 जर्नल प्रविष्टियों के साथ

1.3.6 सरकार के मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम - वास्तविक व्यय

संघ सरकार फ्लैगशिप कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्य विकास प्राथमिकताओं पर लक्ष्य कर रही है। जुलाई 2013 में सरकार ने वर्तमान 137 केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की और 17 फ्लैगशिप कार्यक्रमों सहित 66 योजनाओं में उन्हें पुनर्गठित किया। 17 फ्लैगशिप कार्यक्रमों, जिनके विवरण लोक वित्त प्रबन्धन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.), वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, में से सात प्रमुख कार्यक्रमों की **तालिका 1.9** में विश्लेषण किया गया है।

सात फ्लैगशिप योजनाओं पर व्यय 2013-14 में `1,13,824 करोड़ से 2014-15 में `1,00,754 करोड़ (11.48 प्रतिशत की कमी) तक कम हुआ है। जैसा **तालिका 1.9** से यह देखा जा सकता है कि पी.एम.जी.एस.वाई. को छोड़कर सभी मुख्य योजनाओं पर व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है। बजट अनुमानों 2014-15 की तुलना में सभी योजनाओं में गिरावट देखी गई। 44.13 प्रतिशत तथा 30.59 प्रतिशत की अधिकतम गिरावट क्रमशः आर.जी.जी.वी.वाई. तथा आई.ए.वाई. में देखी गयी थीं।

तालिका 1.9: संघ सरकार के मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर योजनागत व्यय

(` करोड़ में)

		मनरेगस	स.शि.अ.	म.भो.यो.	रा.ग्रा.स्वा.मि.	इं.आ.यो.	प्र.ग्रा.स.यो.	रा.गां.ग्रा.वि.यो.	कुल
2011-12	ब.अ.	40000	20413	10061	19838	10000	20000	6000	126312
	वास्तविक	29213	20841	9891	17983	9872	19342	2237	109379
	ब.अ. से विचलन (प्रतिशत में)	(-)26.97	2.10	(-)1.69	(-)9.35	(-)1.28	(-)3.29	(-)62.72	(-)13.41
2012-13	ब.अ.	33000	24243	11643	22799	11075	24000	4900	131660
	वास्तविक	30274	23873	10849	18661	7869	8884	698	101108
	ब.अ. से विचलन (प्रतिशत में)	(-)8.26	(-)1.53	(-)6.82	(-)18.15	(-)28.95	(-)62.98	(-)85.76	(-)23.21
2013-14	ब.अ.	33000	26358	12879	23148	15184	21700	4500	145769
	वास्तविक	32993	24802	10918	19385	12982	9805	2939	113824
	ब.अ. से विचलन (प्रतिशत में)	(-)0.02	(-)5.90	(-)15.23	(-)16.26	(-)14.50	(-)54.82	(-)34.69	(-)21.91

2014-15	ब.अ.	34000	27349	12828	10254	16000	9852	5144	115427
	वास्तविक	32977	24068	10523	8468	11106	10738	2874	100754
	ब.अ. से विचलन (प्रतिशत में)	(-)3.01	(-)12.00	(-)17.97	(-)17.42	(-)30.59	8.99	(-)44.13	(-)12.71

1.3.7 मुख्य मंत्रालयों में योजनागत व्यय में सहायता अनुदान का अनुपात

चार्ट 1.15 2014-15 में वृहत् योजनागत व्यय वाले 10 मंत्रालयों/विभागों हेतु योजनागत व्यय के भीतर सहायता अनुदान के अनुपात को दर्शाता है।

चार्ट 1.15: मुख्य मंत्रालयों/विभागों में कुल योजनागत व्यय के अनुपात के रूप में सहायता अनुदान (पूंजीगत सृजन हेतु सहायता अनुदान सहित)

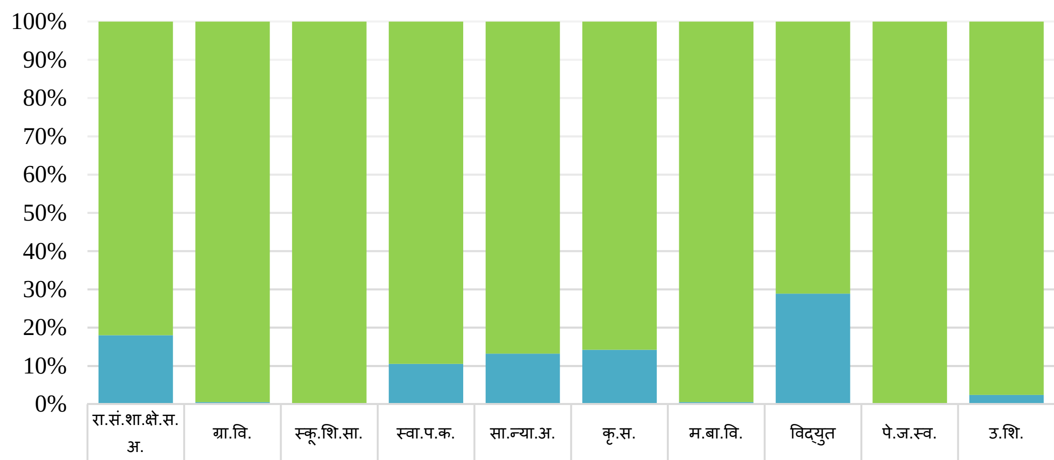

	रा.सं.शा.क्षे.स.अ.	ग्रा.वि.	स्कू.शि.सा.	स्वा.प.क.	सा.न्या.अ.	कृ.स.	म.बा.वि.	विद्युत	पे.ज.स्व.	उ.शि.
स.अ.*	54071.52	66893.86	42383.91	23276.31	4626.69	16240.55	18338.42	3972.80	12051.84	12270.26
अन्य*	11897.32	369.46	94.69	2748.83	704.25	2694.66	97.76	1615.11	31.91	304.49
%यो.व्य. के रूप में स.अ.	81.97%	99.45%	99.78%	89.44%	86.79%	85.77%	99.47%	71.10%	99.74%	97.58%

** राशि ` करोड़ में*

नोट: स.अ=सहायता अनुदान; यो.व्य=योजनागत व्यय, ग्रा.वि. =ग्रामीण विकास, रा.सं.शा.क्षे.स.अ. = राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण, स्कू.शि.सा.=स्कूली शिक्षा, एवं साक्षरता, सा.न्या.अ. = सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, स्वा.प.क.=स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कृ.स.=कृषि एवं सहकारिता, म.बा.वि.=महिला एवं बाल विकास, पे.ज.स्व.=पेय जल एवं स्वच्छता, उ.शि.=उच्चतर शिक्षा।

स्रोत: 59 जर्नल प्रविष्टियाँ सहित दिनांक 06 नवम्बर 2015 को 'ई-लेखा' डाटा डम्प।

जैसा कि स्पष्ट है, कि ग्रामीण विकास, विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता, महिला एवं बाल विकास, पेय जल एवं स्वच्छता तथा उच्चतर शिक्षा मंत्रालय/विभागों में लगभग समग्र योजनागत व्यय निकायों/प्राधिकरणों/राज्य सरकारों को सहायता अनुदान का संवितरण था।

1.4 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का अनुपालन

राजकोषीय स्थिति में अवनति को देखकर सरकार ने अगस्त 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (एफ.आर.बी.एम.) बनाया। अधिनियम का उद्देश्य राजकोषीय अनुशासन को संस्था का रूप देना, राजकोषीय घाटे (एफ.डी.) को कम करना और दीर्घ आर्थिक प्रबंधन और संतुलित बजट की ओर चलने के द्वारा लोक निधियों का प्रबंधन सुधारना था। अधिनियम राजकोषीय प्रबंधन में इंटर जनरेशनल इक्विटी और दीर्घावधि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व प्रदान करने के लिए बनाया गया था। अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत बनाये गये एफ.आर.बी.एम. नियम 2004, जुलाई 2004 से प्रभावी हुए।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिनियम में राजस्व घाटे (आर.डी.) के विलोपन और मार्च 2008 तक सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) के 3 प्रतिशत से कम तक एफ.डी. में कटौती के लक्ष्य अनुबद्ध किये गये। तथापि अधिनियम में संशोधन (जुलाई 2004) के बाद ये लक्ष्य मार्च 2009 तक बढ़ा दिये गये। इसके अलावा फरवरी 2009 में वैश्विक आर्थिक मंदी और प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के कारण सरकार ने एफ.आर.बी.एम. लक्ष्यों को अस्थगित करने का निर्णय लिया। राजकोषीय समेकन हेतु नये लक्ष्य निर्धारित कर संशोधित एफ.आर.बी.एम. नियम 2012 मई 2013 में अधिसूचित किये गये थे।

तेरहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) ने अपनी रिपोर्ट (दिसम्बर 2009) में सिफारिश की थी कि केंद्र एफ.आर.बी.एम. प्रक्रिया के कार्यान्वयन की स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी की एक प्रक्रिया स्थापित करे। तद्नुसार एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में संशोधन में से एक (मई 2012) नई धारा (7ए) का आरंभ था जो प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की यथा अपेक्षित आवधिक रूप से समीक्षा करने का कार्य भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपे और ऐसी समीक्षाएं संसद के दोनो सदनो के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी।

एफ.आर.बी.एम. अधिनियम[3] के अंतर्गत मुख्य लक्ष्य नीचे विस्तृत हैं:-

[3] एफ.आर.बी.एम. नियमों का नियम 3

- 31 मार्च 2015 तक प्रभावी राजस्व घाटे (ई.आर.डी.) का विलोपन जो मार्च 2018 तक बढ़ाया गया है। वित्त वर्ष 2013-14 से आरंभ ई.आर.डी. स.घ.उ.[4] के 0.8 प्रतिशत अथवा अधिक तक के बराबर राशि तक प्रतिवर्ष कम की जाएगी।

- 31 मार्च 2015 तक स.घ.उ. के अनधिक दो प्रतिशत का राजस्व घाटा (आर.डी.) जो मार्च 2018 तक बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार वि.व. 2013-14 से आरंभ कर स.घ.उ. के 0.6 प्रतिशत अथवा अधिक के बराबर राशि तक आर.डी. कम करेगा।

- सरकार वि.व. 2004-05 से आरंभ कर किसी वित्त वर्ष में स.घ.उ. के 0.5 प्रतिशत से अधिक कुल राशि की गारंटी नहीं देगी।

- वि.व. 2013-14 से आरंभ कर स.घ.उ. के 0.5 प्रतिशत अथवा अधिक के बराबर राशि तक एफ.डी. में कमी ताकि एफ.डी. 31 मार्च 2017 के अंत तक स.घ.उ. के 3 प्रतिशत से अधिक न हो। वित्त विधेयक 2015 में लक्ष्य मार्च 2018 तक बढ़ाया गया है।

- सरकार वि.व. 2004-05 से स.घ.उ. के 9 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त देयताओं (चालू विनिमय दर पर बाह्य ऋण सहित) का उत्तरदायित्व नहीं लेगी और प्रत्येक परवर्ती वित्त वर्ष में स.घ.उ. की 9 प्रतिशत की सीमा स.घ.उ. के कम से कम एक प्रतिशत प्वाइंट तक प्रगामी रुप से कम की जाएगी।

1.4.1 घाटे

सरकार की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए सामान्यतया तीन प्रकार के घाटे (बाक्स 1.2) प्रयोग किए जाते है जो (i) राजस्व घाटा, **(ii)** राजकोषीय घाटा और (iii) प्राथमिक घाटे है।

[4] एफ.आर.बी.एम. नियमों के अनुसार जी.डी.पी. का अर्थ चालू मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद है।

बॉक्स 1.2: घाटे के प्रकार

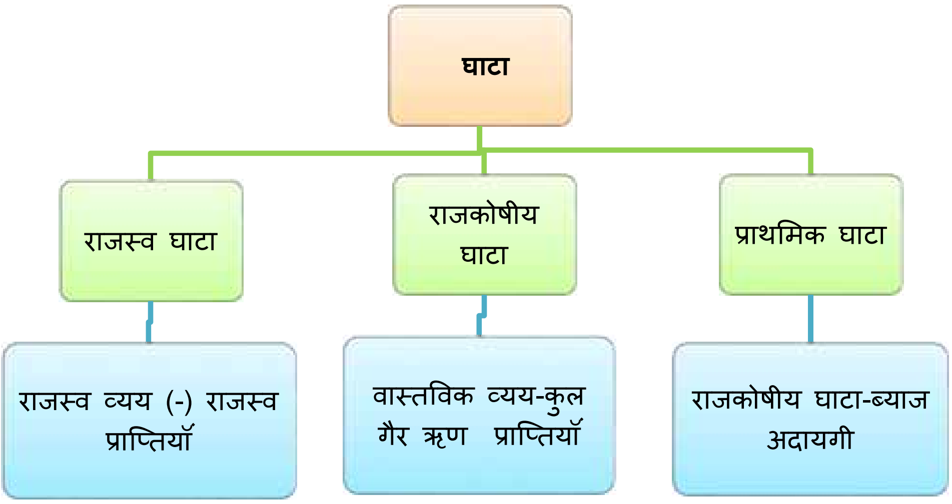

(क) राजस्व घाटा

राजस्व घाटा राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्ति के बीच अंतर को दर्शाता है। राजस्व घाटा बिना तदनुरूप पूंजी/परिसंपत्ति के निर्माण के उधारों में वृद्धि का कारण बनता है। अत: राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए, लिए गए उधार का कोई भी परिसंपत्ति बैक अप नहीं होता तथा यह एक बेमेल परिसंपत्ति देयता का सृजन करता है। इन कारणों से, राजस्व घाटा साधारणत: कम वांछनीय समझा जाता है।

तालिका 1.10: राजस्व घाटा तथा उसके मापदण्ड

अवधि	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय	राजस्व घाटा	प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा		
	(` करोड़ में)			राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय	स.घ.उ.
2011-12	910277	1305195	394918	43.38	30.26	4.47
2012-13	1055891	1420473	364582	34.53	25.67	3.65
2013-14	1217794	1575097	357303	29.34	22.68	3.15
2014-15	1328909	1695137	366228	27.56	21.60	2.92

तालिका 1.10 दर्शाती है कि 2011-12 में राजस्व घाटा `3,94,918 करोड़ के स्तर पर था। तब से इसने कम होने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया तथा 2013-14 में `3,57,303 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया। तथापि 2014-15 में राजस्व घाटा `3,66,228 करोड़ तक बढ गया। स.घ.उ. के संबंध में, राजस्व घाटा 2011-12 में 4.47 *प्रतिशत* के स्तर पर था तथा 2014-15 में यह 2.92 प्रतिशत तक कम हो गया।

चार्ट 1.16 राजस्व घाटा एवं स.घ.उ. की प्रतिशतता

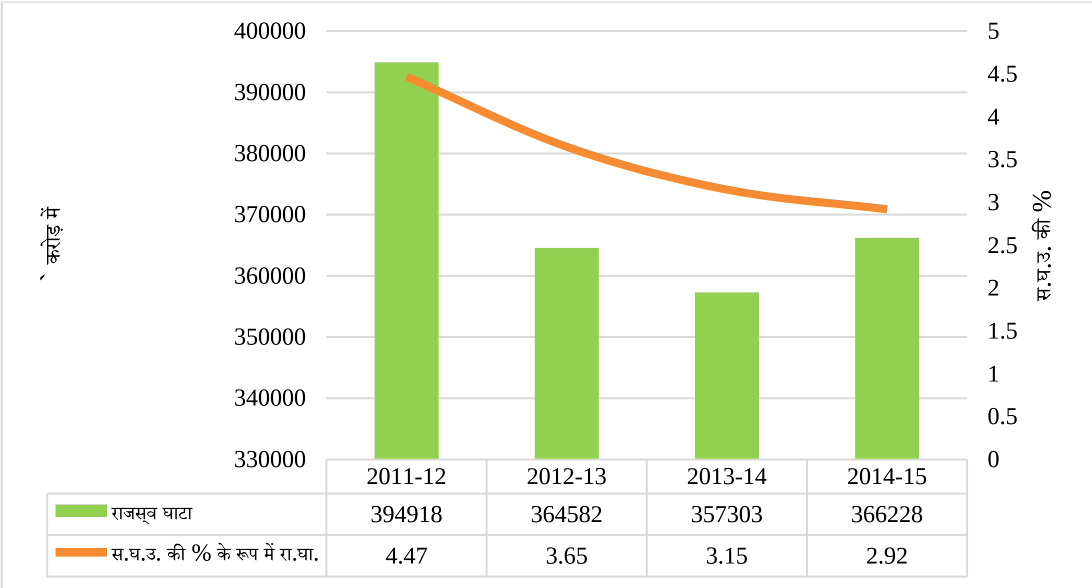

(ख) राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक व्यय का आधिक्य है। यह सरकार के अपेक्षित उधारों तथा इसके बकाया ऋण के प्रति वृद्धि को भी इंगित करता है। यह सामान्यत: सरकार की निवल वर्धनीय देयताओं अथवा राजस्व तथा व्यय के मध्य बजटीय अन्तर को पाटने के लिए इसके द्वारा लिए गए अतिरिक्त लोक ऋण को प्रस्तुत करता है। कमी को अतिरिक्त लोक ऋण (आंतरिक अथवा बाहय) या लोक लेखे से अधिशेष निधियों के प्रयोग द्वारा पूरा किया जा सकता है।

तालिका 1.11: राजकोषीय घाटा तथा इसके मापदण्ड

अवधि	गैर ऋण प्राप्तियां	कुल व्यय	राजकोषीय घाटा	प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा		
	(` करोड़ में)			गैर-ऋण प्राप्तियां	वास्तविक व्यय	स.घ.उ
2011-12	965183	1483064	517881	53.66	34.92	5.86
2012-13	1108404	1602918	494514	44.61	30.85	4.95
2013-14	1271711	1774941	503230	39.57	28.35	4.44
2014-15	1393196	1909144	515948	37.03	27.03	4.11

राजकोषीय घाटा 2011-12 में `5,17,881 करोड़ था जोकि आगे 2014-15 में `5,15,948 करोड़ तक हो गया। 2013-14 की तुलना में राजकोषीय घाटा 2014-15 में `12,718 करोड़ तक बढ गया। तथापि स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा घटती प्रवृत्ति का द्योतक है। यह 2011-12 में 5.86 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 में स.घ.उ. के 4.11 प्रतिशत तक कम हो गया। 2014-15 के दौरान राजकोषीय घाटे का स.घ.उ. से अनुपात में सुधार मुख्यतया वास्तविक व्यय में 7.56 प्रतिशत की वृद्धि के प्रति कुल गैर ऋण प्राप्ति में 9.55 प्रतिशत की वृद्धि के कारण था।

इस अध्याय के पैरा 1.3.2 (ग) में यथा उल्लिखित वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान `44,941 करोड़ राशि के संघ सरकार द्वारा अप्रदत्त आर्थिक सहायता बिलों को हिसाब में लेकर राजकोषीय घाटा `5,60,889 करोड़ होता (4.11 प्रतिशत के प्रति स.घ.उ. के 4.47 प्रतिशत)

चार्ट 1.17 राजकोषीय घाटा एवं इसके मापदण्ड

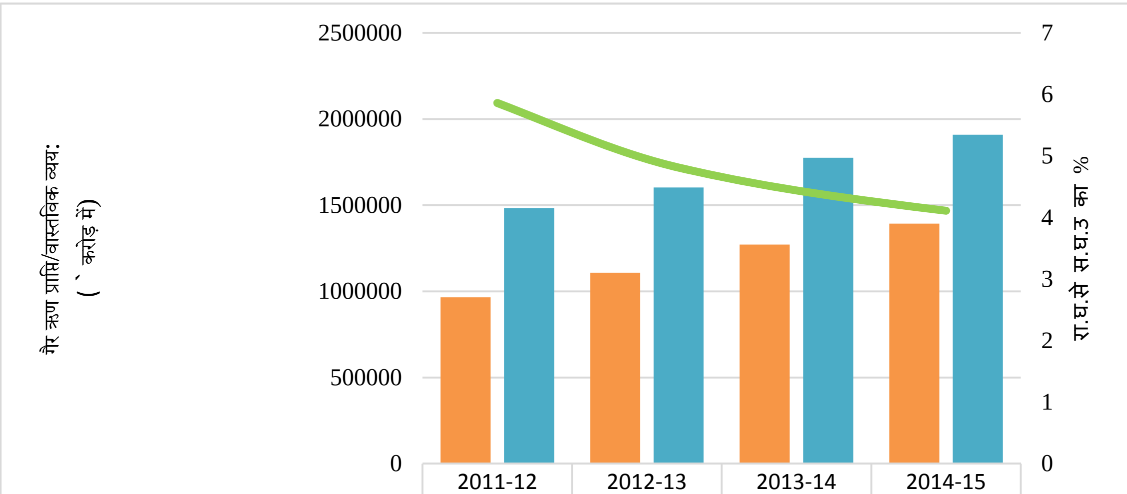

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
गैर ऋण प्राप्तियां	965183	1108404	1271711	1393196
वास्तविक व्यय	1483064	1602918	1774941	1909144
स.घ.उ. की % के रूप में रा.घा.	5.86	4.95	4.44	4.11

यदि राजकोषीय घाटे का अधिकांश वास्तविक व्यय भाग पूंजीगत व्यय को कायम रखने के लिए अथवा पूंजीगत निर्माण हेतु इकाइयों को वित्तीय सुविधायें प्रदान करने के लिए है, तो ऐसे घाटे को एक हद तक वांछनीय समझा जा सकता है।

तालिका 1.12: राजकोषीय घाटे के संघटक

(प्रतिशत में)

अवधि	राजस्व घाटा	निवल पूंजीगत व्यय	निवल कर्जे एवं पेशगियां
2011-12	76.26	23.44	0.30
2012-13	73.73	25.17	1.10
2013-14	71.00	27.72	1.28
2014-15	70.98	26.04	2.98

जैसाकि उपरोक्त **तालिका 1.12** से देखा जा सकता है कि राजकोषीय घाटे का बड़ा भाग राजस्व घाटे को वित्तपोषित करने के प्रति था। 2014-15 में राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे के 70.98 प्रतिशत जबकि पूंजीगत व्यय 29.02 प्रतिशत था। पूंजीगत लेखा व्यय में वर्ष 2014-15 में कर्जे तथा उधारों के संवितरण में वृद्धि हुई थी (`10,922 करोड़ तक) जिसके परिणाम स्वरूप राजकोषीय घाटे में निवल कर्जे तथा उधारों के हिस्से में 2.98 प्रतिशत तक सुधार हुआ। तथापि 2013-14 तथा 2014-15 में राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे के 71 प्रतिशत के स्तर पर रहा।

तालिका 1.13 वर्ष 2014-15 में पूर्व वर्षों में बजट के साथ रखे गए मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणों (म.अ.रा.नि.वि.) में मुख्य राजकोषीय मापदंडों-राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के लिए तय किए गए लक्ष्य प्रस्तुत करती है। बजट 2013-14 में, वर्ष में राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में वृद्धि 0.7 तथा 0.3 प्रतिशत तक थी, जो आगे 2014-15 के बजट अनुमानों में स.घ.उ. के क्रमश: 2.9 तथा 4.1 प्रतिशत तक बढ़ी थी। दोनों राजस्व एवं राजकोषीय घाटे बजट अनुमानों 2014-15 में प्रस्तुत किए गए लक्ष्यों के स्तर पर थे।

तालिका 1.13 एफ.आर.बी.एम. नियमावली के अन्तर्गत लक्ष्यों की तुलना में परिणाम (स.घ.उ. के प्रतिशतता के रूप में)

राजकोषीय संकेतक	म.अ.रा.नी.वि. 2012-13 में वर्ष 2014-15 हेतु निर्धारित लक्ष्य	म.अ.रा.नी.वि. 2013-14 में वर्ष 2014-15 हेतु निर्धारित लक्ष्य	म.अ.रा.नी.वि. में बजट अनुमान 2014-15	वास्तविक स्तर
राजस्व घाटा	2.0	2.7	2.9	2.92
राजकोषीय घाटा	3.9	4.2	4.1	4.11

(ग) प्राथमिक घाटा

प्राथमिक घाटे को राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटा कर मापा जाता है। यह वर्तमान वर्ष के राजकोषीय परिचालन का मापक है जिसमें पूर्व में उधार ली गई राशियों के कारण सृजित ब्याज भुगतान की देयता शामिल नहीं है। स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में प्राथमिक घाटा 2011-12 में 2.61 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 0.72 प्रतिशत हुई थी (**तालिका 1.14**)।

तालिका 1.14: प्राथमिक घाटा

(` करोड़ में)

वर्ष	राजकोषीय घाटा	कुल ब्याज भुगतान*	प्राथमिक घाटा	स.घ.उ. के प्रतिशत में
2011-12	517881	286982	230899	2.61
2012-13	494514	330171	164343	1.65
2013-14	503230	395200	108030	0.95
2014-15	515948	425098	90850	0.72

* ऋण की कटौती या परिहार पर व्यय सम्मिलत है।

1.5 ऋण प्रबंधन

जबकि बजट संतुलन के लिए ऋण पर भरोसे का परिहार नहीं किया जा सकता है वहीं संघ सरकार (**बॉक्स 1.3**) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम 2003 के माध्यम से उधारों की सीमाएं विवेकपूर्वक निर्धारित करती है। एफ.आर.बी.एम. नियम अनुबद्ध करते हैं कि केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2004-05 के लिए स.घ.उ. के 9 प्रतिशत से अधिक देयताओं (वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य ऋण सहित) का उत्तरदायित्व नहीं लेगी और प्रत्येक वित्त वर्ष में स.घ.उ. के 9 प्रतिशत की सीमा स.घ.उ. के कम से कम 1 प्रतिशत प्वाइंट तक प्रगामी रूप से कम की जानी थी।

बॉक्स 1.3: भारत सरकार की राजकोषीय देयताएं

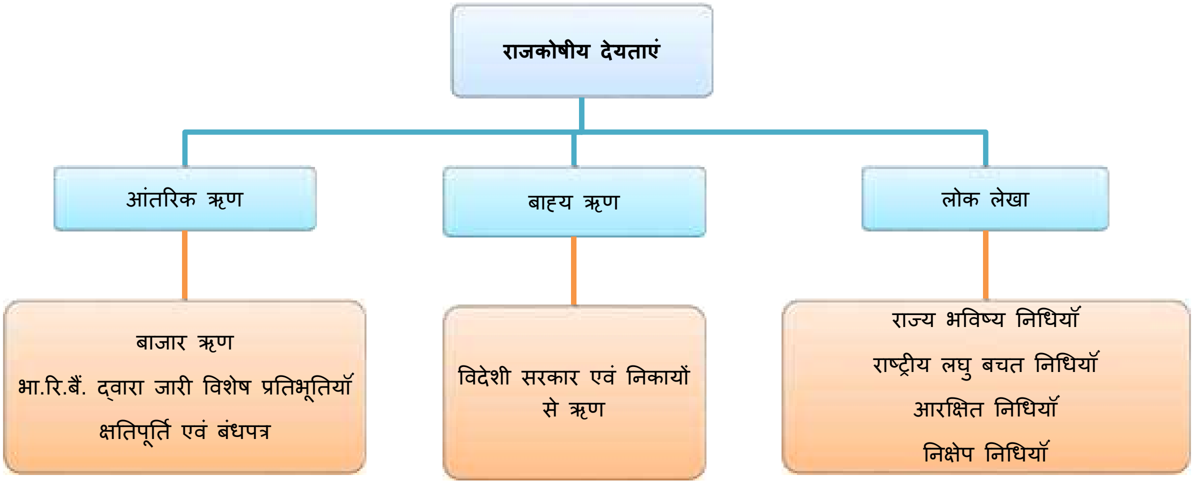

तालिका 1.15 दोनों विनिमय की वर्तमान दर (दर जिसपर ऋण मूल रूप में संविदित) तथा ऐतिहासिक दर पर सरकार की कुल देयता को प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.15: लोक ऋण

(` करोड़ में)

अवधि	संघ सरकार के आन्तिरिक ऋण (1)	बाह्य ऋण (ऐतिहासिक दरों पर) (2)	लोक लेखा* (3)	कुल देयताएं (ऐतिहासिक दरों पर) (1+2+3)	बाह्य ऋण (वर्तमान दरों पर) (4)	कुल देयताएं (वर्तमान दरों पर) (1+3+4)
2011-12	3230622 (36.58)	170088 (1.93)	597765 (6.77)	3998475 (45.27)	322897 (3.66)	4151284 (47.00)
2012-13	3764566 (37.69)	177289 (1.77)	610016 (6.11)	4551871 (45.57)	332004 (3.32)	4706586 (47.12)
2013-14	4240767 (37.38)	184581 (1.63)	644060 (5.68)	5069408 (44.68)	374483 (3.30)	5259310 (46.36)
2014-15	4738291 (37.78)	197514 (1.57)	671010 (5.35)	5606815 (44.71)	366384 (2.92)	5775685 (46.05)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े स.घ.उ. की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

*1999-2000 *से लोक लेखा देयताएं राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश के प्रसार तक लघु बचतों के कारण देयताओं को शामिल नहीं करती हैं।*

स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में वर्तमान दर पर कुल देयता ने घटती प्रवृत्ति दर्शाई है। यह 2011-12 में 47 प्रतिशत से 2014-15 में 46.05 प्रतिशत तक नीचे आ गई। 31 मार्च 2015 को `47,38,291 करोड़ के आन्तरित ऋण ने `49,35,805 करोड़ के कुल लोक ऋण का लगभग 96 प्रतिशत बनाया।

तथापि विनियम की वर्तमान दर पर वाह्य ऋण की गणना कर आन्तरिक ऋण का औसत `51,04,675 करोड़ के लोक ऋण का 93 प्रतिशत बनता है। राजकोषीय देयताओं के तीन संघटकों में से आन्तरिक ऋण को छोड़कर दो अन्य संघटकों ने 2014-15 अवधि के दौरान स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में लगातार घटती प्रवृत्ति दर्ज की। तथापि 2014-15 में ऋण स्टाक का स्तर स.घ.उ. के 46.05 प्रतिशत था जिसने 13 वें वि.आ. द्वारा संस्तुत 44.8 प्रतिशत के स्तर को पार कर दिया।

2014-15 में जुटाई गई `5,16,375 करोड़ तक की राशि की अतिरिक्त देयताएं स.घ.उ. के 4.12 *प्रतिशत* थीं।

तालिका 1.16: कुल देयताओं तथा स.घ.उ. की वृद्धि

(` करोड़ में)

अवधि	कुल देयताएं (वर्तमान दर पर)	कुल देयताओं की वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत में)	वर्तमान मूल्यों पर स.घ.उ.	जी.डीपी. में वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत में)
2011-12	4151284	17.52	8832012	-
2012-13	4706586	13.38	9988540	13.09
2013-14	5259310	11.74	11345056	13.58
2014-15	5775685	9.82	12541208	10.54

**स.घ.उ. का आधार वर्ष 2011-12 में परिवर्तन के कारण 2011-12 की वृद्धि की संख्या उपलब्ध नहीं है।*

2012-13 के दौरान ऋण स्टाक (13.38 प्रतिशत) की वृद्धि स.घ.उ. वृद्धि (13.09 प्रतिशत) की अपेक्षा अधिक तीव्र हुई थी जो बदतर ऋण स्थिति दर्शाती है (**तालिका 1.16**)। तथापि बाद के दो वर्षों में ऋण स्थिति में सुधार हुआ। 2013-14 में, ऋण स्टाक की वद्धि 13.58 प्रतिशत की स.घ.उ. वृद्धि के प्रति 11.74 प्रतिशत थी। 2014-15 में, इसमें बाद में 10.54 प्रतिशत की स.घ.उ. वृद्धि के प्रति 9.82 प्रतिशत पर ऋण स्टाक की वृद्धि के साथ सुधार हुआ।

1.5.1 लोक लेखा देयता का कम कथन

31 मार्च 2015 को, लोक लेखे में बकाया देयता `6,71,010 करोड़ (**तालिका 1.15**) दर्शाई गई थी। तथापि, लोक लेखे में बकाया देयता `13,41,220 करोड़ (`11,52,363 करोड़ लघु बचतों, भविष्य निधि आदि के कारण है और `1,88,857 करोड़ आरक्षित निधियों तथा निक्षेपों के रूप में है) बनती है। लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि के कारण `11,52,363 करोड़ की बकाया देयता में से संघ सरकार की देयता राष्ट्रीय लघु बचत निधियां (रा.ल.ब.नि.) के

प्रचालन में संचित घाटे के `90,708 करोड़ को समायोजित करने के अतिरिक्त विशेष राज्य सरकारी प्रतिभूतियों में `5,43,499 करोड़, भारतीय अवसंरचना वित्त कम्पनी लिमिटेड में `1,500 करोड़, निजी निधि प्रबन्धकों के पास डाक बीमा निधि से सम्बन्धित `34,504 करोड़ के निवेश के कारण नीचे लाई गई है। उपर्युक्त निवेशों तथा एन.एस.एस.एफ. में संचित घाटे का समायोजन करने के बाद निवल लोक लेखा देयता संघ वित्त लेखे में `6,71,010 करोड़ दर्शाई गई हैं जो लोक लेखा देयता का कम कथन है। `13,41,220 करोड़ की लोक लेखा देयता के वास्तविक स्तर को हिसाब में लेकर 31 मार्च 2015 को वर्तमान दरों पर संघ सरकार की कुल बकाया देयताएं `64,45,895[5] करोड़ थी जो स.घ.उ. के 51.40 प्रतिशत बनती हैं।

1.5.2 ऋण का कुल पुनर्भुगतान

2014-15 के दौरान सरकार ने आन्तरिक ऋण पर ब्याज के रूप में `3,71,420 करोड़ की राशि का भुगतान किया है (**तालिका 1.17**)। आन्तरिक ऋण पर प्रदत्त ब्याज का 83 प्रतिशत से अधिक विभिन्न दरों के ब्याज वाले बाजार ऋणों (`3,08,591 करोड़) पर ब्याज था बाह्य ऋण पर प्रदत्त ब्याज `3,766 करोड़ थी। बाह्य ऋण पर ब्याज का लगभग 86 प्रतिशत (`3,241 करोड़) केवल चार स्वत्वों अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.), जापान सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.) और एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से ऋणों के कारण था।

तालिका 1.17: गैर-ऋण प्राप्ति तथा लोक ऋण पुनर्भुगतान

(` करोड़ में)

वर्ष	आंतरिक ऋण का भुगतान		बाह्य ऋण का भुगतन		लोक ऋण का कुल पुर्नभुगतान	कुल गैर-ऋण प्राप्तियां
	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज		
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)	7
2011-12	3482343	242569	13586	3501	3741999	965183
2012-13	3410785	281891	16108	4019	3712803	1108404
2013-14	3493167	344893	18124	3880	3860064	1271711
2014-15	3687099	371420	20601	3766	4082886	1393196

[5] संख्या निम्नवत निकाली गई लोकलेखा (` 13,41,220 करोड़)+ आन्तरिक ऋण (`47,38,291 करोड़) +वर्तमान दर पर बाह्य ऋण (`3,66,384 करोड़)

2011-12 के दौरान लोक ऋण का कुल पुनर्भुगतान ` 37,41,999 करोड़ (गैर-ऋण प्राप्तियों का कुल 388 प्रतिशत) था। यद्‌यपि स्थिर पद में यह 2014-15 में `40,82,886 करोड़ तक बढ गया तथापि गैर ऋण प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में यह 293 प्रतिशत तक घट गया। इसके अतिरिक्त, 2011-12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रति लोक ऋण के कुल पुनर्भुगतान का अनुपात 411 प्रतिशत था, जो 2014-15 में 307 प्रतिशत तक घट गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान ऋण का कुल पुनर्भुगतान `2,22,822 करोड़ तक बढ़ गया था जबकि कुल गैर ऋण प्राप्तियां उसी अवधि में केवल `1,21,485 करोड़ तक बढ़ी थीं।

1.5.3 अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता

2014-15 के दौरान वर्तमान दर पर बाह्य ऋण `3,66,384 करोड़ जबकि 31 मार्च 2015 **(चार्ट 1.18)** को अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता `2,37,012 करोड़ तक सूचित किया गया है। सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक के कार्यालय से क्षेत्रवार विवरण इंगित करता है कि शहरी विकास (`32,782 करोड़), परमाणु ऊर्जा (`31,312 करोड़), सड़कें (`29,527 करोड़), विद्‌युत (`28,503 करोड़), रेल (`25,130 करोड़), जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (`14,902 करोड़) जल संसाधन प्रबंधन (`13,008 करोड़) एवं पर्यावरण तथा वानिकी (`10,949 करोड़) क्षेत्रों में बड़े अनाहरित शेष थे।

चार्ट 1.18: अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता

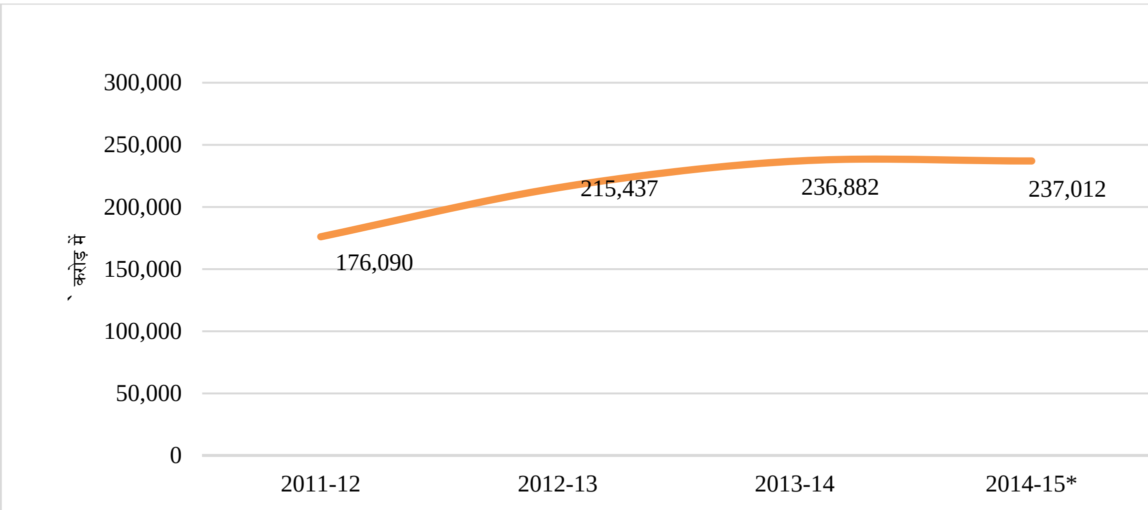

** 2011-14 के आकड़े वास्तविक हैं और 2014-15 के आंकड़े अनन्तिम हैं। ये सी.ए.एस. द्‌वारा उपलब्ध कराए गए हैं।*

अनाहरित बाह्य सहायता पर प्रतिबद्धता प्रभार, बाद की तिथियों में आहरण हेतु पुनर्निधारित मूल राशि पर दिये जाते हैं। चूंकि प्रतिबद्धता प्रभारों के भुगतान को दर्शाने के लिए लेखाओं में कोई पृथक शीर्ष नहीं है, इसलिए इसे 'ब्याज दायित्व' शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाता है। **तालिका 1.18** बाद की तिथियों में सहायता राशि के आहरण के पुनर्निधारण के लिए चार वर्षों की अवधि के दौरान विभिन्न निकायों/सरकारों को भुगतान किए गए प्रतिबद्धता प्रभारों को दर्शाती है। यह निरन्तर अपर्याप्त योजना की ओर संकेत करते हैं जिसका परिणाम 2014-15 में `110.53 करोड़ के प्रतिबद्ध प्रभारों के रूप में परिहार्य व्यय में हुआ।

तालिका 1.18: प्रतिबद्ध प्रभार

(` करोड़ में)

वर्ष	ए.वि.बैं.	जापान	जर्मनी	अ.वु.वि.बैं.	कुल
2011-12	42.30	20.82	6.24	13.92	83.28
2012-13	47.18	25.67	7.43	12.24	92.52
2013-14	47.46	49.99	9.78	10.09	117.32
2014-15	49.21	46.11	8.47	6.74	110.53

स्रोत: सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक

ए.वि.बैं. = एशियाई विकास बैंक

अ.पु.वि.बैं. = अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक

1.5.4 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की तुलना में निष्पादन

तेरहवें वित्त आयोग (13 वें वि.आ.) द्वारा उल्लिखित आकलनों की तुलना में सकल घरेलु उत्पाद (स.घ.उ.) की प्रतिशतता के रूप में पंचाट अवधि के गत तीन वर्षों के दौरान संघ सरकार हेतु मुख्य राजकोषीय सकलों को **तालिका 1.19** में तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 1.19: अनुशंसित राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ तथा वास्तविक प्रदर्शन

(स.घ.उ. की प्रतिशतता)

मापदंड	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित			वित्तीय लेखे के अनुसार वास्तविक निष्पादन		
	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व घाटा	1.2	0.0	-0.5	3.65	3.15	2.92
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	0.8	0.9	1.0	0.53	0.48	0.51
पूंजीगत व्यय	3.8	3.9	4.5	1.83	1.76	1.71
राजकोषीय घाटा	4.2	3.0	3.0	4.95	4.44	4.11
ऋण (वर्ष के अंत तक समायोजित देयताएं)	50.5	47.5	44.8	47.12	46.36	46.05

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, कोई भी मापदंड 13वें वि.आ. द्वारा 2014-15 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के समीप नहीं था। वर्ष 2014-15 हेतु वास्तविक राजस्व घाटा 13वें वि.आ. द्वारा यथा उल्लिखित स.घ.उ. के 0.50 प्रतिशत के दर्ज राजस्व अधिकता के प्रति स.घ.उ. का 2.92 प्रतिशत था। पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय में अवनती स्पष्ट थी। वर्तमान वर्ष में पूंजीगत व्यय 13वें वि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्य के आधे से भी कम था। ऋण जोकि 2013-14 तक अनुशंसित लक्ष्य से कम रहा था, वो 44.8 प्रतिशत के लक्ष्य को पार कर गया तथा स.घ.उ. के 46.05 प्रतिशत पर रहा।

1.6 संघ सरकार की आकस्मिक देयताओं में वृद्धि

संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार, संघ सरकार ऐसी सीमाओं के भीतर गारंटियाँ दे सकती हैं, यदि कोई है, जो विधि से संसद द्वारा निर्धारित की गई है। संघ सरकार द्वारा (i) उधारों का पुनर्भुगतान तथा उस पर ब्याज का भुगतान (ii) अंश पूंजी का पुनर्भुगतान तथा न्यूनतम लाभांश का भुगतान (iii) सरकारी कम्पनियों/निगमों, रेलवे, संघ शासित क्षेत्रों, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी संस्थानों आदि के लिए क्रेडिट आधार पर सामग्रियों तथा उपकरणों के आपूर्तियों हेतु करार के प्रति भुगतान आदि गारंटी दी जाती है। यह गारंटियाँ भा.स.नि. पर आकस्मिक देयता स्थापित करती है।

गारंटियां अवसंरचना विकास और ऐसी परियोजनाओं में निजी क्षेत्रों की भागीदारी के लिए निवेशों की बढती आवश्यकता के संदर्भ में महत्व धारण करती हैं। संघ सरकार की आकस्मिक देयताएं इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि सभी जोखिमों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। जबकि गारंटियां परम्परागत रूप से मापे गए ऋण का भाग नहीं होती, वहां चूक होने की स्थिति में, सरकार के ऋणों में वृद्धि की सम्भावना रहती है।

गारंटियाँ सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से उधार लेने अथवा सा.क्षे.उ. को बाजार से धन उधार लेने योग्य बनाने हेतु दी जाती हैं। एफ.आर.बी.एम. नियमावली 2004 के नियम 3(3) में अनुबंधित है कि केन्द्र सरकार को वित्तीय वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ किसी भी वित्तीय वर्ष में स.घ.उ. के 0.5 *प्रतिशत* से अधिक गारंटियां नहीं देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त

एफ.आर.बी.एम. नियम 2004 के नियम 6(1)(ब) के अनुपालन में केन्द्र सरकार के लिए राजकोषीय संचालन में वृहत् पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय गारंटियों के संदर्भ में प्रकटीकरण आवश्यक है। **चार्ट 1.19** और **तालिका 1.20** में वित्त वर्ष 2011-15 के अंत में गारंटियों की अधिकतम राशि, बकाया गारंटीकृत राशि तथा बकाया बाहय गारंटियों से संबधित स्थिति दी गई है। 31 मार्च 2015 तक बकाया गारंटीकृत राशि (`2,94,700 करोड़) में से 63 *प्रतिशत* विदेशी कर्जदाता संस्थाओं से ऋणों के प्रति, 26 प्रतिशत आर.बी.आई./बैंकों/ औद्योगिक वित्त निगमों आदि को मूल एवं ब्याज के पुनर्भुगतान, नगद क्रेडिट सुविधा आदि के लिए तथा शेष 11 प्रतिशत शेयरपूंजी के पुनर्भुगतान के लिए, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान हेतु तथा बंधपत्रों, उधारों एवं डिबेंचर/काउण्टर गारंटी आदि के लिए थी। वित्त मंत्रालय द्वारा 2014-15 में मुख्य मंत्रालयों/विभागों जिनको गारंटी प्रदान की गई उनमें से कृषि एवं सहकारिता, आर्थिक कार्य, नागरिक उड्डयन, विद्युत, दूरसंचार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, विदेशी मामले मंत्रालय/विभाग थे।

चार्ट 1.19: संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

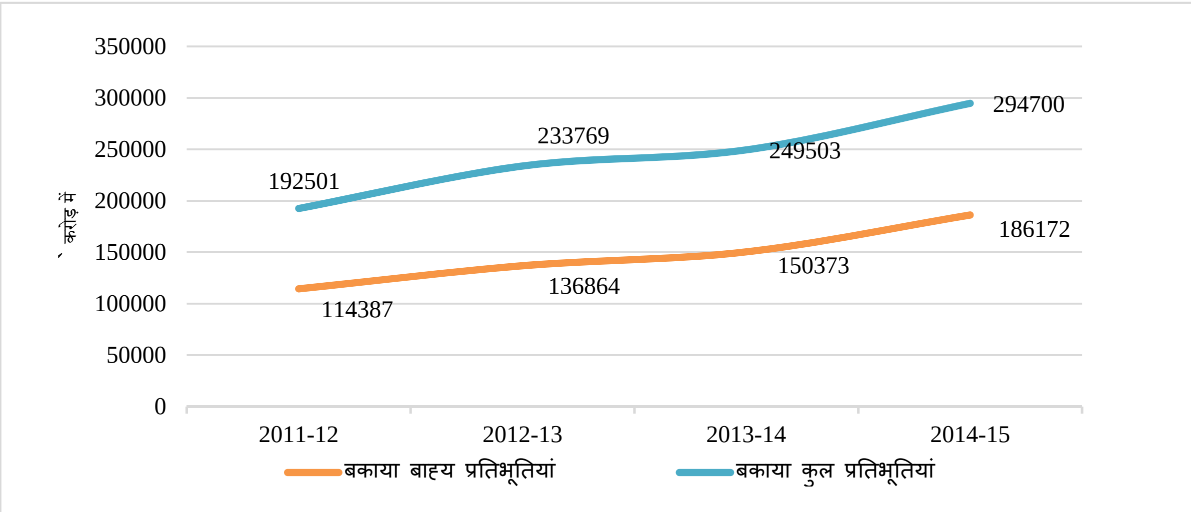

तालिका 1.20: संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(` करोड़ में)

	गारंटी की अधिकतम राशि	बकाया गारंटीकृत राशि (कुल)	बकाया बाह्य गारंटियां	कुल बकाया गारंटियों के प्रतिशत के रूप में बकाया बाह्य गारंटियां
2011-12	203056	192501	114387	59.42
2012-13	242915	233769	136864	58.55
2013-14	270629	249503	150373	60.27
2014-15	305519	294700	185562	63.17

31 मार्च 2015 `2,94,700 करोड़ की कुल बकाया गारंटियाँ स.घ.उ. का 2.35 प्रतिशत तथा 2014-15 में संघ सरकार को प्रोद्भूत राजस्व प्राप्तियों का 22.18 प्रतिशत थीं।

एफ.आर.बी.एम. के अनुपालन में, प्राप्ति बजट 2015-16 में संलग्न प्रकटीकरण ने दर्शाया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा `59,879.29 करोड़ की गारंटियाँ स्वीकृत की गई थी, जो अनुमानित स.घ.उ. के 0.48 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत स.घ.उ. के 0.5 प्रतिशत के ठीक अन्दर थी। जबकि संघ वित्त लेखे के अनुसार वर्ष के दौरान गारंटियों में वृद्धि `52,274.90 करोड़ (स.घ.उ. का 0.42 प्रतिशत) थी। तथापि, वर्ष 2014-15 के दौरान गारंटियों का निवल उपचय `41,456.13 करोड़ था जो स.घ.उ. का 0.33 प्रतिशत था।

1.7 निष्कर्ष

वर्ष 2014-15 आर्थिक वृद्धि में सुधार द्वारा विशिष्ट था क्योंकि स्थिर मूल्यों (2011-12) पर स.घ.उ. के अनुदान 2013-14 में 6.9 प्रतिशत के प्रति 7.3 प्रतिशत तक बढा। तथापि वर्तमान मूल्यों पर स.घ.उ. 2013-14 में 13.58 प्रतिशत के प्रति 2014-15 में 10.54 प्रतिशत के धीमी गति पर बढी। चालू वर्ष में सुधार गैर ऋण प्राप्ति में 9.55 प्रतिशत की वृद्धि और पूर्व वर्ष की 10.73 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वास्तविक व्यय में 7.56 प्रतिशत की निम्नतर वृद्धि द्वारा प्राप्त किया गया था। गैर ऋण प्राप्ति भी उच्च होती यदि विनिवेश लक्ष्य प्राप्त करने में 40 प्रतिशत की कमी नहीं हुई होती। 2013-14 में 4.44 प्रतिशत से 2014-15 में 4.11 प्रतिशत तक घटते राजकोषीय घाटे के साथ राजकोषीय स्तर पर भी सुधार देखा गया। इसी प्रकार राजस्व घाटा भी स.घ.उ. के संबंध में 2013-14 में 3.15 प्रतिशत से

2014-15 में 2.92 प्रतिशत तक कम हो गया। स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में वर्तमान विनिमय दर पर कुल देयता ने भी घटती प्रवृत्ति दर्शाई है। यह 2013-14 में 46.36 प्रतिशत से 2014-15 में 46.05 प्रतिशत तक नीचे आ गया है। परन्तु इसने सुसंगत वर्ष के लिए 13 वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत 44.8 प्रतिशत के स्तर को पार कर दिया। 2014-15 में 9.82 प्रतिशत पर ऋण स्टाक की वृद्धि भी 10.54 प्रतिशत पर स.घ.उ. की वृद्धि की तुलना में अनुकूल थी।

2: लेखाओं पर टिप्पणियां

2.1 प्रस्तावना

संघ वित्त लेखे के प्रस्तुतीकरण (परिशुद्धता, पूर्णता तथा पारदर्शिता) में महत्वपूर्ण कमियों से संबंधित टिप्पणियाँ अनुवर्ती पैराओं में दी गई हैं। विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियों को इस प्रतिवेदन के अध्याय 3, 4 तथा 5 में सम्मिलित किया गया है। सरकारी खर्च की नियमितता, मितव्ययता, दक्षता तथा प्रभावकारिता पर अभ्युक्तियां, अनुपालना तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समाविष्ट होती है जो संसद को पृथक रूप से प्रस्तुत की जाती है।

2.2 पारदर्शिता के मुद्दे

2.2.1 संघ के वित्त लेखाओं में बारहवें, तेरहवें तथा चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विवरणियों/सूचनाओं का समावेश न करना

बारहवें वित्त आयोग ने, नवम्बर 2004 में सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट (पैरा 14.16) में अधिक पारदर्शिता लाने एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेने हेतु रोकड़ से लेखांकन को प्रोद्भूत आधार पर करने से संबंधित लम्बित परिवर्तन के चलते संघ सरकार के लेखाओं में आठ अतिरिक्त विवरणियों/सूचनाओं को शामिल करने की अनुशंसा की थी। अनुशंसा को सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप में स्वीकार कर लिया गया था।

तेरहवें वित्त आयोग ने पाया था कि वित्त लेखे सभी परिशिष्टों को समावेशित नहीं करते तथा अनुशंसा की, कि (पैरा 7.134 में) वित्त लेखाओं के लिए परिशिष्टों की सूची का बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप मानकीकरण किया जाए एवं इनका अनुपालन सभी राज्यों में किया जाए।

चौदहवें वित्त आयोग ने दिसम्बर 2014 के अपने प्रतिवेदन में प्रोद्भूत आधारित लेखांकन में परिवर्तन हेतु पूर्व आयोगों के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए संघ एवं राज्य सरकारों के वित्त लेखे में विभिन्न विवरणियों को शामिल करने को दोहराया (पैरा 17.14 में)।

बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त विवरणियाँ निम्न के संबंध में थीं :

(i) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की दी गई आर्थिक सहायता; (ii) विभिन्न विभागों/इकाइयों द्वारा वेतन पर व्यय; (iii) पेंशनभोगियों की विस्तृत जानकारी एवं सरकारी पेंशन पर व्यय; (iv) भविष्य में प्रतिबद्ध देयताएं; (v) ऋण तथा अन्य देयताओं के साथ-साथ पुनर्भुगतान अनुसूची; (vi) सरकार द्वारा खर्च करने के तरीके में परिवर्तन को शामिल करते हुए सरकार के अधिकार में रखी गई वित्तीय परिसम्पत्तियों में वृद्धि या कमी; (vii) भावी रोकड़ प्रवाह के लिए बजट में प्रस्तावित, वर्ष के दौरान अथवा नई योजनाओं पर, सरकार द्वारा लिए गए मुख्य नीति निर्णयों के प्रभाव तथा (viii) वेतन तथा गैर-वेतन भाग को अलग दर्शाते हुए अनुरक्षण व्यय।

वर्ष 2014-15 के वित्त लेखाओं की संवीक्षा ने उजागर किया कि बारहवें एवं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विवरणियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। इस बात का उल्लेख प्रासंगिक होगा कि अधिकतर राज्यों ने अपने लेखाओं में उपरोक्त अधिकांश विवरणियों को समाविष्ट कर लिया था।

वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, तथा 2013-14 के लिए संघ सरकार के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में लगातार यह उल्लेखित किया गया था, परंतु ग्यारह वर्ष बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

2.2.2 सरकारी लेखाओं में अपारदर्शिता

संघ सरकार वित्त लेखे 2014-15 की संवीक्षा ने उजागर किया कि लेखे के 11 मुख्य शीर्षों (जो सरकार के कार्यकलापों को प्रस्तुत करते हैं) के अतंर्गत कुल ₹8,646.13 करोड़ के व्यय को लेखे में लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अतंर्गत वर्गीकृत किया गया था, जो संबंधित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दर्ज किए गए कुल व्यय के 50 *प्रतिशत* से अधिक था। कुछ मुख्य शीर्ष जिनमें व्यय में अपारदर्शिता विद्यमान है वे मृदा एवं जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय (100 प्रतिशत व्यय को लघु शीर्ष 'अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया गया था), कोयला तथा लिग्नाइट पर पूंजीगत परिव्यय (100 प्रतिशत), गैर-फैरस खनन तथा धातुकर्मीय उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय (100 प्रतिशत),

अन्य सामाजिक सेवाएं (99.84 प्रतिशत), अन्य दूरसंचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (98.81 प्रतिशत), बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी (98.72 प्रतिशत), कृषि वित्तीय संस्थान (95.85 प्रतिशत) आदि हैं। 11 मुख्य शीर्षों के विवरण **अनुबंध-2.1** में दिए गए हैं।

कुछ महत्वपूर्ण पहलों पर व्यय जैसे किसानों को अल्प अवधि ऋण पर ब्याज से छूट (₹6,000 करोड़), गरीबी रेखा से नीचे की रेखा योजना (₹332.34 करोड़) हज चार्टर के परिचालन हेतु सब्सिडी (₹577.08 करोड़), तथा रक्षा सेवाओं के लिए ओ.एफ.सी. आधारित नेटवर्क (₹358.08 करोड़), को वित्त लेखे में विशिष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया था बल्कि लघु शीर्ष, 'अन्य व्यय' में जोड़ा गया था।

इस पहलू पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 को समाप्त संघ सरकार के लेखाओं पर प्रतिवेदनों में लगातार इस अनुशंसा के साथ टिप्पणी की गई थी कि इस कमी का निदान करने के लिए सरकारी लेखे की सरंचना की सरकार द्वारा एक व्यापक समीक्षा की जाए जिससे वित्तीय रिपोर्ट देने में अधिक पारदर्शिता को प्राप्त किया जा सके। एक अंतरिम उपाय के रूप में, ले.म.नि. ने वित्त लेखे में लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत विलीन महत्वपूर्ण पहलों के ब्यौरों को वित्त लेखे में फुट नोटों के माध्यम से दर्शाया है।

लेखा महानियंत्रक (ले.म.नि.) ने उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि सभी मंत्रालयो विभागों की केन्द्रीय लेन-देनो की विवरणी की समीक्षा के दौरान पाया कि लघु शीर्ष '800- अन्य व्यय' के अंतर्गत भारी राशि का प्रावधान किया गया था तथा दर्ज किया गया था जिसके कारण लेखापरीक्षा की प्रतिकूल अभ्युक्ति हुई थी।

2.2.3 सरकारी लेखे से बाहर पड़ी लोक निधियाँ

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (आ.का.वि.) ने जनवरी 2005[1] में सभी मंत्रालयों तथा सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था

[1] भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) का.ज्ञा.सं. एफ.1 (30)-बी (ए.सी.)/2004 दिनांक 07 जनवरी 2005

कि नियामक निकायों की निधियों को लोक लेखे में अनुरक्षित किया जाए। तथापि, यह पाया गया था कि कुछ नियामक निकायों की निधियां, क्षतिपूरक वनरोपण हेतु एकत्रित निधियां/प्राप्तियां तथा भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण की कुछ निधियां सरकारी लेखाओं के बाहर पड़ी हैं जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है।

(क) सरकारी लेखाओं के बाहर नियामकों की निधियां

पंद्रह नियामक निकायों एवं स्वायत्त निकायों, जो अपने क्षेत्र विशेष में नियामक के रूप में कार्य करते हैं, के वार्षिक लेखाओं की संवीक्षा ने प्रकट किया कि जनवरी 2005 में जारी उपरोक्त अनुदेशों के विपरीत ये निकाय मार्च 2015 के अंत तक शुल्क प्रभारों, भारत सरकार से प्राप्त अव्ययित अनुदानों, सरकारी अनुदानों पर अर्जित ब्याज, लाईसेंस शुल्क की प्राप्ति, कोष निधि आदि के माध्यम से सृजित कुल ₹6,051.25 करोड़ की निधियों को, सरकारी लेखाओं से बाहर रख रहे थे। ऐसे निकायों तथा उनके द्वारा रखी गई निधियों को **अनुबंध 2.2** में दर्शाया गया है।

नियामक निकायों, नामत: भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (भा.प्र.वि.बो.) बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (बी.नि.वि.प्रा.) तथा पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पे.नि.नि.वि.प्रा.), के संबंध में इस मुद्दे पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष समाप्ति 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 हेतु संघ सरकार के लेखाओं पर प्रतिवेदनों में टिप्पणियाँ की गई थीं।

वित्त मंत्रालय ने अपनी कार्रवाई टिप्पणी में बताया (सितम्बर 2011) कि सरकारी लेखे में निधियों को प्रचालित करने हेतु भारतीय लोक लेखे के ब्याज वहन न करने वाले वर्ग में मुख्य शीर्ष '8235-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि' के अंतर्गत क्रमश: 'भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भा.प्र.वि.बो.) निधि' तथा 'बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (बी.नि.वि.प्रा.) निधि' के नाम से अलग निधियाँ खोली जाएंगी। इसने आगे बताया (फरवरी 2014) कि 'बी.नि.वि.प्रा. अधिनियम की धारा 16 के अनुसार', प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी सरकारी शुल्क एवं प्रभार, केन्द्रीय सरकार द्वारा तय किये ऐसे अन्य स्त्रोतों से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी राशियां बी.नि.वि.प्रा. निधि का भाग होगी। भा.प्र.वि.बो. निधि तथा बी.नि.वि.प्रा. निधि को सरकारी लेखे में लेखाबद्ध

करने हेतु तीन वर्षों से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद भी, मंत्रालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।

आर्थिक कार्य विभाग (आ.का.वि.), वित्त मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि लोक लेखे में भा.प्र.वि.बो. सामान्य निधि से संबंधित मामले को कानूनी मामले विभाग को प्रेषित कर दिया गया था।

आ.का.वि. का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इसने जुलाई 2010 में पहले ही कानूनी मामले विभाग की राय ले ली थी कि भा.प्र.वि.बो. द्वारा प्राप्त सभी निधियाँ लोकधन है तथा भारत सरकार की ओर से प्राप्त सभी लोकधन लोक लेखे का भाग होगा जैसा भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(2) में परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकारी लेखे में भा.प्र.वि.बो. सामान्य निधि के सृजन एवं प्रचालन हेतु शोधक पर्चियों को म.ले.नि. द्वारा जून 2014 में पहले ही जारी कर दिया गया है, परंतु निधि को 2014-15 के लेखाओ में चालू नहीं किया गया है।

भारतीय भेषज परिषद (भा.भे.प.) ने बताया (नवम्बर 2015) कि इसने भा.भे.प. के विनियमों के अनुसार अपनी आधिक्य निधि को भारतीय स्टेट बैंक में जमा करा दिया था। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (भा.खा.सु.मा.प्रा.) ने उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि इसे एक नियामक निकाय के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया था तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी का.ज्ञा. दिनाँक जनवरी 2005 इस पर लागू नहीं होता है।

भा.भे.प. तथा भा.खा.सु.मा.प्रा. के उत्तर तर्कसगंत नहीं हैं क्योंकि ये आवश्यक रूप से संबंधित क्षेत्रों के नियामकों के कार्य करते हैं। इसलिए, उन्हे नियामक निकायों के रूप में माना जाना चाहिए तथा इसलिए वित्त मंत्रालय का का.ज्ञा. दिनाँक जनवरी 2005 उन पर लागू होगा।

भा.चि.प. ने अपने पिछले वर्ष के उत्तर को दोहराया (अक्टूबर 2015) कि उसने स्टाफ आवासीय मकानों तथा सम्मेलन कक्ष हेतु भूमि की खरीद की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी थी तथा ₹300 करोड़ का उपयोग किया जाना प्रत्याशित था।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद (परिषद) ने बताया (अक्टूबर 2015) कि परिषद का व्यय इसके द्वारा प्राप्त अनुदानों की राशि से अधिक था।

भा.चि.प. तथा परिषद के उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि इन निकायों द्वारा किए गए नियामक कार्यों से उत्पन्न राजस्व को सरकारी लेखाओं का भाग बनना चाहिए तथा इन निकायो द्वारा किए गए व्यय को बजटीय प्रक्रिया की सीमा में लाया जाना चाहिए जिससे कि उसे ससंदीय संवीक्षा के माध्यम से पारित किया जा सके। इसलिए, नियामक निकायों के पास पड़ी आधिक्य निधियों को लोक लेखे में प्रकट हो रही केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग निधि, भारतीय टेलीकाम नियामक प्राधिकरण सामान्य निधि आदि के अनुसार उपयुक्त लेखांकन प्रक्रिया/नियमों को तैयार करके सरकारी लेखाओं में लाया जाना चाहिए।

(ख) सरकारी लेखाओं के बाहर भा.टे.नि.प्रा. सामान्य निधि का प्रतिधारण

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण (भा.टे.नि.प्रा.) के वार्षिक लेखाओं की संवीक्षा ने दर्शाया कि प्राधिकरण ने पंजीकरण शुल्क (₹2.32 लाख), टेलीमार्किटर्स से दण्ड (₹2.34 करोड़), ग्राहक शिक्षा शुल्क (₹7.22 करोड़) तथा वित्तीय अवप्रेरक (₹25.49 करोड़) के कारण सृजित ₹35.07 करोड़ की निधियों को रखा। यद्यपि लोक लेखे में भा.टे.नि.प्रा. सामान्य निधि विद्यमान है फिर भी उपरोक्त प्राप्तियां अभी भी प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित अलग बैंक खाते में पड़ी थीं। भा.टे.नि.प्रा. ने दिसंबर 2014, अप्रैल 2015 तथा जून 2015 में दूरसंचार विभाग (दू.वि.) को अप्रयुक्त राशि का लोक लेखे में भा.टे.नि.प्रा. सामान्य निधि को अंतरण की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया था फिर भी अगस्त 2015 को इस पर निर्णय दू.वि. के पास लंबित था।

(ग) सरकारी लेखाओं के बाहर क्ष.व.प्र.यो.प्रा. निधियों का प्रतिधारण

क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (क्ष.व.प्र.यो.प्रा.) वन (सरंक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर-वन उद्देश्यों हेतु वन भूमि का विपथन अनुमत करते समय उपभोक्ता अभिकरणों से एकत्रित सभी क्षतिपूरक

वनरोपण निधियों (क्ष.व.नि.) तथा वन भूमि, जिसका सर्वोच्च न्यायालय के निदेशालय के अनुसार विपथन किया गया था, के निवल वर्तमान मूल्य के प्रति प्राप्त राशियों का भी अभिरक्षक है। एकत्रित धन को क्ष.व.प्र.यो.प्रा. द्वारा प्रत्येक राज्य/सं.शा.क्षे. हेतु ट्रस्ट में रखा गया है तथा स्वीकृत प्रचालन योजनाओं के आधार पर संबंधित राज्य/सं.शा.क्षे. को जारी किया गया है। संचित निधियों को अन्तरिम में निवेशित रखा गया है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टबूर 2002 में निर्देश दिया कि क्षतिपूरक वनरोपण हेतु निधियों संघ, राज्यों के सामान्य राजस्व अथवा भारत को समेकित निधि अथवा भारत के लोक लेखे के बाहर रखा गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (प.व.मं.) की अधिसूचना दिनाँक 13 मार्च 2007 के अनुसार, क्षे.व.प्र.यो.प्रा. को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों (सितम्बर 2005) के अनुसार दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर आधारित लेखाकंन को सम्मिलित करने का निर्देश दिया गया है। राज्य क्ष.व.प्र.यो.प्रा. पर दिशानिर्देशों ने बल दिया कि राज्य झ.व.प्र.यो.प्रा. उपयुक्त लेखाओं तथा अन्य संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा तथा उस प्रकार से लेखाओं की वार्षिक विवरणी तैयार करेगा जिसे संबंधित महालेखाकार के साथ परामर्श से निर्धारित किया जाए।

2006 तथा मार्च 2015 की अवधि के दौरान, तदर्थ क्ष.व.प्र.यो.प्रा. के साथ क्षतिपूरक वनरोपण निधियां ₹1,324.22 करोड़ से ₹35,522.07 करोड़ तक बढ़ी। संचित निधियों में 31 मार्च 2015 को ₹26,297.26 करोड़ की कुल मूल राशि तथा ₹9,224.78 करोड़ का ब्याज शामिल है।

उपभोक्ता अभिकरणों से क्ष.व.नि. के प्रति देय राशियों के संग्रहण इसके हिसाब, संघ/राज्य/सं.शा.क्षे. स्तर पर क्ष.व.प्र.यो.प्रा. द्वारा व्यय, ससंद तथा राज्य विधायिका को इसके सूचना का मौजूदा उदाहरण महत्वपूर्ण मामलों को प्रस्तुत करता है जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है:

- केन्द्रीय क्ष.व.प्र.यो.प्रा. के पास निधियों की वर्तमान राशि अत्याधिक है अर्थात् 31 मार्च 2015 को ₹35,522.07 करोड़।
- 31 मार्च 2015 तक राज्य/सं.शा.क्षे. क्ष.व.प्र.यो.प्रा. को किया गया कुल निर्गम ₹6,294.32 करोड़ था।

- जबकि प्राप्ति एवं व्यय अत्याधिक रहे हैं फिर भी मंत्रालय में या तो संसद या फिर राज्य विधानमण्डलों को क्षे.व.नि. के संबंध में आय तथा व्यय को सूचित करने की कोई प्रणाली मौजूद नहीं है।
- वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा व्यय करने के प्राधिकरण हेतु किसी भी विधि तंत्र के अभाव में एकत्रित तथा व्यय की गई राशियो से संसद तथा राज्य विधानमण्डल अवगत नहीं हैं।
- तथ्य दिए गए कि क्षतिपूरक वनरोपण के प्रति प्राप्त राशियां अत्याधिक हैं फिर भी यह ध्यान देना उतना ही व्यर्थ है कि केन्द्र तथा राज्यों के स्तर पर कोई प्रणाली मौजूद नहीं है। जिसके द्वारा मंत्रालय अथवा राज्यों में प्राधिकरण अपने आप को शीर्ष स्तर तक संतुष्ट कर सके कि एकत्रित की जा रही राशियां वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वर्तमान आदेशों तथा क्ष.वि.नि. के संग्रहण तथा उपयोग को नियंत्रित कर रहे सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न अन्य अधिनियमों, नियमों तथा आदेशों के अनुसार है।

चूंकि निधि की पर्याप्त राशि का संग्रहण किया गया है तथा उससे व्यय किया गया है इसलिए मंत्रालय द्वारा, जहां कही आवश्यक हो सर्वोच्च न्यायालय को सिफारिश करके, क्ष.व.प्र.यो.प्रा. के मौजूदा उदाहरण की समीक्षा की आवश्यकता है। इसे इस तरीके से किया जाना चाहिए कि वह पारदर्शिता को बढ़ावा दे, क्ष.व.प्र.यो.प्रा. को दोनों संसद एवं राज्य विधायन के विस्तृत दृष्टिकोण के भीतर तथा व्यापक जनहित में क्ष.व.प्र.यो.प्रा. को लाता है ताकि अधिक संभव पणधारियों के योगदान को सुनिश्चित किया जा सके। यहां तक, यह उचित होगा यदि तदर्थ क्ष.व.प्र.यो.प्रा. में पड़ी हुई राशि को भारत के लोक लेखा में अंतरित किया जाए, जैसाकि 2009 में लोकसभा द्वारा पारित प्रतिपूरक वनीकरण निधि बिल, 2008 में परिकल्पित किया गया था। और तदुपरांत सदन में विश्वासमत खोने के कारण समाप्त हो गया था। प्रत्येक राज्य को किए गए अंतरणों को पारदर्शी बनाना चाहिए ताकि सभी पणधारियों को विषय पर उचित सूचना प्रदान की जा सके। यह क्ष.व.प्र.यो.प्रा. पर बजटीय, वित्तीय एवं निष्पादन संबंधित सूचकों/सूचना का लोक दस्तावेजों में उचित रूप से दर्शाया जाना सुनिश्चित करेगा ताकि मौजूदा व्यवस्थाओं में बृहत पारदर्शिता एवं जवाबदेही को प्रभावित किया जा सके।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2015) कि संसद में प्रस्तुत प्रतिपूरक वनीकरण बिल के बारे में संघ एवं राज्य को संबोधित किया गया तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन पर संसदीय स्थायी समिति से संबंधित विभाग को संदर्भित किया गया था तथा प्रतिवेदन प्रतीक्षित था।

2.3 लोक लेखे के संबंध में अभ्युक्तियाँ

2.3.1 सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि

सार्वभौमिक सेवा दायित्व (सा.से.दा.) निधि[2] को अप्रैल 2002 में राष्ट्रीय टेलीकॉम नीति (रा.टे.नी.) 1999 में सार्वभौमिक सेवा उद्देश्यों के महत्व को प्राप्त करने हेतु स्थापित किया गया था। भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम 2003 ने सा.से.दा. निधि को सांविधिक महत्व दिया तथा निर्धारित किया कि निधि का उपयोग केवल आधारभूत टेलीग्राफ सेवाओं को पहुँच प्रदान करते हुए सार्वभौमिक सेवा दायित्व को पूरा करने हेतु किया जाना है, यथा, सार्वजनिक दूरसंचार एवं सूचना सेवाएं तथा ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में घरेलू टेलीफोन जैसा कि केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्धारित करे। इसमें ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं, चरणबद्ध रूप से गाँवों में ब्रॉडबैंड जुड़ाव ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में टेलीकॉम क्षेत्र में नए प्रौद्योगिकीय विकासों के प्रवर्तन को प्रोत्साहन आदि की अवसंरचनाओं के विकास पर बल देना आदि विचारित थे। सा.से.दा. निधि को पूरा करने के लिए संसाधनों को "सार्वभौमिक पहुँच उगाही" (सा.प.उ.) के माध्यम से एकत्र किया जाना था। सा.से.दा. से संबंधित क्रियाकलापों का कार्यान्वयन पात्र सेवादाताओं द्वारा किया जाना था, जिन्हें नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता प्राप्त होनी है।

इस निधि का प्रबंधन दूरसंचार विभाग (दू.वि.) द्वारा किया जाता है। सा.से.दा. के प्रति प्राप्त उगाही को सर्वप्रथम भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है, तथा बाद में केन्द्र सरकार समय-समय पर कथित उद्देश्यों के प्रति विशिष्ट रूप से प्रयोग करने के लिए भारत के लोक लेखा में गैर-व्यपगत सा.से.दा. निधि की प्राप्तियां जमा करती है ।

[2] 8235.118 सा.से.दा. निधि

सा.से.दा. निधि में शेषो के कम बताए जाने के मामले पर वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के संघ सरकार के लेखे पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में टिप्पणी की गई थी। लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने अपने चौदहवें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा 2009-10) में भी वित्त मंत्रालय द्वारा निधियाँ, जो केवल सा.से.दा. क्रियाकलापों के लिए है, से अन्य कार्यक्रमों के लिए विपथन को अस्वीकृत किया था।

पहले के वर्षों के दौरान सा.से.दा. निधि पर नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के बावजूद यह पाया गया था कि दु.वि. ने वर्ष 2014-15 के दौरान सार्वभौमिक पहुँच उगाही के प्रति ₹7,537.88 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से लोक लेखे में सा.से.दा. निधि को केवल ₹2,086.98 करोड़ का अंतरण किया जिसका चयनित उद्देश्यों पर व्यय को पूरा करने हेतु पूर्ण रूप से उपयोग किया गया था सा.से.दा. निधि के अंतर्गत अंत शेष को शून्य के रूप में दर्शाया गया था। इसका परिणाम वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए सा.से.दा. निधि के अंत शेष को ₹5,450.90 करोड़ तक कम बताए जाने में हुआ।

इसके अतिरिक्त, 2002-03 से 2014-15 के दौरान ₹66,117.23 करोड़ के कुल उगाही संग्रहण के प्रति इन अवधियों के दौरान कुल ₹26,983.47 करोड़ की राशि (ग्रामीण दायित्वों को पूरा करने हेतु 2002-03 से 2005-06 की अवधि में भा.सं.नि.लि. को कुल ₹6,948.64 करोड़ के लाइसेंस शुल्क एवं स्पैक्ट्रम प्रभारों की प्रतिपूर्ति को ध्यान में रखते हुए) का निधि को अतंरण किया गया था तथा निधि से पूर्ण रूप से व्यय किया गया था। ₹39,133.76 करोड़ की शेष उगाही का सा.से.दा. को अतंरण नहीं किया गया था। संग्रहित उगाही तथा इसके आरम्भ से सा.से.दा. उद्देश्यों हेतु इसके उपयोग के ब्यौरे **तालिका 2.1** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.1: सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2002-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सा.प.उ. संग्रहण	31109.36	6114.56	6723.57	6735.47	7896.39	7537.88
संवितरण	10371.44	3100.00	1687.96	625.00	2163.45	2086.98
भा.सं.नि.लि. को प्रतिपूर्ति	6948.64*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

** 2002-03 से 2005-06 के दौरान अंतरित*

लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने अपने चौदहवें प्रतिवेदन (पंद्रहवी लोकसभा 2009-10) में शामिल अपनी अनुशंसाओं में भी पाया था कि सरकार को सा.प.उ. के रूप में एकत्रित पूरी राशि को सा.से.दा. निधि में क्रेडिट करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी जबकि मुख्य रूप से निधि का उपयोग केवल सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए होना चाहिए था।

इस प्रकार, संबंधित वर्षों के वित्त लेखे में सा.से.दा. निधि के अंतर्गत 'शून्य' शेष दर्शाना लो.ले.स. की अनुशंसाओ के उल्लघंन में था जो स्पष्ट रूप से निर्धारित करती थी कि सा.प.उ. के रूप में एकत्रित पूर्ण राशि का सा.से.दा. निधि को क्रेडिट किया जाना चाहिए तथा इसका परिणाम वित्तीय वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर सा.से.दा. निधि में ₹39,133.76 करोड़ तक अंत शेष के कम कथन में भी हुआ।

2.3.2 अनुसंधान तथा विकास उपकर निधि के अंतर्गत संग्रहित उपकर का कम उपयोग

1986 में अनुसंधान तथा विकास उपकर अधिनियम को देश में ही विकसित प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक अनुप्रयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रौद्योगिकी के आयात करने तथा घरेलू अनुप्रयोग को विस्तृत करने तथा उसके साथ संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों हेतु आयतित प्रौद्योगिकी को अनुकूल बनाने के लिए किए गए सभी भुगतानों पर उपकर की उगाही तथा संग्रहण के प्रावधान हेतु लागू किया गया था। अधिनियम की धारा 3 प्रौद्योगिकी के आयात के प्रति किए गए सभी भुगतानों पर उद्ग्रहित तथा संग्रहित किए जाने वाले उपकर के संग्रहण की ऐसी दरों जो 5 प्रतिशत से अधिक न हों, जैसा कि केन्द्र सरकार राजपत्र में, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे, का प्रावधान करती है।

अधिनियम ने प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (प्रौ.वि.बो.) द्वारा संचालित की जाने वाली प्रौद्योगिकी विकास तथा अनुप्रयोग हेतु एक निधि के सृजन को समर्थ किया है। निधि का अनुरक्षण सरकारी लेखे से बाहर किया जाता है। निधि को अनुसंधान तथा विकास उपकर अधिनियम 1986, जैसा कि 1995 में संशोधित किया गया, के प्रावधानों के अंतर्गत औघोगिक मामलों द्वारा प्रौद्योगिकी के आयात पर संग्रहित उपकर में से, भारत सरकार द्वारा जारी

अनुदानों से क्रेडिट किया जाता है। विज्ञान एवं तकनीकी विभाग द्वारा अनुसंधान एवं विकास उपकर संग्रहण का प्रबंधन किया जाता है। अधिनियम की धारा 4 उदग्रहित तथा संग्रहित उपकर की प्राप्तियों को प्रारम्भ में भारत की समेकित निधि में क्रेडिट किया जाना अपेक्षित करती है तथा सरकार, संसद की स्वीकृति से विकास बैंक (इस मामले में पहले भारतीय औद्योगिक विकास बैंक) को निधि के उद्देश्य हेतु उपयोग किए जाने के लिए अपेक्षित ऐसी राशि अदा करेगी।

तालिका 2.2 से यह पाया गया है कि 1996-97 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान ₹5,783.49 करोड़ की सीमा तक का उपकर संग्रहित किया गया था। इसमें से, उसी अवधि के दौरान प्रौ.वि.बो. को सहायता अनुदान के रूप में केवल ₹549.16 करोड़ (9.50 प्रतिशत) संवितरित किए गए थे। प्रौ.वि.बो. ने, इसके बदले सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से स्वदेशी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक अनुप्रयोग का प्रयास कर रहे अथवा घरेलू अनुप्रयोग को विस्तृत करने हेतु आयातित प्रौद्योगिकी को अपनाने से संबंधित औद्योगिक मामलों हेतु ₹1,227.96 करोड़ की वित्तीय सहायता तथा ऋण संवितरित किए।

तालिका 2.2: अ. एवं वि. उपकर का संग्रहण तथा इसका उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपकर का संग्रहण	प्रौ.वि.बो. को जारी अनुदान	प्रो.वि.बो. द्वारा उघोगो को किए गए संवितरण
1996-2010	2158.79	501.41	890.27
2010-11	592.22	5.00	64.19
2011-12	702.54	0.00	48.00
2012-13	685.62	22.50	116.21
2013-14	737.54	13.50	99.10
2014-15	906.78	6.75	10.19
कुल	**5783.49**	**549.16**	**1227.96**

उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि प्रत्याशित उद्देश्यों हेतु उपकर प्राप्तियों का उपयोग इष्टतम नहीं है। अपेक्षित उद्देश्यों हेतु प्राप्तियों के कम उपयोग तथा संग्रहित की जा रही दर पर उपकर की उगाही के मुद्दे को पिछले वर्ष भी उठाया गया था फिर भी प्रवृति वैसी ही बनी हुई है।

2.3.3 बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में निरंतर प्रतिकूल शेष

बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि को बीड़ी स्थापनाओं में लगे व्यक्तियों के कल्याण को प्रोत्साहित करने हेतु उपायों को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अंतर्गत लोक लेखे[3] में सृजित किया गया था। इस उद्देश्य हेतु, सरकार ने उत्पादित बीड़ियों पर उत्पाद शुल्क के रूप में एक उपकर को प्रारम्भ किया। उपकर के संग्रहण को प्रांरम्भ में भा.सं.नि. को क्रेडिट किया जाता है तथा बाद में विनियोग के माध्यम से लोक लेखे में बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि को अंतरित किया जाता है।

निधियों में से प्राप्तियों से काफी अधिक व्यय होने के कारण वर्षों से बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में प्रतिकूल शेष हुआ था। 2008-09 से 2014-15 की अवधि के दौरान बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में व्यय, प्राप्तियों तथा अंत शेष के संबंध में समग्र स्थिति, जैसा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के विनियोग लेखे के साथ चिन्हित निधि लेखे ने उजागर किया है, को **चार्ट 2.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1: बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में निरंतर प्रतिकूल शेष

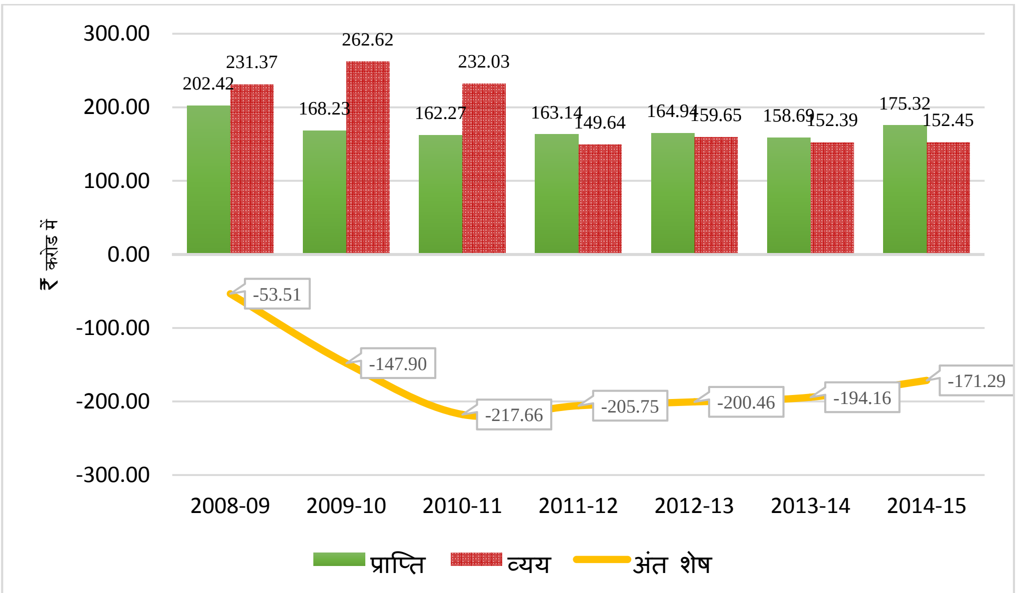

उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि 2008-09 से 2014-15 की अवधि के दौरान निधि में निरंतर प्रतिकूल शेष था, जो कि 2008-09 में ₹(-)53.51 करोड़ से 2014-15 में ₹(-)171.29 करोड़ तक लगातार बढ़ा है।

---

3 मु.शीर्ष 8229.200 - अन्य विकास तथा कल्याण निधि

इस मामले पर वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 को समाप्त वर्ष हेतु नियंत्रक महालेखापरीक्षक के संघ सरकार के लेखे पर प्रतिवेदन में टिप्पणी भी की गयी थी। तथापि, मंत्रालय द्वारा निधि में उपलब्ध प्राप्ति से अधिक व्यय करने के कारणों की पहचान करने के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे निधि में प्रतिकूल शेष रहा।

2.3.4 शिक्षा उपकर का लेखा-जोखा

(क) प्राथमिक शिक्षा उपकर

प्राथमिक शिक्षा हेतु एक गैर-व्यपगत निधि को प्रारम्भिक शिक्षा कोष[4] (प्रा.शि.को.) के रूप में जाना जाता है जिसे लोक लेखे में आरक्षित निधियों के गैर-कर वाले अनुभाग के अतंर्गत 2005-06 में सृजित किया गया था। यह निधि सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन योजना के अतंर्गत प्रारम्भिक शिक्षा हेतु व्यय आवश्यकता को पूरा करने के लिए है। 2004 के वित्त अधिनियम (सं.2) के माध्यम से सभी केन्द्रीय करों पर 2 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा उपकर की वसूली की गई थी। उपकर संग्रहण को प्रारम्भ में भा.स.नि. को क्रेडिट किया जाता है तथा बाद में ससंदीय प्राधिकरण प्राप्त करने के पश्चात इसे प्राथमिक शिक्षा पर व्यय को वित्तपोषित करने हेतु प्रा.शि.को. को अतंरित किया जाता है।

मुख्य लेखा नियंत्रक (मु.ले.नि.), मानव ससांधन विकास मंत्रालय राजस्व विभाग में मु.ले.नि. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के समन्वय से प्रा.शि.को. के लेखाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है।

2004-05 से 2014-15 की अवधि के संघ के वित्त लेखाओं की संवीक्षा ने प्रकट किया कि भा.स.नि. में प्राथमिक शिक्षा उपकर के ₹1,54,818 करोड़ के कुल सग्रंहण के प्रति प्रा.शि.को. को केवल ₹1,41,520 करोड़ का अतंरण किया गया था जिसका परिणाम ₹13,298 करोड़ के कम अतंरण में हुआ। 2004-15 की अवधि के दौरान, कुछ वर्षों में अतंरण एकत्रित उपकर से अधिक था जबकि कुछ वर्षों में यह एकत्रित उपकर से कम था जैसा **चार्ट 2.2** में दर्शाया

[4] मुख्य शीर्ष 8229.127 प्रारम्भिक शिक्षा कोष

गया है। इस प्रकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मु.ले.नि. तथा राजस्व विभाग में मु.ले.नि., केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड/केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के बीच कोई समाधान नहीं है।

चार्ट 2.2: प्राथमिक शिक्षा उपकर का सग्रंहण तथा प्रा.शि.को. को इसका अतंरण

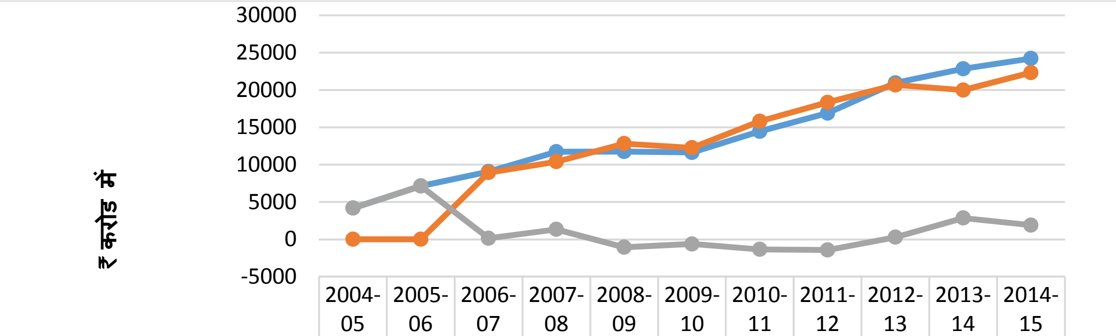

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
कुल उपकर संग्रहण	4177	7136	9069	11722	11741	11623	14451	16899	20946	22837	24219
प्रा.शि.को. को अंतरण	0	0	8935	10393	12817	12258	15805	18334	20667	19988	22323
कम/अधिक अंतरण	4177	7136	134	1329	-1076	-635	-1354	-1435	279	2849	1896

नकारात्मक आकड़े प्रा.शि.को. को अधिक अतंरण को दर्शाते हैं।

(ख) माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर

माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर (मा.उ.शि.उ.) को माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए वित्त अधिनियम 2007 में प्रारम्भ किया गया था।

2006-15 की अवधि के संघ के वित्त लेखाओं की संवीक्षा ने दर्शाया कि ₹64,228 करोड़ के मा.उ.शि.उ. का कुल सग्रंहण किया गया था। तथापि, प्राथमिक/प्रारंभिक शिक्षा उपकर के मामले में प्रा.शि.को. के सृजन के विपरीत न तो मा.उ.शि.उ. की प्राप्तियों को जमा करने हेतु एक निधि को नामित किया गया था और न ही कोई चयनित योजनाएं थीं जिन पर उपकर प्राप्तियों का व्यय किया जाना था। परिणामस्वरूप, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाना, जैसा कि वित्त अधिनियम में अभिकल्पित है, संघ के लेखाओं से पारदर्शीरूप से पता लगाने योग्य नहीं था। इस प्रकार, वित्त अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य न किए गए उद्देश्यों हेतु निधियों के विपथन की संभावना का पता नहीं लगाया जा सकता है।

2.3.5 नवीकरण आरक्षित निधि के अंतरण को गलत दर्शाया जाना

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अनुदान सं.25-आयुध कारखाने में, ₹400 करोड़ का व्यय शीर्ष '2079.00.797-नवीकरण एवं प्रतिस्थापन (न.प्र.) निधि में अंतरण' में दर्ज किया गया था।

इसके अतिरिक्त, नवीकरण एवं प्रतिस्थापन पर शीर्ष 2079.00.106-नवीकरण एवं प्रतिस्थापन के अंतर्गत ₹441.87 करोड़ का व्यय किया गया था जबकि इसकी पूर्ति लोक लेखा में नवीकरण एवं प्रतिस्थापन निधि से राशि पूर्ण होनी थी।

संघ वित्त लेखे की विवरणी सं. 13 के लेन-देन को सरकार के गैर-व्यापिक विभागों के शीर्ष 8226.102- मूल्यह्रास आरक्षित निधि में सही दर्शाया गया था। तथापि, संघ वित्त लेखे के विवरण सं.9 में 400 करोड़ को न.प्र. निधि में आंतरित करने की बजाय ₹(-)41.87 करोड़ की राशि को आरक्षित निधि में आंतरित कर गलत दर्शाया गया था।

इस मामले पर टिप्पणी नि.म.ले. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2011-12 की सं.1 का पैरा 2.3.9; 2013 की सं.1 का पैरा 2.2.4; 2014 की सं.1 का पैरा 2.2.4; 2015 की रिपोर्ट सं.1 का पैरा 2.2.5) में लगातार प्रकाशित हो रही थी परंतु ले.म.नि. द्वारा रक्षा मंत्रालय में र.ले.म.नि. के साथ समन्वय से कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए थे।

2.3.6 राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि

आयात किए गए कोयले तथा भारत में उत्पादन किए गए कोयले पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर की उगाही करके स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं परिवर्तनात्मक परियोजनाओं के निधीयन हेतु 2010-11 में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (रा.स्व.ऊ.नि.) की स्थापना की गई थी।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान स्वच्छ ऊर्जा उपकर[5] संग्रहण, कुल ₹15,174.38 करोड़ का संग्रहण किया गया था। इसके विपरीत, लोक लेखा में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि[6] को केवल ₹8,916.46 करोड़ का ही अंतरण हुआ था। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु चिन्हित निधि से ₹6,257.92 करोड़ के उपकर का कम अंतरण हुआ, जैसा **तालिका 2.3** में दिया गया है:

---

5 मु.शी. 0038.03.112- स्वच्छ ऊर्जा उपकर

6 मु.शी. 8235.129- राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि

तालिका 2.3: स्वस्छ ऊर्जा उपकर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहित स्वच्छ ऊर्जा उपकर (0038.03.112)	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में अंतरण (2810.797)	उपकर का कम अंतरण
2010-11	1066.46	--	1066.46
2011-12	2579.55	1066.46	1513.09
2012-13	3053.19	1500.00	1553.19
2013-14	3081.72	1650.00	1431.72
2014-15	5393.46	4700.00	693.46
योग	**15174.38**	**8916.46**	**6257.92**

2013, 2014 और 2015 के नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं.1 में मामले को इंगित किये जाने के बावजूद परंतु कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।

2.3.7 महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत शेषों का अनियमित प्रतिधारण

ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने तथा उनमें बचत आदत को बढ़ावा देने के लिए महिला एंव बाल विकास विभाग द्वारा योजना का नोडल अभिकरण होने से, अक्टूबर 1993 में महिला समृद्धि योजना (म.स.यो.) को शुरू किया गया था। योजना के अतंर्गत, 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाली ग्रामीण महिलाएं अपने स्वंय के क्षेत्र के ग्रामीण डाक घर में अपना बचत खाता खोल सकती है। जमा का शीर्ष 8013.60.101- ग्रामीण महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत लोक लेखे में हिसाब रखा जाता था।

योजना को इस शर्त के साथ जुलाई 2001 से बंद कर दिया गया था कि म.स.यो. खाते को या तो बचत बैंक खाते में परिवर्तित किया जाए या फिर आहरण की अनुमति प्रदान करके खाते को बंद किया जाए। तथापि, यह पाया गया था कि वर्ष के दौरान ₹0.12 करोड़ की राशि प्रदान करने के बाद 31 मार्च 2015 को शीर्ष 8013.60.101-ग्रामीण महिला समृद्धि योजना के अतंर्गत ₹2.98 करोड़ की राशि पड़ी थी।

अक्टूबर 2015 में जारी लेखापरीक्षा अभियुक्ति का नवम्बर 2015 तक उत्तर प्रतीक्षित है।

2.3.8 आयकर कल्याण निधि

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने तीन वर्षों की अवधि तक 2006-07 से 2008-09 में अतंरित ₹100 करोड़ के साथ आयकर कल्याण निधि (आ.क.नि.) का सृजन किया गया था। निधि को (i) आयकर विभाग के कर्मचारियों के कल्याण, मनोरंजन तथा अन्य बाह्य गतिविधियों के उन्नयन,

(ii) आकस्मिकताओं के दौरान कर्माचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, (iii) मृत कर्माचारियों/अधिकारियों के परिवार को अनुग्रह भुगतान प्रदान करने, (iv) के.स.स्वा.यो. आदि के अंतर्गत प्रतिपूर्ति पूर्णत: न प्रतिपूर्ति योग्य चिकित्सा अनुरक्षण को प्रदान करने के उदेश्य से किया गया था।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक निधि का सृजन इस निधि द्वारा आच्छदित की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों को विभाग के वार्षिक बजट में शामिल करने तथा सामान्य बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से वित्तपोषित करने के आधार पर सहमत नहीं थे। उन अधिकारियों/ उन अधिकारियों के परिवार के सदस्यों जिन्होंने/खोज/जब्ती परिचालनों के दौरान चोट/मृत्यु का सामना किया था तथा उच्च जोखिम बीमा कवर के प्रावधान को भारत सरकार की नामित योजना के अंतर्गत प्रदान किया जा सकता था या ऐसे उद्देश्यों के लिए मौजूदा निधियों के अंतर्गत मौजूदा प्रावधानों में शामिल किया जा सकता था। उद्धृत अन्य उद्देश्य को मंत्रालय के अनुदानों के लिए मांग में मानक विषय शीर्षों "पुरस्कार" "चिकित्सा उपचार" "कार्यालय व्यय" "सहायता अनुदान" के अंतर्गत कवर कर सकते है। लोक लेखे के ब्याज वहन करने वाले वर्गों के अंतर्गत निधि पर ब्याज वहन होता है जो संसदीय वित्तीय नियंत्रण पर लागू नहीं होता था। चूंकि निधि का उपयोग, संसद में प्रस्तुत किए गए अनुदानों की मांगों की तरह मानक विषय शीर्षों के माध्यम से सूचित नहीं किया जाएगा जिसके कारण गैर-पारदर्शिता होती है। सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) किसी एक वर्ग के लोगों या व्यक्तियों के लाभ हेतु लोक धन से व्यय अनुमत नहीं करती जब तक कि कथित व्यय मान्यता प्राप्त नीति के अनुसरण में हो।

इस मामले पर नि.म.ले.प. के वर्ष 2008-09, 2010-11, 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.1 में टिप्पणी की गई थी। विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2015) कि ₹100 करोड़ की संचित निधि से कोई व्यय नहीं किया गया था तथा प्रारम्भ से ही इस निधि में कोई ब्याज भी क्रेडिट नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त के.प्र.क.बो. ने बताया (अक्तूबर 2015) कि विभाग में, लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात, जून 2014 में मॉनीटरिंग कक्ष, व्यय विभाग को पिछले पैरा पर अंतिम ए.टी.एन. पहले ही प्रस्तुत कर दी थी।

फिर भी मंत्रालय का उत्तर यह स्वीकार नहीं करता है कि लेखापरीक्षा ने किसी भी स्तर पर आ.क.नि. को जारी रखने के विभाग के कार्य को सहमति दी थी। वास्तव में, ए.टी.एन. के उत्तर में भी लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियों ने स्पष्ट रूप से आ.क.नि. के समापन तथा कथित निधि में उपलब्ध शेष को भारत की समेकित निधि में डालने का समर्थन किया था।

2.3.9 सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क कल्याण निधि

सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) का नियम 21 व्यय एवं धन के भुगतान से संबंधित सामान्य मानक निर्धारित करता है। तदनुसार, सार्वजनिक धन से व्यय करने या प्राधिकृत करने वाले प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय मालिकाना के उच्च मानकों द्वारा निर्धारित होना चाहिए, अर्थात् **(i)** कोई भी प्राधिकरण व्यय को प्राधिकृत करने की अपनी शक्तियों का उपयोग ऐसे आदेश को पारित करने के लिए नहीं करेंगे जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका स्वयं का लाभ हो। **(ii)** सार्वजनिक धन से किसी विशिष्ट व्यक्ति या लोगो के समूह के लाभ के लिए व्यय नहीं किया जाना चाहिए, जब तक (क) राशि के लिए दावे को न्यायालय में लागू किया जा सकता है, या (ख) मान्यता प्राप्त सृजित नीति या सीमा-शुल्क के अनुरक्षण में व्यय हो।

स्टाफ कल्याण की योजनाओं को बढ़ावा तथा विशेष प्रवृत्ति के तस्करी विरोधी उपकरण के प्रापण के लिए सरकार[7] ने तीन निधियां सृजित की नामत: **(i)** सीमा-शुल्क कल्याण निधि, **(ii)** निष्पादन पुरस्कार निधि, तथा **(iii)** सीमा शुल्क विशेष उपकरण निधि स्टाफ कल्याण इन निधियों के वित्त पोषण का साधन सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क द्वारा जब्त माल की बिक्री प्राप्तियों तथा आपराधिक मामलों में वसूले गए जुर्मानों एवं दण्डों तथा अपील/संशोधन आदि में रहे मामलों के 10 प्रतिशत[8] के अंतरण द्वारा किया जाता था। तदुपरांत, 'सीमा शुल्क कल्याण निधि' तथा 'निष्पादन पुरस्कार निधि' का निधि विलयन कर दिया गया था, जिसे "सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क कल्याण निधि"[9] कहा जाता है। इस परिणामी निधि एवं 'सीमा शुल्क उपकरण निधि' में निधियों का आवंटन बराबर अनुपात में किया गया है। 2014-15 में जब्त कुर्क माल के विक्रय आय से ₹291.32 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी। ₹29.13 करोड़

---

7 वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग पत्र सं. 13011/3/85-Ad.V दिनांक 30 मार्च 1985

8 सीमा शुल्क कल्याण निधि को एक प्रतिशत, निष्पादन पुरस्कार निधि को चार प्रतिशत तथा तस्कर निरोधी उपकरण के अधिग्रहण के लिए सीमा शुल्क विशेष निधि को पांच प्रतिशत

9 दिनांक12 अक्तूबर 2006 का मंत्रालय आदेश सं. 712/1/2005-सी.यू.एस. (ए.एस.)

(कुल बिक्री आय का 10 प्रतिशत) में, प्रत्येक निधि को ₹8.75 करोड़ की राशि अंतरित की गई थी तथा ₹11.63 करोड़ की शेष राशि अनावंटित रही थी। 2014-15 के लिए दो योजनाओं के अंतर्गत निधियों की स्थिति **तालिका 2.4** में दी गई है।

तालिका 2.4: दोनों निधियों की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

कल्याण निधि की प्रगति की प्राप्ति, संवितरण एवं शेष को दर्शाती हुई विवरणी				
निधि का नाम	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**व्यय**	**अंतशेष**
सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद कल्याण निधि	97.84 (98.76)	8.75 (11.36)	6.43 (9.33)	100.16 (100.79)
विशेष उपकरण निधि	22.57 (23.52)	8.75 (8.75)	2.46 (2.67)	28.86 (29.60)

तालिका 2.4 में वर्जित आंकड़े 2014-15 के संघ सरकार के वित्त लेखाओं की स्थिति दर्शाते हैं। विभाग एवं वित्त लेखाओं के अभिलेखों के अनुसार दोनों ही निधियों के शेषों में अंतर हैं।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाई गई अनियमितताओं की चर्चा आगे के पैराग्राफों में की गई है:

(i) **अनुग्रहपूर्वक मुआवजे को अनियमित रूप से प्रदान करना;** डी.ओ.पी.टी. ने सितम्बर 2008 में कार्यालय ज्ञापन जारी किया कि उन केन्द्र सरकार नागरिक कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रहपूर्वक मुआवजा उपलब्ध है, जिनकी विभिन्न परिस्थितियों अर्थात् कर्तव्य निभाते हुए दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई, आतंवादियों द्वारा हिंसा के कारण मृत्यु हुई, असामाजिक तत्व, निर्दिष्ट ऊँचाई में दुश्मन की कार्रवाई के कारण मृत्यु, के अंतर्गत अपने वास्तविक कर्तव्यों को निभा रहे थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014-15 में, कल्याण निधि में से, विभाग ने प्राकृतिक मृत्यु के 110 मामलों में ₹202.50 लाख की राशि का अनुग्रहपूर्वक एकमुश्त मुआवजे का भुगतान किया था जोकि कथित डी.ओ.पी.टी. कार्यालय ज्ञापन के उल्लंघन में था।

(ii) **रियायती परिवहन सुविधा:** के.सि.से. (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के अनुसार, विशेष शर्त के तहत यात्रा भत्ता कर्मचारियों को भुगतान योग्य है परंतु यह उन कर्मचारियों के लिए अनुमति योग्य नहीं है जिन्हें सरकारी परिवहन की सुविधा या रियायती दरों पर परिवहन सुविधा प्रदान की गई है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आयुक्तालय, जवाहरलाल नेहरू सीमा शुल्क भवन (ज.ने.सी.शु.भ.) ने परिवहन सुविधा की कमी, गैर-संयोजकता तथा कर्मचारियों के यात्रा भत्ते की उनकी पात्रता के 25 प्रतिशत की कमी के साथ उनके द्वारा कठिनाईयों का सामना किए जाने के कारण विभिन्न स्थानों से ज.ने.सी.शु.भ. तक स्टाफ परिवहन के लिए बसें किराए पर ली थीं। यह प्रस्ताव मंत्रालय द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया था कि (फरवरी 2011) यात्रा भत्ते की आंशिक कटौती के लिए कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि, कल्याण निधि के शासी निकाय ने जून 2011 संशोधित प्रस्ताव के संस्वीकृत किया था कि कर्मचारियों का योगदान में उनके यात्रा भत्ते (मंहगाई भत्ता छोड़कर) का 50 प्रतिशत होगा। योजना को सितम्बर 2011 से प्रभावी कर दिया गया था। अक्तूबर 2013 में मंहगाई भत्ते समेत योगदान को आगे 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था।

यह पाया गया था कि जनवरी 2014 से जुलाई 2014 के बीच परिवहन सुविधा पर ₹54.42 लाख का व्यय किया गया था जिसमें से कर्मचारियों का योगदान ₹24.24 लाख था तथा परिवहन सुविधा पर आर्थिक सहायता के रूप में कल्याण निधि में से शेष ₹30.18 लाख का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, विभाग ने सी.सी.एस. (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के उल्लंघन में अपने कर्मचारियों को शेष यात्रा भत्ते की सीमा तक अनुचित लाभ दिया था।

(iii) **चिकित्सा वित्तीय सहायता का अनुचित लाभ:** विभाग ने 2014-15 में निजी अस्पतालों से उपचार हेतु प्रतिपूर्ति पर चिकित्सा सहायता के 232 मामलों में ₹158.03 लाख का व्यय किया था। सभी 232 मामलों में, कर्मचारियों को पहले के.स.स्वा.यो. के अंतर्गत अपनी सामान्य पात्रता के अनुसार प्रतिपूर्ति मिली तथा उसके बाद शेष भाग जो कि के.स.स्वा.यो. नियमावली के अंतर्गत अस्वीकार्य था, उसका योगदान कल्याण निधि में से किया गया था। इस प्रकार के.स.स्वा.यो. (एम.ए.)/के.स.स्वा.यो. नियमावली के अंतर्गत आवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति उनकी सामान्य पात्रता से अधिक की गई थी। इस प्रकार, चिकित्सा सहायता पर ₹158.03

लाख का भुगतान उन उद्देश्यों के उल्लंघन में थे जिनके लिए निधि का सृजन किया गया था।

उपरोक्त मामलों से, यह निष्कर्ष निकला जा सकता है कि कल्याण गतिविधियों के लिए विभाग ने कल्याण निधि से व्यय करते समय वित्तीय औचित्य के सिद्धांत का ध्यान नहीं रखा था।

2.3.10 लोक लेखे में केन्द्रीय सड़क निधि (के.स.नि.) को उपकर का कम अंतरण

केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2004 का पैरा 4 निर्धारित करता है कि धारा 3 के तहत् वसूले उपकर की प्राप्तियों को पहले भारत की समेकित निधि में क्रेडिट किया जाएगा तथा अगर संसद इस संबंध में विधि द्वारा किए विनियोग के माध्यम से प्रावधान करती है तो केन्द्र सरकार, संग्रहण के व्ययों की कटौती करने के पश्चात केवल इस अधिनियम के उद्देश्यों हेतु उपयोग किए जाने के लिए समय-समय पर ऐसी प्राप्तियों का के.स.नि. को क्रेडिट कर सकती है।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं. 8[10] तथा विवरणी सं. 13[11] की जांच ने प्रकट किया कि ₹1,01,142.27 करोड़ के कुल संग्रहण के प्रति लोक लेखे में के.स. नि (शीर्ष 8224.00.101) को ₹99,922.39 करोड़ का अंतरण किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹1,219.88 करोड़ का कम अंतरण किया जैसा **तालिका 2.5** में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 2.5: लोक लेखे में चिन्हित निधियों को उपकरों का कम अंतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मोटर स्पीरिट पर उत्पाद शुल्क	एच.एस.डी. तेल पर उत्पाद शुल्क	के.स.नि. को अंतरण	कम अंतरण
2010-11	3561.67	13639.39	16600.00	601.06
2011-12	3744.22	14617.83	18677.00	-314.95
2012-13	4098.00	15881.29	19433.73	545.56

10 विवरणी सं. 8: राजस्व प्राप्ति के विस्तृत लेखा एवं लघु शीर्षों द्वारा पूंजीगत प्राप्तियां

11 विवरणी सं. 13: ऋण, जमा, धन प्रेषणों तथा आकस्मिकता निधि के संबंध में लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों, संवितरणों तथा शेषों की विवरणी

2013-14	4712.00	15765.92	19433.72	1044.20
2014-15	5978.42	19143.53	25777.94	-655.99
योग	**22094.31**	**79047.96**	**99922.39**	**1219.88**

स्रोत: संघ सरकार के वित्त लेखे (शीर्ष: 0038.03.106 एवं 0038.03.107) नकारात्मक आंकड़े सी.आर.एफ. को आर्थिक अंतरण दर्शाता है।

चूंकि ये विशेष उद्देश्य उपकर हैं इसलिए पूर्ण उपकर संग्रहण को लोक लेखे में नामित निधि को अंतरित किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर टिप्पणी वर्ष 2013, 2014 एवं 2015 के नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1 में निरंतर रूप से होती आ रही है।

2.3.11 लोक लेखे में चिन्हित निधियों को उपकर का कम अंतरण

वित्त वर्ष 2014 के लिए संघ सरकार वित्त लेखे की विवरणी सं. 8 एवं 13 की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष के दौरान चलचित्रों और चाय पर एकत्रित उपकर को लोक लेखे में चिन्हित निधियों को पूर्ण रूप से अंतरित नहीं किया गया था। उपकर के कम अंतरण के विवरण **तालिका 2.6** में दिए गए हैं।

तालिका 2.6: चलचित्रों एवं चाय पर उपकर का कम अंतरण

(₹ हजार में)

क्र.सं.	उपकर की प्राप्ति		लोक लेखे में अंतरण		कम अंतरण
	उपकर/प्राप्ति शीर्ष का नाम	राशि	निधि का नाम	राशि	
1	**चलचित्रों पर उपकरण** (0038.04.130)	38382	**सिने कामगार कल्याण निधि** (8229.115)	17305	21077
2	**चाय पर उपकर** (0038.04.103)	573771	**चाय क्षेत्र के लिए विकास निधि** (8229.126)	शून्य	573771

चलचित्र पर उपकर के मामले में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि बजटीय प्रावधान के अनुसार उपकर की निधि को अंतरित किया गया था तथा उपकर के शेष भाग को अगले वित्त वर्ष में अंतरित किया जाएगा।

चाय पर उपकर के संदर्भ में, म.ले.नि. ने बताया (सितम्बर-2015) कि संबंधित मंत्रालयों को निर्देश दिया गया था तथा समय से लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

2.3.12 राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि का बंद न होना

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.) की स्थापना गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1995 दिनाँक 28 सितंबर 2010 के अनुसार की गई थी। इसके दिशानिर्देशों के पैरा 4.1 के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (रा.आ.आ.नि.) का राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.) के साथ विलयन किया जाना था। 2014-15 के संघ सरकार के वित्त लेखे की संवीक्षा में यह पाया गया था कि शीर्ष 8235.119-राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को विवरणी सं.-13 में ₹1,484.78 करोड़ के अंत शेष के साथ अभी भी दर्शाया जा रहा है।

आगे, ₹3,732.55 करोड़ की राशि को शीर्ष 0038.03.108- राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क के अंतर्गत प्राप्ति के रूप में दर्शाया गया है तथा इस राशि के प्रति ₹3,460.88 करोड़ का विवरणी सं.13 में शीर्ष 8235.125 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि को अंतरण किया गया था, जिसका परिणाम वर्ष 2014-15 के दौरान कथित निधि में ₹271.67 करोड़ के शुल्क का कम अंतरण में हुआ।

म.ले.नि. ने उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि कम अंतरण के लिए कारण मांगते हुए मंत्रालय को संदर्भ दे दिया गया था। इसके अतिरिक्त, इसने आगे बताया कि एन.सी.सी.एफ. तथा एन.डी.आर.एफ. का विलयन प्रक्रियाधीन था।

2.4 सत्यता एवं समाधान संबंधी मुद्दे

2.4.1 कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना के विशेष जमा के शेषों में असंगति

वित्तीय वर्ष 2014-15 के वित्त लेखे के विवरणी 14[12] लोक लेखे में कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना के विशेष जमा के अंतर्गत ₹1,768.82 करोड़ क्रेडिट शेष पड़ा था। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) द्वारा अनुरक्षित कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना, 1976 (क.ज.स.बी.यो.) के तुलन पत्र में 31 मार्च 2015 तक ₹7,511.39 करोड़ का अंत शेष लोक लेखे में दर्शाया गया था। इस प्रकार, दोनों आंकड़ों में ₹5,742.57 (₹7,511.39 - ₹1,768.82) करोड़ का अंतर था।

---

[12] मु.शी. 8012.124- कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना की विशेष जमा

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2013) कि ई.पी.एफ.ओ. तथा संघ सरकार वित्त लेखे के तुलन पत्र के अनुसार ई.डी.एल.आई. योजना की विशेष जमा के शेष में विसंगति है तथा इसे आर.बी.आई. के परामर्श के साथ पुनर्मिलान करना चाहिए।

लगभग दो वर्षों की चूक के बावजूद, मामले पर प्रगति नहीं पाई गई है। इस मामले को वर्ष 2013-14 के लिए नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.1 में भी इंगित किया गया था।

2.4.2 प्रतिभूति विमोचन निधि को राशि क्रेडिट न करना

संघ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2007-08 में भारतीय स्टेट बैंक (भा.स्टे.बै.) के राइट्स निर्गम में ₹9,996 करोड़ का निवेश किया था। नकद निर्गम की बजाय सरकार ने विशेष प्रतिभूतियाँ[13] जारी करते हुए लोक लेखे में देयता का सृजन कर दिया। इन प्रतिभूतियों का विमोचन एक भावी तिथि पर भारत की समेकित निधि[14] से लोक लेखे में निधियों के अन्तरण द्वारा 'प्रतिभूति विमोचन निधि' के सृजन के माध्यम से करना था।

वित्त लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2008-09 से 2014-15 के दौरान, प्रत्येक वर्ष में ₹625 करोड़ प्रतिभूति विमोचन निधि के अंश के कारण व्यय का लेखांकन हुआ था। ₹4,375 करोड़ की राशि को लोक लेखे में प्रतिभूति विमोचन निधि के रूप में इस एकमात्र उद्देश्य से क्रेडिट करना चाहिए था, कि भविष्य में कभी भा.स्टे.बैं. को विशेष प्रतिभूतियों के ₹9,996 करोड़ निर्मुक्त किए जा सकें।

आर्थिक कार्य विभाग के अभिलेखों से प्रकट हुआ कि कथित निधि वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.1 में मामले को इंगित किये जाने के बावजूद सितम्बर 2015 तक सृजित नहीं की गई थी परिणामस्वरूप ₹4,375 करोड़ एक उचंत शीर्ष में अभी तक पड़े थे।

2.4.3 पोत परिवहन विकास निधि समिति को ऋण का गलत दर्शाया जाना

पोत परिवहन विकास निधि समिति (पो.प.वि.नि.स.) को 1986 से समाप्त कर दिया गया था तथा इसकी परिसंपत्तियों एवं देयताएं पे.प.वि.नि.स. (उन्मूलन)

[13] मु.शी. 8012.120 राष्ट्रीय बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां

[14] मु.शी. 3465.01.190.04-प्रतिभूति विमोचन निधि

अधिनियम, 1986 की धारा 4 के अनुसार केन्द्र सरकार को हस्तांतरित हो गयीं। वर्ष 2010-11 से 2014-15 के संघ के वित्त लेखे की विवरणी सं.15 की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ₹(-)231.71 करोड़ (डेबिट) का कुल ऋण, जैसाकि **तालिका 2.7** में ब्यौरा दिया गया है, अभी तक पो.प.वि.नि.स. के प्रति बकाये के रूप में दिखाया जा रहा था, जबकि पो.प.वि.नि.सा. की सभी परिसम्पत्तियॉ एवं देयताएं केन्द्र सरकार को पहले ही हस्तांतरित हो गयी थी।

तालिका 2.7: पो.प.वि.नि.स. को ऋणों का गलत चित्रण

शीर्ष का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
7052-01-101-पोत परिवहन विकास निधि समिति को ऋण	53.83 डे.
7052-60-101-पोत परिवहन विकास निधि समिति को ऋण	8.59 डे.
7052-02-101-पोत परिवहन विकास निधि समिति को ऋण	(-)294.13 डे.
कुल	**(-)231.71 डे.**

लेखा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग (आ.का.वि.), वित्त मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2015) कि भारत सरकार ने पहले के एस.सी.आई.सी.आई. लि. को नियुक्त किया था, जिसका बाद में पो.प.वि.नि.स. पोर्टफोलियो को प्रबंधित करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने, जिसे शिपिंग/फिसिंग कम्पनियों से कर्जों की शीघ्र वसूली हेतु उपयुक्त समझा जाए, हेतु अपने नामित व्यक्ति के रूप में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के साथ विलयन कर दिया गया था। उसने आगे बताया कि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ने कर्जों का ब्यौरा दिए बिना मूलधन तथा उस पर ब्याज के रूप में धन को सरकारी खातों में वापस रख दिया। आई.सी.आई.सी.आई. बैंक से प्राप्त राशि को सरकारी कर्ज शीर्ष में जमा कर दिया गया था जिसका परिणाम अन्य शीर्षों में प्रतिकूल शेष में हुआ। इस मामले को समाधान हेतु आई.सी.आई.सी.आई. बैंक तथा वित्तीय सेवाएं विभाग के साथ पहले ही उठाया गया था।

वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.1 में इसे इंगित किए जाने के बावजूद यह मुद्दा अनिर्णित रहा है।

2.4.4 निष्क्रिय आरक्षित निधियां/जमा/अन्य निधि

आरक्षित निधियां तथा जमा, लोक लेखे का एक हिस्सा होते हैं जिसमें उस संबंध में लेन-देनों को दर्ज किया जाता है जिसमें सरकार प्राप्त धन को वापस

करने की देयता तथा उसमें से पुनर्भुगतान करती है। निष्क्रिय निधियां/जमा ऐसी निधियां अथवा जमाओं को संघटित करते हैं जो लम्बी समय अवधि से संचालन में नहीं हैं। चूंकि आरक्षित निधि के गठन में आमतौर पर लोक लेखे में भारत की समेकित निधि से अंतरण शामिल होता है इसलिए लोक लेखे में निष्क्रिय निधियों को समाप्त किया जाना चाहिए तथा उसमें अंत शेष को भारत की समेकित निधि को वापस अंतरित किया जाना चाहिए।

वित्त लेखाओं की संवीक्षा ने आरक्षित निधियों/जमाओं/अन्य निधियों के 48 मामले प्रकट किए जिनमें 2014-15 के अंत तक समग्र शेष 1,674.75 करोड़ था, जो दो से 26 वर्षों के बीच की अवधि तक निष्क्रिय पड़े थे। इन मामलों को **अनुबंध 2.3** में दर्शाया गया है।

अधिकांश मामले छोटी राशियों वाले थे तथा इसलिए उन्हें जारी रखना किसी उद्देश्य को पूरा नहीं करता है। इन मामलों की समीक्षा की जानी चाहिए तथा इस प्रकार के शेषों को भारत की समेकित निधि में जमा कर मामलों को बन्द किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

म.ले.नि. ने बताया (सितम्बर 2015) कि वह प्रत्येक वर्ष निष्क्रिय निधियों की समीक्षा करने तथा यदि संभव हो पाए तो भा.स.नि. को शेष को क्रेडिट करके कथित निधियों के समापन पर विचार करने के लिए महालेखाकार को छोडकर संबंधित लेखांकन प्राधिकारियों को लिख रहे थे।

नि.म.ले.प. के 2013, 2014 और 2015 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.1 में इस विषय में टिप्पणी की गयी थी, परंतु कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं की गई थी।

2.4.5 बाहय ऋण के लेखांकन को कम बताना

ऋणदाता देशों अथवा विदेशी संस्थानों से भारत सरकार द्वारा प्राप्त बाहय ऋणों को विनिमय की ऐतिहासिक दर, जो कि लेन-देन/प्राप्ति की तिथि पर प्रचलित दर है, पर सरकारी लेखे में दर्ज किया जाता है। विनिमय दर में अनुवर्ती परिवर्तनों के कारण पुनर्भुगतान, लेखे के आधार पर परिकलित देय राशि से काफी अधिक है। इस अधिक भुगतान को प्रत्येक वर्ष नकारात्मक अंत शेष के रूप में लेखे में दर्शाया गया है। शेष ऋण, जिसे अभी तक पूरी तरह वापस नहीं किया गया है, सकारात्मक शेषों के साथ लेखे में दर्शाया

गया। बाद में, जब बाह्य ऋण जोड़े जाते हैं नकारात्मक तथा सकारात्मक शेषों को निवल करने के कारण यह वास्तविक राशि से कम बताया जाता है।

इसी प्रकार, किसी विशेष देश से प्राप्त ऋण के शेष भी ऋण के सही आंकड़े नहीं दर्शाते क्योंकि एक विशेष देश कई परियोजनाओं हेतु ऋण देता है जिन्हें अलग से लेखांकित किया जाता है। इनमें से, कुछ परियोजनाओं पर ऋणों को पहले ही अदा किया जा चुका है परंतु विनिमय परिवर्तनों के कारण भुगतान अभी भी किए जा रहे हैं जिन्हें नकारात्मक शेष के रूप में दर्ज किया गया है। यह नकारात्मक शेष, जोड़े जाने पर, उस विशेष देश से बकाया ऋण के शेषों को कम दर्शाता है।

2014-15 के अंत में ऐतिहासिक दर पर ₹1,97,513.77 करोड़ था। यद्यपि वित्त लेखे के नीचे दिये गये नोट के अनुसार, मार्च 2015 के अंत में वर्तमान दर पर बकाया बाह्य ऋण ₹3,66,384.10 करोड़ दर्शाया था। कुछ बाह्य ऋणों को बाह्य देयता हेतु शामिल न करने के कारण इन्हें वर्तमान दरों में परिवर्तित करना सही स्थिति को नही दर्शाता है, जिसकी चर्चा निम्नलिखित पैरा में की गई है।

आर्थिक मामला विभाग (आ.मा.वि.), सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक (स.ले.प.नि.) ने बताया (जुलाई 2015) कि ऐतीहासिक प्राप्ति/भुगतान लेखांकन मानकों के अनुसार हैं। इसने आगे बताया कि दानकर्ता को पुर्न भुगतान की गई राशि प्रत्येक ऋण के लिए ऋण मुद्रा में प्राप्त राशि के बराबर है। जैसे ऋण पुनर्भुगतान 15-40 वर्षों के पश्चात भी निरंतर होता है, जब 5-10 वर्षों के भीतर ऋण में संवितरण पूर्ण हो चुका हो, वह अंतर/अंतराल विनिमय दर भिन्नता के कारण बराबर के आई.आई.एन.आर. (तिथि पर गणना) में पाप्तियों से अतिरिक्त मूल्य के पुर्नभुगातानों में होता है। इसके अतिरिक्त, सिविल लेखा नियमावली के पैरा 16.6.2 के अनुसार वर्ष-अंत विनिमय दर के साथ दानकर्त्ता-वार विदेशी ऋण वित्त लेखे में दर्शाते हैं। यह स्पष्ट रूप से वर्ष-अंत में ऋण मुद्रा शर्तों तथा आई.एन.आर. शर्तों में वास्तविक बाह्य ऋण प्रकट करता है। यद्यपि, उत्तर ठीक नहीं है क्योंकि यह बाह्य देयता की सही स्थिति का प्रदर्शित नहीं करता।

2.4.6 बाह्य ऋण का वर्तमान दर पर असंगत दर्शाया जाना

₹6.15 करोड़ (6002.296-अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन) तथा ₹ 0.01 करोड़ (6002.298-रक्षा प्रमाणपत्र) के दो विदेशी कर्ज 31 मार्च 2015 को बकाया दिखाए गए थे। तथापि, वर्तमान दरों पर परिवर्तित विदेशी ऋणों को दर्शाने वाली विवरणी इन ऋणों का वर्णन नहीं करती है।

इसके अतिरिक्त, इटली से वर्तमान दर पर कुल ₹1.90 करोड़ के विदेशी ऋण का शीर्ष 6002-बाह्य ऋण के अंतर्गत विनिमय की ऐतिहासिक दर पर उल्लेख नहीं किया गया है। यद्यपि इसको विवरणी में विदेशी कर्जे वर्तमान विनियम दर पर सम्मिलित किया गया था।

सी.ए.ए.ए ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2015) कि अंर्तराष्ट्रीय चीनी संगठन से संबंधित बकाया दावा नहीं की गई राशि 29 वर्षों से अधिक समय से खातों में पड़ी हुई थी। इटली से लिया कर्ज अभी तक बकाया था तथा जून 2027 से इसका पुनर्भुगतान शुरू होगा। लेखे में हुए गलत वर्गीकरण में सुधार करने के लिए, वित्त लेखे में सुधार करने के लिए म.ले.नि. को कहा गया है।

विदेशी कर्ज के संबंध में-रक्षा प्रमाणपत्र, म.ले.नि. ने उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि शेष पूर्व विभागीयकरण अवधि से संबंधित था।

2.4.7 अन्य विसंगतियां

(क) संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं.11 में सूचना का अधूरा दर्शाया जाना

वित्त लेखे की विवरणी सं.11 सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टाक कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा समितियों आदि में संघ सरकार के निवेश का ब्यौरे प्रदान करती है। वि.व. 2013-14 हेतु इस विवरणी की संवीक्षा ने प्रकट किया कि कुछ के.लो.क्षे.उ. में सरकारी निवेशों, जैसा संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं. 11 में प्रकट किया गया है तथा जो संबंधित के.लो.क्षे.उ. के तुलन पत्र में उपलब्ध है में भिन्नता है। कुछ के.लो.क्षे.उ. के वि.व. 2014-15 हेतु तुलन पत्रों की अनुपलब्धता के कारण 2013-14 में पाई गई विसंगतियों को इस अभ्युक्ति में शामिल किया गया है। निवेश आंकड़ों में अंतर के अतिरिक्त विवरणी सं. 11 कई पहलुओं अर्थात्

प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश प्रतिशतता से संबंधित सूचना का गैर-अद्यतन; टिप्पणियां कालम; इस विवरणी में दर्शाए लाभांश तथा सरकार की प्राप्ति दर्शाने वाली विवरणी सं. 8 के बीच मिलान न होना, आदि में अपूर्ण है। विवरणी सं. 11 में पाई गई विसंगतियों का **तालिका 2.8** में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 2.8: लो.क्षे.उ. में सरकारी निवेश के प्रकटीकरण में विसंगतियां

क्र.सं.	लो.क्षे.उ. का नाम	सरकारी अंश का प्रत्यक्ष मूल्य (₹ करोड़ में)		टिप्पणियां
		2013-14 के वित्त लेखे की विवरणी सं.11 के अनुसार	के.लो.क्षे.उ. के वार्षिक लेखे के अनुसार	
1.	भारत रोग प्रतिरक्षण तथा जैविक निगम लिमिटेड	15.41	25.59	2013-14 की समाप्ति तक ₹10.18 करोड़ तक सरकारी निवेश के कम बताए जाने के अतिरिक्त विवरणी सं.11 में दर्शाई संचित हानि केवल वर्ष 2005 तक है। 31 मार्च 2014 को के.लो.क्षे.उ. के लेखाओं के अनुसार संचित हानि ₹341.13 लाख थी जिसे विवरणी सं.11 में दर्शाए/शामिल किए जाने की आवश्यकता है।
2.	हिन्दुस्तान जैव रसायन लिमिटेड	309.50	309.48	विवरणी सं.11 में 2013-14 की समाप्ति तक ₹0.02 करोड़ तक सरकारी निवेश का अधिकथन।
3.	उर्वरक तथा रसायन ट्रावकोर लिमिटेड	637.77	582.36	विवरणी सं.11 में 2013-14 की समाप्ति तक ₹55.41 करोड़ तक सरकारी निवेश की अभ्युक्ति
4.	आई.टी.आई. लिमिटेड	270.09	258.89	विवरणी सं.11 में 2013-14 की समाप्ति तक ₹11.20 करोड़ तक सरकारी निवेश का अधिकथन।
5.	एन्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड	85.90	58.70	विवरणी सं.11 में 2013-14 की समाप्ति तक ₹27.20 करोड़ तक सरकारी निवेश का अधिकथन।
6.	एच.एम.टी. लिमिटेड	1855.58	1344.32	विवरणी सं.11 में 2013-14 की समाप्ति तक ₹511.26 करोड़ तक सरकारी निवेश का अधिकथन।
7.	स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड	168.61	80.03	विवरणी सं. 11 में 2013-14 की समाप्ति तक ₹88.58 करोड़ तक सरकारी निवेश का अधिकथन।

8.	भारतीय पॉवर ग्रिड निगम लिमिटेड	2925.01	3028.84	विवरणी सं. 11 में 2013-14 की समाप्ति तक ₹103.88 करोड़ तक सरकारी निवेश का कम बताया जाना।
9.	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड	38.50	120.49	विवरणी सं. 11 में 2013-14 की समाप्ति तक ₹81.99 करोड़ तक सरकारी निवेश का कम बताया जाना।
10.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	3532.10	3304.29	2013-14 में विवरणी सं.11 में ₹227.81 करोड़ तक सरकारी निवेश का अधिकथन था, तथापि, 2014-15 में विवरणी सं. 11 में सरकारी निवेश 2014-15 के दौरान ₹206.53 करोड़ के विनिवेश तथा ₹227.81 करोड़ की अशुद्धताओं के सुधार के परिणामस्वरूप ₹3,097.77 करोड़ तक कम हुआ।
11.	भारतीय पोत परिवहन निगम लिमिटेड	301.44	296.94	2013-14 में विवरणी सं. 11 में ₹4.50 करोड़ तक सरकारी निवेश का अधिकथन था। जिसे इस टिप्पणी 'नगद के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति हेतु प्राप्त जयंती शिपिंग कम्पनी के इक्विटी शेयरों की लागत होने से ₹4.50 करोड़ शामिल है' द्वारा योग्य ठहराया गया था।2014-15 में निवेश विवरणी संख्या 11 में टिप्पणी को हटाए जाने से ₹296.94 करोड़ तक कम हुआ।
12.	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	129.39	74.64	2013-14 में, निवेश आकड़ों में 182,50,000 शेयरों पर ₹30 प्रति शेयर की दर पर प्रीमियम को शामिल करने, जो तुलन पत्र में शेयर पूंजी का भाग नहीं बनता है, के कारण विवरणी सं. 11 में ₹54.75 करोड़ तक सरकारी निवेश का अधिकथन था। 2014-15 में, विवरणी सं. 11 में वही स्थिति जारी है।
13.	भारत नवीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड (भा.न.ऊ.वि.अ.)	844.60	744.60	भा.न.ऊ.वि.अ. की 2013-14 हेतु वित्तीय विवरणी सरकारी इक्विटी निवेश को ₹744.60 करोड़ तथा अनुदानों को ₹100 करोड़ के रूप में दर्शाती है। 2013-14 की विवरणी सं. 11 में ₹100 करोड़ तक सरकारी निवेश का अधिकथन था। 2014-15 में ₹240 करोड़ के अतिरिक्त निवेश के परिणामस्वरूप विवरणी सं.11 के अनुसार सरकारी निवेश ₹1,084.60 करोड़ पर रहा।
14.	उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति कम्पनी लिमिटेड	760.19	3362.92	विवरणी सं. 11 में यह के.लो.क्षे.उ. ₹2,386.44 करोड़ तथा ₹760.19 करोड़ (2013-14 में कुल ₹3,146.63 करोड़) पर सरकारी निवेश के साथ दो स्थानों पर सामने आया। इस प्रकार, 2013-14 में ₹216.29 करोड़ तक सरकारी निवेश को कम बताया गया था। 2014-15 में सरकारी निवेश विवरणी सं. 11 के क्रम सं. 85 में प्रविष्टि में ₹41.03 करोड़ के अतिरिक्त निवेश के परिणामस्वरूप ₹3,187.66 करोड़ पर रहा।

15.	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प तथा हस्तकरघा विकास निगम लिमिटेड	6.00	2.00	विवरणी सं. 11 में 2013-14 के दौरान ₹4 करोड़ तक सरकारी निवेश का अधिकथन था। 2014-15 में ₹2.50 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया गया है तथा विवरणी सं. 11 में कुल निवेश को ₹8.50 करोड़ के रूप में दर्शाया गया है।
16.	भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड	89.87	31.49	विवरणी सं. 11 में 2013-14 की समाप्ति तक ₹58.38 करोड़ तक सरकारी निवेश का अधिकथन था। 2014-15 में भी सरकारी निवेश ₹89.87 करोड़ के स्तर पर रहा।

क्र.सं.	लो.क्षे.उ. का नाम	विसंगतियां	उत्तर/टिप्पणी
17.	हेमीस्फियर प्रोपर्टिज इण्डिया लिमिटेड	2014-15 के दौरान दूरसंचार विभाग में शीर्ष 4859.01.190 के अंतर्गत ₹192 करोड़ का निवेश किया गया था। जबकि 2014-15 हेतु संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं. 11 में 'हेमीस्फियर प्रोपर्टिज इण्डिया लिमिटेड' में ₹0.03 करोड़ का एकमात्र निवेश है।	म.ले.नि. ने बताया (सितम्बर 2015) कि दूरसंचार विभाग को उल्लेख कर दिया गया है तथा लेखापरीक्षा को उचित समय में तदुनुसार सूचित किया जाएगा।

लाभांश को दर्शाने में अंतर (2014-15)

क्र.सं.	अस्तित्व	शीर्ष	विवरणी सं-8	विवरणी सं-11	उत्तर/टिप्पणी
			(₹ करोड़ में)		
1.	राष्ट्रीयकृत बैंक	0050.108	2455.99	2923.13	म.ले.नि. ने बताया (सितम्बर-2015) कि वित्त मंत्रालय को उल्लेख कर दिया गया है तथा लेखापरीक्षा को उचित समय में सूचित किया जाएगा।
2.	पूर्ण सांविधिक कम्पनियों तथा संयुक्त स्टाक कम्पनियों से लाभांश	0050.101	32,996.05	35974.30	

(ख) संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं.-15 में विसंगतियां/ भिन्नताएं

संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं. 15 की धारा 3 'अन्य ऋणी इकाइयों अथवा संस्थानों से बकायों में पुनर्भुगतान' को दर्शाती है। इस प्रकटीकरण की संवीक्षा ने प्रकट किया कि कुछ मामलों में प्रदान किए गए कर्जों की मूल राशि बकाया है जबकि उन कर्जों के प्रति बकाया ब्याज को दर्शाया नहीं गया है। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में यद्यपि कर्ज तथा

अग्रिम में प्रतिकूल शेष है फिर भी अभी ब्याजों को इनके प्रति प्राप्त किया गया के रूप में दर्शाया गया है। ऐसे मामलों के ब्यौरे **तालिका 2.9** में दिए गए हैं:

तालिका 2.9: विवरणी सं. 15 में विसंगतियां/भिन्नताएं

कर्जों के एरियरों के संबंध में न दर्शाया गया ब्याज			
क्र.सं.	**अस्तित्व का नाम**	**31 मार्च 2015 को बकाया कुल ऋण (₹ लाख में)**	**टिप्पणियां**
1.	श्री सीताराम शुगर कम्पनी; बैथालपुर, उत्तर प्रदेश	347.53	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं लोक संवितरण मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2004) कि मामलों से संबंधित फाईलें लगभग 25 वर्ष पुरानी थी तथा वह शीघ्र पता लगाने योग्य नहीं थीं।
2.	दयौरिया शुगर मिल्स, दयौरिया उत्तर प्रदेश	362.87	
3.	राजा बुलन शुगर लि. रामपुर, उत्तर प्रदेश	105.85	

कर्ज तथा अग्रिम की प्रतिकूल राशि के प्रति क्रेडिट किया गया ब्याज					
क्र.सं.	**शीर्ष**	**01.04.2014 को शेष**	**31.03.2015 को शेष**	**क्रेडिट किया गया ब्याज**	**टिप्पणी**
1.	6404.00.800-अन्य कर्जे	-46423.31	-46423.31	16.57	म.ले.नि. ने बताया (सितम्बर 2015) कि संबंधित मंत्रालयों को उल्लेख कर दिया गया है तथा लेखापरीक्षा को उचित समय में सूचित किया जाएगा
2.	6416.00190-लो.क्षे.उ. को कर्जे	-2127.75	52081.59*	242.34	
3.	6801.00.205-प्रेषण तथा संवितरण	-13124.91	-13611.03	59.79	
* ₹56,207-लाख के ब्याज मुक्त कर्ज का वर्ष के दौरान संवितरण किया गया था					

धारा-3/अतिरिक्त प्रकटीकरण में अधूरा दर्शाना		
क्र.सं.	**विसंगतियां**	**म.ले.नि./मंत्रालय का उत्तर**
1.	स्वाथ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1994-95 में राजीव गांधी कैंसर संस्थान तथा अनुसंधान केन्द्र को ₹29.29 करोड़ का कर्ज प्रदान किया गया था परंतु कर्जों के नियमों एवं शर्तों को 20 वर्षों के अंतर के पश्चात भी अंतिम रूप नहीं दिया गया था। इस मामले को सबसे पहले 2000 की प्रतिवेदन सं. 1 में उजागर किया गया था। कर्ज प्रदान करने के 20 वर्षों के अंतर के पश्चात भी, कर्जों के नियमों एवं शर्तों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। यह	म.ले.नि. ने उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि मामले को नियमों एवं शर्तों को अंतिम रूप देने हेतु कई बार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ उठाया गया था।

	प्रशासनिक मंत्रालय की प्रदान किए गए कर्जों की वसूली तथा अन्य पहलुओं के संबंध में गैर-गम्भीर दृष्टिकोण को दर्शाता है।	

2.5 लेखाओं की परिशुद्धता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक

संघ सरकार के वित्त लेखे 2014-15 की परिशुद्धता कारकों जैसे (i) उचंत शीर्षों के अंतर्गत लेन-देनों की बड़ी संख्या का होना, जिनका अंतिम वर्गीकरण तथा उचंत शीर्ष से इनका सम्भावित निपटान शेष है; (ii) ऋण, जमा एवं प्रेषित धन (ऋ.ज.प्रे.) लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेषों की बढ़ती संख्या तथा मात्रा से प्रतिकूल रूप से प्रभावित है।

पिछले तीन वर्षों के ऋण, जमा, प्रेषित धन तथा उचंत शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों की आम समीक्षा की गई थी तथा निष्कर्षों की अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.5.1 मुख्य उचंत लेखे के अन्तर्गत बकाया शेष

"उचंत शीर्ष" नामित लेखे के कुछ मध्यवर्ती/समायोजक शीर्ष उन प्राप्तियों एवं भुगतान के लेन-देन को प्रदर्शित करने के लिए सरकारी लेखाओं में खोले गए हैं जिन्हें उनकी प्रकृति की सूचना के अभाव या अन्य कारणों के कारण लेखे के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता है। लेखे के इन शीर्षों को ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा अंतिम रूप से तब समाशोधित किया जाता है जब उनके अंतर्गत राशि को संबंधित लेखाशीर्षों को दर्ज किया जाता है यदि ये राशियॉ समाशोधित नहीं होती हैं तो उचन्त शीर्ष के अंतर्गत शेष संचित होगा तथा सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय को यह सही रूप में प्रदर्शित नहीं करेगा।

उचंत शेषों हेतु बहीखाता को भुगतान एवं लेखा कार्यालयों (भु.ले.का.) द्वारा उप/विस्तृत शीर्षवार जैसा भी आवश्यक हो, तथा प्र.भु.ले.का. द्वारा भु.ले.का. द्वारा आवधिक रूप में प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर लघु शीर्ष वार अनुरक्षित किया जाना है। संबंधित प्र.लेखा कार्यालय के मुख्य लेखा नियंत्रक को उचंत शेषों की समीक्षा करना तथा मॉनीटरिंग के उद्देश्य हेतु महालेखा नियंत्रक (म.ले.नि.) को सूचित किया जाना अपेक्षित है।

31 मार्च 2015 को सिविल, रेलवे रक्षा, रेलवे, डाक तथा दूरसंचार को सहित संघ वित्त लेखे में उचंत शीर्षों के अन्तर्गत कुल निवल शेष ₹24,571.66 करोड़ (डेबिट) था। इस शेष में सिविल के संबंध में ₹1,888.78 करोड़ (क्रेडिट), रक्षा ₹20,966.74 करोड़ (डेबिट), रेलवे ₹1,761.08 करोड़ (डेबिट), डाक ₹2,450.20 करोड़ (डेबिट), दूरसंचार ₹148.74 करोड़ (डेबिट) तथा भारत सरकार क्षतिपूर्ति विमोचन (ईराक को निर्यात योजना) बंधपत्र, 2001 के संबंध में ₹1,133.68 करोड़ (डेबिट) शामिल है। वित्त लेखे उचंत शीर्ष के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं तथा इसलिए, इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया की वास्तविक महत्ता, संसद को प्रस्तुत किये गए सरकार के वार्षिक लेखे में सूचित नहीं हो पाती है। चूंकि उचंत शीर्षों के अंतर्गत दोनों डेबिटों तथा क्रेडिट का विभिन्न उद्देश्यों हेतु संचालन किया जाता है इसलिए डेबिटों तथा क्रेडिटों के अंतर्गत अलग से बकाया शेष उचंत शीर्षों से निपटान की आवश्यकता वाले बकाया शेषों की वास्तविक महत्ता को प्रस्तुत करते है। डेबिट/क्रेडिट शेष को निवल करने से वित्त लेखे में उचंत शेषों की अत्यधिक न्यूनोक्ति होती है। यह न्यूनोक्ति लघु शीर्ष के साथ-साथ मुख्य शीर्ष स्तर दोनों में होती है। पिछले तीन वर्षों के लिए सिविल मंत्रालय (मुख्य शीर्ष 8658) के संबंध में मुख्य उचंत शीर्षों के अन्तर्गत उचंत शीर्षों की स्थिति **तालिका 2.10** में दी गई है:

तालिका 2.10: सिविल मंत्रालयों के संबंध में मुख्य उचंत शीर्षों के अंतर्गत उचंत शेषों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

शीर्ष का नाम	2012-13		2013-14		2014-15	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101-वे.ले.का. उचंत	3348.71	331.95	2737.37	156.44	2532.65	532.93
कुल	**डे. 3016.76**		**डे. 2580.93**		**डे. 1999.72**	
102-उचंत लेखे (सिविल)	1200.82	4039.04	1194.54	4670.36	1130.15	5292.32
कुल	**क्रे. 2838.22**		**क्रे. 3475.82**		**क्रे. 4162.17**	
107-रोकड़ निपटान उचंत लेखे	404.99	36.34	497.97	36.34	497.80	36.34
कुल	**डे. 368.65**		**डे. 461.63**		**डे. 461.46**	
108-सा.क्षे.बैं. उचंत	4352.63	1104.38	5969.95	2988.75	3688.87	3222.01
कुल	**डे. 3248.25**		**डे. 2981.20**		**डे. 466.86**	
109-रिजर्व बैंक उचंत (मु.)	11.37	188.73	11.37	185.41	11.59	185.07
कुल	**क्रे. 177.36**		**क्रे. 174.04**		**क्रे. 173.48**	
110-रिजर्व बैंक उचंत केन्द्रीय लेखा कार्यालय	59.07	114.38	58.39	502.62	51.17	1158.25

कुल	**क्रे. 55.31**		**क्रे.444.23**		**क्रे. 1107.08**	
115- विदेश में क्रय इत्यादि हेतु उचंत लेखा	504.63	52.00	1941.34	52.00	978.30	0.0001
कुल	**डे. 452.63**		**डे. 1889.34**		**डे. 978.30**	
129-सामग्री क्रय निपटान उचंत लेखे	213.35	87.01	212.08	78.32	210.27	66.86
कुल	**डे. 126.34**		**डे. 133.76**		**डे. 143.41**	
136-प्राप्ति शीर्ष में अन्तरण हेतु प्रतीक्षित सीमा शुल्क प्राप्तियां	-	222.56	--	223.26	--	20.75
कुल	**क्रे.222.56**		**क्रे. 223.26**		**क्रे. 20.75**	
138-अन्य नामांकित बैंक (निजी क्षेत्र बैंक) उचंत	1.38	481.94	51.98	593.43	5.60	550.22
कुल	**क्रे. 480.56**		**क्रे. 541.45**		**क्रे. 544.62**	

यह देखा जा सकता है कि वे.ले.का. उचंत, उचंत लेखे (सिविल), सा.क्षे.बैं. उचंत तथा रिजर्व बैंक उचंत केन्द्रीय लेखा कार्यालय शीर्षों के अंतर्गत क्रेडिट शेष पिछले वर्ष से 2014-15 में बढ़े हैं। ले.म.नि. द्वारा उचन्त लघु शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेषों का वर्ष-वार ब्यौरा अनुरक्षित नहीं किया था जो ऐसे शेषों के समाशोधन की प्रभावी मॉनीटरिंग में बाधा डालता है। ।

(क) वे.ले.का. उचंत

यह लघु शीर्ष संघ सरकार के अन्तर्गत वे.ले.का., संघ शासित क्षेत्रों के वे.ले.का. तथा महालेखाकार के खातों में प्रकट हो रहे अन्त: विभागीय तथा अन्त: सरकारी लेन-देनों के समायोजन हेतु प्रचालित किया जाता है। इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन एक लेखा अधिकारी द्वारा अन्य लेखा अधिकार, जिसके प्रति लघु शीर्ष 'वे.ले.का उचंत' परिचालित किया गया हो, की ओर से की गई वसूलियों का अथवा भुगतानों को दर्शाते हैं। शीर्ष के अन्तर्गत क्रेडिट का समाशोधन 'ऋणात्मक क्रेडिट' द्वारा किया जाता है, जब लेखा अधिकारी, जिसकी बही में आरम्भिक वसूली दर्ज की जाती है, के द्वारा चैक जारी किया जाता है। 'वे.ले.का. उचंत' के अंतर्गत डेबिट का समाशोधन लेखा अधिकारी, जिसके ओर से भुगतान किया गया था, से चैक की प्राप्ति तथा वसूली होने पर 'ऋणात्मक डेबिट' द्वारा किया जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष का अर्थ होगा कि किसी वे.ले.का. द्वारा अन्य वे.ले.का. की ओर से भुगतान किए गए हैं, जिनकी वसूली अभी भी की जानी है। बकाया क्रेडिट शेष

का अर्थ होगा कि किसी वे.ले.का. द्वारा अन्य वे.ले.का. की ओर से भुगतान प्राप्त किए गए हैं, जिनको अभी भी अदा किया जाना है।

मार्च 2015 की समाप्ति पर, इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष ₹2,532.65 करोड़ था तथा क्रेडिट के अंतर्गत यह ₹532.93 करोड़ था। इस प्रकार, कुल ₹3,065.58 करोड़ का शेष इस शीर्ष से निपटान की प्रतीक्षा में था।

बकाया शेष मुख्य रूप से आपूर्ति विभाग ₹1,530.65 करोड़ (डेबिट), विदेश मंत्रालय ₹542.99 करोड़ (डेबिट), परमाणु ऊर्जा विभाग ₹310.71 करोड़ (क्रेडिट), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ₹146.12 करोड़ (क्रेडिट) तथा केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड (के.उ.सी.शु.बो.) ₹21.62 करोड़ (क्रेडिट) के संबंध में थे जो दर्शाता है कि इन विभागों/मंत्रालयों द्वारा अन्य वे.ले.का. की ओर से किए गए भुगतानों (डेबिट) या की गई प्राप्तियों (क्रेडिट) को उनके द्वारा 31 मार्च 2015 तक अभी भी वसूल/अदा किया जाना था। वे.ले.का. उचंत के अंतर्गत बड़े डेबिट तथा क्रेडिट शेष तथा उनका निरंतर संचयन महत्वपूर्ण नियंत्रण की कमियों को प्रदर्शित करता था।

(ख) उचंत लेखे (सिविल)

यह अस्थायी लघु शीर्ष लेन-देनों के लेखांकन हेतु संचालित किया जाता है जिसे कुछ सूचना/दस्तावेजों अर्थात् वाऊचर, चालान आदि की मांग हेतु व्यय अथवा प्राप्ति के अंतिम शीर्ष तक नहीं ले जाया जा सकता। इस लघु शीर्ष को प्राप्तियां दर्ज करने हेतु क्रेडिट तथा किए गए व्यय हेतु डेबिट किया जाता है। अपेक्षित सूचना/दस्तावेजों आदि की प्राप्ति पर पूर्व प्रतिलेखा डेबिट या क्रेडिट द्वारा लघु शीर्ष को ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा लेखे से संबंधित लघु/उप-लघु/मुख्य शीर्षों के प्रति समाशोधित किया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया डेबिट शेष का तात्पर्य प्राप्त किए गए भुगतान होगा जिन्हें वाऊचर आदि जैसे विवरण के अभाव में अन्तिम व्यय शीर्ष को डेबिट नहीं किया जा सका। बकाया क्रेडिट शेष का तात्पर्य प्राप्त राशियों होगा जिन्हें विवरण के अभाव में अंतिम प्राप्ति शीर्ष को क्रेडिट नहीं किया जा सका।

31 मार्च 2015 को इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष ₹5,292.32 करोड़ (क्रेडिट) तथा ₹1,130.15 करोड़ (डेबिट) था। ₹6,422.47 करोड़ के कुल शेष

को समायोजन हेतु व्यक्तिगत रूप से संचालित किया जाना अपेक्षित था जिसे लेखा के अंतिम शीर्षों के प्रति दर्ज नहीं किया गया था। मुख्य बकाया शेष आर्थिक कार्य विभाग ₹4,584.93 करोड़ (क्रेडिट), आपूर्ति विभाग ₹597.55 करोड़ (डेबिट), विदेश मंत्रालय ₹598.31 करोड़ (क्रेडिट) तथा उच्चायोग ₹435.76 करोड़ (डेबिट) से संबंधित हैं।

(ग) विदेशों में क्रय आदि हेतु उचंत लेखे

लघु शीर्ष 'विदेशों में क्रय आदि हेतु उचंत लेखे' को नियंत्रक सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा (नि.स.ले.एवं ले.प.), वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के लेखाओं में परिचालित किया जाता है। सरकार दाता को विदेशों में आपूर्तिकर्ताओं को परियोजना प्राधिकारियों/आयातकों को आपूर्ति की गई सामग्री के प्रति सीधे ही भुगतान करने की तथा समकक्ष राशि को संबंधित मंत्रालय/आयातकों से भुगतान प्राप्त होने तक उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत रखने की सलाह देती है। यद्यपि सरकार द्वारा इन आयातों के लिए भुगतान पहले ही कर दिया गया है फिर भी इस शीर्ष के अधीन डेबिट शेष उस राशि को दर्शाता है जिसे आयातकों/परियोजना प्राधिकारियों से अभी वसूल किया जाना है।

2014-15 में, इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष ₹978.30 करोड़ था। 31 मार्च 2015 को मुख्य देनदार हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (₹67.24 करोड़); पवन हंस लि. (₹57.44 करोड़); पाईराइटस, फॉसफेट्स एवं रसायन लि. (₹24.95 करोड़); कोल इंडिया लि. (₹23.18 करोड़) थे। यह भी पाया गया था कि ₹219.57 करोड़ 2005 से विभिन्न संगठनों से बकाया थे। 2005 से बकाया राशि का विवरण दर्शाते हुए सूची **अनुबंध 2.4** में दी गई है।

नि.स.ले. एवं ले.प. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से यह पाया गया था कि अनुवर्ती भुगतान विभिन्न आयातकों/परियोजना प्राधिकारियों की ओर से किये गये थे जबकि उनसे पहले किए गए क्रय हेतु भुगतान अभी तक देय थे। नि.स.ले.एवं ले.प. द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचंत (सा.क्षे.बैं. उचंत)

सरकारी लेखांकन प्रणाली में, नामित बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से सरकारी व्यवसाय संचालित करते हैं। जब एक बिल के भुगतान हेतु एक चैक जारी किया जाता है तो राशि को लेखे के अंतिम शीर्ष को डेबिट किया जाता है। जब एक सार्वजनिक क्षेत्र बैंक द्वारा चैक को भुनाया जाता है तो यह पहले अपने स्वयं के रोकड़ शेष से राशि का भुगतान करता है तथा इसके बाद केन्द्रीय लेखा अनुभाग (के.ले.अ.), भा.रि.बैं. नागपुर जो प्रत्येक मंत्रालय/विभाग का लेखा अनुरक्षित करता है, से प्रतिपूर्ति का दावा करता है। इसी प्रकार, जब सरकारी प्राप्तियों को नामित/अधिकृत बैंक में अदा किया जाता है तो इन प्राप्तियों को केन्द्रीय लेखा अनुभाग, भा.रि.बैं. नागपुर को देता है। चूंकि बैंक द्वारा सरकारी रोकड़ शेषों में, किये जाने वाले सरकारी लेन-देन को दर्ज करने में समय अंतराल होता है इसलिए प्रतीक्षारत अस्थाई समायोजन हेतु लेखे की सरकारी बही में लघु शीर्ष 'सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचंत' परिचालित किया जाता है। शेषों (दोनों क्रेडिट तथा डेबिट) का निपटान न्यूनतम संभावित समय में किया जाना अपेक्षित है अन्यथा भा.रि.बैं. के पास सरकारी रोकड़ शेष गलत स्थिति प्रस्तुत करेगा।

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु बकाया सा.क्षे.बैं. शेष कुल ₹3,688.87 करोड़ (डेबिट) तथा ₹3,222.01 करोड़ (क्रेडिट) था। इस प्रकार, मार्च 2015 की समाप्ति तक ₹6910.88 करोड़ के कुल शेष का निपटान किया जाना अपेक्षित था। विभाग जिनके प्रति मुख्य शेष बकाया थे, वे केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय (के.पें.ले.का.) ₹799.41 करोड़ (क्रेडिट), के.प्र.क.बो. (व्यय) ₹696.71 करोड़ (क्रेडिट), वि.मं. ₹527.87 करोड़ (क्रेडिट), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ₹480.46 करोड़ (क्रेडिट), केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ₹437.12 करोड़ (डेबिट), संस्कृति मंत्रालय ₹379.79 करोड़ (डेबिट), इस्पात मंत्रालय ₹300.00 करोड़ (डेबिट) तथा आ.वि. ₹277.44 करोड़ (डेबिट) थे।

(ङ) रिजर्व बैंक उचंत, केन्द्रीय लेखा कार्यालय (के.ले.का.)

संघ सरकार के लेखाओं में राज्य सरकारों को कर्जों सहायता अनुदान, आयकर भाग, और संघ उत्पाद शुल्क के भाग के भुगतान हेतु इस लघु शीर्ष को परिचालित किया जाता है। जब भुगतान प्राधिकृत किया जाता है तो संबंधित

व्यय शीर्ष डेबिट तथा किया जाता है इस उचंत शीर्ष को क्रेडिट किया जाता है। संघ सरकार के लेखे को समायोजन करते हुए भा.रि.बैं. से लेखे के मासिक विवरण की प्राप्ति पर लघु शीर्ष को '8675-भा.रि.बैं. के पास जमा-101-केन्द्रीय सिविल' को करके ऋणात्मक क्रेडिट किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा ऋण के पुर्नभुगतान तथा उस पर ब्याज के भुगतान के समय पर ऋण/ब्याज शीर्ष को क्रेडिट करके इस उचंत शीर्ष को डेबिट किया जाता है। भा.रि.बैं. के केन्द्रीय लेखा अनुदान (के.ले.अ.) भा.रि.बैं., नागपुर से लेखे के मासिक विवरण प्राप्त होने पर शीर्ष को '8675- पास जमा-101-केन्द्रीय सिविल' के साथ जमा के प्रति, प्रतिलेखा क्रेडिट द्वारा ऋणात्मक क्रेडिट किया जाता है।

मार्च 2015 की समाप्ति तक समाशोधन किये जाने वाले ₹1,209.42 करोड़ के कुल शेष के साथ, 31 मार्च 2015 को इस लघु शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष ₹51.17 करोड़ (डेबिट) तथा ₹1,158.25 करोड़ (क्रेडिट) था। बकाया भा.रि.बैं. (के.ले.का.) उचंत शेष मुख्य रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय ₹634.28 (क्रेडिट), पोत परिवहन मंत्रालय ₹367.99 करोड़ (क्रेडिट), वाणिज्य मंत्रालय ₹111.49 करोड़ (क्रेडिट), आ.वि. ₹32.36 करोड़ (डेबिट) स.प.रा.मं. ₹7.77 करोड़ (डेबिट) के प्रति थे।

2.5.2 ऋण, जमा एवं प्रेषण (ऋ.ज.प्रे.) शीर्षों के अंतर्गत अधिक प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष वे ऋणात्मक शेष हैं जो उन लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्रदर्शित होते हैं जहॉ एक ऋणात्मक शेष नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, किसी भी कर्ज या अग्रिम के लेखांकन शीर्ष के प्रति, एक ऋणात्मक शेष, प्रदान की गई वास्तविक अग्रिम राशि से अधिक पुनर्भुगतान को इंगित करेगा।

वर्ष 2014-15 हेतु संघ सरकार के वित्त लेखे में, ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेषों के 75 मामले हैं जिन्हें **अनुबंध-2.5** में दिया गया है। चार मामले वर्ष 2014-15 के दौरान प्रतिकूल हो गए तथा शेष 71 मामले पहले के वर्षों से प्रतिकूल थे। इनमें एक वर्ष से अधिक से पांच वर्षों तक के 39 मामले, पांच वर्षों से अधिक से दस वर्षों तक के 18 मामले तथा दस वर्षों से अधिक पुराने 14 मामले शामिल थे। यद्यपि, वित्त लेखे में प्रतिकूल शेष इन फुटनोटों के माध्यम से म.ले.नि. द्वारा योग्य ठहराए गए थे कि

प्रतिकूल शेष जांचाधीन थे लेकिन म.ले.नि. तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ऐसी जांचों के निष्कर्ष और उनके समाशोधन के लिए किए गए प्रयास लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

2.5.3 'चैक एवं बिल' शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष

यह शीर्ष लेन-देनों, जिन्हें अन्तत: समाशोधित किया जाना होता है, को आरम्भ में दर्ज करने के लिए एक मध्यवर्ती लेखांकन शीर्ष हैं। लेखाओं के विभागीकरण की योजना के अन्तर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के भुगतान एवं लेखा कार्यालयों द्वारा भा.रि.बैं. या अधिकृत बैंकों की शाखाओं पर आहरित चैकों द्वारा सरकार के प्रति दावों का भुगतान किया जाता है।

जब दावे वे.ले.का./विभागीय अधिकारी को उपयुक्त बिल प्रारूप में प्रस्तुत किए जाते हैं तब भुगतान को निर्धारित जांचों तथा भुगतान आदेश को दर्ज करने के उपरान्त चैक जारी करने के माध्यम से प्राधिकृत किया जाता है। प्रत्येक माह के अन्त में, मुख्य शीर्ष '8670-चैक एवं बिल' को माह के दौरान वितरित चैकों की कुल राशि से क्रेडिट किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र बैंक/(के.ले.अ.) भा.रि.बैं., नागपुर से जारी चैकों के प्रति उनके द्वारा किए गए भुगतानों को दर्शाने वाले तिथि-वार मासिक विवरण (ति.मा.वि.)/शेषों की मासिक विवरण की प्राप्ति होने पर, जैसा भी मामला हो, 'शीर्ष 8670-चैक एवं बिल' को ऋणात्मक क्रेडिट तथा उचंत शीर्ष '8658.108-सा.क्षे.बैं. उचंत'/'8675-101-भा.रि.बैं. के पास जमा-केन्द्रीय सिविल' को क्रेडिट प्रदान किया जाता है।

2014-15 के संघ के वित्त लेखे में भारी शेष 'चैक एवं बिल' के विभिन्न लघु-शीर्षों के अन्तर्गत बकाया पड़े हुए थे जैसे विवरण **तालिका 2.11** में दिए गए हैं:

तालिका 2.11: चैक एवं बिल' शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष

(₹ करोड़ में)

8670.101	पूर्व-लेखापरीक्षा चैक	क्रेडिट	0.43
8670.102	वेतन एवं लेखा कार्यालय चैक	क्रेडिट	12470.67
8670.103	विभागीय चैक	क्रेडिट	891.19
8670.104	खजाना चैक	क्रेडिट	4.62
8670.105	इरला चैक	क्रेडिट	0.59

8670.106	दूर संचार लेखा कार्यालय चैक	क्रेडिट	1104.05
8670.107	डाक चैक	क्रेडिट	12744.89
8670.108	रेलवे चैक	क्रेडिट	2524.11
8670.109	रक्षा चैक	क्रेडिट	686.19
8670.110	इलेक्ट्रॉनिक सलाह	क्रेडिट	41.08
8670.111	वेतन एवं लेखा कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक सलाह	डेबिट	561.22
8670.112	प्रधान संचार लेखे नियंत्रण कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक सलाह	क्रेडिट	40.08

केन्द्रीय सरकारी लेखा (प्राप्ति एवं भुगतान) नियमावली, 1983 के नियम 45 में विनिर्दिष्ट है कि चैक जारी करने की तिथि के पश्चात तीन माह के भीतर किसी भी समय देय होगा। इसके अतिरिक्त, नियम 47(2) में विनिर्दिष्ट है कि जारी करने के माह से छः माह की अवधि तक अदत्त रहे तथा नवीनीकरण हेतु अभ्यर्पित नहीं किए गए चैकों को उन्हें '8670-चैक एवं बिल' में ऋणात्मक क्रेडिट करके वापस या रद्द किया जाना होता है, तथा क्रियाशील मुख्य/लघु शीर्ष जिसमें व्यय को वास्तविक रूप से डेबिट किया गया था, को ऋणात्मक डेबिट किया जाता है तथा लेखे में राशि को पुनः लिखा जाना होता है।

विभिन्न लघु शीर्षों के अन्तर्गत ऐसी भारी बकाया राशियां दर्शाती हैं कि लेखांकन प्राधिकारी आवश्यक कार्रवाई जैसा कि नियमावली के अन्तर्गत की जानी अपेक्षित थी नहीं कर रहे थे। 'चैक एवं बिल' के अन्तर्गत बकाया राशि की सीमा तक सरकारी रोकड़ शेष अधिक बताए गए तथा गलत स्थिति को दर्शाते हैं।

प्रधान लेखा कार्यालय में नमूना जांच ने प्रकट किया कि विदेश मंत्रालय में ₹441.40 करोड़ की राशि के 3040 चैक, आपूर्ति विभाग में ₹1.53 करोड़ की राशि के 487 चैक, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में ₹4.37 करोड़ की राशि के 168 चैक, के.प्र.क.बो. में ₹18.73 करोड़ की राशि के 11835 चैक तथा गृह मंत्रालय में ₹25.91 करोड़ की राशि के 2654 चैक छः माह से अधिक समय तक बिना भुगतान किए रहे।

2.5.4 प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा शेषों की समीक्षा न करना

सिविल लेखा नियमपुस्तिका के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंत में, वे.ले.का. विभिन्न ऋण, जमा एवं प्रेषण (ऋ.ज.प्रे.) शीर्षें के अन्तर्गत शेषों की, जहॉ कहीं भी आवश्यक है, यह सुनिश्चित करने हेतु कि शेषों की यथातथ्यता उन व्यक्तियों/पार्टियों द्वारा स्वीकार्य है जिनके द्वारा शेष रखे जाते हैं या जिसे देय हैं समीक्षा तथा सत्यापन करेगा और गैर-समाधान की गई विभिन्नताओं तथा उन मामलों जहां शेषों की स्वीकृति प्रतीक्षित है, को दर्शाने वाला एक विवरण प्रत्येक वर्ष 15 सितम्बर तक वार्षिक रूप से प्रधान लेखा कार्यालय को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा पूरे मंत्रालय/विभाग की समेकित रिपोर्ट को समस्त रूप से प्रत्येक वर्ष 15 अक्तूबर तक महालेखा नियंत्रक को भेजा जाना अपेक्षित है। इस समीक्षा को करने का उद्देश्य लेखे की विभिन्न लेखा पुस्तिकाओं के अनुरक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना तथा ऋण, जमा एवं प्रेषण के आंकड़ों का समाधान करना है।

सिविल विभागों के संबंध में, वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के शेषों की समीक्षा कुल 72 प्र.ले.का. में से क्रमश: केवल 22, 21,20,15 एवं 22 विभागों में पूर्ण की गई थीं।

कुछ वर्षों से वित्त लेखे में प्रतिकूल शेषों की बड़ी संख्या समय पर समीक्षा करने तथा अनुपालना कार्यों को करने, जिससे कि लेखाओं में प्रतिकूल शेषों का निपटान किया जाए, में प्र.ले.का. की विफलता का सूचक है।

ले.म.नि. ने उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि सभी मंत्रालयों/विभागों को शेषों की समीक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी कर दिए गए हैं।

2.5.5 विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम-प्रोफार्मा लेखाओं की स्थिति

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 84 प्रावधान करता है कि वाणिज्यिक अथवा अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम नि.म.ले.प. की सलाह से सरकार द्वारा निर्धारित अनुषंगी लेखे तथा प्रोफार्मा लेखे अनुरक्षित करेंगे।

मार्च 2015 तक वाणिज्यिक या अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के 42 विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम थे। इन उपक्रमों के वित्तीय परिणामों को प्रोफॉर्मा

लेखे, जिसमें सामान्यत: व्यापार लेखा, लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन-पत्र सम्मिलित होते हैं, तैयार करके वार्षिक रूप से सुनिश्चित किया जाता है। जबकि भारत सरकार की प्रेस व्यापार लेखा, लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन-पत्र के बिना प्रोफॉर्मा लेखे तैयार करती है फिर भी प्रकाशन विभाग केवल भण्डारण लेखा तैयार करता है। विभागीय रूप से प्रबंधित केवल तीन सरकारी उपक्रमों ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्रोफार्मा लेखे तैयार किए हैं जैसा **तालिका 2.12** में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 2.12: अवधि जिसके लिए प्रोफॉर्मा लेखे बकाया पड़े थे

क्र.सं.	उपक्रमों की संख्या	लेखे का वित्तीय वर्ष	प्रोफार्मा लेखे तैयार करने में विलम्ब
1.	03	2014-15	कोई विलम्ब नही
2.	03	2013-14	एक वर्ष
3.	28	2008-09 से 2012-13	2-5 वर्ष
4.	08	2007-08 तथा उससे पहले	6 वर्ष तथा उससे अधिक

इसके अतिरिक्त, तीन उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखे में एक वर्ष की अवधि तक के विलंब थे, जबकि 28 उपक्रमों ने अपने लेखे तैयार नहीं किए थे तथा दो वर्ष से पांच वर्ष के बीच विलंब था। सरकारी प्रैस, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, शहरी विकास मंत्रालय के मामले में वित्तीय वर्ष 1979-80 से आगे के प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किए गए थे। इसी प्रकार, पत्तन प्रबंधन बोर्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, पोत परिवहन मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय में प्रकाशन विभाग के मामले में क्रमश: वित्तीय वर्ष 1990-91 तथा 2000-01 से आगे के प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किए गए थे। विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के साथ वित्तीय वर्ष,जब अंतिम बार प्रोफार्मा लेखे तैयार किए गए थे, के ब्यौरे **अनुबंध 2.6** में दिए गए है।

अद्यतित प्रोफॉर्मा लेखे के अभाव में, इन संगठनों, जिन्हें वाणिज्यिक आधार पर प्रबंधित किया जाना नियत है, द्वारा प्रदत्त सेवाओं की लागत का पता नहीं लगाया जा सकता। उनकी गतिविधियों हेतु निवेश पर वापसी, लाभकारिता आदि जैसे निष्पादन संकेतकों को निर्धारित करना भी संभव नहीं था।

2.5.6 हानियॉ तथा गैर-वसूलनीय प्राप्यों को बट्टे खाते में डालना/स्थगित करना

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 33 विचार करता है कि हानि के कारण तथा पहचान के ढंग का ध्यान किए बिना लोक धन, विभागीय राजस्व अथवा प्राप्तियां, रसीदी टिकटें, अफ़ीम, भण्डार अथवा सरकार द्वारा अथवा ओर से नियंत्रित अन्य सम्पत्ति की किसी भी हानि अथवा कमी को संबंधित अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा अगले उच्च अधिकारी के साथ-साथ सांविधिक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा संबंधित प्रधान लेखा अधिकारी को तुरंत सूचित किया जाएगा चाहे ऐसी हानि की उत्तरदायी पक्ष द्वारा पूर्ति कर दी गई है। ₹2,000 से कम मूल्य वाली छोटी हानियों को सूचित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

सभी सिविल मंत्रालयों/विभागों से 2014-15 के दौरान बट्टे खाते में डाली गई हानियों तथा स्थगित की गई वसूलियों के ब्यौरों की मांग की गई थी। तथापि, केवल 37 मंत्रालयों/विभागों द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई थी। 37 में से सात मंत्रालयों/विभागों में 974 मामलों में कुल ₹85.06 करोड़ की हानियों को बट्टे खाते में डाला गया था तथा 28 मामलों में कुल ₹187.73 करोड़ की वसूलियों को स्थगित किया गया था, जैसा **अनुबंध 2.7** में ब्यौरा दिया गया है।

2.6 निष्कर्ष

2014-15 हेतु संघ के वित्त लेखे में प्रकटीकरण, यथार्थता, सम्पूर्णता तथा पारदर्शिता से संबंधित सार्थक कमियां थीं। इनमें से अधिकांश विसंगतियां संबंधित लेखांकन प्राधिकारियों द्वारा बिना किए गए किसी सुस्पष्ट शोधक कार्रवाईयों के आवर्ती है जबकि आनुक्रमिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इन पर टिप्पणी की गई थीं। भारत के संविधान के तात्पर्य के अंतर्गत 'राज्य' के रूप में कार्य कर रहे कुछ नियामक निकायों ने भी भारत की समेकित निधि के बाहर निधियों की बड़ी राशि को रखा था। संग्रहित उपकर का भी लोक लेखे में चिन्हित निधियों को क्रेडिट नहीं किया गया था जो इस प्रकार वर्षों से सरकार द्वारा संग्रहित उपकर की अव्ययित राशि को गलत प्रकार से दर्शाने का कारण बना। वित्त लेखे में दर्शाए गए सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य

संयुक्त स्टाक कम्पनियों, सहकारी बैंकों, समितियों आदि के इक्विटी आधार में सरकारी स्वामित्व को दर्शाने वाले आंकड़ों की तुलना में ऐसे अस्तित्वों के प्रमाणित तुलन पत्र तथा वार्षिक लेखाओं में दर्शाए गए अनुकूल आंकड़ों में विसंगतियों के कुछ मामले भी थे। लेखाओं में भारी उचंत शेषों के संचयन भारतीय रिजर्व बैंक की बहियों में उपलब्ध नकद शेष की तुलना में संघ सरकार की बहियों में नकद शेष स्थिति, जैसा वित्त लेखाओं में दर्शाया गया है, में बेमेल का कारण बनेगा। ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों, जहॉ शेषों को वर्ष दर वर्ष आगे लाया गया है, के संबंध में कुछ मंत्रालयों/विभागों में लेखाओं तथा लेन-देनों का उचित प्रकार से अनुरक्षण तथा पता नहीं लगाया गया था जो संबंधित लेखा शीर्ष में प्रतिकूल शेषों की बड़ी संख्या तथा उचंत शेषों के संचयन का कारण बना।

3: विनियोग लेखे: 2014-15

3.1 प्रस्तावना

संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम, सरकार को विशिष्ट सेवाओं के लिए भा.स.नि. से उपयुक्त विशिष्ट राशियों के विनियोग का प्राधिकार देता है। संसद, संविधान के अनुच्छेद 115 के अंतर्गत अनुवर्ती विनियोग अधिनियमों द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी संस्वीकृत करती है। विनियोग अधिनियमों में अनुच्छेद 114 तथा 115 के नियमानुसार विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत संसद द्वारा दत्तमत की गई सेवाओं पर संवितरण तथा अनुच्छेद 112(3) के साथ-साथ अनुच्छेद 273, 275(1) तथा 293(2) के अनुसार भा.स.नि. को प्रभारित किए गए संवितरण को प्राधिकृत किया गया है। सरकार प्रत्येक वर्ष विभिन्न सेवाओं पर उसके द्वारा वास्तव में व्यय की गई सकल राशि तथा विनियोग अधिनियमों द्वारा प्राधिकृत किए गए व्यय के विवरणों को दर्शाते हुए विनियोग लेखे तैयार करती है।

लेखा महानियंत्रक (ले.म.नि.) सिविल मंत्रालयों के संबंध में विनियोग लेखे तैयार करता है। रक्षा मंत्रालय, रेल तथा डाक विभाग अपने स्वयं के अनुदानों के विनियोग लेखे तैयार करते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक प्रत्येक वर्ष संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत अपने लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित सिविल, रक्षा, डाक तथा रेलवे के संबंध में चार विनियोग लेखे राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो इन्हे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। 2014-15 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के अनुदानों/विनियोगों के लिए मांगों का विवरण निम्नानुसार था:

मंत्रालय	अनुदानों/विनियोगों के लिए मांगों की संख्या
सिविल	101
रक्षा सेवाएं	6
डाक सेवाएं	1
रेलवे	16
योग	124

इस अध्याय में विनियोग लेखाओं (सिविल, डाक तथा रक्षा सेवाएं), पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ निहित होती हैं जिनमें आवंटन से अधिक व्यय, जिसके लिए संसद द्वारा विनियमन आवश्यक हो, अव्ययित प्रावधान जिसके लिए

स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, अनियमित तथा अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन, कुछ मंत्रालयों द्वारा आवश्यकता के बिना किए गए अनुपूरक प्रावधान, अव्यवहारिक बजट। क्षेत्रीय विशिष्टताओं की बेहतर विवेचना की सुविधा हेतु सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक तथा रक्षा सम्बन्धी अनुदानों/विनियोगों पर व्यापक रूप से विचार किया गया है। विनियोग प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार रेलवे विनियोगों के हवाले दिए गए हैं। तथापि, रेलवे विनियोग पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष, 2014-15 को समाप्त वर्ष से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पृथक रूप से उपलब्ध हैं।

3.2 2014-15 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों तथा बचतों का सारांश

नीचे दिया गया **चार्ट 3.1** वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों**,** डाक**,** रेलवे तथा रक्षा में व्यय के वितरण को दर्शाता है। जैसा कि चार्ट से देखा जा सकता है कि 90.72 *प्रतिशत* तक का अधिकतम व्यय सिविल मंत्रालयों द्वारा**,** रेलवे द्वारा 4.89 *प्रतिशत***,** रक्षा द्वारा 4.07 *प्रतिशत* किया गया था जबकि कुल सकल व्यय का 0.32 *प्रतिशत* डाक विभाग द्वारा किया गया।

चार्ट : 3.1वित्तीय वर्ष विभागों/ के दौरान सिविल मंत्रालयों 15-2014, रेलवे, डाक तथा रक्षा सेवाओं के मध्य व्यय का ब्योरा

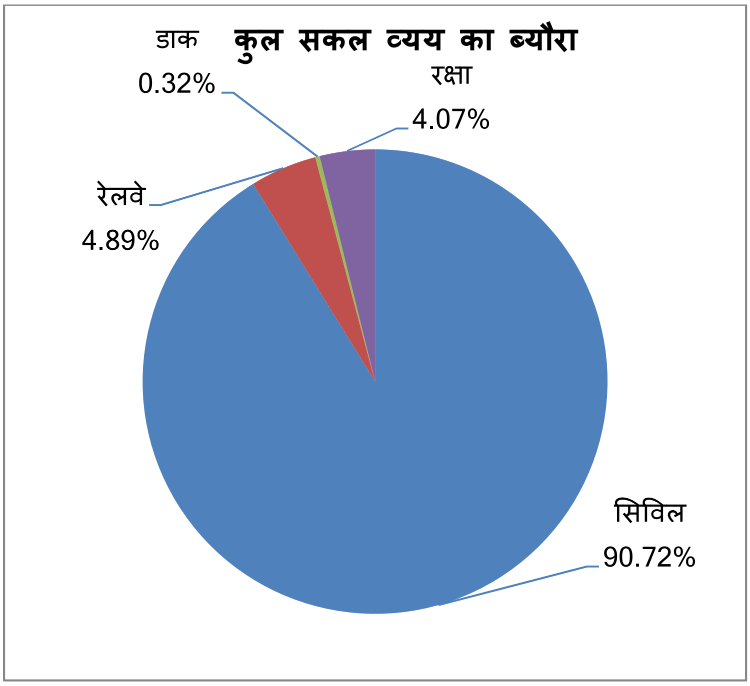

तालिका 3.1 वर्ष 2014-15 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों, रेलवे, डाक तथा रक्षा में व्यय दर्शाती है।

तालिका 3.1- वर्ष 2014-15 के दौरान प्रभारित एवं दत्तमत के अन्तर्गत व्यय

(₹ करोड़ में)

सिविल		रेलवे		डाक		रक्षा		कुल	
52,89,684		2,85,133		18,730		2,37,394		58,30,941	
दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
10,78,524	42,11,160	2,84,864	269	18,728	2	2,36,909	485	16,19,025	42,11,916
20.39%	79.61%	99.91%	0.09%	99.99%	0.01%	99.80%	0.20%	27.77%	72.23%

नीचे **तालिका 3.2** वर्ष 2014-15 के दौरान सरकार के कुल प्रावधान (प्रभारित तथा दत्तमत दोनों) तथा संवितरण दर्शाती है। **अनुबंध 3.1** में सिविल मंत्रालयों, डाक, रेलवे तथा रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं के सारांश के ब्यौरे प्रस्तुत हैं।

तालिका 3.2: 2014-15 के दौरान प्रावधान तथा संवितरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	कुल प्रावधान	संवितरण	बचत(-) आधिक्य(+)	कुल प्रावधान की तुलना में बचत/आधिक्य की प्रतिशतता
सिविल	58,25,575.32	52,89,683.66	(-) 5,35,891.66	9.20
डाक	19,010.42	18,729.52	(-) 280.90	1.48
रक्षा सेवाएं	2,54,000.27	2,37,394.22	(-) 16,606.05	6.54
रेलवे	2,99,600.02	2,85,133.21	(-) 14,466.81	4.83
कुल योग	**63,98,186.03**	**58,30,940.61**	**(-) 5,67,245.42**	**8.87**

सिविल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत, ₹5,35,891.66 करोड़ की निवल बचत सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 100 विनियोगों/अनुदानों में ₹5,51,532.20 करोड़ की बचत तथा तीन विनियोगों/अनुदानों के अंतर्गत ₹15,640.54 करोड़ के अधिक व्यय के कारण थी।

₹5,51,532.20 करोड़ के समग्र बचत में से सिविल मंत्रालयों/विभागों में अनुदान संख्या *38 -विनियोग-ऋणों के पुनर्भुगतान (₹3,56,325 करोड़), अनुदान सं.35-विनियोग-ब्याज भुगतान (₹24,784 करोड़),* अनुदान सं.34-वित्तीय सेवाएं विभाग (₹17,560 करोड़), अनुदान सं.59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (₹14,615 करोड़), अनुदान सं.36-राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अतंरण (₹13,403 करोड़), अनुदान सं.84-ग्रामीण विकास विभाग (₹13,117 करोड़) आदि में भारी बचतें हुई थीं।

₹15,640.54 करोड़ के (सिविल मंत्रालयों/विभागों में) समग्र अधिक व्यय में से अनुदान सं.21-रक्षा पेंशन में ₹9,435.90 करोड़ (राजस्व दत्तमत) एवं ₹4.54 करोड़ (राजस्व प्रभरित), अनुदान सं.77-विद्युत मंत्रालय (पूंजीगत दत्तमत्त) में ₹6,193.41 करोड़, अनुदान सं.20-रक्षा मंत्रालय में ₹6.69 करोड़ (राजस्व प्रभारित) तथा ₹0.12 लाख (पूंजीगत दत्तमत्त) अधिक व्यय दर्ज हुआ।

सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 100 अनुदानों के 201 खण्डों में बचतें और तीन अनुदानों के पाँच खण्डों में आधिक्य; डाक विभाग के तीन खण्डों में बचतें तथा एक खण्ड में आधिक्य;

रेलवे[1] के 26 खण्डों में बचतें और छ: खण्डों में आधिक्य तथा रक्षा सेवाओं के 11 खण्डों में बचतें तथा एक खण्ड में आधिक्य थे। **अनुबंध 3.2** बचतों और आधिक्य के सार को दर्शाता है।

3.3 प्रभारित तथा दत्तमत संवितरण

संविधान के अनुच्छेद 112(2) के अनुसार, प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के बीच एक अन्तर बनाया गया है। प्रभारित व्यय वह व्यय हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 112(3), 273, 275(1) तथा 293(2) में परिभाषित किया गया है। प्रभारित व्यय के अनुमानों को संसद के मत के अधीन नहीं लाया जा सकता जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 113(1) में निर्धारित है, परंतु संसद के किसी भी सदन में उस पर चर्चा की जा सकती है। **अनुबंध 3.3** में 2000-01 से 2014-15 के अवधि के लिए सिविल मंत्रालयों/विभागों की प्राधिकृत मांगों (अनुदान तथा विनियोग) के प्रति किए गए वास्तविक संवितरणों का विवरण दिखाया गया है। इन वर्षो के दौरान, सिविल मंत्रालयों/विभागों के कुल संवितरणों के 70 *प्रतिशत* से 81 *प्रतिशत* तक भारत की समेकित निधि को प्रभारित थे।

2014-15 के दौरान, सिविल मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत ₹52,89,684 करोड़ के कुल संवितरण 2013-14 के दौरान किए गए ₹49,90,058 करोड़ के कुल संवितरण की तुलना में ₹2,99,626 करोड़ अधिक थे। यह 2000-01 के ₹5,66,042 करोड़ से 835 *प्रतिशत* अधिक था। प्रभारित संवितरण 2000-01 के ₹4,05,289 करोड़ से 939 *प्रतिशत* बढ़ कर 2014-15 में ₹42,11,160 करोड़ हो गए तथा उसी अवधि में दत्तमत संवितरण ₹1,60,753 करोड़ से 571 *प्रतिशत* बढ़ कर ₹10,78,524 करोड़ तक हो गए थे। 2014-15 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों के प्रभारित संवितरण कुल संवितरणों के 80 *प्रतिशत* थे।

मुख्य प्रभारित संवितरणों में विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान (₹37,07,700 करोड़) विनियोग-ब्याज भुगतान (₹4,25,098 करोड़) तथा राज्य तथा संघ शासित सरकारों को अंतरण (₹73,711 करोड़) सम्मिलित थे। चूंकि प्रभारित संवितरण के अनुमान संसद के मतदान के अधीन नहीं हैं, इसलिए संसद

[1] रेलवे के अनुदान सं. 16- के चार दत्तमत तथा चार प्रभारित खण्ड हैं।

द्वारा प्रभावी वित्तीय नियंत्रण की गुंजाइश संघ सरकार सिविल मंत्रालयों/विभागों के कुल संवितरण के 20 *प्रतिशत* तक ही सीमित होती है।

चार्ट 3.2, 2010-11 से 2014-15 के दौरान पिछले पांच वर्षों में संघ सरकार में दत्तमत व्यय से प्रभारित व्यय की अधिकता को प्रकट करता है। तथापि सिविल, डाक, रक्षा सेवाएं और रेलवे को शामिल करते हुए, वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान भा.स.नि. से ₹58,30,941 करोड़ के कुल संवितरणों की पृष्ठभूमि के प्रति प्रभारित संवितरण की प्रतिशतता 72 *प्रतिशत* (₹42,11,916 करोड़) थी।

चार्ट 3.2: वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान प्रभारित एवं दत्तमत खण्डों के अन्तर्गत व्यय

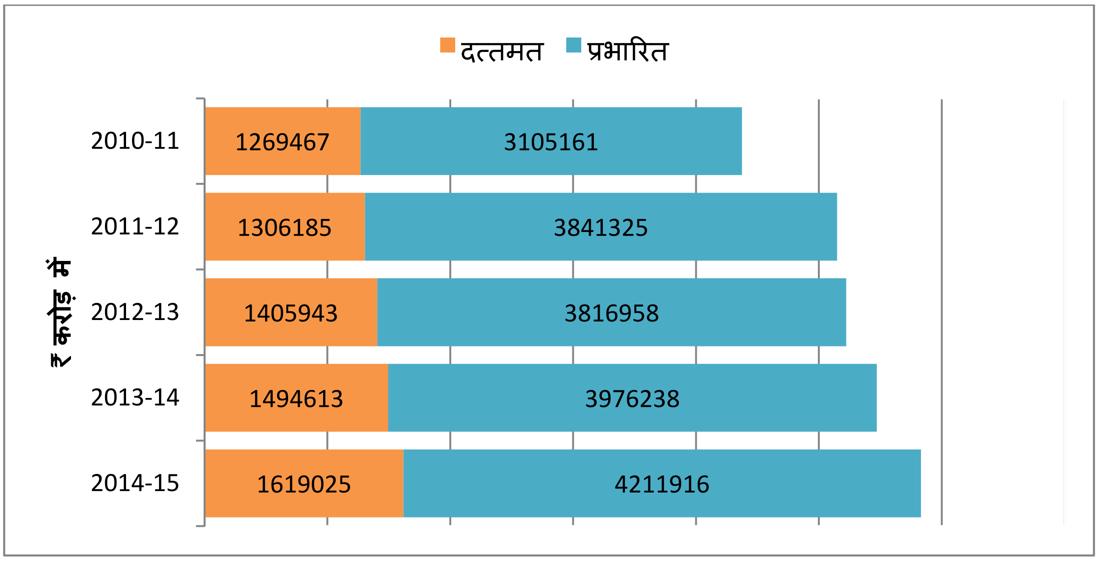

विनियोग लेखे 2014-15: एक विश्लेषण

3.4 अधिक संवितरण वाले अनुदान विनियोग/

संविधान के अनुच्छेद 114(3) के अनुसार विधि द्वारा पारित किए गए विनियोगों के अतिरिक्त, कोई भी धन भारत की समेकित निधि से आहरित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली 2005, के नियम 52(3) में अनुबंध है कि अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने या आकस्मिक निधि से अग्रिम को छोड़कर, कोई ऐसा संवितरण नहीं किया जाना चाहिए जिसके कारण किसी वित्तीय वर्ष के दौरान संसद द्वारा प्राधिकृत कुल

अनुदान अथवा विनियोग से आधिक्य हो जाए। **तालिका 3.3** में 2014-15 के दौरान भा.स.नि. में से प्राधिकृत संवितरण से ₹16201,32,63,138 (₹16201.33 करोड़) के आधिक्य का सारांश दिखाया गया है। सिविल मंत्रालयों/विभागों में तीन अनुदानों/विनियोगों के पांच खण्डों में ₹15640,54,83,430 (₹15640.55 करोड़), रेलवे के छ: अनुदानों/विनियोगों के छ: खण्डों में ₹490,36,81,118 (₹490.37 करोड़) रक्षा सेवाओं की एक अनुदान के एक खण्ड में ₹13,498 (₹0.13 लाख) तथा डाक की एक अनुदान के एक खण्ड में ₹70,40,85,092 (₹70.41 करोड़) का अधिक संवितरण था।

तालिका 3.3: अनुदानों/विनियोगों से अधिक संवितरणों का सार

(राशि ₹ में)

		सिविल	रेलवे	रक्षा	डाक
दत्तमत	राजस्व	9435,90,46,976	456,55,52,868	--	70,40,85,092
	पूंजीगत	6193,40,87,250	33,13,56,366	--	--
प्रभारित	राजस्व	11,23,37,403	67,71,884	13,498	--
	पूंजीगत	11,801	--	--	--
अनुदान/विनियोगों की संख्या		3	6	1	1
खंड		5	6	1	1
कुल आधिक्य		**15640,54,83,430**	**490,36,81,118**	**13,498**	**70,40,85,092**
कुल योग		**16201,32,63,138**			

अधिक व्यय, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ख) के अंतर्गत नियमित करना आवश्यक था, के विस्तृत ब्यौरे **तालिका 3.4** में दिए गए हैं।

तालिका 3.4: अनुदानों/विनियोगों से अधिक संवितरण के विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	राशि ₹ में		मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
सिविल राजस्व (दत्तमत)				
1.	*21-रक्षा पेंशन*	*अनुदान* *व्यय* *अधिक्य*	*50999,30,00,000* *60435,20,46,976* *9435,90,46,976*	अधिक संख्या मे सेवा निवृति की संख्या तथा उचंत के अधीन राशि के भुगतान के लिए बैंक से प्राप्त लंबित पेंशन स्क्रॉल को दर्ज करने के कारण।

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	राशि ₹ में		मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
राजस्व (प्रभारित)				
2.	*20-रक्षा मंत्रालय*	*विनियोग* *व्यय* *आधिक्य*	*1,09,00,000* *7,77,87,167* *6,68,87,167*	न्यायालय के आदेश के कारण वेतनों को प्रति अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण
3.	*21*-रक्षा पेंशन	विनियोग व्यय आधिक्य	*10,00,00,000* *14,54,50,236* *4,54,50,236*	मुख्यता अदालती मामलों के निर्णय के कारण
पूंजीगत (दत्तमत्त)				
4.	77-विद्युत मंत्रालय	अनुदान व्यय आधिक्य	2986,51,00,000 9179,91,87,250 6193,40,87,250	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा बोनस ऋण पत्र जारी करने के कारण
पूंजीगत (प्रभारित)				
5.	*20-रक्षा मंत्रालय*	*अनुदान* *व्यय* *आधिक्य*	*6,73,00,000* *6,73,11,801* *11,801*	न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ठेकेदारों के पूर्ण भुगतान के निपटान के कारण
रेलवे राजस्व (दत्तमत्त)				
1.	02-विविध व्यय (सामान्य)	अनुदान व्यय आधिक्य	831,45,00,000 901,52,58,724 70,07,58,724	आधिक्य स्टाफ लागत तथा सेवानिवृत्ति लाभों के अंतर्गत अधिक व्यय, मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एम.यू.टी.पी.) अधिशुल्क के कारण था।
2.	14- निधि हेतु विनियोग	अनुदान व्यय आधिक्य	44293,46,00,000 44679,93,94,144 386,47,94,144	वर्ष की समाप्ति तक उच्च अधिशेष की उपलब्धता के कारण था।
राजस्व (प्रभारित)				
3.	*03*-सामान्य संचालन एवं सेवाएं	विनियोग व्यय आधिक्य	*1,37,33,000* *1,37,56,862* *23,862*	प्रत्याशित से अधिक अध्योदश भुगतानों के उत्पन्न होने के कारण था
4.	*07*-संयंत्र एवं उपकरण की मरम्मत एवं अनुरक्षण	विनियोग व्यय आधिक्य	*3,15,000* *49,61,509* *46,46,509*	
5.	*13*-भविष्य निधि, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ	विनियोग व्यय आधिक्य	*65,63,000* *86,64,513* *21,01,513*	
पूंजीगत (दत्तमत्त)				
6.	16-रेलवे सुरक्षा निधि	विनियोग व्यय आधिक्य	2199,89,65,000 2233,03,21,366 33,13,56,366	कार्य की अधिक प्रगति, अधिक संविदात्मक भुगतानों के उत्पन्न होने तथा अधिक भण्डारण बिलों के समायोजन के कारण था।

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	राशि ₹ में		मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
रक्षा सेवाएं राजस्व (प्रभारित)				
1.	*26 - रक्षा सेवाएं अनुसंधान एवं विकास*	*विनियोग* *व्यय* *आधिक्य*	*61,00,000* *61,13,498* *13,498*	प्रत्याशित से अधिक संख्या में कोर्ट के मामलों के निपटान के कारण।
डाक राजस्व (दत्तमत्त)				
1.	13 -डाक विभाग	अनुदान व्यय आधिक्य	18486,01,00,000 18556,41,85,092 7040,85,092	वेतन एवं महंगाई भत्ता, मजदूरी, घरेलू यात्रा व्ययों, कार्यालय व्ययों, किरायों, दरें एवं करों, डाक दरों के संशोधन, सेवानिवृत्ति की अधिक संख्या आदि के अतंर्गत बढ़े हुए व्यय के कारण।

अनुदान/विनियोग आंकड़ों में अनुपूरक अनुदान/विनियोग, यदि कोई हो तो, शामिल हैं।

रेलवे अनुदानों से संबंधित विस्तृत टिप्पणियाँ, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2014-15 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल की गई हैं।

3.5 अनुदानों में निरंतर आधिक्य

संवीक्षा में 2010-11 से 2014-15 तक की पाँच वर्षों की अवधि हेतु लगातार आधिक्य के पंजीबद्ध अनुदानों को लिया गया था। संवीक्षा से पता चला कि विश्लेषण के चार वर्षों की अवधि में से कम से कम तीन वर्षों में तथा वर्ष 2014-15 में पाँच अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत छः खंडों में निरंतर आधिक्य हुए थे। आवंटनों की तुलना में निरंतर आधिक्यों का अनुदानवार तथा वर्णवार विवरण **तालिका 3.5** में दिया गया है।

तालिका 3.5: अनुदानों/विनियोगों में निरंतर आधिक्य

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सिविल राजस्व (दत्तमत)						
1.	*21-रक्षा पेंशन* *आधिक्य* *व्यय* *अनुदान*	 *3336,30,72,983* *37336,05,72,983* *33999,75,00,000*	 *3568,81,46,182* *37568,56,46,182* *33999,75,00,000*	 *3863,71,24,944* *43362,89,24,944* *39499,18,00,000*	--	 *9435,90,46,976* *60435,20,46,976* *50999,30,00,000*

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व (प्रभारित)						
2.	*21- रक्षा पेंशन* *आधिक्य* *व्यय* *विनियोग*	*10,74,960* *35,74,960* *25,00,000*	*28,54,467* *82,54,467* *54,00,000*	*3,99,60,400* *4,81,60,400* *82,00,000*	*74,86,943* *4,97,86,943* *4,23,00,000*	*4,54,50,236* *14,54,50,236* *10,00,00,000*
राजस्व (प्रभारित) रेलवे						
3.	*03-* सामान्य संचालन एवं सेवाएं आधिक्य व्यय विनियोग	*20,97,842* *36,49,842* *15,52,000*	*27,29,201* *30,34,201* *3,05,000*	*41,82,995* *42,73,995* *91,000*	*38,47,888* *88,78,888* *50,31,000*	*23,862* *1,37,56,862* *1,37,33,000*
4.	*07-* संयंत्र एवं उपकरण की मरम्मते एवं अनुरक्षण आधिक्य व्यय विनियोग	*1,49,045* *4,64,045* *3,15,000*	--	*2,11,968* *2,28,968* *17,000*	*385* *61,385* *61,000*	*46,46,509* *49,61,509* *3,15,000*
5.	*13 -* भविष्य निधि पेशंन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ आधिक्य व्यय विनियोग	--	*4,09,113* *62,67,113* *58,58,000*	*15,63,329* *73,83,329* *58,20,000*	*16,38,105* *74,45,105* *58,07,000*	*21,01,513* *86,64,513* *65,63,000*
राजस्व (दत्तमत्त) डाक						
6.	13-*डाक विभाग* *आधिक्य* *व्यय* *अनुदान*	366,63,29,167 13793,26,29,167 13426,63,00,000	400,03,82,246 14162,36,82,246 13762,33,00,000	160,13,57,173 15480,62,57,173 15320,49,00,000	--	70,40,85,092 18556,41,85,092 18486,01,00,000

रक्षा पेंशन, रेलवे एवं डाक में अनुदानों का निरंतर आधिक्य होना चिंता का विषय है। लोक लेखा समिति द्वारा आधिक्य के मामलों में कमी लाने की सिफारिश के बावजूद उक्त अनुदानों में निरंतर आधिक्य देखे गए हैं। मंत्रालयों/विभागों ने ठोस प्रयास नहीं किए तथा अधिक व्यय से बचने के लिए वित्तीय अनुशासन का पालन करने हेतु प्रभावी तंत्र विकसित नहीं किए थे।

3.6 लघु/उपशीर्ष-वार आधिक्य व्यय

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 58(1) के अनुसार व्यय वहन करने वाले अधीनस्थ प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि उसके अधीन रखे गए आवंटन में आधिक्य न हो। यदि कहीं आवंटन से अधिक व्यय की शंका हो तो अधीनस्थ प्राधिकारी को अधिक व्यय करने से पूर्व अतिरिक्त आवंटन प्राप्त कर लेना चाहिए।

तथापि वर्ष 2014-15 के शीर्षवार विनियोग लेखाओं में पाया गया कि 18 अनुदानों के 53 लघु/उपशीर्षों में, उपलब्ध प्रावधानों से ₹5 करोड़ तथा इससे अधिक का व्यय था। यद्यपि इन लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों से ₹33,120.81 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था लेकिन संबंधित अनुदान/विनियोग प्रबंधन अधिकारी ने उपलब्ध प्रावधान से किए गए अधिक व्यय को समायोजित करने के लिए कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किए थे जो बजटीय नियंत्रण में ढील को दर्शाता है। लघु/उप शीर्षों, जिसमें अधिक व्यय किए गए थे, की सूची **अनुबंध 3.4** में दी गई है।

3.7 अनुदानों/विनियोगों में ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचत

लोक लेखा समिति (10वीं लोक सभा, 1993-94) ने अपनी 60वीं रिपोर्ट (पैरा 1.22 तथा 1.24) में पाया था कि ₹100 करोड़ या इससे अधिक की बचतें होना त्रुटिपूर्ण बजट बनाने तथा एक अनुदान या विनियोग में निष्पादन की कमी को दर्शाता है। अत: समिति ने इच्छा व्यक्त की कि प्रत्येक वर्ष अनुदान के एक खंड में ₹100 करोड़ या इससे अधिक की बचतों के संबंध में संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा एक विस्तृत टिप्पणी भेजी जानी अपेक्षित थी।

वर्ष 2014-15 के वित्तीय वर्ष के दौरान 93 अनुदानों (सिविल, डाक, रेलवे, रक्षा सेवाओं सहित) के 122 मामलों में ₹100 करोड़ से अधिक की बचत हुई थी जिसके लिए लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) को एक विस्तृत व्याख्यात्मक

टिप्पणी भेजनी आवश्यक थी। भारी बचतें इन अनुदानों: *विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान (₹3,56,325 करोड़), विनियोग ब्याज भुगतान (₹24,784 करोड़)*, वित्तीय सेवा विभाग (**₹17,560 करोड़**), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (₹14,615 करोड़), राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अतंरण (₹13,403 करोड़), ग्रामीण विकास विभाग (₹13,117 करोड़), रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (₹12,701 करोड़), जल संसाधन मंत्रालय, (₹9,861 करोड़), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (₹7,597 करोड़), शहरी विकास विभाग (₹6,691 करोड़), परिचालन व्यय-ईधन (रेलवे) (₹6156 करोड़), पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (₹5,632 करोड़), पूंजीगत (रेलवे) (₹5,588 करोड़), खाद्य एवं लोक सवितंरण विभाग (₹5,221 करोड़), दूरसंचार विभाग (₹5,204 करोड़), उच्चतर शिक्षा विभाग (₹4487 करोड़), पुलिस (₹4,344 करोड़), आर्थिक कार्य विभाग ((₹3,507 करोड़), पंचायती राज मंत्रालय (₹3,610 करोड़), विद्युत मंत्रालय (₹3,591 करोड़), आवास एंव शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (₹3,273 करोड़), पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय (₹3,176 करोड़), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (₹3,096 करोड़) आदि में देखी गई थी। विभिन्न अनुदानों/विनियोग के अंतर्गत ₹100 करोड़ अथवा इससे अधिक की बचतें **अनुबंध 3.5**[2] में दी गईं हैं।

मंत्रालयों/विभागों द्वारा बचतों हेतु कुछ कारण 'योजना का गैर-परिचालनात्मक', 'कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों को पूरा न करना', उपयोग प्रमाणपत्रो की अप्राप्ति', 'प्रतिभूतियों का कम पुर्नभुगतान', 'प्रचालनों की कम मात्रा', अर्थोपाय अग्रिम का कम उपयोग तथा भा.स. के नगद शेष में अधिशेष के कारण ओवरड्राफ्ट', 'कम दावों की प्राप्ति', 'योजनाओं को प्रारम्भ न करना' आदि बताए गए थे।

इसके अतिरिक्त 56 अनुदानों/विनियोगों के 69 खण्डों में पिछले तीन वर्षों (2012-13 से 2014-15) के दौरान ₹100 करोड़ तथा अधिक की निरंतर बचतें थी जिनके विवरण **अनुबंध 3.6** में दिए गए हैं। बड़ी निरंतर बचतों वाले कुछ अनुदान**,** कृषि एवं सहकारिता विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण, विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पुलिस, स्कूली

[2] बचतों में आर्थिक उपाय के भाग के रूप में वित्त मंत्रालय द्वारा लागू अनीवार्य कटौती में शामिल है।

शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, विद्युत मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग तथा रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय से संबंधित थे।

3.8 बचतों का अभ्यर्पण (संपूर्ण)

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 56 के अनुसार, अनुदान अथवा विनियोग से बचतों का जैसे ही पूर्वानुमान हो, उन्हें वर्ष के अंतिम दिन की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। अव्ययित प्रावधान को भविष्य में संभावित आधिक्य के लिए भी आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों के 100 अनुदानों/विनियोगों के 201 खण्डों के अंतर्गत ₹ 5,51,532.21 करोड़ की बचतें थीं। इसे तीन अनुदानों के पांच खण्डों के अंतर्गत ₹15,640.55 करोड़ के अधिक व्यय द्वारा प्रति संतुलित किया गया था जिसका परिणाम ₹5,35,891.66 करोड़ की निवल बचत में हुआ। सिविल मंत्रालयों/विभागों द्वारा अभ्यर्पित राशियाँ निम्न **तालिका 3.6** में दर्शाई गई हैं।

तालिका 3.6: सिविल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत बचतों और अभ्यर्पण के विवरण

(₹ करोड़ में)

	अव्ययित प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	31 मार्च को अभ्यर्पित राशि	31 मार्च को अव्ययित प्रावधान में अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई राशि
राजस्व					
दत्तमत	1,16,722.00	1,12,279.56	1,10,198.92	94.41	4,442.44
प्रभारित	28,221.23	26,296.55	26,295.71	93.18	1,925.18
योग: राजस्व	**1,44,943.23**	**1,38,575.61**	**1,36,494.63**	94.17	**6,367.62**
पूंजीगत					
दत्तमत	33,487.01	38731.73	38,428.35	114.76	(5244.72)*
प्रभारित	3,57,461.42	337500.14	3,37,500.15	94.42	19961.28
कुल जोड़ : पूंजीगत	**3,90,948.43**	**376231.87**	**3,75,928.50**	**96.16**	**19961.28****
कुल योग	**5,35,891.66**	**5,14,807.48**	**5,12,423.13**	**95.62**	**26,328.90****

*अभ्यर्पित राशि बचतों से अधिक हैं।

**अधिक अभ्यर्पित राशि में 'अभ्यर्पित न की गई राशि' शामिल नहीं है।

10 अनुदानों/विनियोगों के 12 खंडों में, अनुदानों के अंतर्गत अभ्यर्पित राशि बचतों से अधिक थी। यह घटिया बजटीय प्रबंधन का सूचक है। ऐसे मामलों के विवरण **अनुबंध 3.7** में दिए गए हैं।

3.9 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचतों का अभ्यर्पण (अनुदान-वार)

72 अनुदानों/विनियोगों के 97 खण्डों जहाँ बचतें ₹100 करोड़ से अधिक हुई थीं, संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने, सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 56 का उल्लंघन करके वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन (अर्थात् 30/31 मार्च 2015) बचतें अभ्यर्पित की थी। बचतों, अभ्यर्पित न की गई राशियों, जो वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत हो गई थीं, सहित अभ्यर्पणों के विवरण **अनुबंध 3.8** में दिए गए हैं।

3.10 अवास्तविक बजटीय अनुमान के कारण बहुत अधिक अनुपूरक अनुदानें (मूल प्रावधान के 40 *प्रतिशत* से अधिक)

संविधान के अनुच्छेद 114 के अंतर्गत, संसद सरकार को भारत की समेकित निधि से विशिष्ट राशियाँ विनियोजित करने हेतु प्राधिकृत करती हैं। संसद अनुच्छेद 114 के अंतर्गत उस वर्ष के उद्देश्य हेतु पहले बनाए गए प्राधिकार के अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 115 की शर्तों के अनुसार अनुवर्ती विनियोग अधिनियम द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी प्राधिकृत करती हैं। व्यय के प्रारंभिक अनुमान तैयार करते समय, मंत्रालयों/विभागों को पिछले वर्षों के दौरान संवितरण की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखना तथा वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमानों में सभी अपरिहार्य तथा भावी व्यय हेतु प्रावधान करने के लिए आवश्यक सावधानी बरतना अपेक्षित है। वित्त मंत्रालय यथोचित विचार-विमर्श तथा बजट-पूर्व बैठकों/संवीक्षा के पश्चात् बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देता है।

अनुच्छेद 114 के प्रावधान के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष हेतु किसी विशेष सेवा पर खर्च किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि, उस वर्ष के उद्देश्य हेतु अपर्याप्त पाई जाती है या अनुपूरक हेतु चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई मांग उत्पन्न हुई हो, अथवा चालू वित्त वर्ष के दौरान किसी नई सेवा, जिसका उस

वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में विचार न किया गया हो, पर अतिरिक्त व्यय हो, तो अनुच्छेद 115(1)(क) के अनुसार उस व्यय की अनुमानित राशि दर्शाते हुए संसद में एक दूसरा विवरण (अनुपूरक मांग) प्रस्तुत किया जाता है।

निम्न **तालिका 3.7** 2014-15 के दौरान संघ सरकार के मंत्रालयों द्वारा प्राप्त अनुपूरक प्रावधान तथा मूल प्रावधान से उनकी प्रतिशतता दर्शाती है-

तालिका 3.7: मंत्रालय-वार मूल तथा अनुपूरक अनुदान

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	मूल प्रावधान से अनुपूरक की प्रतिशतता
सिविल	57,84,779.10	40,796.22	58,25,575.32	0.71
डाक	18,659.85	350.57	19,010.42	1.88
रक्षा	2,45,664.72	8,335.55	2,54,000.27	3.39
रेलवे	2,93,728.54	5,871.48	2,99,600.02	2.00
कुल	**63,42,832.21**	**55,353.82**	**63,98,186.03**	**0.87**

संवीक्षा से आगे प्रकट हुआ कि केन्द्रीय सरकार के काफी मंत्रालयों/विभागों ने अनुपूरक अनुदान/विनियोग प्राप्त किए जो मूल प्रावधानों से अपेक्षाकृत अधिक थे। वे मामले जिनमें अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधान से 40 *प्रतिशत* से अधिक बढ़ गए, **तालिका 3.8** में दिए गए हैं।

तालिका 3.8: अवास्तविक प्रारंभिक बजट बनाने के कारण प्राप्त बड़े अनुपूरक अनुदानों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	अनुपूरक की मूल प्रावधान से प्रतिशतता
सिविल				
राजस्व (दत्तमत्त)				
1.	34-वित्तीय सेवाएं विभाग	8,186.09	3,559.16	43
2.	42- राजस्व विभाग	726.88	11,033.03	1518
3.	51-भारी उद्द्योग विभाग	672.56	467.00	69
राजस्व (प्रभारित)				
4.	*20-रक्षा मंत्रालय*	*0.51*	*0.58*	*114*
5.	*21-रक्षा पेशंन*	*0.70*	*9.30*	*1329*

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	अनुपूरक की मूल प्रावधान से प्रतिशतता
6.	*67-खान मंत्रालय*	*0.05*	*0.08*	*160*
पूंजीगत (दत्तमत्त)				
7.	11-वाणिज्य विभाग	304.50	160.00	53
8.	33-आर्थिक कार्य विभाग	6,271.15	6,244.71	100
9.	69-नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	95.00	200.00	211
10.	75-पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1.00	2,399.00	239900
11.	90-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	462.00	200.00	43
12.	96-पर्यटन मंत्रालय	1.50	10.80	720
रक्षा सेवाएं राजस्व (प्रभारित)				
13.	*22-रक्षा सेवाएं-थल सेना*	*42.95*	*336.00*	*782*
14.	*23-रक्षा सेवाएं- नौ सेना*	*18.19*	*9.63*	*53*
15.	*24-रक्षा सेवाएं-वायु सेना*	*4.70*	*53.59*	*1140*
डाक राजस्व (प्रभारित)				
16.	13-डाक विभाग	0.20	3.64	1820

बड़े अनुपूरक प्रावधान दर्शाते हैं कि मंत्रालयों/विभागों ने यथार्थवादी आधार पर व्यय के अनुमान तैयार नहीं किए थे तथा यथार्थवादी बजटीय अनुमान सुनिश्चित करने हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा संवीक्षा तथा पूर्व-बजट बैठकें करने का तंत्र वांछित रूप से प्रभावी नहीं था।

लोक लेखा समिति ने अपने 92वें प्रतिवेदन (15वीं लोकसभा 2013-14) में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 हेतु अनुपूरक अनुदानों की बड़ी राशि प्राप्त करने के बावजूद दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित व्यय से अधिक किए गए व्यय को नियमित करते हुए पाया कि वित्त मंत्रालय का बजटीय प्रावधान के साथ व्यय के वृहत संगति को सुनिश्चित करने के लिए साधनों पर सर्वोत्तम अंतराष्ट्रीय अभ्यासों के अध्ययन की शुरुआत करनी चाहिए। राजस्व वर्ष के दौरान मूल बजट के अतिरिक्त अनुपूरकों का चलन बजटीय प्रावधानों की शुद्धता को कम करती है। बहुधा अभ्यास में ज्ञात व्ययों को मुख्य बजट में अनुवर्ती अनुपूरकों द्वारा करने के

लिए दबा दिया जाता है। अनुपूरक बजट सामान्यत: अपरिहार्य लोकहित के लिए किए गए व्यय के अप्रत्याशित मदों अथवा योजनाओं के लिए होना चाहिए। अन्य राजस्व संघीय मॉडलों के आधार पर वित्त मंत्रालय को साधनों एवं एक ऐसे ढाँचे का विकास करना चाहिए जो विनियोग खर्चों पर संसद की पहुँच एवं देख-रेख को सुनिश्चित करते हुए बजटीय प्रावधानों की शुद्धता को बनाए रखे।

3.11 अनावश्यक नकद अनुपूरक प्रावधान (अनुदान-वार)

पांच अनुदानों/विनियोगों में, जिनके ब्यौरे निम्न **तालिका 3.9** में दिए गए हैं, 2014-15 के दौरान ₹546.48 करोड़ के कुल नकद अनुपूरक प्रावधान अधिक व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किए गए थे परन्तु चार अनुदानों में अंतिम व्यय, मूल प्रावधानों से भी कम हुआ था। अत: प्राप्त किया गया अप्रयुक्त नकद अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था जो त्रुटिपूर्ण बजटीकरण का सूचक था।

'नकद अनुपूरक' प्राप्त करने के बजाय, मंत्रालय/विभाग को, वर्ष के अंत में बचतों से बचने के लिए अनुदान के भीतर 'टोकन' या 'तकनीकी अनुपूरक' प्राप्त करके उपलब्ध बचतों का उपयोग करने की संभावना को तलाशना चाहिए।

तालिका 3.9: अनावश्यक नकद अनुपूरक अनुदान बचतों का कारण बनी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	मूल प्रावधान	प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान	नकद अनुपूरक	संवितरण	बचत
सिविल अनुदानें						
1.	33-आर्थिक कार्य विभाग (राजस्व दत्तमत्त)	15,719.27	438.25	0.58	15,271.98	885.54
2.	51-भारी उद्योग विभाग (राजस्व दत्तमत्त)	672.56	467.00	41.38	968.12	171.44
3.	80-राज्य सभा (राजस्व दत्तमत्त)	317.56	1.60	1.60	287.28	31.88
4.	83-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (राजस्व दत्तमत्त)	19,603.37	500.02	500.00	18,672.70	1,430.69
5.	97-जनजातीय कार्य मंत्रालय (राजस्व दत्तमत्त)	514.33	3.07	2.92	345.09	172.31
	कुल	**36,827.09**	**1,409.94**	**546.48**	**35,545.17**	**2,691.86**

वित्त मंत्रालय को ऐसे मामलों की समीक्षा करके इस संबंध में सभी मंत्रालयों तथा विभागों को उपयुक्त दिशा निर्देश जारी करने पर विचार करना चाहिए।

3.12 लघु/उपशीर्षों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग (₹5 करोड़ से अधिक)

लेखाओं की जांच से प्रकट हुआ कि सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक तथा रक्षा सेवाओं के 11 अनुदानों/विनियोगों के 16 मामलों में कुल ₹677.66 करोड़ का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण था, हालांकि लघु/उपशीर्षों, जिसमें पुनर्विनियोग द्वारा संवर्द्धन किया गया था, के अंतर्गत मूल प्रावधान, पर्याप्तता से अधिक था। अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग के परिणामस्वरूप शीर्षों के अंतर्गत बचत, इन शीर्षों में पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी। वे 16 मामले, जिनमें ₹5 करोड़ तथा अधिक के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग किए गए थे, **अनुबंध 3.9** में दिए गए हैं।

3.13 लघु/उपशीर्षों से अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग (₹5 करोड़ से अधिक)

इसी प्रकार, लेखाओं की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि सिविल मंत्रालयों/विभागों, के पांच अनुदानों/विनियोगों के सात मामलों में कुल ₹985.25 करोड़ की निधियों का अन्य शीर्षों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग किया गया था, हालांकि इन चार लघु/उपशीर्षों के प्रत्येक में अंतिम संवितरण, पुनर्विनियोग से पहले भी, मूल प्रावधान से अधिक था। इन शीर्षों के प्रत्येक में पुनर्विनियोग के बाद उपलब्ध प्रावधान से आधिक्य पुनर्विनियोजित राशि से अधिक था। ऐसे ₹5 करोड़ तथा अधिक के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग के विवरण **अनुबंध 3.10** में दिए गए हैं।

3.14 उपशीर्षों के अंतर्गत प्राप्त अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करते समय, मंत्रालय/विभागों ने संसद को, विविध योजनाओं/क्रियाकलापों के अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों हेतु बड़ी अतिरिक्त मांग सूचित की थी, लेकिन अन्ततः वे न केवल संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान या उसका एक भाग बल्कि संपूर्ण बजट प्रावधान खर्च करने में असमर्थ थे। सात अनुदानों/विनियोगों के 11 लघु/उपशीर्षों, जिनमें मूल बजट प्रावधान के भाग सहित संपूर्ण अनुपूरक अनुदान, अव्ययित रहे, के विवरण **अनुबंध 3.11** में दिए गए हैं।

3.15 संपूर्ण प्रावधान की बचत (उपशीर्ष-वार)

29 अनुदानों/विनियोगों के 66 उप-शीर्षों में, संसद द्वारा प्राधिकृत कुल ₹ 20,565.40 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान (₹50 करोड़ तथा अधिक) मंत्रालयों/विभागों द्वारा खर्च नहीं किया जा सका और अप्रयुक्त रहा। उक्त ₹2,930 करोड़ की समस्त बचत घरेलू एल.पी.जी. तथा पी.डी.एस. मिट्टी के तेल पर आर्थिक सहायता तथा इंडियन स्ट्रेटिजिक पैट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड हेतु ₹2,400 करोड़ से संबंधित थी।

संपूर्ण प्रावधान की बचत होना इस तथ्य का सूचक है कि अनुमान परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त संवीक्षा करने के बाद नहीं बनाए गए थे। प्रमुख योजनाएं जो संपूर्ण प्रावधान के उपयोग न होने के कारण आगे नहीं बढ़ पायी अथवा प्रभावित हुई, निम्न हैं:-

- विनियोग- ब्याज भुगतान: बैंक में धनराशि के जमा बाजार स्थिरकारीकरण योजना पर दिया गया ब्याज/छूट (₹1,628.81 करोड़) तथा सरकारी प्रतिभूतियों को वापस खरीदने पर प्रीमियम का भुगतान'(₹1,000 करोड़);
- जल संसाधन मंत्रालय : 'राष्ट्रीय गंगा योजना' (₹1,500 करोड़) तथा 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' (₹920 करोड़);
- आर्थिक कार्य विभाग: सामाजिक तथा अवसंरचना विकास पूंजीगत निधि को अंतरण' (₹1,050.91 करोड़), पी.पी.पी. कार्यान्वयन (3पी.भारत)' (₹500 करोड़) तथा एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया को ब्याज समकरण सहायता' (₹450 करोड़);
- वित्तीय सेवाएं विभाग: 'नेशनल क्रेडिट गांरटी ट्रस्टी कम्पनी (एन.सी.जी.टी.सी.)' (₹500 करोड़);
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय: हाथ से झाड़ू लगाने वालों के पुनार्वास हेतु स्वंय रोजगार योजना' (₹439.04 करोड़);
- विद्युत मंत्रालय : डिसकॉम के ऋण पुनर्सरंचना हेतु वित्तीय सहायता' (₹400 करोड़)।

उप-शीर्षों जिनमें ₹50 करोड़ तथा इससे अधिक का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, के विवरण **अनुबंध 3.12** में दिए गए हैं।

3.16 एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की बचत

विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने प्रकट किया कि कुछ अनुदानों तथा विनियोगों के अंतर्गत एक उप-शीर्ष में ₹100 करोड़ या अधिक की बचतें थी जो कि मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली संबंधित योजनाओं के खराब बजटीकरण या निष्पादन में कमी या दोनों को इंगित करती हैं। मंत्रालय/विभाग द्वारा न केवल अनुमानों तथा वास्तविकताओं के बीच बड़े पैमाने पर विचलनों को कम करने, बल्कि कम संसाधनों को लाभकारी ढंग से उपयोग करने हेतु अपनी बजटीय प्रक्रिया को अधिक वास्तविक बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इन मंत्रालयों/विभागों को बजटीय अनुमान की व्यवस्था और/अथवा अपने कार्यक्रम प्रबंधन की दक्षता की समीक्षा करनी चाहिए। **अनुबंध 3.13,** एक उप-शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधानों के 10 *प्रतिशत* से अधिक की तथा ₹100 करोड़ या अधिक की 209 ऐसी बड़ी बचतों का ब्यौरा संबंधित मंत्रालय/विभागों द्वारा दिए गए कारणों सहित प्रदर्शित करता है।

निम्नलिखित कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत बड़ी बचतें हुई:-

- **विनियोग- ऋण का पुनर्भुगतान:** भारत सरकार के नकद शेष में अर्थोपाय अग्रिमों का कम उपयोग होने तथा ओवर ड्राफ्ट के कारण 'अर्थोपाय अग्रिमों' (₹5,00,000 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति) के अंतर्गत ₹1,83,884 करोड़ का अधिशेष रहा; ₹90,000 करोड़ का अधिशेष नगद शेष की उपलब्धता कम प्रचालन के कारण 'नगद प्रबंधन बिल' (₹1,00,000 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति) के अंतर्गत थी।

- **वित्तीय सेवाओं का विभाग:-** अपर्याप्त विनिवेश प्राप्तियों के करण राष्ट्रीय निवेश निधि से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुन: पूँजीकृत करने हेतु निधियों की कम आवश्यकता के कारण 'राष्ट्रीय निवेश निधि' के अंतर्गत ₹9,947 करोड़ (₹11,200 करोड़ के बजट प्रावधान

के प्रति); सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कम पूंजी सहायता प्रदान करने हेतु एक टीयर-1 पूंजी को जोखिम संपत्ति अनुपात के वांछित स्तर को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों के पुनर्पूजीकरण' के अंतर्गत ₹4,210 करोड़ (₹11,200 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति)।

रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (वायु सेवा): सं.अ. स्तर पर वित्त मंत्रालय द्वारा की गई कटौती तथा उद्देश्य की अप्राप्ति के कारण 'अन्य उपकरण' के अतंर्गत ₹7,134 करोड़ (₹15,352 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति)।

- **रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (थल सेना):** नई योजना के गैर-फलन, महानिदेशक आयुध कारखाना द्वारा कम उपयोग तथा वचनबद्ध देयता मामले में कमियों के कारण 'अन्य उपकरण' के अंतर्गत ₹5,819 करोड़ (₹15,592 करोड़ के बजट प्रावधन के प्रति)।
- **शहरी विकास विभाग**: कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांगो की प्राप्ति के कारण **'**जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन**'** के अंतर्गत ₹5,498 करोड़ (₹6,496 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति)।
- **स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**: शिक्षा उपकर के कम संग्रहण के कारण संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण **'**प्रांरम्भिक शिक्षा कोष को अतंरण हेतु निधियां**'** के अंतर्गत ₹5,256 करोड़ (₹27,575 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति)।
- **जल संसाधन मंत्रालय:** संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती तथा राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण 'त्वरित सिंचाई लाभ एवं बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम' के अंतर्गत ₹4,368 करोड़ (₹7,569 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति)
- **विनियोग-ब्याज भुगतान:** राज्य सरकारों द्वारा कम निवेश के कारण '14 दिवसीय खजाना बिल' के अंतर्गत ₹3,579 करोड़ (₹7,250 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति)
- **राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अतंरण**: कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा एवं प्रत्याशित व्यय विवरणियों के गैर-

प्रस्तुतीकरण के कारण 'सामान्य केन्द्रीय सहायता' के अंतर्गत ₹3,044 करोड़ (₹28,514 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति)।

3.17 निरंतर बचत (उपशीर्ष-वार)

विनियोग लेखाओं की विस्तृत जाँच से पता चला कि तीन वर्षों की अवधि में, वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान 15 अनुदानों तथा विनियोगों के अन्तर्गत 27 उप-शीर्षों के अन्तर्गत निरन्तर बचतें पाई गई हैं, जो मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही संबंधित योजना के संबंध में खराब बजटीकरण या निष्पादन में कमी या दोनों को दर्शाती है। 27 उपशीर्षों के अनुदानवार ब्यौरे **अनुबंध 3.14** में दिए गए हैं।

3.18 मार्च के दौरान तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में अंधाधुंध व्यय

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 56(3) के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में अंधाधुंध व्यय वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा तथा इससे बचना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने सितम्बर 2007 में मार्च तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय को बजट अनुमानों के क्रमश: 15 *प्रतिशत* तथा 33 *प्रतिशत* तक सीमित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए थे।

कुछ मंत्रालयों/विभागों ने व्यय सीमाओं के बारे में वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा जिसके उत्तर में वित्त मंत्रालय ने दोहराया (जनवरी 2013) कि इन सीमाओं का प्रतिबन्ध संशोधित अनुमान सीमाओं को योजनावार तथा एक संपूर्ण विषय के रूप में मांग-वार अंतिम तिमाही/माह में लागू किया जाए। लेखापरीक्षा द्वारा मंत्रालयों/विभागों से वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु व्यय की प्रवृत्ति से संबंधित सूचना मांगी गई थी।

मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर **तालिका 3.10** में दिए गए मामलों में यह पाया गया है कि कुछ मंत्रालयों/विभागों द्वारा संवितरण का मुख्य भाग 2015 के मार्च माह/वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया था जिससे नियमों के प्रावधानों तथा प्रचलित निर्देशों का उल्लंघन होता था।

तालिका 3.10: मार्च 2015 और/अथवा 2014-15 की अन्तिम तिमाही के दौरान अन्धाधुंध व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदानों का विवरण	बजट अनुमान (संशोधित अनुमान)	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता #	अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता#	मंत्रालय/विभाग द्वारा भेजे गए कारण
सिविल							
1.	11-वाणिज्य विभाग	5857.00 (5687.40)	497.36	--	1987.69	33.94 (34.95)	अंतिम तिहाही हेतु 33**%** सीमा की छूट हेतु राहत वित्त मंत्रालय से प्राप्त की गई थी।
2.	33-आर्थिक कार्य विभाग	21990.42 (26235.42)	5076.50	23.09 (19.35)	10319.15	46.93 (39.33)	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ऋण के प्रति भुगतान, अतंर्राष्ट्रीय विकास संघ के प्रति अंशदान तथा राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन मुद्रा पुरस्कार योजना हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को भुगतान तथा आई.एम.एफ.-मूल्य दायित्व का अनुरक्षण (एम.ओ.वी.) के प्रति भुगतान।
3.	34- वित्तीय सेवाएं विभाग	32836.10 (28853.51)	9149.75	27.87 (31.71)	10211.11	31.10 (35.39)	विभाग ने बताया (सितबंर 2015) कि व्यय विभाग से छूट की मांग की गई थी।
4.	36-राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकार को अंतरण	148432.00 (143361.00)	32472.00	21.88 (22.65)	58042.00	39.10 (40.49)	--

क्र. सं.	अनुदानों का विवरण	बजट अनुमान (संशोधित अनुमान)	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता #	अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता#	मंत्रालय/विभाग द्वारा भेजे गए कारण
5.	37-सरकारी कर्मचारियों, आदि को कर्ज	200.00 (200.00)	31.98	15.99	49.58	--	निधियों के संशोधित आवंटन को केवल मध्य-जनवरी 2015 में जाकर ही प्राप्तकर्ता मंत्रालय/विभागों को सूचित किया जा सकता था। प्राप्तकर्ता मंत्रालय/विभागों ने आगे विभिन्न संवितरण इकाईयों को निधियां आवंटित की। परिणामस्वरूप, लंबित आवेदन पत्रों को केवल फरवरी तथा मार्च के दौरान जाकर ही निपटान किया जा सकता था।
6.	42-राजस्व विभाग	832.91 (11810.79)	10799.39	1296.59 (91.44)	10901.38	1308.83 (92.30)	विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि अधिक व्यय मार्च 2015 में अनुपूरक-II की प्राप्ति पर राज्यों को भुगतान करने के कारण व सी.एस.टी. की चरणबद्धता के कारण राजस्व हानि के कारण था
7.	51- भारी उद्योग (दत्तमत) विभाग	1243.62 (1694.69)	640.89	51.53 (37.82)	828.72	66.64 (48.90)	-
8.	57-संघ शासित क्षेत्र सरकार को अतंरण	1726.50 (1700.50)	457.04	26.47 (26.88)	457.04	--	मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2015) कि लेखापरीक्षा द्वारा की गई अभ्युक्ति को संज्ञान में ले लिया गया था तथा उसकी सख्ती से अनुपालना की जाएगी।

 # कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित प्रतिशत दर्शाता है।

-- निर्धारित सीमा के अंदर व्यय

चूंकि विभिन्न संगठनों को मार्च में जारी की गई निधियॉ वर्ष के दौरान रचनात्मक रूप से खर्च नहीं की जा सकती, जो उसी माह के अंतिम दिन पर समाप्त होती हैं। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना असंभव है कि क्या ये

निधियां उसी वर्ष उसी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त की गई जिसके लिए प्राधिकृत की गई थीं।

3.19. रक्षा सेवा अनुदानों में निरंतर बचतें

रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं की जांच में छः अनुदानों के प्रभारित/दत्तमत खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान बचतों की निरन्तर प्रवृत्ति (₹5 करोड़ से अधिक) देखी गई जिसका विवरण **तालिका 3.11** में दिया गया है।

तालिका 3.11: वर्ष 2012-15 के दौरान निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का विवरण उप मुख्य/लघु शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15
22 - रक्षा सेवाएं -थल सेना (मुख्य शीर्ष 2076)				
1.	110 - भंडार (दत्तमत)	1197.52	750.98	670.69
2.	113 - एन.सी.सी. (दत्तमत)	286.33	16.44	53.31
3.	800 - अन्य व्यय (दत्तमत)	490.67	462.22	458.88
23 - रक्षा सेवाएं -नौ सेना (मुख्य शीर्ष 2077)				
4.	104 - नागरिकों के वेतन एवं भत्ते (प्रभारित)	2.00	10.31	7.86
24 - रक्षा सेवाएं-वायु सेना (मुख्य शीर्ष - 2078)				
5.	800 - अन्य व्यय (दत्तमत)	118.49	130.81	107.45
25 - रक्षा आयुध कारखाने (मुख्य शीर्ष - 2079)				
6.	001 - निर्देशन एवं प्रशासन(दत्तमत)	6.09	8.56	8.93
7.	004 -अनुसंधान एवं विकास (दत्तमत)	21.96	27.25	14.18
8.	053 - अनुरक्षण-मशीनरी एवं उपकरण (दत्तमत)	2.69	7.33	6.95
9.	054 - निर्माण कार्य (दत्तमत)	125.01	24.96	28.49
10.	105 - परिवहन (दत्तमत)	34.99	31.65	54.94
11.	106 –नवीकरण तथा प्रतिस्थापन (दत्तमत्त)	84.15	2.99	58.13
12.	110 - भंडार (दत्तमत)	781.41	1130.47	920.47
26 -रक्षा सेवाएं- अनुसंधान एवं विकास (मुख्य शीर्ष - 2080)				
13.	003 – प्रशिक्षण (दत्तमत्त)	0.42	6.88	7.74
14.	004 - अनुसंधान/अनुसंधान एवं विकास (दत्तमत)	632.89	85.28	162.50

15.	105 - परिवहन (दत्तमत)	26.74	51.04	53.89
27 -रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (मुख्य शीर्ष- 4076)				
01 - थल सेना				
16.	050 -भूमि (प्रभारित)	16.35	17.18	8.69
17.	050 - भूमि (दत्तमत)	14.89	26.89	102.61
18.	103 -अन्य उपकरण (दत्तमत)	1591.85	2033.47	5819.21
19.	107 - भूतपूर्व- सैनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना (दत्तमत)	33.17	19.10	13.80
20.	202 -निर्माण कार्य(दत्तमत)	1350.22	477.92	752.00
02 - नौसेना				
21.	102 -भारी एवं मध्यम वाहन (दत्तमत)	12.55	48.37	21.46
22.	205 - नौसैनिक डॉकयार्ड (दत्तमत)	287.66	1378.84	977.42
03 - वायु सेना				
23.	050 - भूमि (प्रभारित)	7.67	9.58	5.30
24.	050 -भूमि (दत्तमत)	70.22	46.21	64.63

अनुदानों के उपर्युक्त शीर्षों में भारी बचतों की निरंतर प्रकृत्ति, निधियों की आवश्यकता से अधिक अनुमान लगाने तथा निरंतर बचतों से बचने हेतु प्रभावी उपचारी उपायों को प्रारंभ करने की विफलता की संकेतक है।

3.20 रक्षा सेवा अनुदानों में बचतों का अभ्यर्पण

अनुदान अथवा विनियोग में बचतों का पूर्वानुमान होने पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना अभ्यर्पित करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त बचतों को सम्भावित भावी आधिक्यों हेतु भी आरक्षित नहीं किया जाना चाहिए। वर्ष 2014-15 के दौरान प्रभारित खण्डों के अंतर्गत पांच अनुदानों में ₹320.07 करोड़ की बचत के प्रति किसी राशि का अभ्यर्पण नही किया गया था। छः अनुदानों के दत्तमत खण्ड के अंतर्गत ₹16,285.98 करोड़ की कुल बचत के प्रति ₹13,394.05 करोड़ का अभ्यर्पण चार अनुदानों में किया गया था। इस प्रकार, दत्तमत खण्ड में चार अनुदानों के अंतर्गत समग्र ₹13,394.05 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित किए गए थे जैसा कि **तालिका 3.12** में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 3.12: बचतें एवं अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान/विनियोग	बचतें		वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित की गई राशि		अभ्यर्पित न की गई राशि (व्यपगत)	
	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत
22-थल सेना	116.83	1,496.71	--	6.83	116.83	1,379.88
23-नौसेना	6.45	177.34	--	--	6.45	177.34
24-वायु सेना	4.69	495.88	--	--	4.69	495.88
25-रक्षा आयुद्ध कारखाना	6.22	1,478.32	--	699.59	6.22	778.73
26-अनुसंधान एवं विकास	--	122.62	--	64.90	--	57.72
27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	185.88	12,515.11	--	12622.73	185.88	(107.62)*
कुल	**320.07**	**16,285.98**	**--**	**13,394.05**	**320.07**	**2,889.55****

*अभ्यर्पित राशि बचतों से अधिक है।

** अधिक अभ्यर्पित राशि 'अभ्यर्पित की गई राशि' में शामिल नहीं है।

अनुदान सं. 27- पूंजीगत सेवाओं (दत्तमत) पर पूंजीगत परिव्यय के मामले में रक्षा मंत्रालय ने ₹12,515.11 करोड़ की उपलब्ध बचतों के प्रति ₹12,622.73 करोड़ अभ्यर्पित किए परिणामस्वरूप ₹107.62 करोड़ अधिक अभ्यर्पित किए गए। यह मंत्रालय के त्रुटिपूर्ण बजटीय नियंत्रण तंत्र को दर्शाता है।

3.21 निष्कर्ष

संघ सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा 11 अनुदानों/विनियोगों के 13 खण्डो में ₹16,201.33 करोड़ का अधिक संवितरण किया, जो वर्ष 2014-15 के दौरान किए गए विनियोग अधिनियम के प्राधिकरण से अधिक था। संविधान के अधिनियम 115 (1) (ख) के तहत यह अधिक व्यय नियमित होना चाहिए था। रक्षा, पेंशन, रेलवे एवं डाक के अनुदान/विनियोग से निरंतर प्राधिकृत राशि से अधिक व्यय कर रहे हैं। बजट बनाने की प्रक्रिया में अन्य कमियां जैसे अनुदान/विनियोग में बड़ी राशि की बचते (₹100 करोड़ से अधिक), बड़ी राशि के अनुपूरक अनुदाने प्राप्त करना जो वर्ष के दौरान अंततः अप्रयुक्त रहीं, वित्त वर्ष के अंतिम दिन बचतों का अभ्यर्पण आदि, दर्शाती है, कि संघ सरकार द्वारा आंरभिक बजट निर्माण की प्रक्रिया के पुर्नविन्यास की आवश्यकता है।

4: विनियोग लेखे: लेखे पर टिप्पणियां

4.1 प्रस्तावना

'वित्तीय मामलों में कार्य प्रणाली' 'वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली 1978' 'सामान्य वित्तीय नियम-2005' से संबंधित संवैधानिक प्रावधान एवं वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अन्य स्थायी निर्देश इत्यादि सरकारी निधियों के प्रभावी वित्तीय प्रबंधन तथा सरकारी खातों से किये गये व्यय हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। विनियोग लेखों की संवीक्षा के दौरान कई मंत्रालयों/विभागों द्वारा इन सिद्धांतों के उल्लंघन के मामले पाये गये। इस अध्याय में इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के उल्लंघन से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ दी गई हैं।

4.2 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114(3) का लगातार उल्लंघन - सी.बी.डी.टी द्वारा करों की वापसी पर ब्याज पर किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 114(3) अनुबंधित करता है कि विधि अनुसार किए गए विनियोग के अतिरिक्त भारत की समेकित निधि (सी.एफ.आई.) से कोई धन आहरित नहीं किया जाएगा। अतिरिक्त कर की वापसी पर ब्याज का भुगतान भारत की समेकित निधि पर एक प्रभार है, तथा इसलिए यह केवल विधि अनुसार किए गए उचित विनियोग के अंतर्गत प्राधिकृत किए जाने के पश्चात ही देय है। वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 'ब्याज' को ब्याज व्यय के वर्गीकरण हेतु विनियोग की प्राथमिक इकाई के रुप में परिभाषित करता है।

राजस्व विभाग/केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) अतिरिक्त कर की वापसियों पर ब्याज का वर्गीकरण राजस्व में कमी के रूप में कर रहा है, तथा इस गलत प्रक्रिया पर संघ सरकार के लेखों पर नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन के साथ साथ प्रत्यक्ष करों पर नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन में भी निरंतर टिप्पणी की गई हैं, परंतु विभाग द्वारा कोई उपचारी कार्रवाई नहीं की गई है।

इस मामले की जांच लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा की गई तथा समिति ने अपनी 66वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा 2012-13) में टिप्पणी की विभाग के पास, पिछली प्रवृत्तियों के अध्ययन के आधार पर कर वापसियों पर ब्याज देयता पर व्यय के व्यापक अनुमान न बना पाने का कोई वैध आधार नहीं था।। विभाग ने स्वयं माना कि संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार, उसके पास संसद द्वारा

पारित विनियोग कानून की सहायता लिए बिना एकत्रित अतिरिक्त कर/वापसियों पर ब्याज को वापस लेने का कोई कानूनी प्राधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त, समिति ने विभाग को स्मरण करवाया था कि संविधान का अनुच्छेद 114(3) स्पष्ट रूप से अधिदेशित करता है कि विधायिका द्वारा किए गए विनियोग के अतिरिक्त भारत की समेकित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकेगा।

अपनी अनुपालना रिपोर्ट (15वीं लोक सभा 2013-14 की 96वीं रिपोर्ट) में पी.ए.सी. ने अपनी पहले की अनुशंसाओं को दोहराया था कि मंत्रालय संवैधानिक प्रावधानों तथा वित्तीय नियमों के अनुरूप एक प्रक्रिया स्थापित करे ताकि वार्षिक वित्तीय विवरणों तथा अनुदान हेतु मांगों में कर वापसियों पर ब्याज भुगतानों को दर्शाकर संसदीय स्वीकृति प्राप्त की जा सके जैसा कि संविधान द्वारा विहित है।

अतीत की तरह, वित्तीय वर्ष 2014-15 में भी बजट अनुमानों में वापसियों पर ब्याज के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था तथा विभाग द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वापसियों पर ब्याज पर कुल ₹5,332 करोड़ का व्यय किया गया था। आवश्यक विनियोग के माध्यम से संसद की स्वीकृति प्राप्त किए बिना पिछले सात वर्षों की अवधि में ब्याज भुगतानों पर ₹48,235 करोड़ का व्यय किया गया था जिसका विवरण नीचे **तालिका 4.1** में दिया गया है:

तालिका 4.1: करों की वापसी पर ब्याज पर व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वापसियों पर ब्याज पर व्यय
2008-09	5,778
2009-10	6,876
2010-11	10,499
2011-12	6,486
2012-13	6,666
2013-14	6,598
2014-15	5,332
कुल	**48,235**

मामला अक्तूबर 2015 में राजस्व विभाग को संदर्भित किया गया था। मंत्रालय ने अपने उत्तर (नवम्बर 2015) में बताया कि वित्त मंत्री की स्वीकृति से, महान्यायवदी के राय के आधार पर लो.ले.स. की सिफारिशें स्वीकार नहीं की। अपनी सिफारिशें करने के दौरान लो.ले.स. द्वारा अपने 66वें एवं 96वें प्रतिवेदन में विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताये गये कारणों को पहले ही विचारार्थ लिया गया था।

4.3 बजट रेखा के बिना किया गया व्यय

भारत के संविधान का अनुच्छेद 114(3) प्रावधान करता है कि विधि अनुसार किये गये विनियोग के अतिरिक्त भारत की समेकित निधि से कोई धन आहरित नहीं किया जाएगा।

वर्ष 2014-15 के लिए डाक विभाग तथा दूरसंचार विभाग से सम्बन्धित क्रमशः अनुदान संख्या 13 तथा 14 के शीर्षवार विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि संसदीय प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त किसी बजट प्रावधान के बिना ₹521.85 करोड़ की राशि खर्च की गई थी जैसा **तालिका 4.2** में विवरण दिया गया है।

तालिका 4.2: बजट रेखा के बिना किया गया व्यय

अनुदान संख्या तथा लेखा शीर्ष	राशि (₹करोड़ में)	विभाग का उत्तर
13-डाक विभाग		
3201.05.053.01.04.27	0.01	विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि त्रुटि गलत वर्गीकरण के कारण हुई और सही वस्तु शीर्षों का चित्रण ई-लेखा में कर दिया गया है और भविष्य में पुरावृत्ति नहीं होगी।
3201.06.101.04.01.31	0.40	
3201.06.101.04.03.31	0.03	
3201.06.101.05.00.28	14.79	
3201.08.101.02.01.28	7.59	
3201.08.101.03.01.28	0.02	
3201.08.101.04.01.28	18.76	
3201.08.101.05.01.28	1.13	
5201.00.202.02.00.53	0.65	
14 – दूरसंचार विभाग (दू.वि.)		
2071.01.101.01.03.04	346.48	विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि अक्तूबर 2013 में बी.ई. 2014-15 अनुमान बनाने के समय पर डी.ओ.टी. द्वारा एम.टी.एन.एल पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा था। एम.टी.एन.एल कर्मचारियों को पेंशन भुगतान का अनुमान बीई में शामिल नहीं किया जा सका था क्योंकि डी.ओ.टी. द्वारा अप्रैल 2014 से एम.टी.एन.एल. कर्मचारियों को पेशन का भुगतान सरकार द्वारा जनवरी 2014 में अनुमोदित किया गया था। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि विभाग को अनुपूरक प्रावधान के लिए जाना चाहिए। यह बजट के दोषपूर्ण प्रणाली का सूचक है।
2071.01.102.01.03.04	61.28	
2071.01.104.01.03.04	70.70	
2071.01.105.02.03.04	0.01	
जोड़	**521.85**	

4.4 कैंटीन स्टोर्स विभाग (सी.एस.डी) में व्यय बजट से प्राप्ति/विविध आय शीर्ष को निधि का पुर्नविनियोजन

वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली के नियम 8 के अनुसार वस्तु 'शीर्ष 45-ब्याज' में पूंजी पर ब्याज और ऋणों पर छूट शामिल होगा।

अनुदान सं. 20-रक्षा मंत्रालय और वर्ष 2014-15 के सी.एस.डी के वार्षिक लेखाओं की जांच से पता चला कि यद्यपि सी.एस.डी के लेखे में कोई ऋण नहीं था परन्तु अनुदान की विस्तृत मांग में वस्तु 'शीर्ष 45-ब्याज' के अन्तर्गत ₹140.00 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया था।

सी.एस.डी के वार्षिक लेखों तथा लाभ-हानि लेखे की जांच से पता चला कि वस्तु 'शीर्ष 45-ब्याज' के अन्तर्गत संसद द्वारा प्राधिकृत राशि की "पूंजी पर ब्याज के प्रति अंशदान/अनुदान सहायता" के रूप में "प्राप्ति/विविध आय" को विपथित कर दिया गया। सी.एस.डी में यह कार्यप्रणाली अनेक वर्षों से प्रचलित रही है।

2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान सी.एस.डी द्वारा अंशदान/अनुदान सहायता (पूंजी पर ब्याज के प्रति) के रूप में ₹624.43 करोड़ की राशि व्यय बजट से प्राप्ति/विविध आय को विपथित की गई थी। विवरण नीचे **तालिका** में दर्शाए गए है:

तालिका 4.3: वस्तु 'शीर्ष 45-ब्याज' के अन्तर्गत व्यय का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	(ब्याज) के अन्तर्गत वास्तविक व्यय (सी एस डी)
2014-15	145.20
2013-14	132.67
2012-13	119.83
2011-12	115.14
2010-11	111.59
जोड़	**624.43**

महानियंत्रक-रक्षा लेखा (सी.जी.डी.ए) ने बताया (सितम्बर 2015) कि पूंजी पर ब्याज का संकलन वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग के दिनांक 27 दिसम्बर 1983 के निर्देश के अनुसार अनुदान सं. 20-रक्षा मंत्रालय (सिविल) में मुख्य शीर्ष 2075 के अन्तर्गत किया जा रहा था। सी.जी.डी.ए ने आगे बताया कि हमारी लेखा पुस्तकों में इन शीर्षों को खोलने से पूर्व सी.जी.ए कार्यालय, सी.ए.जी.

कार्यालय और डी.जी.ए.डी.एस कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था और यह प्रक्रिया सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन से अपनाई गई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ब्याज भुगतान के प्रति व्यय हेतु संसद द्वारा प्राधिकृत राशि आखिरकार सी.एस.डी. वार्षिक लेखों के अन्तर्गत अंशदान/अनुदान सहायता (पूंजी पर ब्याज के प्रति) द्वारा 'प्राप्ति/विविध आय' के रूप में लेखांकित की गई थी, यद्यपि सी.एस.डी. के लेखे में कोई ऋण लंबित नहीं था।

4.5 प्रावधानों के संवर्धन हेतु वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने में विफलता

4.5.1 वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के लिए प्रावधान में संवर्धन

नई सेवा (एन.एस)/सेवा के नए साधन (एन.आई.एस.) से संबंधित मामलों का निर्धारण करते समय लागू किये जाने वाली वित्तीय सीमाओं के संबंध में मई 2006 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी मामलों में भारत की समेकित निधि से किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को वस्तु शीर्ष- सहायता अनुदान में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधानों में संवर्धन केवल संसद की पूर्व संस्वीकृति से ही किया जा सकता है।

विनियोग लेखों तथा ई.लेखा आंकड़ों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि चार अनुदानों के पॉच मामलों में विभिन मंत्रालयों/विभागों द्वारा संसद की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना विभिन्न निकायों/प्राधिकरणों को वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के अंतर्गत प्रावधान के संवर्धन द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान के ₹ 60.25 करोड़ का कुल व्यय किया गया था, जिसके फलस्वरूप एन.एस/एन.आई.एस. की सीमाओं का उल्लंघन हुआ। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

तालिका 4.4: वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के प्रावधान का संवर्धन

क्र.सं.	लेखा-शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य. *	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.11-वाणिज्य विभाग							
1.	3453.00.800.33.00.31 बाजार पहुँच पहल निर्यात अध्ययन	199.99	-	-	199.99	199.9931	0.0031
बाजार पहुँच पहल नियति अध्ययनों हेतु विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि अधिक बुकिंग विदेश मंत्रालय को आबंटित निधियों के कारण थी और विभाग कारणों की पूछताछ कर रहा है							

क्र.सं.	लेखा-शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य. *	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.52-लोक उद्यम विभाग							
2.	2852.80.800.30.01.31 राज्य स्तर लोक उद्यमों (एस एल पी ई) के अधिकारियों का कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.80	0.10	-	0.90	1.02	0.12
विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि एन ई आर से सम्बन्धित मुख्य शीर्ष 2552 के अंतर्गत कुल बजट आवंटन का उल्लंघन नहीं हुआ था। इसलिए संसद का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं था क्योंकि एन एस/एन.आई.एस की सीमा के उल्लंघन की शर्ते पूरी नही हुई थी। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि अक्रियाशील शीर्ष 2552.00.317.02.00.31 के अन्तर्गत प्रावधान,उस योजना के लिये नहीं था जो पुर्नविनियोजित किये गए क्रियात्मक शीर्ष के अंतर्गत थी।							
अनुदान सं.59-स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग							
3.	2202.01.789.03.01.31 स्कूलों में अपरान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम	0.00	-	-	0.00	50.00	50.00
विभाग ने बताया (सितम्बर 2015) कि राजस्व खण्ड में सीधे व्यय तथा राज्यों/यूटी को अनुदान सहायता के बीच निधियों का पुनर्विनियोग डी एफ पी आर के नियम 10 के नीचे जी आई ओ 3(ii) के अनुसार किया गया था और वित्त मंत्रालय की उसके लिए सहमति ली गई थी। मामला पूरक अनुदान के पहले बैच में संसद को सूचित किया गया था। विभाग का उत्तर इस तथ्य के मददेनजर मान्य नहीं है कि व्यय को प्रत्येक मद की एक निश्चित बजट रेखा निर्धारित रहती है और संसद द्वारा अलग से अनुमोदित की जाती है। किसी मामले को संसद को सूचित करने का अर्थ संसद का अनुमोदन मांगना नहीं है। ऊपर संदर्भित वित्त मंत्रालय के निर्देश और बाद के स्पष्टीकरणों के अनुसार अनुदान सहायता (उस मामले, जहाँ योजना नई नहीं है, में राज्यों/यूटी को अन्तरणों को छोड़कर) से सम्बन्धित वस्तु शीर्षों के प्रावधान के संबर्धन के सभी मामलों में संसद द्वारा पूर्व अनुमोदन आवश्यक होता हैं।							
अनुदान सं.60-उच्च शिक्षा विभाग							
4.	2203.00.789.25.00.31 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	37.12	4.12	-	41.24	47.99	6.75
5.	2203.00.796.25.00.31 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	18.56	2.06	-	20.62	24.00	3.38
विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि निधियों का संवंर्धन संसद से सांकेतिक पूरक प्राप्त करने के बाद पुनर्विनियोग के माध्यम से किया गया था। विभाग का उत्तर इस तथ्य के मददेनजर मान्य नहीं है कि प्रत्येक बजटीय मद/संघटक जैसे सामान्य संघटक, अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र उप योजना के लिए विशेष संघटक योजना के लिए राशि विशेष ब्यौरा दिए बिना संसद से एक मुश्त पूरक अनुदान का अनुमोदन प्राप्त किया गया था। विभाग को प्रत्येक संघटक के लिए अलग-अलग राशि अनुसार अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए था क्योंकि तोनों संघटकों की विभिन्न बजट रेखाएँ थीं।							
	जोड़						**60.25**

* ब.अ.= बजट अनुदान, उ.पू.= मु.शी. *2552/4552/6552*, के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान, अ.प्रा.= अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा.=कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)

4.5.2 वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के प्रावधान का संवर्धन

नई सेवा (एनएस.)/सेवा के नए साधन (एन.एस.आई.) से संबंधित मामलों का निर्धारण करते समय लागू किये जाने वाली वित्तीय सीमाओं के संबंध में मई 2006 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी मामलों में भारत की समेकित निधि से किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को वस्तु शीर्ष- सहायता अनुदान में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधानों में संवर्धन केवल संसद की पूर्व संस्वीकृति से ही किया जा सकता है।

वित्त मंत्रालय ने अपने का.ज्ञा. दिनांक 12 फरवरी 2010 के का.ज्ञा. द्वारा विनियोग की प्राथमिक ईकाई के स्तर पर पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय को विशिष्ट रूप से प्रदर्शित करने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2009-2010 से तत्काल प्रभाव से एक नया वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' खोला। मंत्रालय ने दिनांक 21 मई 2012 के का.ज्ञा. से आगे स्पष्ट किया कि वस्तु शीर्ष '35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अन्तर्गत पुर्नविनियोग के माध्यम से प्रावधान का संवर्धन अनुदानों के लिए पूरक मांगों के माध्यम से संसद के पूर्व अनुमोदन से ही किया जा सकता है।

संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि दो अनुदानों के नौ मामलों में कुल ₹144.72 करोड़ की निधियां मौजूदा प्रावधानों के उल्लंघन में संसद के पूर्व अनुमोदन बिना वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत संवर्धित की गई थी जिससे एन.एस/एन.आई.एस. की सीमाओं का उल्लंघन हुआ। निम्न तालिका उन शीर्षों का ब्यौरा देती है जहाँ संसद के अनुमोदन बिना दो अनुदानों में संवर्धन किया गया था।

तालिका 4.5: वस्तु शीर्ष 'पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत प्रावधान का संवर्धन

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.04-परमाणु ऊर्जा विभाग							
1.	3401.00.004.10.26.35 भौतिकी विभाग, भुवनेश्वर	1.25	-	1.25	2.50	4.00	1.50

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.60-उच्च शिक्षा विभाग							
2.	2203.03.789.03.02.35 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-केन्द्रीय विश्व विद्यालय	200.03	15.61	-	215.64	260.64	45.00
3.	2202.03.796.03.02.35 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-केद्रीय विश्वविद्यालय	99.96	7.81	-	107.77	149.02	41.25
4.	2203.00.789.38.00.35 सीमान्त क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	0.32	-	-	0.32	2.96	2.64
5.	2203.00.789.26.00.35 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.)	114.15	51.59	-	165.74	195.75	30.01
6.	2203.00.796.26.00.35 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.)	57.08	25.80	-	82.88	97.88	15.00
7.	2203.00.789.47.00.35 अन्य संस्थानों जैसे स्लाईट, नेरिस्ट, निफ्ट राँची, सी.आई.टी., कोकराझार को सहायता	2.10	3.60	-	5.70	11.70	6.00
8.	2203.00.796.47.00.35 अन्य संस्थानों जैसे स्लाईट, नेरिस्ट, निफ्ट राँची, सी.आई.टी., कोकराझार को सहायता	1.05	1.80	-	2.85	5.85	3.00
9.	2203.00.796.50.00.35 डिजाईन नवीनता हेतु राष्ट्रीय पहल	0.23	-	-	0.23	0.55	0.32
उच्च शिक्षा विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि निधियों का संवर्धन संसद से सांकेतिक पूरक प्राप्त करने के बाद पुर्नविनियोजन द्वारा किया गया था। विभाग का उत्तर इस तथ्य के मददेनजर मान्य नहीं है कि प्रत्येक बजटीय मद/संघटक जैसे सामान्य संघटक, अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र उप योजना के लिए विशेष संघटक योजना के लिए राशि विशेष ब्यौरा दिए बिना संसद से एक मुश्त पूरक अनुदान का अनुमोदन प्राप्त किया गया था। विभाग को प्रत्येक संघटक के लिए अलग-अलग राशि अनुसार अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए था क्योंकि तीनों संघटकों की विभिन्न बजट रेखाएँ थीं।							
	जोड़						**144.72**

*ब.अ.= बजट अनुदान, उ.पू.= मु.शी. *2552/4552/6552*, के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विास हेतु प्रावधान अ.प्रा.= अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)

4.5.3 वस्तु शीर्ष '36- सहायता अनुदान-वेतन' के प्रावधान का संवर्धन

वित्त मंत्रालय ने दिनांक 7 जून 2011 के अपने का.ज्ञा. के माध्यम से वेतनों के भुगतान हेतु सहायता अनुदान पर व्यय को विशेष रूप से दर्शाने के उद्देश्य से 01 अप्रैल 2011 से प्रभावी एक नया वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' आरंभ किया। मंत्रालय ने दिनांक 21 मई 2012 के का.ज्ञा. द्वारा आगे स्पष्ट किया कि वस्तु शीर्ष '36- सहायता अनुदान-वेतन' के अंतर्गत प्रावधान में संवर्धन करने के लिए अनुदान हेतु अनुपूरक मांगों के माध्यम से संसद का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो अनुदानों के तीन मामलों में ₹8.29 करोड़ की कुल निधियाँ वर्तमान प्रावधानों के उल्लंघन में संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' के अंतर्गत संवर्धित की गई थी जिससे एन.एस./एन.आई.एस. की सीमाओं का उल्लंघन हुआ। निम्न तालिका उन शीर्षों का ब्यौरा देती है जहाँ संसद के अनुमोदन बिना संवर्धन किया गया था।

तालिका 4.6: वस्तु शीर्ष 'सहायता अनुदान-वेतन' के प्रावधान का संवर्धन

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.8-औषघ विभाग							
1.	2852.05.206.02.01.36 राष्ट्रीय औषद्य शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एन आई पी ई आर)	11.77	-	-	11.77	15.61	3.84
विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि हेतु संशोधित अनुमान 2014-15 में बढ़े हुए गैर-योजनागत राजस्व बजट की बजट प्रमाग, वित्त मंत्रालय की सूचना के बाद पुनर्विनियोग आदेश जारी कर एन.आई.पी.आर.मोहाली हेतु वेतन का प्रावर्धन संवर्धित किया गया है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि भारत की समेकित निधि से किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकरण को वस्तु शीर्ष 'अनुदान सहायता' के अंतर्गत पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान का संवर्धन केवल अनुदानों हेतु पूरक मांगों के माध्यम से संसद के पूर्व अनुमोदन से ही किया जा सकता है।							

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.60-उच्च शिक्षा विभाग							
2.	2203.00.789.09.00.36 भारतीय प्रबन्धन संस्थान	1.89	0.13	-	2.02	5.00	2.98
3.	2203.00.796.09.00.36 भारतीय प्रबन्धन संस्थान	0.95	0.08	-	1.03	2.50	1.47
विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि निधियों का संवर्धन संसद से सांकेतिक पूरक प्राप्त करने के बाद पुनर्विनियोग के माध्यम से किया गया था। विभाग का उत्तर इस तथ्य के मददेनजर मान्य नहीं है कि प्रत्येक बजटीय मद/संघटक जैसे सामान्य संघटक, अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र उप योजना के लिए विशेष संघटक योजना के लिए राशि विशेष ब्यौरा दिए बिना संसद से एक मुश्त पूरक अनुदान का अनुमोदन प्राप्त किया गया था। विभाग को प्रत्येक संघटक के लिए अलग-अलग राशि अनुसार अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए था क्योंकि तीनों संघटकों की विभिन्न बजट रेखाएँ थीं।							
	योग						**8.29**

* ब.अ.= बजट अनुदान उ.पू. = मु.शी. *2552/4552/6552,* के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान जैसा कि अ.वि.मां. में दर्शाया गया, अ.प्रा. = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)

4.5.4 वस्तु शीर्ष '33-सब्सिडी' के प्रावधान का संवर्धन

मई 2006 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, पुनर्विनियोग के माध्यम से वस्तु शीर्ष 'सब्सिडी' के अंतर्गत उपलब्ध विनियोग में प्रावधान के संवर्धन हेतु, यदि अतिरिक्तता, पहले से संसद द्वारा दत्तमत्त मौजूदा विनियोग के 10 प्रतिशत अथवा ₹10 करोड़, जो भी कम है, से अधिक है तो संसद की पूर्वस्वीकृति अपेक्षित है।

विनियोग लेखाओं के साथ ई-लेखा डाटा की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि दो अनुदानों के चार मामलों में संसद का पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना वस्तु शीर्ष '33-सब्सिडी' के अंतर्गत प्रावधान के संवर्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कुल ₹202.04 करोड़ की निधियॉ व्यय की गई थीं। **तालिका** 4.7 ऐसे-शीर्षो का ब्यौरा दर्शाती है जहॉ संसद के पूर्व अनुमोदन बिना संवर्धन किया गया था जिससे एन.एस./एन.आई.एस की सीमाओं का उल्लंघन हुआ।

तालिका 4.7: वस्तु शीर्ष 'सब्सिडी' के प्रावधान का संवर्धन

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.10 कोयला मंत्रालय							
1.	2803.00.101.03.00.33 कोयला तथा कोक पर उपकर (उत्पाद शुल्क) के संग्रहण के प्रति भुगतान	169.83	00**	-	169.83	185.00	15.17
मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि चालू वित्त वर्ष से अक्रिया शील शीर्ष (एम एच 2552) के स्थान पर संबंधित योजनाओं के कार्यात्मक शीर्ष (एम.एच 2803) के अन्तर्गत जनजातीय उप-योजना (टी.एस.पी.) के लिए प्रावधान किया गया था। अत: भविष्य में टी एस पी संघटक का उपयोग करने के लिए किसी पुनर्विनियोग की आवश्यकता नहीं होगी। वर्ष 2014-15 के दौरान अक्रियात्मक शीर्ष 2552 में जनजातीय उप-योजना (टी.एस.पी.) के अंतर्गत वस्तु शीर्ष 'सब्सिडी' से क्रियात्मक शीर्ष 2803 के अंतर्गत सामान्य घटक हेतु वस्तु शीर्ष 'सब्सिडी' को पुनर्विनियोजन अनियमित था जिससे शीर्ष 2803 के अंतर्गत संसद की पूर्वानुमति के बिना संवर्धन हुआ।							
अनुदान सं.12-औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग (डी आई पी पी)							
2.	2885.02.101.04.00.33 केन्द्रीय ब्याज सब्सिडी योजना	0.01	-***	-	0.01	25.77	25.76
3.	2885.02.101.05.00.33 पूर्वोत्तर हेतु व्यापक बीमा योजना	0.01	-	-	0.01	1.88	1.87
4.	2885.02.101.10.00.33 पूंजी निवेश सब्सिडी	0.01	-	35.00	35.01	194.25	159.24
विभाग ने बताया (सितम्बर 2015) कि किसी ब्योरे बिना अकार्यात्मक शीर्ष 2552.00.238.07.00.33 में पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश एवं संवर्धन नीति (एन.ई.आई.आई.पी.पी.) के अन्तर्गत सब्सिडी के लिए एक मुश्त प्रावधान बजट प्रभाग द्वारा इस आशय से किया था कि वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाली मांगों के अनुसार एन.ई.आई.आई.पी.पी की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सब्सिडी जारी करने में बेहतर उत्तोलन रखा जा सके। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योकि विभाग ने वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के लिए डी.डी.जी. में कार्यात्मक शीर्षों से स्पष्ट रूप से मेल खाते हुए अकार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत योजना-वार ब्यौरा प्रदान किया था। 'सब्सिडी' इसके अतिरिक्त, चूंकि 'सब्सिडी' वस्तु शीर्ष के अन्तर्गत संवर्धन संसद के पूर्व अनुमोदन से किया जा सकता है इसलिए योजनावार ब्यौरे दिए जाने आवश्यक हैं। मामले का सी ए जी के 2015 प्रतिवेदन की सं.1 में भी उल्लेख किया गया था।							
योग							**202.04**

* ब.अ.= बजट अनुदान उ.पू. = मु.शी. *2552/4552/6552*, के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान जैसा कि अ.वि.मां. में दर्शाया गया, अ.प्रा. = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)

**यद्यपि अकार्यात्मक शीर्ष 2552 में जनजातीय उपयोजना (टी.एस.पी.) संघटक के लिए ₹15.17 करोड़ का प्रावधान किया गया था तथापि कार्यात्मक शीर्ष 2803 में जन जातीय उप योजना संघटक नहीं था।

***यद्यपि 2552.00.238.07.00.33- पूर्वोत्तर राज्यों/पूर्वोत्तर औद्योगिक तथा निवेश संवर्धन नीति के लिए पैकेज के अन्तर्गत ₹186.87 करोड़ का प्रावधान किया गया था तथापि कार्यात्मक शीर्ष के संगत अकार्यात्मक शीर्ष के अन्तर्गत योजना वार ब्यौरे दिए नहीं गए थे जैसा बजट प्रभाग का.ज्ञा.सं. एफ 2(66) बी (सी.डी.एन.) /2001, दिनांक 14 सितम्बर 2015 के अनुसार अपेक्षित था।

4.5.5 वस्तु शीर्ष 'मुख्य निर्माण कार्य' तथा 'मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत प्रावधान का संवर्धन

वित्त मंत्रालय ने नयी सेवा/सेवा के नए साधन से संबंधित वित्तीय सीमाओं पर दिशा निर्देश से संबंधित दिनांक 25 मई 2006 के का.ज्ञा.के संदर्भ में स्पष्ट किया (दिनांक 21 मई 2012 तथा 5 अक्तूबर 2012) कि वस्तुशीर्ष '52-मशीनरी तथा उपकरण' एवं '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत संवर्धन पर एन.एस./ एन.आई.एस के मामलों के संबंध में ₹2.5 करोड़ से अधिक अथवा पहले से दत्तमत्त विनियोग के 10 प्रतिशत से अधिक, जो भी कम हो, की निधियों के संवर्धन से संबंधित सभी मामलों में संसद की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी, चाहे संवर्धन नए निर्माण कार्यों के लिए हो अथवा मौजूदा निर्माणों के लिए।

विनियोग लेखे की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि निम्नलिखित तीन अनुदानों के छः मामलों में कुल ₹41.12 करोड़ की निधियों का विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान संसद का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना संवर्धन किया गया जिससे नयी सेवा/सेवा के नये साधनों की सीमाओं का उल्लंघन हुआ। **तालिका 4.8** ऐसे शीर्षों का ब्यौरा देती है जहाँ संसद का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना संवर्धन किया गया था जिससे एन.एस/एन.आई.एस की सीमाओं का उल्लंघन हुआ।

तालिका 4.8: वस्तु शीर्ष 'मुख्य निर्माण-कार्य' तथा 'मशीनरी एवं उपकरण' के प्रावधान का संवर्धन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
अनुदान सं.04- परमाणु ऊर्जा विभाग							
1.	5401.00.201.26.08.53 अवसंरचना विकास कार्यक्रम	9.05	-	-	9.05	11.90	2.85
अनुदान सं.20-रक्षा मंत्रालय (सिविल)							
2.	4047.00.037.01.02.53 तट रक्षक संगठन कोड हेतु (042/02)	250.00	-	6.73	256.73	260.50	3.77
रक्षा मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2015) कि शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधान संशोधन के पश्चात ₹252.50 करोड़ किया गया था और कि दत्तमत खण्ड के अन्तर्गत केवल ₹1.27 करोड़ का अधिक व्यय था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मंत्रालय ने संशोधित विनियोग के संदर्भ में अधिक व्यय की गणना की है जिसे संसद का अनुमोदन प्राप्त नहीं है।							
अनुदान सं.92-अन्तरिक्ष विभाग							
3.	3402.00.101.01.00.52 विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र	8.00			8.00	14.00	6.00
4.	5402.00.102.06.00.52 आपदा प्रबन्धन सहायता	5.35	-	-	5.35	10.06	4.71

5.	5402.00.103.09.00.52 मार्स आरबिटर मिशन	3.59	-	-	3.59	24.83	21.24
6.	3402.00.101.55.00.52 इसरो नोदन परिसर (आई.पी.आर.सी)	2.54	-	-	2.54	5.09	2.55
लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि उन्होने संसद के पूर्व अनुमोदन बिना वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी तथा उपकरण' और '53-प्रमुख निर्माण कार्य' के संबंध में निधियों का संवर्धन न करने के संबंध में अपने सभी केन्द्रों/यूनिटों/परियोजनाओं को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।							
योग							**41.12**

* ब.अ.= बजट अनुदान उ.पू. = मु.शी. 2552/4552/6552, के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान अ.प्रा. = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)

4.5.6 वस्तु शीर्ष '55 ऋण एवं अग्रिम' के अंतर्गत अधिक व्यय

नई सेवा/सेवा के नए साधन से सम्बन्धित मामलों के निर्धारण करने में लगाई जाने वाली वित्तीय सीमाओं से सम्बन्धित मई 2006 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किसी वर्तमान सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनी/निगम को किसी वित्त वर्ष में भारत की समेकित निधि से ₹1 करोड़ से अधिक का ऋण अनुदान देने के लिए, जहाँ कोई बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं पूरक मांग के माध्यम से संसद का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

वर्ष 2014-15 के लिए विद्युत मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान सं.77 के विनियोग लेखे और अन्य सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि एन.टी.पी.सी. से प्राप्त बोनस ऋण-पत्रों की बुकिंग के लिए संसद का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना उप-शीर्ष 6801.00.190.07-एन.टी.पी.सी. को ऋण के अंतर्गत वस्तु 'शीर्ष 55-ऋण एवं अग्रिम' के अन्तर्गत शून्य बजट प्रावधान के प्रति मंत्रालय द्वारा लेखाओं में ₹7,725.77 करोड़ का ऋण बुक किया गया था जिससे एन आई एस की सीमाओं का उल्लंघन हुआ।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2015) कि भारत सरकार के पक्ष में एन टी पी सी द्वारा बोनस ऋणपत्र जारी करने से संबंधित लेन-देन 26 मार्च 2015 को हुआ था। अत: लेन-देन 26 मार्च 2015 बोनस ऋण पत्रों का उपर्युक्त मामला विनियोग लेखे 2014-15 के सदृश संघ सरकार वित्त लेखे में प्रदर्शित करने के उद्देश्य से एम.एच '6801' को कोन्ट्रा डेबिट करते हुए प्राप्ति मुख्य शीर्ष '4000' के अन्तर्गत लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप एन.टी.पी.सी. को ऋण हो गया। यद्यपि यह विनियोग लेखे में आधिक्य के रूप में प्रदर्शित हुआ परन्तु वास्तुव में अनुमोदित बजट से अधिक कोई नकद संवितरण नहीं हुआ था। तथापि विनियोग लेखे के अनुसार अधिक व्यय हुआ है।

4.6 पूंजीगत लेखे के बजाय राजस्व लेखे के अंतर्गत तथा प्रतिक्रम में व्यय का गलत वर्गीकरण

भारत के संविधान का अनुच्छेद 112(2) अनुबंधित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरणियों में राजस्व लेखे पर व्यय अन्य व्यय से भिन्न दर्शाया जायेगा। तदनुसार राजस्व लेखे एवं पूंजीगत लेखे पर व्यय का वर्गीकरण करने हेतु सिद्धान्तों की अनुपालना की जानी चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं.1 में राजस्व प्रकृति के व्यय के पूंजीगत व्यय के रूप में तथा प्रतिक्रम में गलत वर्गीकरण के मामले इंगित किए गए थे। फिर भी कुछ मंत्रालयों/विभागों ने गलत संसदीय प्राधिकरण प्राप्त करना जारी रखा जो अंतिम व्यय को दर्ज करने में गलत वर्गीकरण का कारण बना जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4.6.1 पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 विनियोग की प्राथमिक इकाईयों का वर्गीकरण करता है। 51 से 56 तथा 60 वस्तु शीर्ष को वर्ग छः में समाहित किया गया है। जैसा **अनुबंध 4.1** में दर्शाया गया है। ये वस्तु शीर्ष पूंजीगत प्रवृत्ति के व्यय की बुकिंग से संबंधित है, और इसलिए केवल पूंजीगत मुख्य शीर्ष के सदृश ही होने चाहिए।

वर्ष 2014-15 हेतु ई-लेखा डाटा सहित शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा में छः मंत्रालयों/विभागों से सम्बन्धित 10 मामलों का पता चला जहाँ इन वस्तु शीर्षों का राजस्व मुख्य शीर्षों के साथ उपयोग किया गया था जैसा नीचे **तालिका** में दर्शाया गया है, यदि यह व्यय पूंजीगत परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण तथा अन्य पूंजीगत व्यय के प्रति किया जाता, इसका परिणाम पूंजीगत व्यय को ₹248.19 करोड़ से कम बताये जाने में होता।

तालिका 4.9: पूंजीगत प्रकृति के व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	वस्तु शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
1.	04-परमाणु ऊर्जा विभाग	2852	51/52/60	16.14	उत्तर प्रतीक्षित है।
2.		3401	51/52	11.05	उत्तर प्रतीक्षित है।

क्र. सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	वस्तु शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
3.	20-रक्षा मंत्रालय	2037	52	78.62	मंत्रालय ने स्वीकार करते हुए बताया (अक्तूबर 2015) कि वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' 2015-16 से निकाल दिया गया है।
4.		2075	53	6.84	मंत्रालय ने स्वीकार करते हुए बताया (अक्तूबर 2015) कि वस्तु शीर्ष '53 मुख्य निर्माण कार्य' 2015-16 से निकाल दिया गया है।
5.	92-अन्तरिक्ष विभाग	3402	52	35.24	विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि उन्होने अपने सभी केन्द्रों/यूनिटों/परियोजनाओं को 2015-16 से राजस्व खंड के अंतर्गत इस वस्तु शीर्ष को प्रचालित न करने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिये हैं।
6.	60-उच्च शिक्षा विभाग	2202	53	1.91	विभाग ने कहा (अक्तूबर 2015) कि मामले को भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया है।
7.	62-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	2230	52	9.72	मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2015) कि 2015-16 से राजस्व खंड में वस्तु शीर्ष '52' के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
8.	106-जल संसाधन मंत्रालय	2701	51/52/53	23.60	उत्तर प्रतीक्षित है।
9.		2702	51/52/53	59.74	
10.		2711	51/52	5.33	
	योग			**248.19**	

व्यय आंकड़े स्रोत: ई-लेखा डाटा डम्प/समेकित सार

4.6.2 राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली,1978 (डी.एफ.पी.आर.) का नियम 8, मोटे तौर पर वस्तु वर्ग 6 के अतिरिक्त किसी भी अन्य वर्ग के अंतर्गत आने वाले वस्तु शीर्षों को राजस्व प्रकृति के व्यय के तौर पर वर्गीकृत करता है। तदनुसार, वस्तु वर्ग 6 के अतिरिक्त अन्य किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले वस्तु शीर्षों को सामान्यत: पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप नहीं होना चाहिए।

वर्ष 2014-15 के शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं व ई-लेखा डाटा की लेखापरीक्षा संवीक्षा से चार मंत्रालयों/ विभागों से संबंधित सात मामले प्रकाश में आए जहॉं राजस्व प्रकृति के वस्तु शीर्षों को गलत प्रकार से पूंजीगत मुख्य शीर्षों के साथ परिचालित किया गया था। यदि यह व्यय पूंजीगत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण एवं अन्य पूंजीगत मदों पर नहीं किया गया होता तो इन गलत वर्गीकरणों का परिणाम संघ सरकार के राजस्व व्यय को ₹124.99 करोड़ से कम दर्शाए जाने में होता जैसा कि **तालिका 4.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.10: राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
1.	04-परमाणु ऊर्जा विभाग	4861	27	54.75	उत्तर प्रतीक्षित है।
2.		5401	27	3.71	उत्तर प्रतीक्षित है।
3.	96-पर्यटन मंत्रालय	5452	28	1.71	मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2015) कि वह किसी भी नये अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व परियोजना प्रबंधन सलाहकार पर व्यय को "व्यावसायिक सेवाएँ" शीर्ष के अंतर्गत बुकिंग के मामले को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठायेगा।
4.	98-अंडमान एवं निकोबार	4801	21	55.54	मुख्य वेतन तथा लेखा कार्यालन ने आश्वासन दिया था कि 2015-16 से वर्गीकरण सही प्रकार किया जाएगा। तथापि सम्बन्धित विभाग की टिप्पणियां प्रतीक्षित है।
5.		5052	50	1.05	
6.		5452	50	6.23	
7.	102- लक्षद्वीप	4810	35	2.00	विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि मामला उपचारी कार्रवाई हेतु मंत्रालय/सी.जी.ए. के साथ उठाया गया और मंत्रालय ने सलाह दी है कि राजस्व खंड के अंतर्गत वस्तु शीर्ष 35 प्रचालित किया जाना चाहिए।
	कुल योग			124.99	

4.6.3 व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण पर ₹365 करोड़ की राशि के व्यय का पूंजीगत खंड में गलत दर्ज किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 79 के साथ पठित सरकारी लेखांकन नियमावली, 1990 का नियम 31, अनुबंधित करता है कि स्थायी अथवा अल्पकालिक प्रकृति की ठोस परिसंपत्तियों के सृजन हेतु किया गया किसी प्रकार का व्यय पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। सृजित सम्पत्ति का स्वामित्व भी इसके सृजन पर हुए व्यय तथा अनुदान के पूंजीगत प्रभाग में वर्गीकृत किए जाने की अर्हता प्राप्त करने के लिए सरकार के पास रहेगा।

इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 48 में संदर्भित परिशिष्ट 3 का पैरा 4 अनुबंधित करता है कि बजट में कोई एक मुश्त प्रावधान नहीं किया जाएगा सिवाय उसके जहां आकस्मिक परिस्थिति से निपटने हेतु तुरंत उपाय प्रदान किए जाने हैं अथवा ऐसी परियोजना/योजना पर प्रारंम्भिक व्ययों को किया जाना है जिसे वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किए जाने हेतु सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार किया गया है। वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली का नियम 8 अनुबंधित करता है कि वस्तु शीर्ष '42- एक मुश्त प्रावधान' का उपयोग, योजनाओं, जिसका प्रावधान ₹10 लाख से अधिक न हो, के संबंध में व्यय को दर्ज करने हेतु किया जाना चाहिए।

वर्ष 2014-15 हेतु आर्थिक कार्य विभाग से सम्बन्धित अनुदान सं.33 के विनियोग लेखे के साथ समेकित सार एवं अनुदानों हेतु विस्तृत मांग की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वी.जी.एफ.) के रूप में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दी गयी सहायता के रूप में ₹365 करोड़ के व्यय को अनुदान के पूंजीगत प्रभाग में दर्ज किया गया था। चूंकि अवसंरचना विकास के लिए सहायता अनुदान, एक बार की अथवा आस्थगित, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के रूप में सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली के माध्यम से उन्हें व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने की दृष्टि से शुरू की गयी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ऐसे व्यय को वस्तु शीर्ष '42-एक मुश्त प्रावधान' के प्रति शीर्ष 5475- अन्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय, 12-अवसंरचना विकास व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण हेतु सहायता के अंतर्गत दर्ज करना ऊपर उल्लेखित नियमावली के विपरीत था। इस व्यय को अनुदान के राजस्व प्रभाग के तहत दर्ज किया जाना चाहिए था।

इसके अतिरिक्त, वस्तु शीर्ष '42-एक मुश्त प्रावधान' के तहत व्यय हेतु प्राप्त ₹670 करोड़ का प्रावधान मौजूदा निर्देशों के उल्लंघन में था, जो अनुबंधित करते हैं कि एक मुश्त प्रावधान ₹10 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। अन्य सभी मामलों में व्यय के अन्य विषयों के अनुसार विवरण दिया जाना चाहिए। इस विषय को म.नि.ले.प. के 2013, 2014 एवं 2015 के प्रतिवेदन सं.1 में भी इंगित किया गया था, लेकिन उचित शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान प्राप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए।

विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि व्यवहार्यता अन्तर वित्तपोषण पर व्यय हेतु राजस्व खंड के अधीन नया लेखा शीर्ष खोलना प्रक्रियाधीन था। मामला बजट प्रभाग, वित्त मंत्रालय के पास उनकी टिप्पणियों के लिए लम्बित था।

4.6.4 गलत वर्गीकरण के अन्य मामले

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 79 अनुबंधित करता है कि अनुरक्षण, मरम्मत, रख-रखाव तथा कार्य चालन व्ययों पर प्रभार, जो परिसंपत्तियों के क्रियात्मक स्थिति में अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, तथा संगठन के दिन-प्रति-दिन परिचालन हेतु स्थापना एवं प्रशासनिक व्ययों सहित, किये गये सभी अन्य व्यय को भी, राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

वर्ष 2014-15 के लिए शीर्षवार विनियोग लेखों के एवं ई-लेखा डाटा की लेखा परीक्षा संवीक्षा में तीन विभागों से सम्बन्धित पांच मामलों में पता चला कि राजस्व प्रकृति का व्यय, पूंजीगत व्यय के रूप में अथवा इसके प्रतिक्रम में वर्गीकृत किया गया था जिसका परिणाम राजस्व व्यय के अधिक बताए जाने/कम बताए जाने तथा ₹16.04 करोड़ द्वारा संघ सरकार के राजस्व घाटे पर प्रभाव होने में भी हुआ जैसा कि **तालिका 4.11** में दर्शाया गया है:

तालिका 4.11: अनुदान के विभिन्न प्रभागों के बीच गलत वर्गीकरण

क. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा आपत्ति	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
पूंजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण				
1.	11-वाणिज्य विभाग	180.00	फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफ.डी.डी.आई.) को (पटना, हैदराबाद एवं मध्य प्रदेश में गुना में) की नई शाखाओं की स्थापना तथा एफ.डी.डी.आई. प्रशिक्षण केन्द्र (छिंदवारा) में विस्तार एवं उन्नयन हेतु जारी ₹180.00 करोड़ की राशि को वस्तु शीर्ष 5453.80.800.10.01.53 'मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत अनुदान के पूंजीगत प्रभाग के लेखे में बुक किया गया। इस व्यय के वर्गीकरण हेतु सही वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' होना चाहिए था।	लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि वर्ष 2015-16 के लिये अनुदान हेतु मांग में मुख्य शीर्ष 3453 के अंतर्गत वस्तु शीर्ष 35 में आवश्यक बजट प्रावधान किया गया है।
2.		1.00	परिसर नेटवर्किंग केन्द्र (एफ.डी.डी.आई.-सी.एन.सी.) की स्थापना, वर्तमान कैंपसों तथा चमडा वस्तुओं के श्रेष्ठता केन्द्रों के पावलट संयंत्र के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण हेतु एफ.डी.डी.आई को जारी ₹1.00 करोड़ का व्यय अनुदान के राजस्व प्रभाग में वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत बुकिंग की बजाए वस्तु शीर्ष 5453.80.800.10.02. 53- 'मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत अनुदान के पूंजीगत प्रभाग में बुक किया गया था।	
3.	33-आर्थिक मामले विभाग (डी ई ए)	67.00	अफ्रीकी विकास निधि को भारत सरकार द्वारा किए गए अंशदान को दर्शाने वाला ₹67.00 करोड़ का व्यय अनुदान के पूंजीगत प्रभाग में वस्तु शीर्ष 5466.00. 205.02.00.54 'निवेश' के अंतर्गत बुक किया गया था। व्यय की प्रकृति अंशदान होने के कारण, इसे अनुदान के राजस्व प्रभाग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '32-योगदान' के प्रति उचित रूप से वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।	विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि इस गलत वर्गीकरण का सुधार करने के उद्देश्य से 2015-16 के दौरान अनुदान के राजस्व प्रभाग के अंतर्गत तकनीकी पूरक लेने के बाद 'अफ्रीकी विकास निधि के प्रति योगदान' के लिए नया उपशीर्ष प्राप्त किया जाएगा।
4.	92-अतंरिक्ष विभाग	10.44	राजस्व प्रभाग के वस्तु वर्ग-2 (प्रशासनिक खर्चे) के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '13-कार्यालय खर्चे' के अंतर्गत बुक किए जाने के स्थान पर विद्युत प्रभारों पर ₹10.44 करोड़ का व्यय पूंजीगत भाग में विभाग की विभिन्न परियोजनाओं/केन्द्रों के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय के अंतर्गत बुक किया गया था।	विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि उन्होने अपने सभी केन्द्रों/यूनिटों/परियोजनाओं को विभिन्न वस्तु शीर्षों के अंतर्गत व्यय की बुकिंग पर एक सार संग्रह जारी किया है।

क. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा आपत्ति	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
राजस्व व्यय ₹258.44 करोड़ कम बताया गया				
राजस्व व्यय के रूप में पूंजीगत व्यय का गलत वर्गीकरण				
1.	92-अंतरिक्ष विभाग	274.48	अंतरिक्ष विभाग ने दिनांक 16 अप्रैल 2007 के अपने आदेश में स्पष्ट किया कि एक वर्ष से अधिक के सेवाकाल (ऐसे उपग्रहों के लिए प्रक्षेपण सेवाओं समेत) वाले उपग्रहों के मामले में 'आपूर्तियों एवं सामग्री' तथा 'अन्य प्रभारों' पर हुआ व्यय 'अन्य पूंजीगत व्यय' के रूप में वर्गीकरण योग्य है। 23 मामलों में व्यय राजस्व प्रभाग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '21-आपूर्तियाँ एवं सामग्री' और '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत गलत प्रकार बुक किया गया था जिसे वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत 'पूंजीगत भाग' में वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय के अंतर्गत सही प्रकार बुक किया जाना चाहिए था।	विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि उन्होने 2015-16 से आगे राजस्व प्रभाग के अधीन वस्तु शीर्ष-52 प्रचालित न करने के लिए अपने सभी केन्द्रों/यूनिटों/परियोजनाओं को विभिन्न वस्तु शीर्षों के अंतर्गत व्यय बुक करने पर एक सार संग्रह जारी किया है।
₹274.48 करोड़ से राजस्व व्यय का अधिकथन				
समग्र प्रभाव: ₹16.04 करोड़ से राजस्व व्यय को अधिक बताया गया था।				

राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में तथा प्रतिक्रम में गलत तरीके से वर्गीकरण का प्रभाव पूंजीगत व्यय के ₹748.43 करोड़ द्वारा अधिकथन एवं पूंजीगत व्यय के ₹522.67 करोड़ से न्यूनोक्ति में हुआ। सरकारी व्यय पर समग्र प्रभाव ₹225.76 करोड़ के पूंजीगत व्यय के अधिकथन में हुआ। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ₹225.76 करोड़ के बराबर राशि के राजस्व घाटे की न्यूनोक्ति हुई।

4.7 अनुदान/विनियोग के एक ही प्रभाग के भीतर गलत वर्गीकरण के अन्य मामले

4.7.1 भारतीय लोक लेखे के स्थान पर भारत की समेकित निधि के माध्यम से गलत लेन-देन पारित होना

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 (1) एवं (2) प्रावधान करता है कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा राजकोषीय बिल जारी कर उगाहे गये सभी ऋण, अन्य ऋण अथवा अर्थोपाय अग्रिम तथा उस सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त की गई समस्त धनराशि एक समेकित निधि का गठन करेगी जिसे 'भारत की समेकित निधि' (सी एफ आई) कहा जाएगा। उस सरकार की सामान्य प्राप्तियों एवं व्यय के अतिरिक्त जो कि समेकित निधि से

संबंधित हैं, कुछ अन्य लेन-देन सरकारी लेखों में प्रविष्ट किए जाते हैं जिनके संबंध में सरकार बैंकर के रूप में अधिक अथवा अंतरणकर्ता के रूप में कार्य करती है। अत: प्राप्त किए गए सार्वजनिक धन को लोक लेखे में रखा जाता है, तथा संबंधित संवितरण भी वहीं से किए जाते हैं।

(क) कोयला मंत्रालय की वर्ष 2014-15 से संबंधित अनुदान सं.10 के विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा उनके पक्ष कोयला समृद्ध क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु जमा राशियां निक्षेप कार्य के रूप में लोक लेखे के माध्यम से लेने-देन पारित करने के स्थान पर कोयला समृद्ध क्षेत्रों के भू मालिकों को मुआवजे के भुगतान के प्रति सी.एफ.आई. से किये गये पूंजीगत व्यय में कटौती के रूप में ली जा रही थीं। कोयला समृद्ध क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु सी.एफ.आई से पूंजीगत शीर्ष (4803.00.800.01.00.54) में ₹1048.83 करोड़ का व्यय किया था तथा उस व्यय को सी.आई.एल से प्राप्तियों के साथ निवल किया गया था। चूंकि कोयला समृद्ध क्षेत्रों को सी.आई.एल द्वारा किए गए विशिष्ट जमा के प्रति अधिग्रहित किया गया था, इस लेन-देन को भारत की समेकित निधि के माध्यम से पारित नहीं किया जाना चाहिए था। इस मामले को 2013, 2014 एवं 2015 के म.नि.ले.प. के प्रतिवेदन सं.1 में भी इंगित किया गया था।

यह भी देखा गया कि किया गया खर्च ₹1048.83 करोड़ था जबकि व्यय की कटौती में समायोजित वसूलियां ₹872.70 करोड़ की थीं जिसके परिणामस्वरूप ₹176.13 करोड़ का अन्तर अस्पष्ट रह गया।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि भारत की समेकित निधि की बजाय लोक लेखे में व्यय की बुकिंग हेतु औपचारिकताओं को सी.जी.ए के साथ (वित्त मंत्रालय के परामर्श से) उठाया गया है।

(ख) वर्ष 2014-15 हेतु विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदान सं. 77 के विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि (एन.टी.पी.सी) द्वारा उनके पक्ष में कोयला समृद्ध क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु राशियां निक्षेप कार्य के रूप में लोक लेखे के माध्यम से लेन देन पारित करने के बजाय भारत की समेकित निधि से किए गए पूंजीगत व्यय में कमी के रूप में ली जा रही थीं। भारत की समेकित निधि से पूंजीगत शीर्ष 480102.190.02.02.54 में कोयला समृद्ध क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु ₹73.74 करोड़ का व्यय किया गया और इस व्यय को प्राप्तियों के साथ निवल

किया गया था। चूंकि कोयला समृद्ध क्षेत्र एन टी पी सी द्वारा किए गए विशिष्ट जमा के प्रति अधिग्रहीत किए गए थे, लेन-देन भारत की समेकित निधि के माध्यम से पारित किया जाना चाहिए था। मामला नि.म.ले.प. के 2015 के प्रतिवेदन सं.1 में भी उठाया गया था।

तथ्यों और आंकडों की पुष्टि करते हुए मंत्रालय ने जून 2015 की कार्रवाई टिप्पणी में दिये गए तर्क को दोहराया (नवम्बर 2015) कि उन्होने बजटीय प्रयोजन हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा सहमत प्रक्रिया का पालन किया। एन.टी.पी.सी. केवल तभी निधियां उपलब्ध कराता है जब कोयला कोयला खनन क्षेत्रो मे आवश्यकता उत्पन्न होती है और विद्युत मंत्रालय से निर्गम की मांग की जाती है। एन.टी.पी.सी. से निधियां प्राप्त हो जाने के शीघ्र बाद विद्युत मंत्रालय द्वारा उतनी ही राशि जारी की जाती है। मंत्रालय ने आगे बताया कि भारत के लोक लेखे के माध्यम से कोयला समृद्ध क्षेत्रों के प्रति व्यय पारित करने सम्बन्धित मामला बजट प्रभाग, आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय तथा महालेखानियंत्रक लेखा कार्यालय के साथ नये सिरे से उठाने के लिए नोट कर लिया गया है।

4.7.2 वस्तु शीर्ष 'सहायता अनुदान वेतन' का परिचालन न होना

व्यय विभाग वित्त मंत्रालय, ने 1 अप्रैल 2011 से एक नया वस्तु शीर्ष '36- सहायता अनुदान- वेतन' वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली 1978 के नियम 8 के नीचे वस्तु श्रेणी-4 के अंतर्गत वस्तु शीर्षों की सूची में प्रस्तुत किया।

वर्ष 2014-15 के लिए विनियोग लेखे की संवीक्षा द्वारा ज्ञात हुआ कि इस वस्तु शीर्ष को निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों में परिचालित नहीं किया गया था, जैसा जिसका विवरण **तालिका 4.12** में दिया गया है:

तालिका 4.12: वस्तु शीर्ष 'सहायता-अनुदान-वेतन' का परिचालन न होना'

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखापरीक्षा आपत्ति एवं मंत्रालय/विभाग का उत्तर
1.	11-वाणिज्य विभाग	विभाग ने वेतन, यात्रा किराया, कर आदि पर व्यय पूरा करने के लिए कृषि तथा संवर्धिक खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए) को ₹1.00 करोड़ की अनुदान सहायता जारी की तथा वस्तु शीर्ष '36-अनुदान सहायता वेतन' के अन्तर्गत वेतन घटक के तहत व्यय वर्गीकृत करने के बजाए वस्तु शीर्ष 3453.00.800.11.00.31- अनुदान सहायता-सामान्य' के अन्तर्गत व्यय बुक किया गया था। एक अन्य मामले में प्रशासनिक लागत और शिमला स्थित क्षेत्रीय एस एम ई केन्द्र के लिए संकायों को वेतन भुगतानों की लागत पर व्यय पूरा करने के लिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आई आई एफ टी) को 'अनुदान सहायता सामान्य' के रूप में संवितरित की गई ₹2.00 करोड़ की राशि भी '36 अनुदान-सहायता वेतन' के बजाय वस्तु शीर्ष 3453.00.800.37.01.31 'अनुदान-सहायता सामान्य' के अन्तर्गत बुक की गई थी। ए.पी.ई.डी.ए.के. मामले में प्रधान लेखा कार्यालय, वाणिज्य विभाग ने पूर्व मामले में बताया (सितम्बर 2015) कि लेखापरीक्षा की आपत्ति नोट करली गई है और उसे आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्बन्धित प्रभागों को परिचालित किया गया था।
2.	14-दूरसंचार विभाग	विभाग ने टेलीमेटिक्स प्रभागों विकास केन्द्र (सी-डॉट) को ₹197.75 करोड़ की राशि जारी की। प्राप्त कुल अनुदान में से सी-डॉट ने ₹139.89 करोड़ की राशि वेतन तथा स्टाफ लाभों के रूप में वितरित की। तथापि विभाग द्वारा ₹197.75 करोड़ की सम्पूर्ण राशि इसे वस्तु शीर्ष '31-अनुदान सहायता-सामान्य' तथा '36-अनुदान सहायता-वेतन' में अलग करने के बजाय 'अनुदान सहायता सामान्य के रूप में बुक की गई थी। विभाग ने बताया (सितम्बर 2015) कि एक नया लेखा शीर्ष '3451.00.091.03.00.36 अनुदान सहायता वेतन डी डी जी 2015-16 में खोला गया है और बीई 2015-16 में ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पिछले वर्ष भी पूछे जाने पर विभाग द्वारा यही उत्तर दिया गया था।
3.	15-इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	विभाग ने अनुदान सहायता सामान्य के रूप में वस्तु शीर्ष '2852.07.202.01.03.31' के अन्तर्गत आई टी अनुसंधान अकादमी को ₹8 करोड़ जारी किए यद्यपि इसमें ₹1.25 करोड़ का वेतन संघटक शामिल था जिसे वस्तु शीर्ष '36-अनुदान सहायता-वेतन' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए बताया (अक्तूबर 2015) कि सभी कार्यक्रम डिवीजनों से अपने जी आई ए निर्गमों की समीक्षा करने और अपने व्यय अनुमानों के संबंध में पूंजीगत जी आई ए सामान्य परिसम्पत्तियों के अनुदानों, और जी.आई.ए. वेतन के विच्छेद प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखापरीक्षा आपत्ति एवं मंत्रालय/विभाग का उत्तर
4.	77-विद्युत मंत्रालय	मंत्रालय ने गोवा तथा यू.टी. के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (जे ई आर सी) को ₹5.42 करोड़ का अनुदान जारी किया जिसमे से उन्होने वेतन पर व्यय करने के लिए ₹0.92 करोड़ का उपयोग किया। तथापि कुल ₹5.42 करोड़ की जारी राशि शीर्ष 2801.80.800.23.00.31 'अनुदान सहायता सामान्य के अन्तर्गत बुक की गई जबकि वस्तु शीर्ष '36- अनुदान सहायता-वेतन' के अन्तर्गत वेतन घटक पर ₹0.92 करोड़ का व्यय वर्गीकृत किया जाना चाहिये था। मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2015) कि तथ्य तथा आकड़ों की पुष्टि की जाती हैं। उन्होने आगे बताया कि लेक लेखे में जे ई आर सी गोवा एवं यू टी निधि में लेखांकन प्रक्रिया और उनसे व्यय करने के सम्बन्ध में अनुमोदन हेतु सी ए जी कार्यालय तथा सी जी ए कार्यालय में लम्बित है। अनुमोदन की प्राप्ति पर वस्तु शीर्ष को सरल और कारगर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जांएगे।
5.	95-कपड़ा मंत्रालय	मंत्रालय ने भारतीय फेशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.एफ.टी.) को उसके रायवरेली केन्द्र के कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु ₹1.50 करोड़ की अनुदान सहायता जारी की और वस्तु शीर्ष '36-अनुदान सहायता वेतन' के अन्तर्गत सही प्रकार व्यय वर्गीकृत करने के बजाय वस्तु शीर्ष 2852.08.202.02.07.31-'अनुदान सहायता सामान्य' के अन्तर्गत लेखे में उसे बुक किया। मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि आपत्तियों को अनुपालना हेतु प्रशासनिक प्रभागों की जानकारी में लाया गया है।

4.7.3 अनुदान के एक ही प्रभाग के अंतर्गत वस्तु शीर्षो में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 व्यय के वर्गीकरण के उद्देश्य हेतु विवरणों/परिभाषाओं के साथ विनियोग की मानक प्राथमिक इकाईयों का निर्धारण करता है। वस्तु शीर्षो की सूची तथा इसके अंतर्गत दर्ज किए जाने वाले व्यय के विवरण **अनुबंध-4.1** में दिए गए हैं।

संमीक्षा मे पाया गया कि 19 अनुदानों/विनियोगों के 27 मामलों में कुल ₹2,954.65 करोड़ की निधियों को विनियोजन की इन प्राथमिक इकाईयों अर्थात वस्तु शीर्षों के मध्य गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था, जिनका **तालिका 4.13** में विवरण दिया गया है।

तालिका 4.13: अनुदान के उसी प्रभाग में वस्तु शीर्षों के अंतर्गत गलत वर्गीकरण

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>अनुदान सं. एवं नाम</th><th>राशि (₹ करोड़ में)</th><th>मुख्य वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया</th><th>लेखापरीक्षा आपत्ति</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>7-उर्वरक विभाग</td><td>1.81</td><td>2852/50</td><td>₹0.81 करोड़ का व्यय आउटसोर्स कार्मिकों, सलाहकारों को लगाने पर किया गया था और ₹1.00 करोड़ कम्प्यूटरों, इनके उपसाधनों, उपभोज्यों की खरीद, लैन के अनुरक्षण और उर्वरक निगरानी प्रणाली के अनुरक्षण आदि पर किया गया था, तथापि ₹1.81 करोड़ का कुल व्यय वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवाएं' के बजाए वस्तु शीर्ष 2852.03.800.02.99.50 'अन्य प्रभार'के अन्तर्गत लेखे में बुक किया गया था और कम्प्यूटरों, इनके उपसाधनों, उपभोज्यों की खरीद तथा लैन आदि का अनुरक्षण व्यय ओ एच-13- 'कार्यालय खर्चे' के अन्तर्गत बुक किया जाना चाहिए था।</td></tr>
<tr><td colspan="5">तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि नया शार्ष खोल दिया गया है और कम्प्यूटरों और इनके उपसाधनों, उपभोज्यों, की खरीद, लैन का अनुरक्षण आदि शीर्ष 3451.00.090.33.99.13- 'कार्यालय खर्चे' के अन्तर्गत बुक किए जा रहे हैं और आउटसोर्स कार्मिकों, सलाहकारों को लगाने के भुगतान चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2015-16 से शीर्ष'28-व्यावसायिक सेवाएं' के अन्तर्गत बुक किए जा रहे हैं ।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td rowspan="2">10-कोयला मंत्रालय</td><td>7.65</td><td>2230/32</td><td rowspan="2">कोयला खान भविष्य निधि संगठन को प्रशासनिक प्रभारों के प्रति ₹7.65 करोड़ और अनुसंधान एवं विकास, खोज, विस्तृत ड्रिलिंग प्रयोजनों के प्रति ₹212.48 करोड़ के व्यय किए गए थे तथा क्रमश: मुख्य शीर्ष 2230 तथा 2803 के अन्तर्गत वस्तु शीर्ष '32 अंशदान' के अन्तर्गत गलत प्रकार से वर्गीकृत किए गए थे।
ये व्यय कोयला तथा लिग्नाइट क्षेत्र के प्रति विशेष सहायता होने के कारण सम्बन्धित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत वस्तु शीर्ष '31-अनुदान सहायता-सामान्य' के अन्तर्गत वर्गीकृत किए जाने चाहिए थे।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>212.48</td><td>2803/ 32</td></tr>
</table>

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा आपत्ति
मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि 2015-16 की अनुदानों की विस्तृत भागों में योजनाओं के वस्तु शीर्ष '32-अंशदान' से '31-अनुदान सहायता-सामान्य' में बदल कर हैं सम्मिलित कर लिया गया है।				
4	11-वाणिज्य विभाग	31.45	3453/ 31	कोलकाता परिसर तथा कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली में अतिरिक्त होटल सुविधाओं के निर्माण पर व्यय को पूरा करने के लिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आई आई एफ टी) को जारी की गई ₹31.45 करोड़ की राशि का व्यय वस्तु शीर्ष 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान के अन्तर्गत वर्गीकृत करने के स्थान पर वस्तु शीर्ष 3453.00.800.37.01.31 अनुदान सहायता-सामान्य के अन्तर्गत लेखे में बुक किया गया था।
लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि वेतन तथा लेखा कार्यालय ने '35' के बजाय वस्तु शीर्ष '31' में व्यय अनजाने में बुक किया था। तथापि, वित्त वर्ष 2015-16 के लिए वस्तु शीर्ष '35' के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है।				
5.	12-औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	1.33	2852/ 01,11,13,20, आदि.	राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद (एन एम सी सी) दिनांक 6 अक्तूबर 2004 की अधिसूचना के द्वारा एक स्वायत्त निकाय है। उपशीर्ष 2852.80.800.19 के अन्तर्गत अनुदान के राजस्व भाग में एन एम सी सी के स्थापना खर्चों के प्रति ₹1.33 करोड़ का व्यय किया गया। चूंकि एन एम सी सी एक स्वायत्त निकाय है, उससे सम्बन्धित आबंटन/व्यय वस्तु शीर्ष क्रमश:'36-अनुदान सहायता-वेतन'तथा '31-अनुदान सहायता सामान्य' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा आपत्ति
विभाग ने जी एफ आर के नियम 206 के प्रावधान का संदर्भ देते हुए बताया (सितम्बर 2015) कि अनुदान सहायता एक विशेष संविधि के अधीन एक स्वायत्त संगठन के रूप में अथवा समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत समिति के रूप में स्थापित किसी संगठन को दी जा सकती है। इसलिए एन एम सी सी के मामले में बजटीय प्रावधान अनुदान सहायता के अन्तर्गत नहीं दिया गया है। तथापि, लेखापरीक्षा टिप्पणियों के भदेदनजर अनुपालन हेतु एन एम सी सी को निर्देश जारी किया जा रहे हैं। 6 अक्तूबर 2004 की अधिसूचना के अंतर्गत एन.एम.सी.सी. एक स्वायत्त निकाय है तथा इसे अनुदान सहायता द्वारा ही वित्तपोषित किया जाना चाहिए।				
6.	14-दूरसंचार विभाग	2086.97	3275/50	विभाग ने '33-सब्सिडी' के बजाय वस्तु शीर्ष- '50 अन्य प्रभार' के अन्तर्गत भारत संचार निगम लिमिटेड भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को राष्ट्रीय ऑटिकल फाईबर नेटवर्क नेटवर्क परियोजना के लिये और अन्य दूरसंचार सेवा पर्दाता (टी एस पी) को सब्सिडी दावों के निपटान के रूप में ₹2086.97 करोड़ का व्यय बुक किया।
विभाग ने बताया (सितम्बर 2015) कि एक नया वस्तु शीर्ष '33-सब्सिडी' खोल दिया गया है।				
7.	15-इलेक्ट्रानिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1.44	2852/20	विभाग ने '16-प्रकाशन' के बजाय वस्तु शीर्ष '20-अन्य प्रशासनिक खर्चे' के अन्तर्गत एम सी आई टी लाइब्रेरी कंसोर्टियम में ई-संसाधनों के अंशदान के प्रति ₹1.44 करोड़ की राशि का व्यय बुक किया।
विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए बताया (अक्तूबर 2015) कि सभी कार्यक्रम डिवीजनों से किन परिस्थितियों में दो शीर्षों से भुगतान किए गए थे, को स्पष्ट करने के लिए कह दिया गया था।				
8.	16-उपभोक्ता मामले विभाग	1.61	3475/52	विभाग ने मशीनरी एवं उपकरणों की केन्द्रीकृत खरीद की और उनकी सीधे राज्यों/यू.टी. को आपूर्ति कर दी और वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान' के बजाय वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी तथा उपकरण' के अन्तर्गत गलत प्रकार से ₹1.61 करोड़ की राशि का व्यय बुक किया।

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>अनुदान सं. एवं नाम</th><th>राशि (₹ करोड़ में)</th><th>मुख्य वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया</th><th>लेखापरीक्षा आपत्ति</th></tr>
<tr><td colspan="5">विभाग ने बताया (जून 2015) कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी (नवम्बर 2007) निर्देशों के अनुपालन में व्यय को राजस्व भाग में वस्तु शीर्ष ‘52’ मे बुक किया गया था।
उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वस्तु शीर्ष 52-मशीनरी एवं उपकरण पूंजीगत प्रकृति का है और इसे केवल पूंजीगत मुख्य शीर्ष के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए।</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>33-आर्थिक मामले विभाग</td><td>2.50</td><td>3475/31</td><td>एन सी ए ई आर के परिसर के निर्माण के प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन सी ए ई आर) को संवितरित ₹2.50 करोड़ का अनुदान वस्तु शीर्ष 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृदन हेतु अनुदान के अन्तर्गत के बजाय वस्तु शीर्ष 3475.00.800.10.04.31-‘अनुदान सहायता सामान्य’ के अन्तर्गत अनुदान के राजस्व प्रभाग के अन्तर्गत लेखे में बुक किया गया था।</td></tr>
<tr><td colspan="5">आर्थिक मामला विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि वर्ष 2013-14 के दौरान, विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान के अंतर्गत एन.सी.ए.ई.आर. को अनुदानों के निर्गम हेतु ₹12.50 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। ₹2.50 करोड़ की शेष निधियों के निर्गम हेतु वर्ष 2014-15 के दौरान ‘31-सहायता अनुदान-सामान्य’ के अंतर्गत निधियों को फिर से आवंटित किया गया था।
उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ₹2.50 करोड़ का अनुदान परिसर निर्माण के लिये था तथा इसका प्रावधान एवं बुकिंग वस्तु शीर्ष 35-पूंजीगत परिसंपत्तयों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत किया जाना चाहिए था।</td></tr>
<tr><td>10.</td><td></td><td>8.27</td><td>3475/50</td><td>विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों को किया गया ₹8.27 करोड़ का भुगतान भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए वस्तु शीर्ष 3475.00.800.07.00.50-अन्य प्रभार के अन्तर्गत बुक किया गया। व्यय सम्बन्धित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत वस्तु शीर्ष-‘अन्य प्रशासनिक खर्चे’ के अन्तर्गत सही प्रकार वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।</td></tr>
<tr><td colspan="5">विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि नया लेखा शीर्ष 3475.00.800.07.00.20-‘अन्य प्रशासनिक खर्चे’ डी डी जी 2016-17 में सम्मिलित किया जाएगा क्योंकि सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सहमति के उपरांत वस्तु शीर्ष ’50-अन्य प्रभार’ के स्थान पर नये वस्तु शीर्ष ‘20’ का प्रस्ताव किया गया है। नया शीर्ष वित्त वर्ष 2016-17 से प्रचालन में आ सकता है।</td></tr>
</table>

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा आपत्ति
11.	47-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	20.90	2210/32	विभाग ने अनुदान के राजस्व खंड में वस्तु शीर्ष 32-अंशदान के अन्तर्गत गरीब रोगियों की सहायता के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि के प्रति ₹20.90 करोड़ का व्यय बुक किया। यह व्यय अनुदान सहायता से सम्बन्धित उचित वस्तु शीर्ष का उपयोग कर सही प्रकार वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।
विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (सितम्बर 2015) और आश्वासन दिया कि विव 2016-17 के डी डी जी तैयार करते समय सावधानी बरती जाएगी।				
12.	51-भारी उद्योग विभाग	1.96	2852/36	हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड (एच.एस.एल.) के कर्मचारियों की पेंशन देयताओं के भुगतान हेतु वस्तु शीर्ष 2852.08.600.20.00.36 के अन्तर्गत ₹1.96 करोड़ का व्यय बुक किया गया। उपरोक्त व्यय सम्बन्धित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत वस्तु शीर्ष '31-अनुदान सहायता सामान्य' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।
विभाग ने कहा (नवंबर 2015) कि एच.एस.एल की पेंशन देयताओं हेतु प्रावधान 2016-17 से '31-अनुदान सहायता-सामान्य' के अंतर्गत किये जायेंगे।				
13.	55- पुलिस	496.66	3601/ 31	32 विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए ₹496.66 करोड़ की एक राशि वस्तु शीर्ष 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के बजाय वस्तु शीर्ष 31-अनुदान सहायता सामान्य के अन्तर्गत संस्वीकृत की गई थी जैसा **अनुबन्ध 4.2** में विवरण दिया गया है।
मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि उनके पास विभिन्न राज्य सरकारों तथा संगठनों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिए जा रहे अनुदानों के अभिप्रेत उद्देश्य से संबंधित कोई सूचना नहीं थी। तथापि लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुपालन में वर्गीकरण का परिवर्तन आरम्भ कर दिया गया है।				

क्र. सं.	**अनुदान सं. एवं नाम**	**राशि (₹ करोड़ में)**	**मुख्य वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया**	**लेखापरीक्षा आपत्ति**
14.	66 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय	10.78	2851/20	यात्रा खर्चे और आकस्मिक खरचों के भुगतान के प्रति व्यय पूरा करने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को जारी ₹10.78 करोड़ की अनुदान सहायता का व्यय अनुदान के राजस्व प्रभाग में वस्तु शीर्ष '31-अनुदान सहायता सामान्य' के अन्तर्गत वर्गीकृत करने के बजाय वस्तु शीर्ष 2851.00.105.05.01.20-'अन्य प्रशासनिक खर्चे' के अन्तर्गत लेखे में बुक किया गया था।
मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय ने बताया (अक्तूबर 2015) कि खादी एवं ग्रमोद्योग आयोग के यात्रा तथा आकस्मिक खर्चे चालू वित्त वर्ष 2015-16 से शीर्ष '31-अनुदान सहायता-सामान्य' के अन्तर्गत बुक किए जाएंगे।				
15.	73-कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	3.00	2070/35	पेंशन बकाया और पेंशन देयताओं के प्रति ₹3.00 करोड़ का व्यय किया गया था जिसे वस्तु शीर्ष 31-'अनुदान सहायता सामान्य' के बजाय वस्तु शीर्ष 35-'पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अन्तर्गत गलत प्रकार बुक किया गया है।
विभाग ने बताया (सितम्बर 2015) कि भावी अनुपालन हेतु आपत्ति नोट कर ली गई है।				
16.	77- विद्युत मंत्रालय	3.67	2801/31	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एन.पी.टी.आई.) को अलपुझा, केरल में एन पी टी आई के अन्तर्गत एक नया विद्युत प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु जारी ₹3.67 करोड़ की अनुदान सहायता वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अन्तर्गत सही प्रकार व्यय वर्गीकृत करने के बजाय वस्तु शीर्ष 2801.80.003.02.00.31-अनुदान सहायता सामान्य के अन्तर्गत लेखे में बुक किया गया था।
तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2015) कि वर्ष 2016-17 के लिए ड्राफ्ट अनुदानों की विस्तृत मांग में वस्तु शीर्ष के संबंध में आवश्यक संशोधन किया गया है।				

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>अनुदान सं. एवं नाम</th><th>राशि (₹ करोड़ में)</th><th>मुख्य वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया</th><th>लेखापरीक्षा आपत्ति</th></tr>
<tr><td>17.</td><td>83- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय</td><td>26.65</td><td>3055/20</td><td>सडक सुरक्षा संदेशों के प्रसारण, प्रचार सामग्री की छपाई तथा वितरण, समाचार पत्रों में विज्ञापन, अन्य कार्यकलापों, आदि के प्रति किया गया ₹26.65 करोड़ का व्यय वस्तु शीर्ष '26-विज्ञापन तथा प्रचार' के अन्तर्गत वर्गीकृत करने के बजाय वस्तु शीर्ष 3055.00.004.20.02.20- 'अन्य प्रशासनिक खर्चे' के अन्तर्गत बुक किया गया था।</td></tr>
<tr><td colspan="5">मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि वर्ष 2016-17 से वस्तु शीर्ष 26-विज्ञापन एवं प्रचार' के अन्तर्गत व्यय बुक किया जाएगा और तदनुसार प्रावधान किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>86-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग</td><td>1.35</td><td>3425/31</td><td>जी आई टी ए से सेवाएं लेने के प्रति किया गया व्यय वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवाएं' के अन्तर्गत बुक किया जाना अपेक्षित था। तथापि डी एस टी ने उसे वस्तु शीर्ष 3425.60.798.12.00.31- "अनुदान सहायता सामान्य (योजनागत)" के अन्तर्गत गलत प्रकार बुक किया।</td></tr>
<tr><td colspan="5">विभाग ने बताया कि जी आई टी ए एक गैर-लाभकारी कम्पनी है जिसका एक प्रमुख कार्य भारत सरकार की ओर से औद्योगिक अनुसंधान विकास कार्यक्रम लागू करना है। इस प्रकार जी आई टी ए को दी गई प्रबन्धन फीस व्यावसायिक सेवाएं के रूप में नहीं मानी जानी चाहिए। इसके अलावा प्रभाग में "व्यवसायिक सेवाएं" का कोई शीर्ष उपलब्ध नहीं है।
परन्तु उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्तमान नियमों के अनुसार व्यय 'व्यावसायिक सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत बुक किया जाना अपेक्षित था। विभाग को बजट अनुमान चरण पर ही उसके लिए पर्याप्त प्रावधान करना चाहिए था।</td></tr>
<tr><td>19.</td><td>92-अन्तरिक्ष विभाग</td><td>2.77</td><td>5402/60</td><td>₹2.77 करोड़ की लागत पर प्राप्त पूंजीगत मद (कार्बन कम्पोजिट प्रैशरेंट टैक की आपूर्ति) वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी तथा उपकरण' के बजाय वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत प्रभार' (5402.00.101.33.00.60) के अन्तर्गत बुक किया गया था।</td></tr>
</table>

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा आपत्ति
20.		4.05	5402/60	एच एम सी के विनिर्माण, सज्जीकरण, फिल्मांकन और सम्बन्धित कार्यकलापों के प्रति ₹4.05 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था जिसे वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी तथा उपकरण' के बजाय वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत प्रभार (5402.00.101.33.00.60 के अन्तर्गत ₹1.06 करोड़ और 5402.00.101.43.00.60 के अन्तर्गत ₹2.99 करोड़) के अन्तर्गत बुक किया गया था।
21.		1.44	3402/ 50	पी ए ओ, इसरो मुख्यालय ने अपने स्वायत्त निकाय एस सी एल चण्डीगढ़ को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान सहायता के रूप में ₹1.44 करोड़ की राशि वस्तु शीर्ष 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान सहायता' के बजाय '50-अन्य प्रभार' (3402.00.103.12.00.50) के अंतर्गत जारी की।
22.		2.06	3402/50	स्वायत्त निकाय पी आर एल, अहमदाबाद को इसरो जिओस्पियर बायोस्फीयर कार्यक्रम (आई जी बी पी) के अन्तर्गत ₹2.06 करोड़ की जारी अनुदान सहायता वस्तु शीर्ष '31-अनुदान सहायता-सामान्य' के स्थान पर वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार (3402.00.103.03.00.50) के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई थी।
23.		1.90	3402/50	पी ए ओ, इसरो मुख्यालय ने केन्द्रीय विद्यालय, एन.ए.एल., बंगलौर को छमाही किश्त के रूप में ₹1.90 करोड़ की राशि जारी की जिसे वस्तु शीर्ष '31-अनुदान सहायता सामान्य के बजाय वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' (3402.00.001.01.00.50) के अन्तर्गत बुक किया गया।

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा आपत्ति
24.		6.70	3402/50	पी.ए.ओ., इसरो मुख्यालय ने ए.एस.पी. परियोजना के अंतर्गत एन.ए.आर.एल. को सक्रिय व्यूह एम.एस.टी. राडार एस.एफ. राडार, लिडार विकसित करने तथा वायुमंडलीय विज्ञान से संबंधित अन्य कार्यक्रमों के प्रति ₹6.70 करोड़ की एक राशि जारी की जिसे वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के स्थान पर वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार (3402.00.103.12.00.50) के अंतर्गत बुक किया गया।
25.	95-कपडा मंत्रालय	10.00	2852/31	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एन आई एफ टी) को शिलांग में एन.आई.एफ.टी के स्थाई केन्द्र के निर्माण हेतु जारी ₹10.00 करोड़ की राशि वस्तु शीर्ष 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान'के अन्तर्गत वर्गीकृत करने के बजाय वस्तु शीर्ष 2852.08.202.02.07.31 अनुदान सहायता-सामान्य के अन्तर्गत लेखे में गलत प्रकार बुक किया गया था।
मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि अनुपालना हेतु आपत्तियां प्रशासनिक प्रभागों की जानकारी में लाई गई है।				
26.	104- लोक निर्माण कार्य	1.54	2059/53	गणतन्त्र दिवस समारोहों के प्रबन्ध करने के लिए किया गया ₹1.54 करोड़ का व्यय जिसमें प्राथमिक रूप से पुष्प सज्जीकरण, बैठने का प्रबन्ध सुरक्षा घेराबन्दी तथा वी.वी.आई.पी. बैरीकेडिंग आदि शामिल थे, वस्तु शीर्ष '27-लघु निर्माण कार्य' के स्थान पर वस्तु शीर्ष 53 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत लेखे में बुक किया गया था।

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>अनुदान सं. एवं नाम</th><th>राशि (₹ करोड़ में)</th><th>मुख्य वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया</th><th colspan="2">लेखापरीक्षा आपत्ति</th></tr>
<tr><td colspan="6">शहरी विकास मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि प्रावधान बागवानी कार्य, विद्युत एवं सिविल कार्य के लिए अपेक्षित था जिसे परिसंपत्ति के तौर पर रखा नहीं जा सकता। उसने आगे कहा कि इन अस्थायी संरचनाओं में सीमेंट तथा कंक्रीट मिश्रण सहित स्तंभों तथा लिंवल का कार्य शामिल था जिस पर ईंट चिनाई तथा प्लास्टरिंग की जानी थी, अत: मानकों के अनुसार यह मुख्य निर्माण कार्य में आते हैं।
मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यय की बुकिंग डीएफपीआर, 1978 के अनुरूप होनी चाहिए तथा व्यय को लघु निर्माण कार्य के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।</td></tr>
<tr><td>27.</td><td>104- लोक निर्माण कार्य</td><td>3.71</td><td>2059/50</td><td colspan="2">मंत्रालय ने ₹3.71 करोड़ की व्यय समाधि स्थल परिसर पर सुरक्षा बल तैनात किये जाने तथा समाधियों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने पर वस्तु शीर्ष 50- अन्य प्रभार के अंतर्गत बुक किया। इस व्यय को सही तरीके से वस्तु शीर्ष 28- व्यावहारिक सेवायें के अंतर्गत बुक किया जाना चाहिए था।</td></tr>
<tr><td colspan="6">मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि व्यय, समाधि की सुरक्षा के प्रति भुगतान हेतु किया गया और ऐसे भुगतान आवर्ती हैं परन्तु कुछ अवसरों पर विशेष सेवाओं हेतु किसी भुगतान की आवश्यकता नहीं होती हैं। इस प्रकार यह अनावश्यक और अपरिचालनीय वस्तु शीर्षों का खोलना लाभदायक नहीं होगा जिसके अन्तर्गत निधियों का परिणाम बचत में होगा।
मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ये अन्य विभागों जैसे केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (गृह मंत्रालय) और साहित्य कला परिषद (एन सी टी सरकार, दिल्ली) द्वारा की गई सेवाओं के लिए भुगतान हैं और इसलिए व्यय की बुकिंग डीएफपीआर के अनुरूप होनी चाहिए।</td></tr>
<tr><td></td><td>**जोड़**</td><td>**2,954.65**</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

4.7.4 अन्य देशों को दी जा रही सहायता को दर्ज करने हेतु वस्तु शीर्ष अंशदान' का प्रचालन

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8, व्यय के सही वर्गीकरण के उद्देश्य से विवरण/परिभाषाओं सहित विनियोग की मानक प्राथमिक इकाईयों को निर्धारित करता है। किसी भी निकाय/प्राधिकरण को दिये गये सहायता अनुदान के वस्तु शीर्षों '31- सहायता अनुदान-सामान्य', '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान', '36-सहायता अनुदान-वेतन' के अंतर्गत वगीकृत किये जाते हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय निकायों की सदस्यता पर हुए व्यय इत्यादि का वर्गीकरण '32-अंशदान' के अंतर्गत किया जाता है।

वर्ष 2014-15 के विनियोग लेखे एवं विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदान सं. 32 की अनुदानों के लिए विस्तृत मांगों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 15 मामलों में ₹3,884.93 करोड़ का व्यय, जिसका विवरण **तालिका 4.14** में दिया गया है, गलत रूप से दर्ज किया गया था और विनियोग की प्राथमिक इकाई पर वस्तु शीर्ष '32-अंशदान' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। चूंकि व्यय की प्रकृति विदेश सरकारों को सामान्य/विशिष्ट प्रयोजन हेतु अनुदानों की थी, इसलिए सही प्रक्रिया अनुसार इसे अनुदानों के लिए बने वस्तु शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।

तालिका 4.14: 2014-15 के दौरान विदेश सरकारों को प्रदत्त अनुदानों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्गीकरण	विवरण (उप शीर्ष)	व्यय
1.	3605.00.101.09.00.32	बग्लादेश को सहायता	197.84
2.	3605.00.101.10.02.32	भूटान को सहायता (पुनतसंगछू-I एचईपी)	561.70
3.	3605.00.101.10.03.32	भूटान को सहायता (मांगदेछू एच ई पी)	245.30
4.	3605.00.101.10.04.32	भूटान को सहायता (पुनतसंगछू-II एच ई पी)	328.16
5.	3605.00.101.10.05.32	भूटान को सहायता, अन्य परियोजनाएं	1146.59
6.	3605.00.101.11.00.32	नेपाल को सहायता	303.26
7.	3605.00.101.13.00.32	मालदीव को सहायता	26.08
8.	3605.00.101.14.00.32	म्यांमार को सहायता	104.34
9.	3605.00.101.15.00.32	अन्य विकासशील देशों को सहायता	54.12
10.	3605.00.101.16.00.32	आपदा राहत के लिए सहायता	24.77
11.	3605.00.101.20.00.32	अफ्रीकी देशों को सहायता	142.86
12.	3605.00.101.25.00.32	यूरेशियाई देशों को सहायता	11.94

क्र.सं.	वर्गीकरण	विवरण (उप शीर्ष)	व्यय
13.	3605.00.101.32.00.32	लैटिन अमेरिका देशो को सहायता	12.17
14.	3605.00.101.33.00.32	अफगानिस्तान को सहायता	723.52
15.	3605.00.101.36.00.32	मंगोलिया को सहायता	2.28
कुल			**3,884.93**

इस मामले को 2008-09, 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के वित्तीय वर्षों के लिए संघ सरकार के लेखाओं पर नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन में इंगित किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर-2015)

4.7.5 'विशेष केन्द्रीय सहायता' का लेखे के गलत लघु शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, राज्य सरकारों को राज्य जन जाति उप-योजना के अनुपूरक के रूप में, विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) प्रदान की जाती है। जहाँ 'जनजातीय क्षेत्र उप योजना' हेतु आवंटित निधियों को लेखे के विशिष्ट लघु शीर्ष अर्थात '796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' के अंतर्गत दर्ज किया जाना अपेक्षित है, वही लेखाओं के मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची के सामान्य निर्देशों के अनुसार, 'जनजातीय उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता' को दर्ज करने हेतु एक पृथक लघु शीर्ष कोड, अर्थात 794 चिन्हित किया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदान सं. 97 की संवीक्षा से पता चला कि ₹1,190.00 करोड़ के कुल प्रावधान में से मंत्रालय द्वारा ₹1,040.02 करोड़ की राशि वर्ष 2014-15 के दौरान 'जनजातीय उप योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता' के रूप में जारी की गयी थी एवं यह व्यय लघु शीर्ष '796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इसका लघु शीर्ष '794 जनजातीय उप-योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता' के अंतर्गत प्रावधान तथा दर्ज किया जाना चाहिए था जैसा कि प्रचलित अनुदेशों में निर्धारित था।

वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए संघ सरकार लेखाओं पर नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं. 1 के पैरा 4.7.5 में भी इस विषय को उठाया गया था।

मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2015) कि लघु शीर्ष '796' 2011-12 से प्रचालन में है। तदनुसार 2014-15 के दौरान किया गया व्यय लघु शीर्ष 796 के अन्तर्गत दर्ज किया गया था।

उत्तर इस तथ्य के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है कि लघु शीर्ष '794' विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में प्रचालन में है। जनजातीय उप-योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता पर व्यय लघु शीर्ष '794' के अन्तर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।

4.8 एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करने के माध्यम से अप्राधिकृत संवर्धन

सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रदान करने हेतु मध्यस्थता योजना के रूप में क्रमश: अनुसूचित जातियों हेतु विशेष संघटक योजना तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु जनजातीय उप-योजना प्रारम्भ की गई थी। ऐसी योजनाएं, इन विशेष समूहों को उनकी संबंधित जनसंख्या के आकार के अनुपात में, सभी संबंधित विकास क्षेत्रों से, निधियों की गारंटी प्रदान करके लाभ सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं। इन दोनों उप योजनाओं का मूल उद्देश्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में, भौतिक तथा वित्तीय दोनों प्रकार से, परिव्यय के प्रवाह तथा सामान्य क्षेत्रों से लाभों को दिशा देना है। वित्तीय वर्ष 2011-12 से योजनागत आवंटन के एक भाग के रूप में अनुसूचित जाति उप योजना (एस.सी.एस.पी.) तथा जनजातीय उप योजना (टी.एस.पी.) हेतु अलग आवंटन करने की पहल की गई थी। सरकार ने समर्पित मुख्य शीर्ष 'अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक (कोड 789)' तथा 'जनजातीय उपयोजना (कोड 796)' को प्रारम्भ करके ऐसे आवंटनों को दर्ज करने हेतु एक उपयुक्त लेखांकन क्रियाविधि स्थापित की थी। तद्नुसार, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की विस्तृत मांगों में एक योजनागत योजना के अंतर्गत 'सामान्य योजना', 'अनुसूचित जातियों हेतु विशेष संघटक' तथा 'जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' हेतु अलग बजट सीमाओं सहित प्रथक रूप से प्रावधान प्राप्त किया जाता है। 'अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक' तथा 'जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' के अंतर्गत किए गए प्रावधान को, एस.सी.एस.पी. तथा टी.एस.पी. के अंतर्गत अन्य योजनाओं में उन्हीं लघु शीर्षों को छोडकर, अन्यत्र पुनर्विनियोजित किया जाना अनुमत नहीं है, ताकि विपथन की किसी भी संभावना से बचा जा सके।

जी.एफ.आर. 2005 के नियम 48 के नीचे परिशिष्ट-3 के पैरा 4 (जिसमें बजट बनाने के लिये अनुदेश समाहित हैं) में प्रावधान है कि जहां एक योजना/ परियोजना पर प्रारम्भिक खर्चों की पूर्ति हेतु या आकस्मिक स्थितियों की पूर्ति हेतु तात्कालिक उपायों मापदण्डों का प्रावधान किया जाना हो, के अतिरिक्त, बजट में एक मुश्त प्रावधान नहीं किये जायेंगे, जो वित्तीय वर्ष में चालू करने हेतु, सैद्धान्तिक तौर पर स्वीकृत किए जा चुके हैं।

वर्ष 2014-15 के लिए स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग से सम्बन्धित अनुदान सं. 59 के समेकित सार के साथ विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि विभाग ने अनुदान के लिए पूरक मांग में सामान्य घटक, अनुसूचित जाति के लिये विशेष संघटक योजना तथा जनजाति उप-योजना के अन्तर्गत राशि विशेष घटक वार ब्यौरे दिए बिना अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों से वस्तु-शीर्ष '36 अनुदान सहायता वेतन' के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.) के लिए पुनर्विनियोग हेतु ₹324.35 करोड़ का सांकेतिक पूरक प्राप्त किया (दिसम्बर 2014 तथा मार्च 2015)।

₹324.35 करोड़ के एकमुश्त पूरक को संसद के विशेष पूर्व अनुमोदन बिना योजना के तीन घटकों के बीच संविभाजित किया गया था। चूंकि व्यय आर्थिक सहायता अनुदान पर किया गया व्यय होने पर बजट प्रभाग का.ज्ञा. दिनांक 25 मई 2006 के अनुसार नई सेवा/ सेवा के नए साधन की सीमाओं के उल्लंघन में था; इसलिए तीन योजनाओं के लिए अलग-अलग संसद का राशि-विशेष पूर्व अनुमोदन आवश्यक था जिसे प्राप्त नहीं किया गया था। किए गए व्यय का विवरण **तालिका 4.15** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.15 : एकमुश्त पूरक प्रावधान का अप्राधिकृत वितरण

(₹ करोड़ में)

योजना/शीर्ष	प्रावधान			एस ए*	व्यय
	बी ई*	एन ई*	टी ए*		
2202.02.789.02.00.36 केन्द्रीय विद्यालय संगठन	19.20	2.40	21.60		70.42
2202.02.796.03.00.36 केन्द्रीय विद्यालय संगठन	9.60	1.20	10.80		31.80
2202.02.110.01.00.36 केन्द्रीय विद्यालय संगठन	2145.70	11.80	2157.50	324.35	2408.64
				324.35	

**बी.ई.= बजट अनुमान, एम.ई.= एम.एन 2552/4552/6552 के अन्तर्गत पूर्वोतर क्षेत्र के विकास का प्रावधान, एस.ए.= अनुदानो के लिए पूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकरण/अनुमोदन, टी.ए.= कुल प्राधिकरण*

विभाग ने बताया (सितम्बर 2015) कि 2014-15 के लिए अनुदान पूरक मांग के पहले बैच में के.वी.एस. की योजना में ₹261.00 करोड़ (सामान्य शीर्ष ₹190.00 करोड़, एस.सी.एस.पी. शीर्ष ₹50.00 करोड़ और टी.एस.पी. शीर्ष ₹21.00 करोड़) की निधियों के संवर्धन के लिए संसद का अनुमोदन प्राप्त किया गया था और तदनुसार सम्बन्धित शीर्षों से पुनर्विनियोग किया गया था। विभाग ने आगे बताया कि अनुदानों की पूरक मांग के दूसरे बैच में ₹63.35 करोड़ (सामान्य शीर्ष) के लिए भी संसद का अनुमोदन प्राप्त किया गया था और तदनुसार पुनर्विनियोग किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है केवल सामान्य घटक में के.वी.एस. के लिए ₹324.35 करोड़ का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया था। मंत्रालय को प्रत्येक घटक (जैसे सामान्य, एस.सी.एस.पी. तथा टी.एस.पी.) के लिए पृथक अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए था क्योंकि सभी तीन घटकों की अलग-अलग बजट सीमाएं थीं जैसा कि कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 की पूरक मांग के दूसरे बैच के लिये किया गया था।

4.9 वस्तु शीर्ष के अंतर्गत एकमुश्त प्रावधान की प्राप्ति

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली के नियम 8 में अनुबंधित है कि एकमुश्त शीर्ष (वस्तु शीर्ष 42) के अंतर्गत, प्रावधान में योजना/उप योजना/संगठन, जहां प्रावधान ₹10 लाख से अधिक नहीं होते हैं, से सम्बधित व्यय शामिल होगा। सभी अन्य मामलों में व्यय का ब्यौरा अवश्य दिया जाना चाहिए।

वर्ष 2014-15 के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय तथा वित्तीय सेवाएं विभाग से सम्बन्धित अनुदान सं. क्रमश: 28 तथा 34 के विनियोग लेखे की जांच में पता चला कि निम्नलिखित दो मामलों में वर्तमान नियमों के अन्तर्गत व्यय के पूर्ण विवरण के साथ संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने के बजाय ₹10 लाख से अधिक के एकमुश्त प्रावधान प्राप्त किए गए थे।

तालिका 4.16 एक मुश्त प्रावधान

क्र.सं.	अनुदान सं. तथा नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान	व्यय	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
			(₹ लाख में)		
1.	28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विकास मंत्रालय	2552.00.800.03.00.42	30.00	20.69	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ मानते हुए मंत्रालय ने कहा कि (नवम्बर 2015) व्यय के विभिन्न शीर्षों का विश्लेषण किया जा रहा था तथा वर्ष 2016-17 से ₹10 लाख से ऊपर के प्रावधान उचित वर्ग के अन्तर्गत ही दर्शाए जाएंगे।
2.	34- वित्तीय सेवाओं का विभाग	3475.00.105.04.00.42	113.00	58.00	विभाग ने बताया (अक्तूबर 2015) कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से न्यायालय परिसमापक कार्यालय के बजट प्रावधान वस्तु शीर्ष '42 एक मुश्त प्रावधान' के स्थान पर उचित वस्तु शीर्षों में किए जाएंगे।
कुल			143.00	78.69	

4.10 अनुमोदन बिना योजना से योजनेत्तर शीर्ष को निधियों का पुनर्विनियोग

वित्तीय शक्ति प्रत्योजन नियमावली 1978 के नियम 10(6)(घ) के प्रावधान के अनुसार, अनुदान अथवा विनियोग में योजना शीर्षों से योजनेत्तर शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग केवल वित्त मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से किया जा सकता है। इस प्रकार पुनर्विनियोग के लिए ऐसे पूर्व अनुमोदन बिना किया गया कोई व्यय अप्राधिकृत होगा। वेतन तथा लेखा कार्यालय द्वारा भी ऐसा प्राधिकार करने से पूर्व, जहाँ निधियों के कोई प्रावधान अथवा सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति विद्यमान नहीं है, सिविल लेखा नियम पुस्तक के पैरा 4.2.4 के अन्तर्गत निर्धारित जांच करना अपेक्षित होता है। यह देखा गया कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग से सम्बन्धित अनुदान सं. 87 में विभाग ने वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किए बिना, मार्च 2015 में योजना से योजनेत्तर शीर्ष को ₹4.50 करोड़ का पुनर्विनियोग किया।

विभाग ने बताया (सितम्बर 2015) कि मुख्य शीर्ष 3425 के अन्तर्गत योजना से योजनेतर को ₹4.50 करोड़ के पुनर्विनियोग के लिए कार्येतर अनुमोदन मांगा गया था। तथापि उसे वित्त मंत्रालय द्वारा यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया था कि

सचिव, व्यय का कार्येतर अनुमोदन प्राप्त करने का वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियम में कोई प्रावधान नहीं है।

4.11 सुसंगत उपशीर्ष का प्रचालन न करने के कारण व्यय का गलत वर्गीकरण

सरकारी कार्यालयों तथा औद्योगिक स्थापनाओं में विभागीय कैन्टीनों पर प्रशासनिक निर्देशों, तृतीय संस्करण 2008 के खण्ड 3.6 के अन्तर्गत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) ने अधिसूचित किया कि विभागीय कैन्टीनों के रखरखाव हेतु अलग लेखा शीर्ष खोले जाएं। विभागीय कैन्टीन को चलाने और रखरखाव हेतु किया गया व्यय जैसे 'वेतन तथा भत्ते', 'आपूर्तियां तथा सामग्री', 'अन्य प्रशासनिक खर्चे' आदि ऐसे अलग शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज किया जाना था ।

वर्ष 2014-15 के लिए अनुदान सं. 92- अन्तरिक्ष विभाग की संवीक्षा से पता चला कि विभाग की विभिन्न इकाईयों द्वारा 2014-15 के दौरान विभागीय कैन्टीन के रखरखाव पर किया गया ₹7.31 करोड़ का व्यय गलत वर्गीकृत किया जैसा नीचे की **तालिका** में दिया गया है।

तालिका 4.17: प्रासंगिक उप-शीर्ष के गैर संचालन के कारण व्यय का गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	पी.ए.ओ.	व्यय (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा पर्यवेक्षण
1.	3402	001	01	इसरो मुख्या.	1.51	विभागीय कैन्टीन पर किए गए व्यय को '3402.00.800-अन्य व्यय' के नीचे एक अलग उप-शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना अपेक्षित था परन्तु इसरो मुख्यालय द्वारा इसे उप-शीर्ष '3402.00.001.01' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
2.	3451	090	18	इसरो मुख्या.	0.21	विभागीय कैन्टीन पर किए गए व्यय को '3402.00.800-अन्य व्यय' के नीचे एक अलग उप-शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना अपेक्षित था परन्तु इसरो मुख्यालय द्वारा इसे उप-शीर्ष '3451.00.090.18' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
3.	3402	101	10	आई.एस.ए.सी. केन्द्र	5.58	विभागीय कैन्टीन पर किए गए व्यय को '3402.00.800-अन्य व्यय' के नीचे एक अलग उप-शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना अपेक्षित था परन्तु आई.एस.ए.सी. केन्द्र द्वारा इसे उप-शीर्ष

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	पी.ए.ओ.	व्यय (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा पर्यवेक्षण
						'3402.00.101.10' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
4.	3252	053	13	आई.एस.ए.सी. केन्द्र	0.01	विभागीय कैन्टीन पर किए गए व्यय को '3402.00.800-अन्य व्यय' के नीचे एक अलग उप-शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना अपेक्षित था परन्तु आई.एस.ए.सी. केन्द्र द्वारा इसे उप-शीर्ष '3252.00.053.13' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
योग					**7.31**	

विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि चूंकि वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली के नियम 8 के अन्तर्गत निर्देशों के अनुसार खर्चों की बुकिंग उचित वस्तु शीर्षों के अन्तर्गत की गई थी जैसा दिया गया, इसलिए सही हैं।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि डी.ओ.पी.टी. निर्देशों के अनुसार विभागीय कैन्टीनों से सम्बन्धित विभिन्न खर्चों की बुकिंग राजस्व खंड में लघु शीर्ष 'अन्य व्यय' के अंतर्गत उचित विषय शीर्षों के अन्तर्गत किया जाना चाहिये।

4.12 संसदीय प्राधिकरण के बिना किया गया व्यय

भारत के संविधान का अनुच्छेद 114(3) प्रावधान करता है कि विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन को छोड़कर भारत की समेकित निधि से कोई धन आहरित नहीं किया जाएगा। अन्तरिक्ष विभाग बाहय एजेंसियों को अन्तरिक्ष उत्पाद तथा सेवाएं देने के लिए निक्षेप परियोजनाओं के रूप में बाहय परियोजनाओं का दायित्व लेता है। निक्षेप परियोजनाएं '8443.00.117' सिविल जमा' बाहय निकायों की ओर से किये गए कार्य हेतु जमा के माध्यम से प्रचालित की जाती है।

वर्ष 2014-15 के लिए अन्तरिक्ष विभाग से सम्बन्धित अनुदान सं. 92 के शीर्षवार विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2013-14 के दौरान बाहय जमाओ- जी-सैट 7 ए के प्रति किया गया ₹11.82 करोड़ का व्यय पी.ए.ओ. (परियोजना) द्वारा अन्तरण प्रविष्टि सं. टी0003092 दिनांक 30 अप्रैल 2014 के द्वारा 2014-15 के दौरान सी.एफ.आई. परियोजनाओं को अन्तरित किया गया था (लेखा शीर्ष 5252.00.20309 जीसैट-16 के अन्तर्गत 10 करोड़

और शीर्ष 5252.00.203.07- जीसैट 15 के अन्तर्गत ₹1.82 करोड़)। इस प्रकार जी-सैट, 7ए परियोजना पर वास्तव में किया गया ₹11.82 करोड़ का व्यय संसदीय प्राधिकरण के बिना सी.एफ.आई. परियोजनाओं पर अनियमित रूप से अंतरित किया गया था।

4.13 कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट के मामले में विस्तृत शीर्ष '99- सूचना प्रौद्योगिकी' का प्रचालन न करना

वर्गीकरण के शीर्षो का सामान्य मानकीकरण सुनिश्चित करने और 'सूचना प्रौद्योगिकी' पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए खर्च की निगरानी को सुगम करने के लिए वित्त मंत्रालय ने अपने का ज्ञा.सं. 15(4)/ ख(घ)/ 2003 दिनांक 9 जुलाई 2003 द्वारा हार्डवेयर, साफ्टवेयर की प्राप्ति, अनुरक्षण, साफ्टवेयर के विकास, प्रशिक्षण आदि सहित सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढावा देने के लिए मंत्रालय/विभाग द्वारा किए गए व्यय का संकलन करने के लिए मानक कोड अर्थात् '99' के साथ अनुदानों की विस्तृत मांगों में वर्गीकरण के पांचवे स्तर पर 'विस्तृत शीर्ष' स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी को रखने का निर्णय लिया।

रक्षा मंत्रालय (सिविल) (अनुदान सं. 20) के विनियोग लेखे की संवीक्षा में पता चला कि सी.एस.डी. ने 2012-13 से 2014-15 के दौरान ₹9.44 करोड़ का आई.टी. सम्बद्ध व्यय किया परन्तु वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार ऐसा खर्च दर्ज करने के लिए सुसंगत विस्तृत शीर्ष '99 -सूचना प्रौद्योगिकी को प्रचालित नहीं किया जा रहा था। '

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2015) कि सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति व्यय लेखापरीक्षा शुल्क तथा व्यावसायिक सेवाओं के भुगतान की बुकिंग मंत्रालय से प्राप्त बजट आवंटन के प्रति शीर्ष-2075.00.108.01.28 'व्यावसायिक सेवाएं' में की जाती हैं। विभाग ने आगे बताया कि यदि ऐसा करना आवश्यक है तो उचित शीर्ष के अंतर्गत व्यय की बुकिंग हेतु कार्रवाई आरम्भ की जाएगी।

4.14 रक्षा मंत्रालय में बजट का गलत अनुमान

2014-15 के लिए मांग सं. 21-रक्षा पेंशन के राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में ₹50,999.30 करोड़ का विधायी स्वीकृति प्राप्त की गई थी। वर्ष की अवधि के

दौरान, संशोधित अनुमान स्तर पर वित्त मंत्रालय (वि.मं.) द्वारा मांग के इस अनुभाग के अंतर्गत प्रावधान को ₹1,000 करोड़ से कम किया गया था, जबकि रक्षा मंत्रालय (र.मं.) ने ₹53,824 करोड़ का अनुमानित व्यय प्रक्षेपित किया था। वर्ष के दौरान, ₹1,014.12 करोड़ की परिणामी बचतों के साथ रक्षा पेंशन पर ₹49,985.18 करोड़ की राशि का व्यय बुक किया गया था, जिसे अनुदान के प्रमुख लेखांकन प्राधिकारी अर्थात् सचिव, रक्षा मंत्रालय द्वारा यथोचित रूप से अनुमोदित किया गया था।

तदुपरांत नवम्बर 2015 में, इस मांग के विनियोग लेखे संशोधित किए गए, जिससे ₹50,999.30 करोड़ की विधायी स्वीकृति के प्रति राजस्व दत्तमत के अंतर्गत ₹60,435.20 करोड़ का व्यय बुक किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹9,435.90 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ था। व्यय आंकड़े को इस आधार पर संशोधित किया गया था कि उचंत शीर्षों के अंतर्गत पड़े हुए ₹10,450.03 करोड़ के पेंशन भुगतान स्क्रॉलों को वित्त वर्ष 2015-16 में दर्ज किया गया था, जिन्हें वित्त वर्ष 2014-15 में ही समायोजित किया जाना चाहिए था।

जुलाई 2015 में इस मांग की लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, संशोधित अनुमानों के आधार पर ₹1,009.30 करोड़ की राशि के अविवेकी अभ्यर्पण से संबंधित प्रश्न उठा था, जबकि ₹10,450.03 करोड़ की राशि के पेंशन स्क्रॉल 2014-15 के लेखाओं में अंतिम शीर्ष में बुकिंग के लिए लंबित थे। परंतु र.मं. द्वारा कोई ठोस उत्तर नहीं दिया गया।

समाशोधन हेतु लंबित उच्चंत शीर्षों में पड़े हुए पेंशन भुगतान स्क्रॉलों के बड़े संचय को देखते हुए, र.मं. को वित्त वर्ष 2014-15 में प्रावधान के संवर्धन हेतु वि.मं. के समक्ष पहले से ही मामला प्रस्तुत करना चाहिए था, ताकि पेंशनों पर किए गए व्यय को लेखे के अंतिम शीर्ष में बुक किया जा सकता। परंतु र.मं. ने 2014-15 के लिए केवल ₹53,824 करोड़ के व्यय के गलत संशोधित अनुमान प्रक्षेपित किए तथा वि.मं. द्वारा प्रावधान में की गई कमी का विरोध नहीं किया। इसके अतिरिक्त पहले से ही किये गये व्यय शीर्ष के अंतर्गत रखे जाने के बावजूद ₹ 1,014.12 करोड़ की बचतों को दर्शाते हुए र.मं. ने ₹ 49,985.18 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया।

पेंशन भुगतान प्रतिबद्ध व्यय होता है और रक्षा पेंशन की मांग में लगातार अतिरिक्त व्यय की प्रवृत्ति को देखते हुए र.मं. में प्रारंभिक बजट अनुमान प्रक्रिया की समीक्षा किये जाने तथा इसे अधिक वास्तविक बनाये जाने की आवश्यकता है।

4.15 रक्षा अनुदानों में गलत तकनीकी पूरक प्रावधान प्राप्त करना

(क) वित्त मंत्रालय द्‌वारा जारी बजट नियम पुस्तक के पैरा 3.2 के अनुसार तीन अवसरों पर तकनीकी पूरक की मांग की जाती है (क) चार खण्डों में से एक से निधि का अभ्यर्पण तथा मांग के अन्दर अन्य खण्ड में उसका उपयोग करना (ख) एक मांग से दूसरी मांग को योजना के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप उस मांग से राशि का अभ्यर्पण जिससे योजना हस्तांतरित हुई और अन्य मांग में उसका उपयोग जहाँ योजना हस्तांतरित की गई; और (ग) अधित्याग / बट्टे खाते।

रक्षा मंत्रालय की अनुदानों के लिए छः मांगे हैं, पांच राजस्व खण्ड में और एक पूंजीगत खण्ड में। रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे 2014-15 की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अनुदानों के लिए गलत तकनीकी पूरक मांगे अनुदानों की चार राजस्व मागों में कुल ₹8,335.52 करोड़ (राजस्व प्रभारित में ₹399.22 करोड़ और राजस्व दत्तमत में ₹7,936.30 करोड़) की अन्तिम बैच (मार्च 2015) के माध्यम से संसद से प्राप्त की गई थीं। ये तकनीकी पूरक प्रावधान अनुदान सं. 27- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय में उपलब्ध बचतों से प्राप्त किए गए थे। अनुदानों के लिए चार राजस्व मांगो में प्राप्त गलत पूरक प्रावधानों के विवरण नीचे **तालिका 4.18** में दर्शाए गए हैं:

तालिका 4.18: अनुपूरक अनुदानों की गलत प्राप्ति

मॉग का विवरण	प्राप्त किया गया तकनीकी पूरक (₹करोड़ में)	
	राजस्व (प्रभारित)	राजस्व (दत्तमत)
22-रक्षा सेवाएं - थल सेना	336.00	5340.47
23-रक्षा सेवाएं - नौसेना	9.63	350.37
24-रक्षा सेवाएं - वायु सेना	53.59	1925.43
26-रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास	-	320.03
कुल	**399.22**	**7936.30**

इस प्रकार, मांग संख्या 27 से मांग सं. 22,23,24 तथा 26 को तकनीकी पूरक के माध्यम से कुल ₹8,335.52 करोड़ की निधियों का अन्तरण रक्षा मंत्रालय द्वारा गलत प्रकार प्रस्तावित और वित्त मंत्रालय द्वारा गलत प्रकार स्वीकार किया गया था जिसके कारण बजट नियम पुस्तक के पैरा 3.2 में निर्धारित शर्तों के उल्लंघन में एक मांग से अन्य मांग में अनियमित पूरक प्रावधान का प्राप्त हुआ।

रक्षा मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2015) कि सिविल अनुदानों से विपरीत रक्षा सेवा अनुमानों की प्रत्येक अनुदान में चार खण्ड न हो कर केवल दो खण्ड हैं। दत्तमत तथा प्रभारित खण्डों के साथ अनुदान सं. 22 से 26 तक पूर्णतया राजस्व अनुदान हैं जबकि अनुदान सं. 27 दत्तमत्त तथा प्रभारित खण्डों के साथ सम्पूर्ण रूप से पूंजीगत अनुदान है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि जैसा बजट नियम पुस्तक में स्पष्ट किया गया है, तकनीकी पूरक की तब आवश्यकता होती है जब एक खण्ड की बचतें दूसरे खण्ड में उपयोग की जानी हैं अथवा एक मांग से बचतें अन्य में उपयोग की जानी हैं।

मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य के मद्देनजर मान्य नहीं है कि मांग सं. 27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय में बचतें मंत्रालय की अन्य चार मांगो में उपयोग नहीं की जा सकती हैं क्योंकि मांग सं. 27 से चार अन्य मांगो में से किसी को भी किसी योजना का हस्तांतरण नहीं हुआ था।

(ख) तकनीकी पूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त ₹8,335.52 करोड़ के कुल पूरक में से रक्षा सेवाओं की चार राजस्व मांगो मे केवल ₹5,986.73 करोड़ का उपयोग किया गया था तथा शेष ₹2,348.79 करोड़ की तालिका के विवरण के अनुसार राशि उपयोग नहीं की जा सकी जिससे अविवेकपूर्ण अनुपूरक मांगें प्राप्त हुईं।

तालिका 4.19: वास्तविक आवश्यकता के आधिक्य में निधियों को अविवेकपूर्ण प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं.	बजट अनुमान	अभ्यर्पण	अंतिम उपलब्ध प्रावधान	व्यय (मार्च अंतिम 2015)	व्यय पूर्ति हेतु अपर्याप्त प्रावधान	प्राप्त किया गया पूरक प्रावधान	प्राप्त किया गया अधिक पूरक
1	2	3	4(2-3)	5	6(5-4)	7	8(7-6)
22-Army	95337.82	6.83	95330.99	99400.74	4069.75	5676.47	1606.72
23-Navy	14175.79	-	14175.79	14352.00	176.21	360.00	183.79
24-Air Force	21206.84	-	21206.84	22685.30	1478.46	1979.02	500.56
26-R&D	6039.67	64.90	5974.77	6237.08	262.31	320.03	57.72
				योग	5986.73	8335.52	2348.79

लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत होते हुए मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2015) कि यह सही है कि मंत्रालय इन अतिरिक्त निधियों का उपयोग करने में असमर्थ रहा है। बचतों के कारणों में से एक वित्त वर्ष के अन्त की ओर अतिरिक्त निधियों की विलम्बित उपलब्धता था।

इस प्रकार, रक्षा सेवाओं की एकमात्र पूंजीगत मांग में प्रारंभिक बजट बनाने की प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, जिसमें अनुक्रामिक वर्षों में बड़ी बचतें देखी गईं हैं तथा इन बचतों को रक्षा सेवाओं की राजस्व मांगों को अंतरित किया गया था।

(ग) एकमात्र पूंजीगत मांगों में उपलब्ध बचतों से रक्षा सेवा की चार राजस्व मांगों को तकनीकी पूरक प्राप्त करते समय, नोटों एवं टिप्पणियों में यह बताया गया था कि अतिरिक्त प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए शेष राशि अनुदान के पूंजीगत खण्ड में उपलब्ध बचतों से अपेक्षित है। हालांकि, चार राजस्व मांगों में से किसी में भी अतिरिक्त प्राप्तियों को प्रकट नहीं किया गया था, जहाॅं तकनीकी पूरक के माध्यम से अतिरिक्त प्रावधान प्राप्त किए गए थे।

(घ) अनुदान सं. 22-सेना के संदर्भ में, चार पर्वतारोहण संस्थानों को सहायता अनुदानों के संवितरण हेतु तकनीकी पूरक के माध्यम से ₹16 करोड़ का एकमुश्त पूरक प्राप्त किया गया था। परंतु, अनुदानों के संवितरण के संस्थान-वार राशि विशेष विवरण को पूरक के माध्यम से संसद को सूचित नहीं किया गया था जैसा कि दिनांक 25 मई 2006 के वित्त मंत्रालय का.ज्ञा. को अनुबंध के मद-ई के नीचे दिए नोट में दी गई शर्त में अपेक्षित है।

4.16 रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तीय अनुशासन का पालन न करना

जी.एफ.आर. 2005 का नियम 59 प्रावधान करता है कि डी.एफ.पी.आर. 1978 के नियम 10 के प्रावधानो के अधीन और ऐसे अन्य सामान्य अथवा जैसे इस बाबत वित्त मंत्रालय द्वारा लगाए विशेष प्रतिबन्धों के अधीन एक अनुदान अथवा विनियोग के अन्दर विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से अन्य ऐसी इकाई को पुनर्विनियोग, वित्त वर्ष जिससे ऐसा अनुदान अथवा विनियोग सम्बन्ध रखता है, की समाप्ति से पूर्व किसी समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत किया जाए और पुनर्विनियोग आदेश की प्रति लेखा अधिकारियों को पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

तथापि पत्र सं. एफ 2 (30) बी (ए.सी.)/ 2014 दिनांक 31 मार्च 2015 के द्वारा जारी वित्त मंत्रालय आर्थिक मामले विभाग (बजट प्रभाग) द्वारा जारी पुनर्विनियोग आदेश के अवलोकन से पता चला कि मांग सं. 27- रक्षा सेवाओं पर परिव्यय (दत्तमत तथा प्रभारित) के अन्तर्गत प्रस्तावित ₹7,608.16 करोड़ निधियों का पुनर्विनियोग वित्त मंत्रालय अर्थात् सचिव (व्यय) द्वारा संस्वीकृत नहीं किया गया था, जैसा नीचे **तालिका** में दर्शाया गया है :-

तालिका 4.20 : अनियमित अतिरिक्त व्यय

(₹ करोड़ में)

शीर्ष (4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)	आधिक्य
01-थल सेना (दत्तमत)	
101-एयर क्राफ्ट एवं एरो-इंजिन	**37.82**
106-रोल्लिंग स्टॉक	**103.14**
112-राष्ट्रीय राइफल्स	**30.95**
01-थल सेना (**प्रभारित**)	
202-निर्माण कार्य	**7.08**
02-नौसेना (**दत्तमत**)	
204-नौसेना बेडा	**779.32**
202-निर्माण कार्य	**63.49**
03-वायु सेना (**दत्तमत**)	
101-एयर क्राफ्ट एवं एरो-इंजिन	**6286.14**
202-निर्माण कार्य	**220.82**
05-अनुसंधान एवं विकास (**प्रभारित**)	
111-निर्माण कार्य	**79.40**
कुल	**7608.16**

₹7,608 करोड़ में से ₹7,394.67 करोड़ के कुछ व्यय में से अधिकांश को वायुयान/हवाई इंजन/नौवहन बेड़े के अधिग्रहण/निर्माण कार्य इत्यादि पर वहन किया गया। चूंकि यह व्यय वस्तु शीर्ष 52-मशीनरी एवं उपकरण तथा 53-मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत आता है, इनसे मंत्रालय के दिनांक 25 मई 2006 के इस का.ज्ञा. के अनुसार एन.एस./एन.आई.एस. से संबंधित वित्तीय सीमाओं का उल्लंघन हुआ जिसके अनुसार यह व्यय संसद की पूर्वानुमति के पश्चात किया जाना था।

रक्षा मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2015) कि अधिक व्यय मुख्यतया प्रस्तावित पुनर्विनियोगों का अनुमोदन करने से वित्त मंत्रालय सस्वीकृति के कारण हुआ।

मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है कि रक्षा मंत्रालय पुनर्विनियोग प्रस्ताव को अनुमोदित करने से वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट नहीं कर सका।

4.17 निष्कर्ष

2014-15 के विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा के दौरान बजट बनाने की प्रक्रिया में कमियों के अलावा, अन्य कमियां जैसे कि सेवा/व्यय के लिए प्रावधान न प्राप्त किया जाना, वित्तीय अनुशासनों का गैर-अनुपालन आदि पाए गए थे। करों की वापसी पर ब्याज के भुगतान के लिए संसद से कोई बजटीय प्रावधान प्राप्त नहीं किया गया था जबकि लोक लेखा समिति ने अपने प्रतिवेदनों में स्पष्ट रूप संबंधित विभाग को संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुसरण करने के लिए शीघ्रता से सलाह दी है। लोक लेखा समिति की स्वीकृति के साथ जारी नई सेवा/सेवा के नए उपकरण से संबंधित मामलों में वित्तीय सीमाओं पर संशोधित दिशानिर्देशों वाले निर्देशों को कई मंत्रालयों/विभागों द्वारा पालन नहीं किया गया। अनेक मंत्रालयों/विभागों द्वारा गलत विषय शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान प्राप्त किए गए जिसके कारण संकलित लेखे में व्यय का गलत वर्गीकरण किया गया जिसका राजस्व/पूंजीगत व्यय तथा घाटे के ऑकड़ों पर भी प्रभाव पड़ा। एकमुश्त प्रावधान तथा गलत पूरक प्रावधानों को प्राप्त करने के मामले भी कई अनुदानों में भी देखे गए थे। रक्षा मंत्रालय द्वारा गलत बजट अनुमान के कारणवश उच्चंत शीर्षों के अंतर्गत पेंशन भुगतान स्क्रॉलों की बुकिंग के कारण 2014-15 के दौरान ₹9,435.90 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ था।

अध्याय 5: सहायता अनुदान: एक विश्लेषण

5.1 प्रस्तावना

लोक प्रशासन के परिवर्तनीय प्रतिमान ने नई तथा सदा विकसित हो रही पद्धतियों के माध्यम से सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण को अपरिहार्य किया है। संघ सरकार के लिए सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण के लिए सहायता अनुदान एक महत्वपूर्ण व्यय के माध्यम के रूप में उभरा है। वास्तव में, एक समयान्तराल से सहायता-अनुदान ऋण पुनर्भुगतानों के अपवाद के साथ, संघ सरकार के लिए व्यय की एक मात्र विशालतम मद रहा है।

सहायता-अनुदान एक सरकार द्वारा अन्य सरकार, संस्थान अथवा व्यक्ति विशेष को प्रदान की गई सहायता, दान अथवा अंशदानों के रूप में किए गए भुगतान हैं। सहायता-अनुदान संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों तथा/अथवा पंचायती राज संस्थानों को प्रदान की जाती हैं। संघ सरकार अन्य अभिकरणों, निकायों तथा संस्थानों को भी सहायता अनुदान के रूप में पर्याप्त निधियां प्रदान करती है। इसी प्रकार, राज्य सरकारें अभिकरणों, निकायों तथा संस्थानों जैसे कि विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, सहकारिता संस्थानों तथा अन्य को भी सहायता अनुदान संवितरित करती हैं। इस प्रकार, जारी किए गए अनुदानों का उपयोग इन अभिकरणों, निकायों तथा संस्थानों द्वारा दिन-प्रतिदिन के संचालन व्ययों को पूरा करने तथा सेवाओं के वितरण के अतिरिक्त पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु किया जाता है।

5.2 व्यय की प्रवृत्ति

सहायता अनुदान को नकद अथवा सेवा के रूप में प्रदान किया जाता है, किंतु इसे, उद्देश्य जिसके लिए यह प्रदान किया गया है, पर विचार किए बिना अनुदान दाता के खातों में हमेशा राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाना होता है। 2013-14 तथा 2014-15 की अवधि के दौरान, सहायता-अनुदान पर व्यय को संघ सरकार (रेलवे को छोड़कर) के राजस्व व्यय के लगभग 28 *प्रतिशत* था, जैसा कि नीचे **चार्ट 5.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 5.1: राजस्व व्यय के समानुपात के रूप में सहायता अनुदान

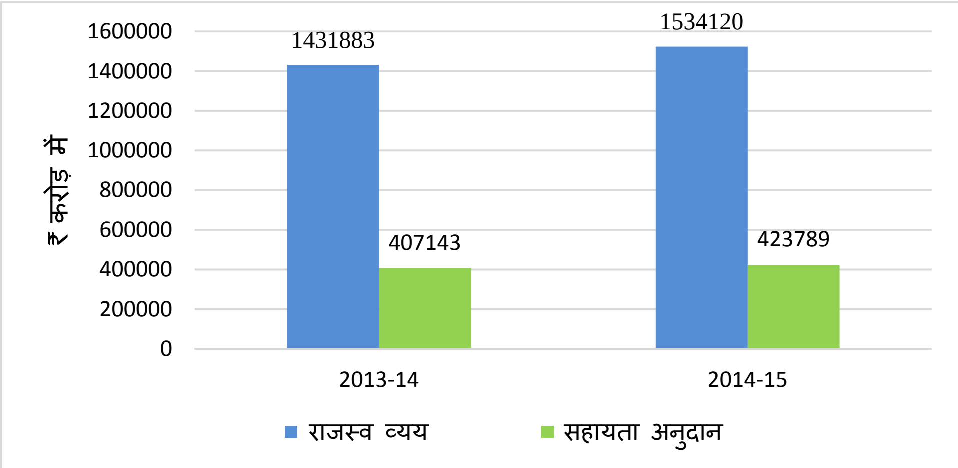

स्रोत : राजस्व व्यय - वित्त लेखे (रेलवे को छोड कर)

सहयता अनुदान - *ई-लेखा डाटा डम्प 59 जे ई तक (नवम्बर 2015) डाटा में रेलवे को छोड़कर निवल वसूली (विषय शीर्ष-70 घटा वसूलियां) का व्यय शामिल है।*

2013-14 की तुलना में 2014-15 में सहायता अनुदान में निरपेक्ष रूप में चार *प्रतिशत* की वृद्धि हुई तथा राजस्व व्यय में सात प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सहायता अनुदान व्यय बजट तथा लेखों में विभाजन के सबसे नीचे स्तर पर अर्थात एक वस्तु शीर्ष के रूप में दर्शाया गया है। 2008-09 तक सहायता अनुदान पर संघ सरकार के व्यय को एक ही वस्तु शीर्ष 31-सहायता अनुदान के अंतर्गत दर्ज किया जाता था। वर्तमान में इस व्यय को दर्ज किए जाने हेतु अलग से तीन वस्तु शीर्ष संचालित किए जा रहे हैं। ये वस्तु शीर्ष 31-सहायता अनुदान सामान्य; 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान तथा; 36-सहायता अनुदान वेतन हैं। वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' को वित्तीय वर्ष 2009-10 से खोला गया था, तथा विद्यमान वस्तु शीर्ष नामत: '31-सहायता अनुदान' को वित्तीय वर्ष 2010-11 से संशोधित कर '31-सहायता अनुदान समान्य' पढ़ा जाने लगा। इसके अतिरिक्त, वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान -वेतन' को वित्तीय वर्ष 2011-12 से खोला गया था।

नीचे दिया गया **चार्ट** 2013-14 तथा 2014-15 में संघ सरकार द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न प्रकार के सहायता अनुदान को दर्शाता है।

चार्ट 5.2: सहायता अनुदान के प्रकार

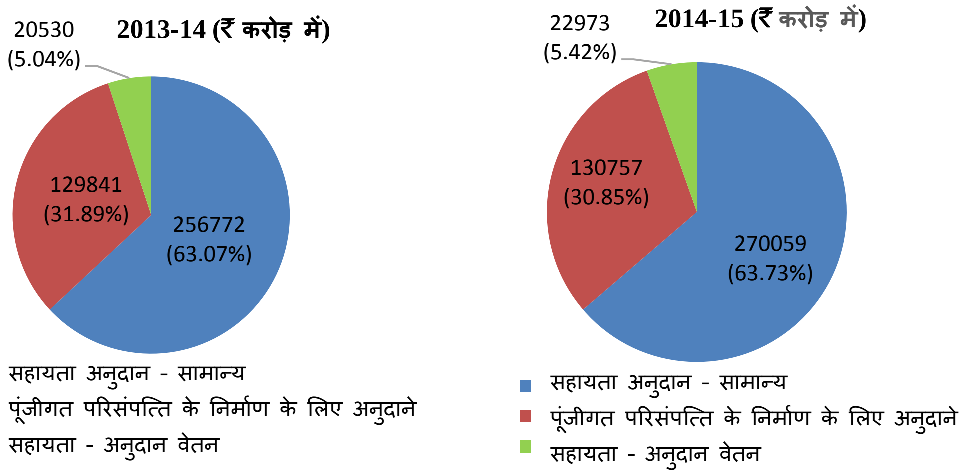

स्रोत: ई-लेखा डाटा डम्प 59 जे ई तक (नवम्बर 2015) डाटा में सभी सिविल, डाक तथा रक्षा अनुदानों हेतु व्यय शामिल है परंतु 'रेलवे'. शामिल नहीं है।

5.2.1 प्रभारित तथा दत्तमत सहायता अनुदान

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए सहायता अनुदान व्यय में से प्रभारित व्यय लगभग 15 *प्रतिशत* था। ये अनुदान, जो प्रकृति में गैर-योजनागत हैं, संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अनुसार बनाए गए हैं।

चार्ट 5.3 2013-14 तथा 2014-15 की अवधि के प्रभारित तथा दत्तमत सहायता अनुदानों का विभाजन दर्शाता है।

चार्ट 5.3: प्रभारित तथा दत्तमत सहायता अनुदान

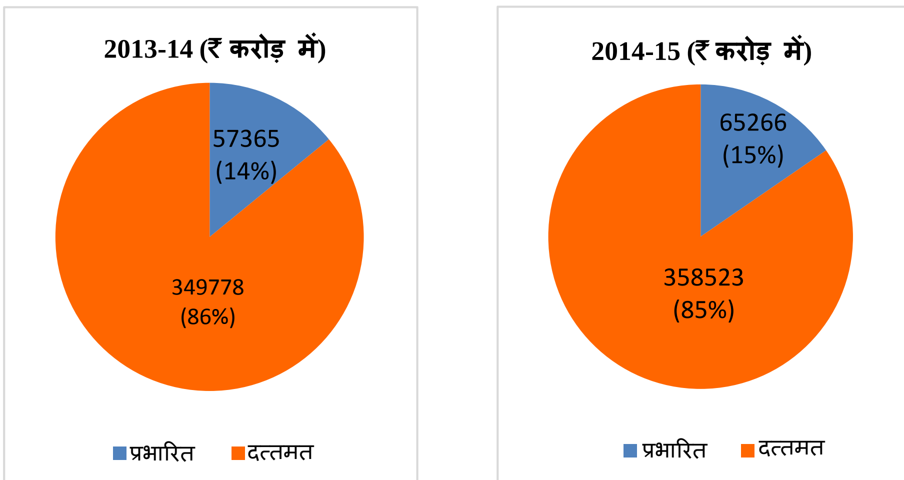

स्रोत: ई-लेखा डाटा डम्प 59 जे ई तक (नवम्बर 2015)। डाटा में सभी सिविल, डाक तथा रक्षा अनुदानों हेतु व्यय शामिल है परंतु 'रेलवे'. शामिल नहीं है

वर्ष 2014-15 के लिए प्रभारित सहायता अनुदान को मुख्य रूप से दो मांगों अर्थात राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण तथा जनजाति कार्य मंत्रालय को जारी किया गया था। ₹65,266 करोड़ के प्रभारित अनुदानों में से ₹61,813 करोड़ की अनुदान मांग सं. 36-राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकार को अंतरण के अंतर्गत प्रदान की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान, मुख्य रूप से, राज्यों के गैर-योजनागत राजस्व घाटे, प्रारम्भिक शिक्षा, पर्यावरण, परिणामों को सुधारने, सड़कों एवं पुलों के अनुरक्षण, स्थानीय निकायों, आपदा राहत इत्यादि के लिए है। इसी प्रकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं को सृजित करने तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु योजनाओं के लिए योजना अनुदान प्रदान करता है।

5.2.2 योजनागत तथा गैर-योजनागत अनुदान

संघ सरकार द्वारा दोनों, नियोजित योजनाओं के निष्पादन हेतु तथा अन्य उद्देश्यों हेतु सहायता अनुदान प्रदान किए जाते हैं। **चार्ट 5.4** योजनागत तथा गैर-योजनागत वर्ग के अधीन सहायता अनुदानों के विभाजन दर्शाता है। सहायता अनुदानों का एक बड़ा हिस्सा नियोजित योजनाओं के निष्पादन हेतु प्रदान किया गया सहायता अनुदान है। 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान योजनागत सहायता अनुदान का अंश कुल सहायता अनुदान का क्रमश: 78 प्रतिशत तथा 75 *प्रतिशत* था।

चार्ट 5.4: राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत योजनागत बनाम गैर-योजनागत सहायता अनुदान

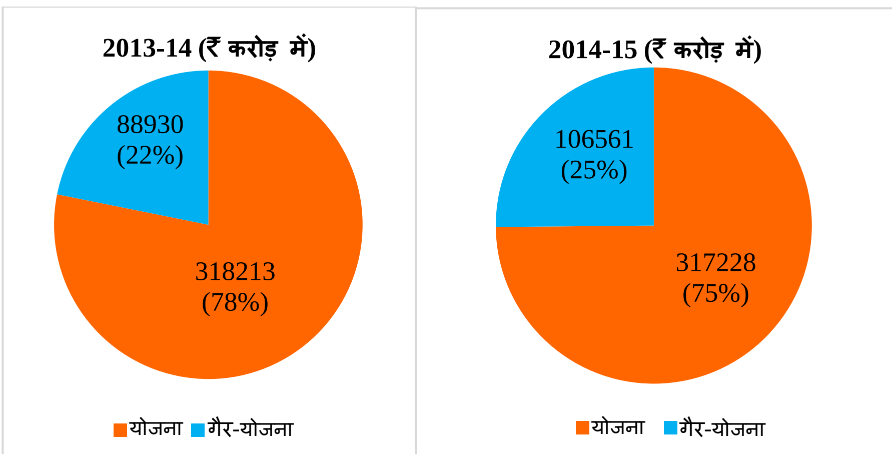

स्रोत: ई-लेखा डाटा डम्प 59 जे ई तक (नवम्बर 2015) डाटा में सभी सिविल, डाक तथा रक्षा अनुदानों हेतु व्यय शामिल है परंतु 'रेलवे' शामिल नहीं है।

2013-14 की तुलना में योजनागत व्यय में ₹985 करोड़ की कमी हुई जबकि 2014-15 में गैर योजनागत में ₹17,631 करोड़ की वृद्धि हुई।

5.3 योजनागत सहायता अनुदान व्यय की बदलती प्रकृति

नब्बे के दशक के मध्य से संघ सरकार कई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित धन को, कार्यान्वयन अभिकरणों, जो कि समितियां, स्वायत्त निकाय, गैर-सरकारी संगठन आदि हैं, के खातों में सीधे अंतरित करने की प्रक्रिया का पालन कर रही है। अंतरण की इस पद्धति को प्राय: 'समिति पद्धति' के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऐसी संस्थाऐं राज्य तथा जिला दोनों स्तर पर हैं तथा उनकी निधियां राज्य की समेकित निधि से बाहर हैं।

संघ सरकार की अन्य पद्धति राज्य सरकारों के माध्यम से अनुदानों का अंतरण करना है तथा यह "राजकोषीय पद्धति" के रूप में संदर्भित है, जो इस प्रकार अंतरण की गई राशि को भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुरूप राज्यों की समेकित निधि में क्रेडिट करने पर जोर देता है। क्रेडिट की गई राशि को फिर वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से समेकित निधि से विनियोजित किया जाता है। अंतरण की यह पद्धति एक संतुलित लेखांकन प्रणाली द्‌वारा समर्थित है जो लेखांकन में व्यय के अंतिम शीर्ष तक का पता लगाती है, जिसमें प्रत्येक लेन-देन के वाउचर राजकोष तथा राज्य महालेखाकार के पास उपलब्ध होते हैं। यह सुविकसित लेखांकन ढांचा उचित वित्तीय प्रबंधन को सुनिश्चित करता है तथा व्यय की गुणवत्ता पर पर्यवेक्षण प्रदान करता है। समिति पद्धति प्रक्रिया के माध्यम से अंतरित तथा संघ सरकार के लेखाओं में लेखाबद्ध व्यय 2006-07 के ₹43,816[1] करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹1,12,708 करोड़ हो गया।

विभिन्न विकासात्मक एवं सामाजिक सहायता को तर्कसंगत करने के वृहत्तर प्रयास के भाग के रूप में मौजूदा केन्द्रीय प्रायोजित/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजनाएँ, योजना आयोग के जुलाई 2013 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 66 योजनाओं में पुनर्गठित की गयी हैं। कार्यालय ज्ञापन प्रावधान करता है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से सभी केन्द्र द्‌वारा प्रायोजित योजनाओं के लिये निधियां तथा साथ साथ इन 66 योजनाओं से संबद्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, संबंधित राज्यों की समेकित निधि के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से अंतरित की जाएगी।

[1] राजस्व भाग के अंतर्गत कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से जारी राशि 2006-07 तथा 2013-14 के वर्षों में क्रमश: ₹43,372 करोड तथा ₹ 1,12,050 करोड थी ।

तदनुसार 2014-15 के संघीय बजट ने केन्द्रीय योजना सहायता को राज्यों/जिलों के स्तर पर स्वायत्त निकायों/कार्यकारी अभिकरणों को सीधे अंतरित की जाने वाली निधियों का कोई प्रावधान नहीं किया। तथापि पी.एफ.एम.एस. आंकड़ों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि संघ सरकार द्वारा ₹23,425.80 करोड़ की एक राशि को राज्यों में कार्यकारी अभिकरणों को सीधे जारी करना दर्शाया गया था। इसे इंगित किए जाने पर, नि.म.प. कार्यालय ने बताया (नवम्बर 2015) कि पी.एफ.एम.एस. मात्र एक तकनीकी प्लेटफार्म है जो निधियों को केन्द्र एवं स्थानीय स्तर पर जारी करने एवं उन पर निगरानी रखने की सुविधा प्रदान करता है जारी करने का माध्यम है यानि उन्हें राज्य समेकित निधि या अभिकरण को सीधे अंतरित किए जाने का निर्णय संबंधित मंत्रालय /विभाग का ही होता है।

ई-लेखा डाटाबेस से प्रकटित हुआ है कि वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान मुख्य शीर्ष 3601 तथा 3602 के अन्तर्गत कुल योजनागत सहायता अनुदान में से क्रमश: ₹143,207 करोड़ तथा ₹2,58,292 करोड़ राज्य सरकारों/सं.क्षे. को अन्तरित किए गए थे।

5.3.1 सहायता अनुदान व्यय के मामले में नि.म.ले.प. का लेखापरीक्षा प्रबंधन

सार्वजनिक सेवा वितरण को मुख्यत: सामाजिक क्षेत्र में, सरकारी अभिकरणों, सरकार के विभिन्न स्तरों तथा गैर-सरकारी संगठनों सहित निजी क्षेत्र के बीच बढ़ते हुए जटिल अंत: संबंध द्वारा वर्णित किया गया है। हाल के वर्षों में, प्रमुख कार्यक्रमों तथा अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें, जो योजनागत व्यय का बड़ा अनुपात संघटित करती हैं, के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकारी नीति में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है।

संघ सरकार, विदेश मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं अंतरिक्ष विभाग को छोडकर योजनागत योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न अभिकरणों सिविल मंत्रालयों/विभागों के लिए, जारी सभी सहायता अनुदानों का एक डाटा बेस का अनुरक्षण करती हैं। डाटाबेस को लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (लो.वि.प्र.प्र.) (पूर्व में केन्द्रीय नियोजित योजना मॉनीटरिंग प्रणाली के.नि.यो.मॉ.प्र) कहा जाता है। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये लो.वि.प्र.प्र. के डाटा के आधार पर सहायता अनुदान व्यय का व्यापक विश्लेषण किया गया था। प्राप्तकर्ताओं की सैद्धांतिक श्रेणियों के अनुसार विद्यमान सार्वजनिक लेखापरीक्षा प्रबंधों सहित जारी अनुदानों के विवरण जैसा कि लो.वि.प्र.प्र. में सम्मिलित है **तालिका 5.1** में दिया गया है:-

तालिका 5.1: 2014-15 के दौरान श्रेणी वार योजना गत जारी अनुदान तथा लेखापरीक्षा अधिदेश

श्रेणी	जारी राशि (₹करोड़ में)	नि.म.ले.प. (कर्त्तव्य,शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम1971 के संदर्भ में नि.म.ले.प.का लेखापपरीक्षा अधिदेश
केन्द्रीय सरकारी संस्थान*	1,838.76	धारा 14, 15 एवं 20
राज्य सरकार/संघ क्षेत्र उपक्रम	2,58,200.05	धारा 13
केन्द्रीय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	7,598.80	धारा 19(1)
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	715.47	धारा 19(1)
सांविधिक निकाय	9,716.73	धारा 19(2) एवं (3)
स्थानीय निकाय	3,377.91	धारा 14, 15 एवं 20 तथा तकनीकी मार्गदर्शन तथा सहायता (प्र.भा.स.) के अंतर्गत
पंजीकृत समितियां (सरकारी स्वायत्त निकाय)	29,391.40	धारा 14, 15 एवं 20
पंजीकृत समितियां (गैर सरकारी संस्थान)	1,083.00	धारा 14, 15 एवं 20
निजी क्षेत्र कम्पनियां	1,334.38	धारा 14, 15 एवं 20
राज्य सरकारी संस्थान	363.32	धारा 13, 14, 19 एवं 20
अंतराष्ट्रीय संगठन	60.17	--
व्यक्तिगत	18.20	--
न्यास	1,085.62	--
राज्य सरकार आहरण एवं वितरण अधिकारी	1.94	--
कुल	**3,14,785.75**	

स्रोत: म.ले.नि. के पी.एफ.एम.एस. डिविजन द्वारा प्रस्तुत डाटा (अक्तूबर 2015)

* डाटाबेस में दर्शाए गए श्रेणी के नाम (अभिकरण का प्रकार) लो.वि.प्र.प्र. के अनुसार केवल केन्द्र सरकार हैं। अभिकरण के प्रकारों में अन्य श्रेणी ब्यौरे को लो.वि.प्र.प्र. डाटा बेस में दर्शाए गए के अनुसार माना गया है।

- उपरोक्त तालिका में प्रथम चार श्रेणियां सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को प्रदर्शित करती है। ऐसे मामलों में भा.नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा सुस्पष्ट है। इन मामलों में अंतरण की पद्धति एक उच्च लेखांकन प्रणाली से समर्थित है तथा विशेषकर राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों से संबंधित व्यय का पता अंतिम स्तर पर लगाया जा सकता है।

- स्थानीय निकायों यथा पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी निकायों यथा कार्पोरेशन तथा नगर निगमों के मामले में अधिकतर राज्यों में नि.म.ले.प. प्राथमिक लेखापरीक्षक नहीं है लेकिन यह प्राथमिक लेखापरीक्षकों को तकनीकी मार्गदर्शन तथा अनुश्रवण/सहायता प्रदान करता है।

- योजनागत निधियों की पर्याप्त राशि पंजीकृत समितियों/गैर-सरकारी संगठनों/ट्रस्टों को भी जारी की जा रही है। इनमें से अधिकांश संस्थान नि.म.ले.प. के प्रत्यक्ष लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं है। नि.म.ले.प. (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 निर्धारित

करता है कि नि.म.ले.प. द्वारा सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से निधिबद्ध निकायों अथवा प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा तब की जा सकेगी जब उस संस्थान के कुल व्यय का 75 प्रतिशत सरकार द्वारा निधिबद्ध किया गया हो, तथा अनुदान या ऋण के रूप में सहायता ₹25 लाख से अधिक हो। नि.म.ले.प. भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से वैकल्पिक रूप से उन संस्थानों की लेखापरीक्षा कर सकेगा, जिन संस्थानों को दी गई सहायता ₹ एक करोड़ से कम न हो। इस प्रकार, नि.म.ले.प. द्वारा इन संस्थाओं की, जो कि पर्याप्त रूप से सरकार द्वारा निधिबद्ध है, लेखापरीक्षा करने हेतु अनुदानग्राही संस्थान के कुल व्यय के विवरण की आवश्यकता इस संतुष्टि के लिए होगी कि सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुदान/सहायता का कुल व्यय 75 *प्रतिशत* से अधिक है। यह ऐसे इकाईयों के वार्षिक लेखों को नि.म.ले.प. को लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराना अपेक्षित करता है। नवम्बर, 2007 में लेखापरीक्षा एवं लेखा पर अधिसूचित विनियम में एक प्रावधान है कि सरकारों एवं विभागाध्यक्षों, जो निकायों अथवा प्राधिकरणों के अनुदान एवं ऋण संस्वीकृत करती है, को लेखापरीक्षा कार्यालय में प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत में ऐसे निकायों एवं प्राधिकरणों की विविरणी प्रस्तुत करें जिन्हें कुल ₹10 लाख एवं अथवा अधिक का ऋण विगत वर्ष के दौरान प्रदान किया गया था, इसमें (क) सहायता की राशि (ख) जिस प्रयोजन हेतु सहायता संस्वीकृत की गयी, तथा (ग) निकाय या प्राधिकरण का कुल व्यय दर्शाया गया हो। तथापि, सरकार के पास स्वयं के द्वारा पर्याप्त रूप से निधिबद्ध निकायों के वार्षिक लेखों को प्राप्त करने तथा इन लेखों को नि.म.ले.प. को प्रेषित करने हेतु कोई क्रियाविधि नहीं है। यह ऐसे संस्थानों की समय से लेखापरीक्षा करने तथा नि.म.ले.प. द्वारा संसद को लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समय पर सूचित करने को भी सीमित करता है।

- सरकारी निधीयन प्राप्त कर रहे विभिन्न अभिकरण तथा समितियों की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. (क.श.से.श.) अधिनियम, 1971 की धारा 14,15,19 तथा 20 के अंतर्गत की जाती है। तथापि, विद्यमान प्रावधानों में उप-अनुदानग्राहियों, कार्यान्वयन अभिकरणों समितियों आदि जो समेकित निधि से या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, की लेखापरीक्षा हेतु कोई विनिर्दिष्ट प्रावधान नहीं है।

- इसके अतिरक्त, एक पर्याप्त संख्या में समितियां पंजीकृत समितियों/ गैरसरकारी संगठन/ट्रस्ट केवल प्रथम स्तरीय अनुदानग्राही है। यह प्रत्यक्ष रूप से नियोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल नहीं है। वे बदले में, कार्यान्वयन अभिकरणों को अनुदान प्रदान करते है। ऐसे उप-अनुदानग्राही सीधे नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते है।

5.4 उपयोग प्रमाणपत्र (उ.प्र.)

संघ सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदानों की प्रभावकारिता तथा उपयोग को, उपयोग प्रमाणपत्रों की क्रियाविधि के माध्यम से मॉनीटर किया जाता है। वित्तीय नियमावली 2005 का नियम का 209 किसी भी अनुदानग्राही को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु सिद्धान्तों तथा प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है तथा संस्वीकृत देने वाले प्राधिकरण को सा.वि.नि. 39 के प्रारूप में अनुदानों की पंजिका का अनुरक्षण करना अपेक्षित है। सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 का नियम 212 सा.वि.नि. फार्म 19क में निर्धारित उपयोग प्रमाणपत्र की क्रियाविधि के माध्यम से जारी किए गए अनुदानों के उपयोग की मॉनीटरिंग को शामिल करता है। अनुदानग्राही को वित्तीय वर्ष समाप्ति से बारह महीनों के अन्दर उपयोग प्रमाणपत्र जमा कराना अपेक्षित है।

31 मार्च 2014 तक जारी अनुदान जो 31 मार्च 2015 को बकाया से संबंधित ब्यौरे सभी सिविल मंत्रालयों/विभागों से मंगाये गये थे। तथापि 26 संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई, जिनका विवरण निम्न **तालिका 5.2** में दिया गया है:-

तालिका 5.2: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	बकाया उ.प्र. की सं.	उ.प्र. की राशि (₹करोड़ में)
1.	कृषि मंत्रालय	4232	19,086.08
2.	उर्वरक मंत्रालय	2	0.40
3.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	2011	445.14
4.	भारी उद्योग विभाग	14	882.95
5.	विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	1957	21,845.98
6.	उच्च शिक्षा विभाग	2565	903.21
7.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग	35	1.66
8.	शहरी विकास मंत्रालय	166	306.27
9.	आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	489	1,120.04
10.	खनन मंत्रालय	02	0.09
11.	खाद्य एवं लोक वितरण मंत्रालय	14	20.73
12.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	4672	336.76
13.	लोक उद्यम विभाग	30	2.82
14.	औषधि विभाग	33	44.81
15.	भारतीय प्रवासी मामले मंत्रालय	06	3.07
16.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	10427	681.22
17.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	929	3,840.92
18.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	6150	461.51
19.	जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा नवीकरण मंत्रालय	249	102.07
20.	नव तथा ऊर्जा नवीकरण मंत्रालय	733	850.31
21.	अंतरिक्ष विभाग	289	14.66
22.	नाभिकीय उर्जा विभाग	1162	89.61
23.	सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय	299	82.34
24.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	724	55.70
25.	अल्प संख्यक मामले मंत्रालय	354	82.45
26.	पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय	25	266.30
	योग	**37569**	**51,527.10**

***इसमें केवल कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा प्रजनन, डेयरी तथा मत्स्य पालन विभाग शामिल है।**

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2015 को 26 मंत्रालयों/विभागों में ₹51,527.10 करोड़ के 37569 उ.प्र. बकाया थे। मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि धन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए यह प्रदान किया गया था, उ.प्र. ही एकमात्र साधन है। बकाया उ.प्र. की बड़ी संख्या संबंधित मंत्रालयों/विभागों में कमजोर मॉनीटरिंग तथा अनुपालन क्रियाविधि को दर्शाता है।

5.5 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सहायता अनुदानों पर व्यय की विस्तृत जांच

दो मंत्रालयों अर्थात खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सहायता अनुदानों के अंतर्गत किये गये व्यय की लेखापरीक्षा में, अनुदानों के संस्वीकृति एवं मानीटरिंग के तंत्र तथा किये गये व्यय की गुणवत्ता एवं प्रभावकारिता आदि के संबंध में आश्वासन प्राप्त करने के लिए समीक्षा की गयी थी। ऐसी जांच से उजागर परिणामों पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

अनुदान सं. 46-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

5.5.1 प्रस्तावना

मंत्रालय के कार्यों को नीति सहायता, नीति अगुआई, विकासात्मक पहलों तथा प्रोत्साहन पहलों के अंतर्गत विस्तृत रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है।

निम्नलिखित चार संगठनों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्थापित किया गया है:

क) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (एन.आई.एफ.टी.ई.एम.);

ख) भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.सी.पी.टी.);

ग) भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड (आई.जी.पी.बी.); तथा

घ) राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड (एन.एम.पी.पी.बी.)

5.5.2 बजट एवं व्यय

मंत्रालय का कुल राजस्व व्यय 2012-13 में ₹665.45 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹696.74 करोड़ हो गया। सहायता अनुदान पर व्यय मंत्रालय के राजस्व व्यय का एक प्रमुख घटक है। 2012-13 से 2014-15 के दौरान 83 *प्रतिशत से* 98 *प्रतिशत* का योजनागत राजस्व व्यय सहायता अनुदान पर था जबकि गैर-योजनागत राजस्व व्यय में यह 2013-14 से 2014-15 की अवधि के दौरान 21 *प्रतिशत* से 29 *प्रतिशत* के बीच था। 2012-13 के दौरान सहायता अनुदान (गैर-योजनागत) के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया था।

तालिका 5.3: राजस्व लेखे पर प्रावधान एवं व्यय लेखा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान		व्यय		सहायता अनुदान पर व्यय		वास्तविक व्यय की तुलना में सहायता अनुदान पर व्यय	
	योजनागत	गैर-योजनागत	योजनागत	गैर-योजनागत	योजनागत	गैर-योजनागत	योजनागत	गैर-योजनागत
2012-13	660.00	10.16	655.88	9.57	642.78	--	98	0
2013-14	550.00	14.32	527.96	13.98	513.35	3.00	97	21
2014-15	600.00	17.74	679.73	17.01	565.65	5.01	83	29

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सूचना।

2012-13 से 2014-15 के लिए वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य'; '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियें के सृजन हेतु अनुदाने'; तथा '36 सहायता अनुदान-वेतन ' के अनुसार अनुदानों पर व्यय का वितरण निम्नानसुार है:

तालिका 5.4: विषय शीर्ष-वार व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
31-सहायता अनुदान सामान्य-	601.78 (93.62%)	464.37 (89.93%)	544.21 (95.37%)	1610.36
35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	41.00	39.98	14.20	95.18
36-सहायता अनुदान वेतन	--	12.00	12.25	24.25
कुल	**642.78**	**516.35**	**570.66**	**1729.79**

तालिका से यह स्पष्ट है कि 'सहायता अनुदान सामान्य' पर व्यय 2012-13 से 2014-15 के दौरान मंत्रालय द्वारा अनुदानों पर किए गए कुल व्यय का 89 *प्रतिशत* से अधिक बनता है।

5.5.3 सहायता अनुदान पर व्यय का माह-वार प्रवाह

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 212(1) के अनुसार, मंत्रालय अथवा विभाग को पूरे वर्ष में व्यय का एक समान प्रवाह सुनिश्चित करना चाहिए।

वर्ष के दौरान मंत्रालय के योजनागत व्यय के प्रवाह की पड़ताल पी.एफ.एम.एस. डाटाबेस की मदद से की गयी। यह पाया गया कि मंत्रालय ने वर्ष 2012-13 से 2014-15 के वर्षों के दौरान उपरोक्त प्रावधान का पालन नहीं किया था। **चार्ट 5.5** योजनागत व्यय के मासिक प्रवाह को दर्शाता है :-

चार्ट 5.5: योजनागत व्यय का प्रवाह

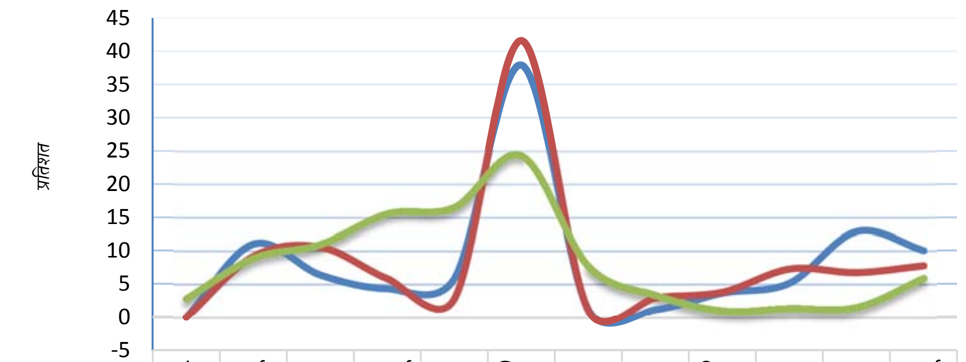

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अग.	सित.	अक्तू.	नव.	दिस.	जन.	फर.	मार्च
2012-13	0	11.08	6.44	4.37	5.92	37.92	1.09	1.18	3.71	5.22	12.97	10.1
2013-14	0	9.24	10.63	5.88	2.86	41.6	0.96	3	3.85	7.35	6.8	7.83
2014-15	2.82	8.94	10.99	15.59	16.54	24.32	7.71	3.35	0.98	1.34	1.5	5.92

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सूचना

उपरोक्त चार्ट से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान वर्ष भर मासिक व्यय एक समान नहीं था। योजनागत व्यय का बड़ा भाग सितम्बर माह में (2012-13 के दौरान 37.92 *प्रतिशत*, 2013-14 के दौरान 41.60 *प्रतिशत* तथा 2014-15 के दौरान 24.32 *प्रतिशत*) किया गया जबकि इन तीन वर्षों की अवधि में अप्रैल, अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर के महीनों में व्यय नगण्य था।

5.5.4 अभिकरणों को संस्वीकृत एवं निर्गत अनुदानें

महालेखा नियंत्रक का पी.एफ.एम.एस. प्रभाग योजनागत योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं को जारी सहायता अनुदानों का डाटाबेस रखता है। वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान मंत्रालय द्वारा जारी सहायता अनुदानों के ब्यौरे **तालिका 5.5** में दिए गए हैं:

तालिका 5.5: संस्थाओं को संस्वीकृत एवं जारी किये गये अनुदान

(₹ करोड़ में)

अभिकरण का नाम	2012-13			2013-14			2014-15		
	अनुदान-ग्राहियों की संख्या	संस्वीकृत अनुदान	जारी अनुदान	अनुदान ग्राहियों की संख्या	संस्वीकृत अनुदान	जारी अनुदान	अनुदान-ग्राहियों की संख्या	संस्वीकृत अनुदान	जारी अनुदान
केन्द्र सरकार निकाय	22	71.17	70.02	35	84.20	78.97	31	58.79	52.95
केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	02	0.07	0.07	02	0.12	0.12	01	0.08	0.08
निजी क्षेत्र कंपनियां	1283	355.59	355.14	1057	359.16	358.71	966	362.10	361.02
पंजीकृत समितियां (सरकारी स्वायत्त निकाय)	17	2.89	2.89	05	1.32	1.32	10	1.63	1.63
पंजीकृत समितियां (गैर-सरकारी संगठन)	214	6.81	5.92	188	8.79	7.62	122	5.26	4.24
राज्य सरकार/सं.शा.क्षे.	41	253.19	189.13	36	186.47	31.19	33	180.00	125.31
राज्य सरकार संस्थान	32	22.20	18.73	42	42.34	36.17	53	32.70	21.04
राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	03	0.11	0.11	--	--	--	--	--	--
वैधानिक निकाय	01	0.02	0.02	02	0.06	0.06	--	--	--
स्थानीय निकाय	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ट्रस्ट	09	0.34	0.34	07	0.53	0.53	08	0.58	0.58
व्यक्तिगत	--	--	--	--	--	--	--	--	--
कुल	**1624**	**712.39**	**642.37**	**1374**	**682.99**	**514.69**	**1224**	**641.14**	**566.85**

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट परिपत्र के अुनसार, मंत्रालय द्वारा अनुदान हेतु विस्तृत मांग (अ.वि.मा.) में गैर-सरकारी निकायों को सहायता-अनुदान के भुगतान हेतु बजट अनुमानों में शामिल प्रावधानों को दर्शाने वाली एक अनुसूची संलग्न करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, जहां एक मुश्त प्रावधान संस्थानों के संबंध में विवरणों के बिना किसी भी योजना के अंतर्गत किए गए हैं वहां बाद के चरण में संसद को संस्थान-वार संवितरण के ब्यौरे सूचित करना अपेक्षित है। मंत्रालय की अ.वि.मा. के अनुसार, 2012-13 हेतु ₹565.10 करोड़, 2013-14 हेतु ₹618.50 करोड़ तथा 2014-15 हेतु ₹506.00 करोड़ के कुल व्यय को गैर सरकारी निकायों को सहायता अनुदान की सहायता के प्रति दर्शाया गया था; फिर भी संस्थान-वार संवितरण को अ.वि.मा. में दर्शाया नहीं गया था। बाद के चरण में संसद को प्रेषित संबंधित सूचना को भी मंत्रालय के अभिलेखों में नहीं पाया गया था।

5.5.5 सरकारी अनुदान में से अनुदानग्राहियों द्वारा सृजित पूंजीगत परिसम्पत्तियों के डाटा का गैर-अनुरक्षण

वित्त वर्ष 2009-10 से एक नया वस्तु शीर्ष 'पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' शुरू किया गया जिसमें पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान ग्राही निकायों को जारी अनुदानों को सुस्पष्ट रूप से दर्ज किया जाना था।

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 215(3)(I) आदेश देता है कि प्रायोजित परियोजनाओं तथा योजनाओं के निधीयन के मामले में यह अनुबंध किया जाना चाहिए कि ऐसी निधियों से सृजित अथवा प्राप्त भौतिक तथा बौद्धिक परिसम्पत्तियों में स्वामित्व प्रवर्तक के पास रहेगा।

मंत्रालय ने एन.आई.एफ.टी.ई.एम. तथा आई.आई.सी.पी.टी. को विषय शीर्ष अनुदान द्वारा सृजित पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन के लिए 2012-13 सं. 2014-15 के दौरान ₹95.18 करोड़ जारी किए थे। मंत्रालय संस्वीकृति के आदेशों में एक शर्त को शामिल करता रहा था कि सृजित परिसम्पत्तियों का मंत्रालय की अनुमति के बिना निपटान नहीं किया जाएगा।

तथापि, मंत्रालय द्वारा किसी केन्द्रीकृत अभिलेखों/डाटाबेस अर्थात् अनुदानग्राही का नाम, सृजित परिसम्पत्तियों की प्रकृति सहित सृजित परिसम्पत्तियों के ब्यौरे, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु वास्तव में उपयोग किए गए अनुदान की राशि, ऐसी परिसम्पत्तियों का स्वामित्व आदि का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

केन्द्रीकृत डाटा के अभाव में, यह आश्वासन नहीं प्राप्त किया जा सकता कि इस शीर्ष के अंतर्गत 2012-13 से 2014-15 में लेखाबद्ध किये गये ₹95.18 करोड़ के व्यय से वास्तव में वह पूंजीगत परिसम्पत्तियां सृजित की गई, जिसके लिए अनुदान संस्वीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट नहीं है कि मंत्रालय, इन अनुदानों से सृजित परिसम्पत्तियों की किसी संबंधित सूची के अभाव में, किस प्रकार सुनिश्चित कर रहा था कि अनुदानभोगी निकाय मंत्रालय की अनुमति के बिना उनका निपटान नहीं कर रहे थे।

इंगित किए जाने पर, मंत्रालय ने स्वीकार किया (सितम्बर 2015) तथा आश्वासित किया कि वह पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु जारी अनुदानों के संबंध में उपयुक्त अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा।

5.5.6 सहायता अनुदान रजिस्टर का अनुचित अनुरक्षण

सा.वि.नि. **212(4)(क)** तथा सिविल लेखा नियम पुस्तिका के पैरा 4.27.2 के अनुसार, दोहरे भुगतान की संभावना से बचने के लिए मंजूरीदाता प्राधिकारी द्वारा फार्म क्रमश: सा.वि.नि.-39 तथा सि.ले.नि.-28 में दिए गए प्रपत्र में अनुदानों के एक रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाएगा। किसी भी बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे जब तक कि उसे अनुभाग के अनुदान रजिस्टर में संबंधित संस्वीकृति के प्रति दर्ज न किया गया हो। यह एक मुश्त संस्वीकृति के मामले में किश्तों, यदि कोई हो, में भुगतानों पर निगरानी करने हेतु भी सुविधा प्रदान करता है।

यह पाया गया कि समग्र अनुदानों के रजिस्टरों का अनुरक्षण मंत्रालय के बजाय अनुभागीय स्तर पर किया गया था। संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि महत्वपूर्ण आवश्यक सूचना अर्थात् अनुदानों के साथ संलग्न शर्तें, उ.प्र. तथा लेखाओं की विवरणियों की प्राप्ति की अंतिम तिथि, उ.प्र. तथा लेखाओं की विवरणियों की प्राप्ति की वास्तविक तिथि, अव्ययित शेष के ब्यौरे, आदि को संबंधित अनुभागों द्वारा अनुदान रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। इसके

अतिरिक्त, अनुदानों के रजिस्टर में दर्ज लेन-देनों को शाखा/राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

इस प्रकार, अनुदानों के संवितरण के अभिलेखों के अनुरक्षण की स्थिति उपयुक्त नहीं थी जिसका अनुदानों की संस्वीकृतियों/संवितरणों/उपयोग की मानीटरिंग पर प्रतिकूल प्रभाव था।

5.5.7 अनुदानों के प्राधिकृत तथा निर्गम के बीच विलम्ब

सिविल लेखा नियम पुस्तिका के पैरा 2.3.1 के अनुसार भुगतान हेतु बिलों के उनकी प्राप्ति के अधिकतम सात कार्य दिवसों के भीतर पारित करके चैक जारी किया जाना चाहिए। कम अवधि के अंदर बिलों को पारित करने तथा भुगतान करने के प्रयास किए जाने चाहिए तथा प्र.मु.ले.नि./मु.ले.नि./ले.नि. को इस संबंध में मानक निर्धारित करने के साथ-साथ उनके अनुपालन को व्यक्तिगत रूप से मॉनीटर करना चाहिए।

मंत्रालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि वे.ले.अ. द्वारा संस्वीकृति आदेशों को जारी करने की तिथि से अनुदानग्राही निकायों को चैक जारी करने में निर्धारित सात दिन की अवधि से अधिक विलम्ब थे जिसका विवरण निम्न **तालिका** में दिया गया है:

तालिका 5.6: प्राधिकरण तथा वास्तविक निर्गम में अंतर का विवरण

(₹ करोड़ में)

दिनों में विलम्ब	2012-13		2013-14		2014-15	
	संस्वीकृत आदेशों की संख्या	राशि	संस्वीकृत आदेशों की संख्या	राशि	संस्वीकृत आदेशों की संख्या	राशि
8-30	470	98.70	124	41.41	25	35.83
30 दिनों से अधिक	12	1.23	14	1.35	01	5.89
कुल	**482**	**99.93**	**138**	**42.76**	**26**	**41.72**

5.5.8 जारी किए गए अनुदानों की निगरानी

क) स्वायत्त संगठनों की समकक्ष समीक्षा

सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 208 (V) स्वायत्त संगठनों के कार्य के आकार तथा प्रवृत्ति के अनुसार प्रत्येक तीन अथवा पांच वर्षों पर बाह्य अथवा समकक्ष समीक्षा के एक तंत्र का प्रावधान करता है। ऐसी समीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ यह ध्यान देना चाहिए कि क्या उद्देश्य, जिसके लिए संगठन स्थापित किया गया था, प्राप्त कर लिए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं। संगठन की गतिविधियों को जारी रखा जाये या नहीं क्योंकि या तो वे अब प्रासंगिक नहीं थी अथवा पूर्ण हो चुकी थी या अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफी हद तक असफल रही थी; क्या सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग शुल्क उचित दरों से लगाए गए थे; आंतरिक संसाधन बढ़ाये जाने की गुंजाईश की समीक्षा ताकि सरकारी बजटीय सहायता पर निर्भरता आदि को कम किया जाए, आदि विषयों पर भी इस समीक्षा में बल दिया जाना चाहिए।

2012-13 से 2014-15 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने एनआईएफटीएम तथा आईआईसीपीटी को कुल ₹160.35 करोड़ का सहायता अनुदान जारी किया था लेकिन इन निकायों/संस्थानों की बाह्य अथवा समकक्ष समीक्षा से संबंधित सूचना मंत्रालय द्वारा प्रदान नहीं की गयी।

ख) निष्पादन-सह-उपलब्धि रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण न करना

सा.वि.नि. का नियम 212(3)(i) यह निर्धारित करता है कि अनुदानग्राही संस्थानों अथवा संगठनों द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत पश्चात निष्पादन-सह-उपलब्धि रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित होनी चाहिए। इस संबंध में संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए और इसकी आवश्यकता सहायता अनुदान संस्वीकृति आदेश में शामिल की जानी चाहिए।

ऐसा पाया गया कि संस्वीकृति देने वाले मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों में इस आवश्यकता का वर्णन किया गया था। तथापि, मंत्रालय ने न तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कोई समय सीमा निर्धारित किया था, न ही इन रिपोर्टों की प्राप्ति को मानीटर करने हेतु कोई तंत्र निर्धारित किया था।

मंत्रालय ने स्वीकार किया (अगस्त 2015) तथा बताया कि योजना के दिशानिदेशों के अनुसार अधिकृत बैंक द्वारा अनुदानों को दो किश्तों में जारी करना था जो निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने पर ही होना था तथा इस प्रक्रिया से मंत्रालय संगठन के निष्पादन का अनुश्रवण करता है। तथापि, अभ्युक्ति को भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया है।

ग) वार्षिक प्रतिवेदनों के द्वारा संसद को ब्यौरों की सूचना न देना

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 212(2)(I) आदेश देता है कि ₹10 लाख से ₹25 लाख तक आवर्ती सहायता तथा ₹10 लाख से ₹50 लाख की गैर आवर्ती अनुदानें प्राप्त कर रहे निजी/स्वैच्छिक संगठनों के मामले में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इन प्रत्येक संगठनों को प्रदत्त निधियों की प्रमात्रा तथा उद्देश्य, जिसके लिए उनका उपयोग किया गया था, को दर्शाने वाली एक विवरणी शामिल करनी चाहिए। आगे, ₹25 लाख या इससे अधिक आवर्ती अनुदान के मामलों में निजी एवं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे आगामी वित्तीय वर्ष में पिछले वित्त वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के भीतर संसद को प्रस्तुत करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय द्वारा 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान क्रमश: ₹62.70 करोड़, ₹158.76 करोड़ तथा ₹52.44 करोड़ की राशि की आवर्ती सहायता अनुदान निजी संगठनों/संस्थानों को जारी की गई थी। ये अनुदानें प्रौद्योगिकी सुधार, विस्तार, आधुनिकीकरण तथा स्थापना हेतु प्रदान की गई थीं परंतु इनके ब्यौरों को मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, जो संसद को प्रस्तुत की गई थी, में शामिल नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने स्वीकार किया (सितम्बर 2015) तथा बताया कि अभ्युक्ति को भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया है।

घ) बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.)

अनुदान ग्राही संस्था या संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष के समापन के बारह माह के भीतर उ.प्र. प्रस्तुत किए जाने चाहिए। संबंधित मंत्रालय या विभाग को उ.प्र. की प्राप्ति की संवीक्षा करनी होगी। जहाँ अनुदानग्राही संस्थाओं से निर्धारित समय के भीतर ऐसे प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होते हैं, मंत्रालय या विभाग को ऐसी संस्था या

संगठन को भविष्य में अनुदान, आर्थिक सहायता या अन्य प्रकार की सरकारी वित्तीय सहायता न प्रदान करने हेतु काली सूची में डालने की स्वतन्त्रता होगी। सा.वि.नि. के नियम 209(1) के अंतर्गत दी गयी टिप्पणी के अनुसार इस तथ्य को वेबसाईट पर भी डाला जाना चाहिए।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों के अनुसार 2013-14 तक मंत्रालय द्वारा जारी सहायता अनुदान के संबंध में कुल ₹445.14 करोड़ के 2011 मामलों के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र 31 मार्च 2015 को बकाया थे जैसा कि **अनुबंध 5.1** में ब्यौरा दिया गया है। संस्वीकृत अनुदानों की सबसे पहले की अवधि जिसके लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र बकाया थे, 1991-92 से संबंधित है।

मंत्रालय ने न तो चूककर्ता संस्थानों/संगठनों को काली सूची में डालने हेतु कोई कार्य प्रारम्भ किया था और न ही बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की लंबिता को कम करने हेतु कोई प्रयास किए थे।

चूंकि उ.प्र. की प्राप्ति यह आश्वासन देने का केवल एकमात्र तरीका है कि निधियों का प्रत्याशित उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है, इसलिए मंत्रालय को अनुदानग्राही निकायों द्वारा उ.प्र. के सामयिक प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करने हेतु एक सुदृढ़ तंत्र स्थापित करना चाहिए।

अनुदान सं. 30- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

5.5.9 प्रस्तावना

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पहले के समुद्र विकास मंत्रालय के पुनर्गठन पर राष्ट्रपति की अधिसूचना दिनांक 12 जुलाई 2006 के माध्यम से प्रारम्भ हुआ।

मंत्रालय के अधीन दो अधीनस्थ कार्यालय हैं नामत:

- भारतीय मौसमी विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.), नई दिल्ली
- राष्ट्रीय मध्य रेंज मौसमी पूर्वानुमान केन्द्र (एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एम.), नोएडा (यू.पी.)

मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे संबद्ध कार्यालय हैं:

- समुद्रीय जीव संसाधन तथा पारिस्थितिकी केन्द्र (सी.एम.एल.आर.ई.) कोची, केरल
- समेकित तटीय तथा समुद्री क्षेत्र प्रबंधन (आई.सी.एम.ए.एम.), चेन्नई, (तमिलनाडु)
- राष्ट्रीय भूकम्प विज्ञान केन्द्र (एन.सी.एस.), नई दिल्ली

मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठनों के रूप में कार्य कर रहे पांच संगठन हैं:

- राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ओ.टी.), चेन्नई
- राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं महासागर अनुसंधान केन्द्र (एन.सी.ए.ओ.आर.), गोवा
- राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केन्द्र (एन.सी.ई.एस.एस.), तिरूवनन्तपुरम
- भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवाएं केन्द्र (आई.एन.सी.ओ.आई.एस.), हैदराबाद
- भारतीय उष्ण कटिबंधी मौसमी विज्ञान संस्थान (आई.आई.टी.एम.) पुणे

5.5.10 बजट एवं व्यय

मंत्रालय का राजस्व व्यय लेखे पर व्यय 2012-13 में ₹1,053.77 करोड़ से 2014-15 में ₹1,225.66 करोड़ तक बढ़ा है। सहायता अनुदान पर व्यय, मंत्रालय के राजस्व व्यय का प्रमुख घटक है। 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान योजनागत सहायता अनुदान पर व्यय कुल योजनागत राजस्व व्यय का 89 *प्रतिशत* दर्ज किया गया था जबकि वह गैर-योजनागत सहायता अनुदान व्यय हेतु कुल गैर-योजनागत राजस्व व्यय के 5 से 7 *प्रतिशत* के बीच था। ब्यौरे नीचे **तालिका** में दिए गए हैं।

तालिका 5.7: राजस्व लेखे पर प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान		व्यय		सहायता अनुदान पर व्यय		वास्तविक व्यय की तुलना में सहायता अनुदान का प्रतिशत	
	योजनागत	गैर-योजनागत	योजनागत	गैर-योजनागत	योजनागत	गैर-योजनागत	योजनागत	गैर-योजनागत
2012-13	1073.51	386.67	692.42	361.35	616.60	23.54	89	07
2014-15	1080.00	408.91	785.89	367.26	697.76	18.07	89	05
2014-15	1094.00	417.95	832.08	393.58	744.23	22.60	*89*	06

स्रोत: ई-लेखा डाटा डम्प तथा मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आंकड़े

2012-13 से 2014-15 के लिए अनुदान व्यय का वस्तु शीर्ष- '31-सहायता अनुदान-सामान्य'; '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' तथा '36-सहायता अनुदान-वेतन' में वितरण का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 5.8: वस्तु शीर्ष-वार व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
31- सहायता अनुदान सामान्य	626.02 (97.79 %)	663.99 (92.76 %)	699.51 (91.22 %)	1,989.52
35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	0	26.88	17.13	44.01
36- सहायता अनुदान वेतन	14.12	24.96	50.19	89.27
कुल	**640.14**	**715.83**	**766.83**	**2,122.80**

स्रोत: ई-लेखा डाटा डम्प तथा मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आंकड़े

जैसा तालिका से देखा जा सकता है कि 'सहायता अनुदान सामान्य' पर व्यय मंत्रालय द्वारा अनुदानों पर किए गए कुल व्यय के 90 *प्रतिशत* से अधिक था।

5.5.11 सहायता अनुदान पर माह-वार व्यय का प्रवाह

सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) के नियम 212(1) के अनुसार, मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा पूरे वर्ष के दौरान व्यय का एक समान प्रवाह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

वर्ष के दौरान मंत्रालय के व्यय के प्रवाह की मंत्रालय द्वारा प्रदत्त ई-लेखा तथा डाटा की मदद से जांच की गई। यह पाया गया कि मंत्रालय ने 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान सहायता अनुदान जारी करते समय उक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं किया था। **चार्ट 5.6** सहायता अनुदान पर व्यय के मासिक प्रवाह को प्रस्तुत करता है।

चार्ट 5.6: सहायता अनुदान पर व्यय का प्रवाह

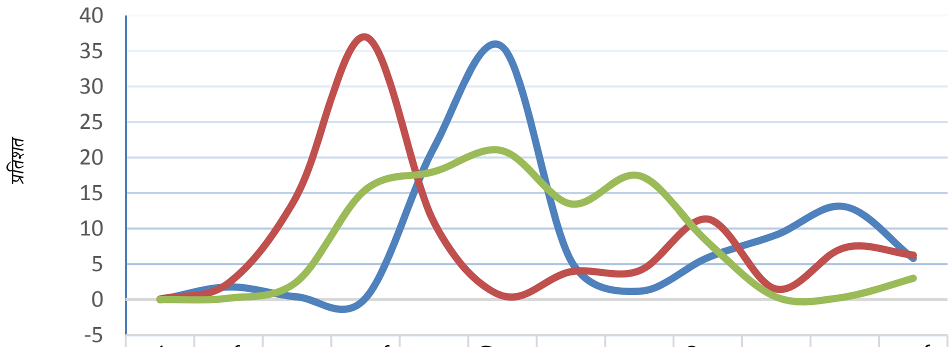

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अग.	सित.	अक्तू.	नव.	दिस.	जन.	फर.	मार्च
2012-13	0	1.79	0.40	0.19	21.37	35.58	5.51	1.19	5.93	9.12	13.11	5.81
2013-14	0.09	2.34	14.67	36.98	10.9	0.56	3.94	4.08	11.34	1.49	7.34	6.27
2014-15	0.01	0.21	2.55	15.46	18.01	20.97	13.48	17.44	8.08	0.37	0.4	3.02

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सूचना

उपरोक्त चार्ट से यह स्पष्ट है कि मासिक व्यय का प्रवाह 2012-13 से 2014-15 के दौरान पूरे वर्ष में समान नहीं था। योजनागत व्यय का बड़ा भाग 2012-13 में अगस्त एवं सितम्बर (21.37 तथा 35.58 प्रतिशत), 2013-14 में जुलाई (36.98 प्रतिशत) तथा 2014-15 में सितम्बर (20.97 प्रतिशत) में किया गया था जबकि तीन वर्षों की अवधि के दौरान अप्रैल, मई तथा जनवरी महीनों में नगण्य व्यय था।

5.5.12 स्वायत्त निकायों, इकाइयों-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, पंजीकृत समितियां आदि के संबंध में व्यय

प्राप्तकर्ताओं की मूल श्रेणियों के अनुसार के.यो.यो.मा.प्र. डाटाबेस से विश्लेषित 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान जारी योजनागत सहायता अनुदान के ब्यौरे **तालिका 5.9** में दिए गए है:

तालिका 5.9: प्राप्तकर्ताओं के अनुसार व्यय

(₹ करोड़ में)

संस्था का नाम	2012-13		2013-14		2014-15	
	अनुदानग्राही की संख्या	जारी अनुदान	अनुदानग्राही की संख्या	जारी अनुदान	अनुदानग्राही की संख्या	जारी अनुदान
केन्द्र सरकारी निकाय	5	1.7	5	0.58	9	2.35
राज्य सरकार/सं.क्षे.	0	0.00	0	0.00	0	0.00
केन्द्र सरकारी सा.क्षे.उ.	13	1.55	1	0.02	0	0.00
राज्य सरकारी सा.क्षे.उ.	33	13.08	13	1.68	17	4.11
सांविधिक निकाय	0	0.00	28	9.05	44	10.03
पंजीकृत समितियां (सरकारी स्वायत्त निकाय)	90	545.29	118	679.66	139	726.83
पंजीकृत समितियां (गै.स.स.)	21	1.13	35	4.86	52	2.06
निजी क्षेत्र कंपनियां	5	0.50	7	0.33	4	0.65
राज्य सरकारी संस्थान	0	0.00	8	1.13	12	2.52
अंतर्राष्ट्रीय संगठन	0	0.00	0	0.00	0	0.00
वैयक्तिक	0	0.00	0	0.00	0	0.00
न्यास	7	0.17	10	0.48	25	2.28
राज्य सरकारी आ.स.का.	13	1.31	0	0.00	0	0.00
कुल	**187**	**564.73**	**225**	**697.79**	**302**	**750.83**

स्रोत: *मंत्रालय द्वारा प्राप्त सूचना*

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट परिपत्र के अनुसार, मंत्रालय को अनुदानों हेतु विस्तृत मांग (अ.वि.मां.) में गैर-सरकारी निकायों को सहायता अनुदान के भुगतान हेतु बजट अनुमानों में शामिल किए गए प्रावधानों को दर्शाने वाली एक सूची को संलग्न करना अपेक्षित है। अ.वि.मां. (2014-15 तथा 2015-16) में संलग्न की गई वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 हेतु ₹ 5 लाख से अधिक की सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे निजी तथा स्वैच्छिक संगठनों की सूचियां पी.एफ.एम.एस. डाटा से प्रकट अनुदानों की राशि से काफी भिन्न थीं। अ.वि.मा. के अनुसार वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में जारी अनुदान की राशि क्रमश: ₹0.30 करोड़ तथा ₹5.37 करोड़ थी जबकि पी.एफ.एम.एस. के अनुसार अनुदान की राशि इसी अवधि के लिए ₹1.80 करोड़ तथा ₹5.67 करोड़ थी।

5.5.13 सरकारी अनुदानों में से अनुदानग्राहियों द्वारा सृजित पूंजीगत परिसम्पत्तियों के डाटा का अनुरक्षण न करना

2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान, विषय शीर्ष 'पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत मंत्रालय ने ₹44.01 करोड़ जारी किए थे।

तथापि, केन्द्रीय अभिलेखों/डाटाबेस यथा अनुदानग्राही का नाम,परिसम्पत्ति की प्रकृति सहित परिसम्पत्तियों का विवरण, परिसम्पत्ति सृजन में उपयुक्त वास्तविक अनुदान की राशि, उन परिसम्पत्तियों का स्वामित्व आदि को विवरण मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने स्वीकार किया और बताया (अगस्त 2015) कि इसके द्वारा कोई केन्द्रीय अभिलेख/डाटाबेस अनुरक्षित नहीं किया जा रहा था।

5.5.14 संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन न किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 208(vii) के अनुसार, ₹ 5 करोड़ प्रति वर्ष से अधिक बजटीय सहायता प्राप्त करने वाले सभी संगठनों को प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के साथ आनुपातिक निवेश आवश्यकताओं सहित कार्य के कार्यक्रम तथा कार्य में गुणात्मक सुधार के विवरणों के अनुसार उत्पादन लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से बताने वाला एक स.ज्ञा. अपेक्षित है। निष्पादन के परिणाम योग्य इकाइयों में दिए गए उत्पादन लक्ष्य, इन संगठनों को दिए गए बजटीय सहायता बढ़ाने का आधार होने चाहिए।

वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान मंत्रालय ने ₹9.40 करोड़ ₹36.76 करोड़ तथा ₹7.70 करोड़ अनुदानें क्रमश: अन्तर विश्वविद्यालय त्वरित केन्द्र (आई.यू.ए.सी.), राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान तथा मणिपुर विश्वविद्यालय को प्रशासनिक उद्देश्य हेतु जारी की थीं। तथापि, मंत्रालय ने केवल अंतर-विश्वविद्यालय त्वरित्र केन्द्र, नई दिल्ली के साथ स.ज्ञा. किया था।

मंत्रालय ने स्वीकार किया (अगस्त 2015) कि मंत्रालय तथा द्वारा इन संस्थानों के साथ स.ज्ञा. नहीं किया गया था।

5.5.15 अनुदान जारी करने तथा प्राधिकरण के बीच विलंब

यह पाया गया था कि निम्नलिखित मामलों में स्थिति (चैक जारी करना/इलेक्ट्रानिक अंतरण) को क्रेडिट करने के लिए वे.ले.का. की ओर से बिलों की संस्वीकृति से बिलों को पारित करने तथा चैक जारी करने में 7 कार्य दिवसों से अधिक का विलम्ब था।

तालिका 5.10: प्राधिकरण तथा वास्तव में जारी किए गए अनुदानों के बीच अंतर का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

संस्वीकृति की तिथि से दिनों की संख्या	2012-13		2013-14		2014-15		कुल	
	संस्वीकृती आदेशों की संख्या	राशि	संस्वीकृती आदेशों की संख्या	राशि	संस्वीकृती आदेशों की संख्या	राशि	संस्वीकृती आदेशों की संख्या	राशि
8 दिनों से 30 दिन	176	27.98	233	268.69	321	302.16	730	598.83
30 दिन से अधिक	08	3.92	25	20.06	13	9.67	46	33.65
कुल	**184**	**31.90**	**258**	**288.75**	**334**	**311.83**	**776**	**632.48**

5.5.16 उपयोग प्रमाणपत्रों में ऋणों तथा अग्रिमों पर किए व्यय का प्रकटीकरण न होना

सा.वि.नि. के नियम 212(1) के नीचे टिप्पणी 2 में बताया गया है कि केन्द्रीय स्वायत्त संगठनों के संदर्भ में निर्माण अभिकरणों, स्टॉफ को (गृह निर्माण तथा वाहन के क्रय आदि के लिए) जो उस स्तर पर व्यय नहीं करते हैं, भंडारण एवं परिसंपत्तियों के आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों तथा किए गए वास्तविक व्यय को उपयोग प्रमाणपत्र में पृथक रूप से दर्शाया जाएगा। इन को अनुप्रयुक्त अनुदानों के रूप में माना जाएगा परन्तु अग्रेषित करने की अनुमति होगी। आगामी वर्ष के लिए अनुदानों का विनियमन करते हुए, अग्रेषित राशि को ध्यान में रखा जाएगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान, चार[2] संगठनों को क्रमशः ₹598.51 करोड़, ₹639.64 करोड़ तथा ₹657.57 करोड़ के सहायता अनुदान जारी किए गए थे। इन संगठनों के वार्षिक लेखाओं के अनुसार, ₹185.91 करोड़, ₹159.31 करोड़ तथा ₹126.92 करोड़ का क्रमशः 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान ऋण तथा अग्रिमों के रूप में संवितरण किया गया था। तथापि, इन संगठनों ने उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करते समय प्राप्त अनुदानों के संबंध में ऋण तथा अग्रिमों को उजागर नहीं किया था। मंत्रालय ने अनुवर्ती अनुदानों को जारी करने से पहले न तो अनुदानग्राही से पूछा और न ही उसे अनुदानग्राहियों के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे से इसे सुनिश्चित किया गया।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2015) कि सभी स्वायत्त संगठनों को सा.वि.नि. की शर्तों की अनुपालना करने हेतु अनुदेश जारी किए जाएंगे।

5.5.17 उपयोग प्रमाणपत्र (उ.प्र.)

यह देखा गया कि मंत्रालय में 30 सितम्बर 2015 को कुल ₹55.70 करोड़ के 724 उपयोग प्रमाण-पत्र बकाया थे जिनका ब्यौरा **अनुबन्ध 5.2** में दिया गया है। संस्वीकृत अनुदानों की सबसे पुरानी अवधि, जिसके लिए उ.प्र. बकाया हैं, 1983-84 है। किन्तु यह देखा गया कि मंत्रालय ने दोषी संगठनों को ऐसे मामलों के संबंध में सा.वि.नि. के नियम 212(2) में उपलब्ध प्रावधान के अनुसार काली सूची नहीं डाला था।

चूंकि उ.प्र. की प्राप्ति ही केवल ऐसा तंत्र है जो निधियों के अभिप्रेत उद्देश्य के लिए उपयोग में लाए जाने का साक्ष्य है इसलिए मंत्रालय को अनुदानग्राही निकायों द्वारा उ.प्र. के सामयिक प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र की स्थापना करनी चाहिए।

5.5.18 निष्पादन सह उपलब्धि रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण न किया जाना

2012-13 से 2014-15 के दौरान, मंत्रालय ने एनआईओटी, एनसीएओआर तथा आईआईटीएम को कुल ₹1,460.78 करोड़ के अनुदान जारी किए थे। किसी भी नमूना जांच किए गए संस्वीकृति आदेश में यह शर्त शामिल नहीं थी कि ऐसी निष्पादन सह उपलब्धि रिपोर्ट को निर्धारित तिथि/अवधि के भीतर प्रस्तुत किया

[2] एनआईओटी, एनसीएओआर, आईएनसीओआईएस तथा आईआईटीएम

जाना चाहिए। इस प्रकार, मंत्रालय के पास यह सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र नहीं था कि पूर्व अनुदानों के संबंध में निष्पादन-सह-उपलब्धि प्रतिवेदन अनुदानग्राही द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किए गए थे जैसा कि सा.वि.नि. के नियम 212(3) में निर्धारित है।

मंत्रालय के पांच स्वायत्त निकायों में से केवल एन.आई.ओ.टी., चैन्नई अपने वार्षिक रिपोर्ट में निष्पादन सह उपलब्धि रिपोर्ट को प्रकट कर रहा था। एन.सी.ई.एस.एस., तिरूवनन्तपुरम को हाल में स्थापित होने (जनवरी, 2014) से अभी भी इसके द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना शेष है। मंत्रालय की शेष तीन स्वायत्त निकाय अपनी वार्षिक रिपोर्टों में निष्पादन सह उपलब्धि रिपोर्ट को प्रकट नहीं कर रहे थे।

5.5.19 अनुदान रजिस्टर के अनुरक्षण में विसंगतियां

यह देखा गया था कि मंत्रालय सा.वि.नि. के नियम 212(4) और सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 4.27.2 के अनुसार अनुदानों के रजिस्टर का अनुरक्षण करने के बजाय व्यय नियंत्रण रजिस्टर का अनुरक्षण कर रहा था।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2015) कि योजना, अनुसंधान, शिक्षा तथा प्रशिक्षण की पहुंच तथा उच्च निष्पादन प्रगणक प्रणाली हेतु कार्यक्रम प्रखण्ड एक व्यय नियंत्रण रजिस्टर का अनुरक्षण कर रहा था। इसके अतिरिक्त अनुदानों के जारी किए जाने हेतु संस्वीकृति आदेशों को व्यय नियंत्रण रजिस्टर में अभिलेखित किया जा रहा था।

इस प्रकार, अनुदान रजिस्टर के गैर-अनुरक्षण के परिणामस्वरूप लिखित प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

5.5.20 मंत्रालय की वेबसाईट पर अनुदानग्राही निकायों से संबंधित सूचना का अधूरा प्रकटीकरण

सा.वि.नि. का नियम 209(1) सहायता अनुदान देने के लिए सिध्दातों तथा प्रक्रिया संचालन में निर्धारित करता है कि सहायता अनुदान की मांग कर रहे संस्थान अथवा संगठन को यह प्रमाणित करना चाहिए कि इसने भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्रालय अथवा विभाग से एक ही उद्देश्य अथवा कार्य हेतु अनुदान प्राप्त अथवा आवेदन नहीं किया है। कथित नियम के नीचे दी गई टिप्पणी में भी बताया गया है कि सहायता अनुदान में पुनरावृत्ति से बचने हेतु मंत्रालय अथवा विभाग को अपनी वेबसाईट पर प्रदान की गई अनुदानों

की राशि तथा उद्देश्य के ब्यौरे सहित संस्थानों अथवा संगठनों की एक सूची रखनी चाहिए।

अनुदानग्राही संस्थानों/संगठनों के नाम वाली एक सूची मंत्रालय की वैबसाईट (www.moes.gov.in) पर मौजूद है। तथापि, उनको दिए गए अनुदान की राशि तथा उद्देश्य के ब्यौरों का उल्लेख नहीं किया गया था। ऐसी सूचना के उजागर होने के अभाव में अनुदानग्राही द्वारा अन्य मंत्रालयों/विभागों से उसी उद्देश्य हेतु सहायता अनुदान की प्राप्ति को नकारा नहीं जा सकता था।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2015) कि वैबसाईट पर पूर्ण सूचना डाली जाएगी।

5.5.21 स्वायत्त संगठनों की पीयर समीक्षा नहीं की गई

2012-13 से 2014-15 के दौरान, मंत्रालय ने कुल ₹1,486.16 करोड़ का सहायता अनुदान चार[3] संगठनों को जारी किया था। परंतु सा.वि.नि. के नियम 208(v) में निर्धारित नियमानुसार कभी भी इन निकायों की पीयर समीक्षा नहीं कराई थी।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2015) कि भविष्य में शेष स्वायत्त निकाय संगठन की पीयर समीक्षा की जाएगी।

5.5.22 त्रुटिपूर्ण आंतरिक पर्यवेक्षण

संघ सरकार के लेखे के विभागीकरण की योजना लेखाओं में शुद्धता तथा लेखांकन ढांचे के संचालन में दक्षता को सुनिश्चित करने हेतु एक प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन की स्थापना का प्रावधान करती है।

सा.वि.नि. के नियम 212(1) को अनुसार आगे अनुदान संस्वीकृत करते समय मंत्रालय अथवा विभाग को आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों तथा भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन पर भी ध्यान देना चाहिए।

निकायों/प्राधिकरणों को जारी अनुदानों के संबंध में 2012-13 से 2014-15 के दौरान मंत्रालय के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा की गई लेखापरीक्षा/निरीक्षण के ब्यौरे **तालिका 5.11** में दिए गए हैं:

[3] आईएनसीओआईएस, एनसीएओआर, एनसीईएसएस तथा आईआईटीएम

तालिका 5.11: संचालित आंतरिक लेखापरीक्षा का विवरण

वर्ष	लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षा हेतु नियोजित इकाईयों की कुल संख्या	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या
2012-13	36	-	01
2013-14	36	-	03
2014-15	36	06	05

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय द्वारा 36 इकाइयों में से केवल 6 इकाइयों की वर्ष 2014-15 में लेखापरीक्षा की योजना की गई थी। तथापि, 2012-13 से 2014-15 के दौरान, नौ इकाईयों (तीन स्वायत्त निकायों सहित) की लेखापरीक्षा की गई थी।

एक सुदृढ़ तथा प्रभावी आंतरिक पर्यवेक्षण के अभाव में, इसका पता नहीं लगाया जा सका कि मंत्रालय ने अनुदानग्राही निकायों द्वारा अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों तथा कार्यक्रम के निष्पादन संबंधी नियमों, विनियमों तथा वर्तमान अनुदेशों की अनुपालना को कैसे सुनिश्चित किया।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2015) कि आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध ने आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु स्टाफ संस्वीकृत न किए जाने के कारण मंत्रालय द्वारा जारी सहायता अनुदान की समीक्षा नहीं की थी।

5.6 निष्कर्ष

लोक सेवा सुपुर्दगी का बदलता प्रतिमान सहायता अनुदान व्यय में निरन्तर वृद्धि का कारण बना है। 2014-15 में सहायता अनुदान पर लेखा व्यय (ईलेखा डाटाबेस के अनुसार) ₹4,23,789 करोड़ (28 प्रतिशत) था जो राजस्व व्यय ₹15,34,120 करोड़ (रेलवे को छोड़कर) का था। इसमें से ₹3,17,228 करोड़ योजनागत अनुदान तथा ₹1,06,561 करोड़ गैर-योजनागत था। 2014-15 में कुल सहायता अनुदान व्यय में से संघ सरकार ने ₹2,58,292 करोड़ केन्द्रीय योजना सहायता के रूप में राज्यों/सं.क्षे. सरकारों को अन्तरित किया था। 31 मार्च 2015 के अन्त तक 26 मंत्रालयों/विभागों, जहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी, में कुल ₹51,527.10 करोड़ व्यय से संबंधित 37,569 की संख्या में उपयोग प्रमाण-पत्र लम्बित थे जो 31 मार्च 2014 तक जारी अनुदानों से संबंधित थे।

दो मंत्रालयों में सहायता अनुदान के विश्लेषण से उनके आन्तरिक मॉनीटरिंग प्रणाली में कमियां यथा अनुदानग्राही संगठनों तथा अन्य संबद्ध कार्यालयों की बाह्य पीयर समीक्षा संचालित न करना, निष्पादन-सह-उपलब्धि प्रतिवेदन प्रस्तुत न करना, संसद को वार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से विवरणों की रिपोर्टिंग न करना आदि प्रकट हुई। यह भी देखा गया कि चयनित मंत्रालयों ने अनुदानग्राही निकायों को जारी अनुदानों में से उनके द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों की मात्रा तथा मूल्य संबंधी किसी केन्द्रीय डाटाबेस का अनुरक्षण नहीं किया था। विभिन्न अनुदानग्राही संगठनों से प्राप्य उपयोग प्रमाणपत्र लम्बित थे तथा अनुवर्ती वर्षों में अनुदान पूर्व वर्षों के अव्ययित शेषों तथा बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों पर विचार किए बिना ही जारी किए गए थे।

लेखापरीक्षा आपत्तियों को वित्त मंत्रालय तथा म.ले.नि. कार्यालय को अग्रेषित कर दिया गया था (अक्तूबर/नवम्बर 2015)। उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2015)।

मु॰ प्र॰ सिंह

नई दिल्ली **(मुकेश प्रसाद सिंह)**
दिनांक : **महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय व्यय**

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक : **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

अनुबंध

अनुबंध 1.1

(पैराग्राफ 1.3.2 (ग) के संदर्भ में)

1. राष्ट्रीय उर्वरकों लि. द्वारा संघ सरकार को प्रस्तुत उर्वरक संबंधित आर्थिक सहायताओं के दावे

(₹करोड़ में)

2010-11				2011-12				2012-13				2013-14				2014-15				
अशेष आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	कुल	चौथे तिमाही मे प्रस्तुत बिल	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	कुल	चौथे तिमाही मे प्रस्तुत बिल	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	कुल	चौथे तिमाही मे प्रस्तुत बिल	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	कुल	चौथे तिमाही मे प्रस्तुत बिल	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	चौथे तिमाही मे प्रस्तुत बिल	कुल	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	अन्तिम शेष
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
871.22	3918.32	4789.54	724.10	1497.35	5362.81	6860.16	386.47	2333.82	5579.53	7913.35	135.58	3038.52	6534.21	9572.73	769.36	4537.66	6458.61	10996.27	664.24	4975.40

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
(क) वित्तीय वर्ष के तीन क्वाटरों के दावे (उपरोक्त तालिका के संबंधित वर्ष के कॉल. 2-4)	3194.22	4976.34	5443.95	5764.85	5794.37

संघ सरकार द्वारा राष्ट्रीय उर्वरक लिमि. को भुगतान की गयी उर्वरक आर्थिक सहायताओं से संबंधित दावें

2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
3292.19	849.37	4526.34	1490.08	4874.83	2060.44	5035.07	2680.13	6020.87	3445.54

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
(ख) वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा भुगतान की गयी राशि (संबंधित वर्ष के कॉल.1-2)	2442.82	3036.26	2814.39	2354.94	2575.33
भुगतान नहीं की गयी आर्थिक सहायता बिले (क-ख)	751.40	1940.08	2629.56	3409.91	3219.04

*भुगतान नहीं की गयी आर्थिक सहायता बिलें वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी राशि से वर्ष के चौथे तिमाही के घटे हुए दावा द्वारा प्रचालित होगा।

नोट: बिलों के प्रक्रिया में सरकार को कम से कम तीन महीनों की आवश्यकता पड़ सकती है ऐसा मानते हुए इस सी.पी.एस.यू. द्वारा संघ सरकार को प्रस्तुत चौथे तिमाही के आर्थिक सहायता दावों पर विचार नहीं किया गया है। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता दावों की राशि से, पूर्व वर्षों के दावों से संबंधित भुगतान की गयी राशि को शामिल नहीं किया गया है।

2. उर्वरक एवं रसायन ट्रावणकोर लिमि. द्वारा संघ सरकार को प्रस्तुत उर्वरक आर्थिक सहायताओं से संबंधित दावें

(₹ करोड़ में)

2010-11				2011-12				2012-13				2013-14				2014-15				
आर्थिक सहायता दावे	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	कुल	चौथे तिमाही मे प्रस्तुत बिल	आर्थिक सहायता दावे	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	कुल	चौथे तिमाही मे प्रस्तुत बिल	आर्थिक सहायता दावे	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	कुल	चौथे तिमाही मे प्रस्तुत बिल	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	कुल	चौथे तिमाही मे प्रस्तुत बिल	आर्थिक सहायता दावे	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	कुल	चौथे तिमाही मे प्रस्तुत बिल	अन्तिम शेष
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
445.11	1159.28	1604.39	270.14	370.51	1265.96	1636.47	379.04	511.95	906.69	1418.64	152.12	378.88	906.51	1285.39	268.32	508.36	568.87	1077.23	142.99	335.51

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
(क) वित्तीय वर्ष के तीन क्वाटरों के दावे (उपरोक्त तालिका के संबंधित वर्ष के कॉल 2-4)	889.14	886.92	754.57	638.19	425.88

संघ सरकार द्वारा राष्ट्रीय उर्वरक एवं ट्रावणकोर लिमि. को भुगतान की गयी उर्वरक आर्थिक सहायताओं से संबंधित दावें

2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1233.88	388.78	1124.52	308.26	1039.76	459.22	777.03	321.23	741.72	380.82

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
(ख) वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा भुगतान की गयी राशि (संबंधित वर्ष के कॉल.1-2)	845.10	816.26	580.54	455.80	360.90
भुगतान नहीं की गयी आर्थिक सहायता बिलें (क-ख)	44.04	70.66	174.03	182.39	64.98

*भुगतान नहीं की गयी आर्थिक सहायता बिले वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी राशि से वर्ष के चौथे तिमाही के घटे हुए दावा द्वारा प्रचालित होगा।

नोट: बिलों के प्रक्रिया में सरकार को कम से कम तीन महीनों की आवश्यकता पड़ सकती है ऐसा मानते हुए इस सी.पी.एस.यू. द्वारा संघ सरकार को प्रस्तुत चौथे तिमाही के आर्थिक सहायता दावों पर विचार नहीं किया गया है। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता दावों की राशि से, पूर्व वर्षों के दावों से संबंधित भुगतान की गयी राशि को शामिल नहीं किया गया है।

3. मद्रास उर्वरक लिमि. द्वारा सरकार को प्रस्तुत उर्वरक आर्थिक सहायता से संबंधित दावें

(₹ करोड़ में)

2010-11				2011-12				2012-13				2013-14				2014-15				
आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	कुल	चौथे तिमाही मे प्रस्तुत बिल	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिलें	कुल	चौथे तिमाही मे प्रस्तुत बिल	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिलें	कुल	चौथे तिमाही मे प्रस्तुत बिल	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिलें	कुल	चौथे तिमाही मे प्रस्तुत बिल	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिलें	कुल	चौथे तिमाही मे प्रस्तुत बिल	अन्तिम शेष
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
63.29	1350.32	1413.61	477.05	130.11	1829.61	1959.72	380.32	140.26	1751.40	1891.66	386.57	223.90	2166.99	2390.89	499.90	1147.20	1267.91	2415.12	295.66	740.12

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
(क) वित्तीय वर्ष के तीन क्वाटरों के दावे (उपरोक्त तालिका के संबंधित वर्ष के कॉल 2-4)	873.27	1449.29	1364.83	1667.09	972.55

मद्रास उर्वरक लिमि. द्वारा संघ सरकार को प्रस्तुत उर्वरक आर्थिक सहायता से संबंधित दावें

2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1283.50	63.06	1819.46	129.88	1667.76	139.76	1243.69	178.64	1675.00	925.86

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
(ख) वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा भुगतान की गयी राशि (संबंधित वर्ष के कॉल.1-2)	1220.44	1689.58	1528.00	1065.05	749.14
भुगतान नहीं की गयी आर्थिक सहायता बिले (क-ख)	-347.17	-240.29	-163.17	602.04	223.41

* भुगतान नहीं की गयी आर्थिक सहायता बिले वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी राशि से वर्ष के चौथे तिमाही के घटे हुए दावा द्वारा प्रचालित होगा।

नोट: बिलों के प्रक्रिया में सरकार को कम से कम तीन महीनों की आवश्यकता पड़ सकती है ऐसा मानते हुए इस सी.पी.एस.यू. द्वारा संघ सरकार को प्रस्तुत चौथे तिमाही के आर्थिक सहायता दावों पर विचार नहीं किया गया है। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता दावों की राशि से, पूर्व वर्षों के दावों से संबंधित भुगतान की गयी राशि को शामिल नहीं किया गया है।

4. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमि. द्वारा संघ सरकार को प्रस्तुत उर्वरक आर्थिक सहायताओं से संबंधित दावें

(₹ करोड़ में)

2010-11				2011-12				2012-13				2013-14				2014-15				
आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिलें	कुल	चौथे तिमाही मे प्रस्तुत बिल	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिलें	कुल	चौथे तिमाही में प्रस्तुत बिल	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिलें	कुल	चौथे तिमाही में प्रस्तुत बिल	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिलें	कुल	चौथे तिमाही में प्रस्तुत बिल	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिलें	कुल	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिलें	अन्तिम शेष
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
7.00	652.37	659.37	171.81	70.49	672.83	743.32	169.51	2.51	666.41	668.92	160.08	41.03	635.14	676.17	161.53	107.92	636.99	744.91	77.45	736.87

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
(क) वित्तीय वर्ष के तीन क्वाटरों के दावे (उपरोक्त तालिका के संबंधित वर्ष के कॉल 2-4)	480.56	503.32	506.33	491.61	559.54

संघ सरकार द्वारा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमि. को भुगतान की गयी पेट्रोलियम आर्थिक सहायता से संबंधित दावे

2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
588.88	6.02	740.81	70.49	627.89	2.51	568.25	41.03	8.04	0.72

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
(ख) वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा भुगतान की गयी राशि (संबंधित वर्ष के कॉल.1-2)	582.86	670.32	625.38	527.22	7.32
भुगतान नहीं की गयी आर्थिक सहायता बिले (क-ख)	-102.30	-167.00	-119.05	-35.61	552.22

* भुगतान नहीं की गयी आर्थिक सहायता बिले वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी राशि से वर्ष के चौथे तिमाही के घटे हुए दावा द्वारा प्रचालित होगा।

नोट: बिलों के प्रक्रिया में सरकार को कम से कम तीन महीनों की आवश्यकता पड़ सकती है ऐसा मानते हुए इस सी.पी.एस.यू. द्वारा संघ सरकार को प्रस्तुत चौथे तिमाही के आर्थिक सहायता दावों पर विचार नहीं किया गया है। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता दावों की राशि से, पूर्व वर्षों के दावों से संबंधित भुगतान की गयी राशि को शामिल नहीं किया गया है।

5. भारतीय खाद्य निगम द्वारा संघ सरकार को प्रस्तुत खाद्य आर्थिक सहायताओं से संबंधित दावे

(₹ करोड़ में)

2010-11				2011-12				2012-13				2013-14				2014-15				
आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	कुल	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	कुल	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	कुल	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	कुल	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	कुल	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	अन्तिम शेष
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
9469.67	57453.90	66923.57	51254.70	15668.87	67693.86	83362.73	59935.95	23426.78	80306.14	103732.92	71980.00	31752.92	89410.45	121163.37	75529.97	45633.40	105016.12	150649.52	91995.35	58654.17

संघ सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को की गयी खाद्य आर्थिक सहायता से संबंधित दावे

2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
51254.70	5378.53	59935.95	2819.45	71980.00	23303.98	75529.97	9008.54	91995.35	30000.00

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा भुगतान की गई अर्थिक सहायता	51254.70	59935.95	71980.00	75529.97	91995.35
भुगतान नहीं की गयी आर्थिक सहायता (प्रस्तुत कुल आर्थिक सहायता दावे घटा भा.स. द्वारा अवमुक्त आर्थिक सहायता)	**15668.87**	**23426.78**	**31752.92**	**45633.41**	**58654.17***

नोट: विद्यमान चलन के अनुसार, एफ.सी.आई. प्रत्येक तिमाही के लिए खाद्य आर्थिक सहायता हेतु उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं लोक वितरण पर अग्रिम दावे को अधिमान देता है। इस दावे के प्रति, उसी तिमाही के अंदर मंत्रालय, एफ.सी.आई. को कुछ भागों की प्रतिपूर्ति करता है।

*2014-15 में, एफ.सी.आई. ने मंत्रालय को ₹1,05,016.12 करोड़ की राशि के कुल आर्थिक सहायता दावे को अधिमान दिया। इसके प्रति, भा.स. द्वारा ₹91,995.35 करोड़ की कुल राशि (पहले के वर्षो से संबंधित ₹30,000 करोड़ सहित) अवमुक्त की गयी थी। इस प्रकार, 2014-15 के लिए भुगतान नहीं की गयी राशि ₹43,020.77 करोड़ थी। 2014-15 के चौथे तिमाही के संबंध में, एफ.सी.आई. ने ₹29,321.15 करोड़ के आर्थिक सहायता दावा को अधिमान दिया जिसके प्रति चौथे तिमाही के अंदर एफ.सी.आई. द्वारा ₹10,000 करोड़ की राशि प्राप्त की गई, इस प्रकार ₹19,321.51 करोड़ की कमी हुई। चौथे तिमाही की भुगतान नहीं की गयी, इस प्रकार ₹19,321.15 करोड़ की कमी हुई। चौथे तिमाही की भुगतान नहीं की गयी राशि की कमी के बाद भी, 2014-15 के लिए भुगतान नहीं की गई आर्थिक सहायता ₹23,699.62 करोड़ हुई (₹43,020.77-₹19,321.15 करोड़), तथा इस राशि को वर्ष 2014-15 के लिए भुगतान नहीं की गई आर्थिक सहायता के रूप में व्यवहार में लाया गया है।

कुल भुगतान नहीं की गयी आर्थिक सहायता दावों से संबंधित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सी.पी.एस.यू./निगम का नाम	वर्ष 2014-15 के दौरान केवल तीन तिमाहियों के बकाया दावे	2014-15 के दौरान प्रस्तुत किए गए चौथी तिमाही के दावे	2014-15 के अंत में बकाया दावों का अंतिम शेष	वर्ष 2014-15 के अंतिम तिमाही दावों के निकाले बिना पिछले वर्षों के बकाया दावों सहित किए दावे
	1	2	3	4	5(4-3)
1.	राष्ट्रीय उर्वरक लिमि.	3,219.04	664.24	4,975.40	4,311.16
2.	उर्वरक एवं रसायन ट्रावणकोर लिमि.	64.98	142.99	335.51	192.52
3.	मद्रास उर्वरक लिमि.	223.41	295.66	740.12	444.46
4.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमि.	552.22	77.45	736.87	659.42
5.	भारतीय खाद्य निगम	23,699.62	19,321.15	58,654.17	39,333.02
	कुल	**27,759.27**	**20,501.49**	**65,442.07**	**44,940.58**

नोटः वर्ष 2014-15 की चौथी तिमाही में एफ.सी.आई. द्वारा ₹29321.15 करोड़ की सब्सिडी दावे की तुलना में एफ.सी.आई. को चौथी तिमाही में ₹10,000 करोड़ प्राप्त हुए, अतः चौथी तिमाही में ₹19,321.15 करोड़ की कमी थी।

अनुबंध 2.1

(पैराग्राफ 2.2.2 के संदर्भ में)

ऐसे राजस्व और पूँजीगत मुख्य शीर्षों का विवरण जिनके अंतर्गत लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' थे 2014-15 मे प्रचालित किया गया था तथा जिसमे मुख्य शीर्षों के अतंगर्त कुल खर्च के 50 प्रतिशत से ज्यादा खर्च को दर्ज किया गया था

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	लघु शीर्ष -800 के अंतर्गत 'अन्य व्यय'	मुख्य शीर्ष की तुलना में लघु शीर्ष में व्यय की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
1	2250- अन्य सामाजिक सेवाएँ	823719	822401	99.84
2	2416- कृषि वित्तीय संस्थान	62598638	60000000	95.85
3	2515- अन्य ग्रामीण विकास	6762659	4629229	68.45
4	2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र	2018258	1845761	91.45
5	2711- बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी	2252918	2224176	98.72
6	3053- नागरिक उड्डयन	9766943	8201065	83.97
7	4402- मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	2067	2067	100.00
8	4803- कोयला एवं लिग्नाईट पर पूंजीगत परिव्यय	1761340	1761340	100.00
9	4853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	324941	324941	100.00
10	5275- अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3769897	3724918	98.81
11	5453- विदेशी व्यापार एवं निर्यात संवर्धन पर पूँजीगत परिव्यय	2742069[1]	2925361	106.68
	कुल	**92823449**	**86461259**	

[1] अधिक भुगतान की वसूली को घटाने के कारण मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय, लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत दर्ज व्यय से कम है।

अनुबंध 2.2

(पैराग्राफ 2.2.3 के संदर्भ में)

सरकारी लेखाओं के बाहर नियामकों/स्वायत्त निकायों की निधियां

क्र.सं.	**नियामकों/स्वायत्त निकायों के नाम**	**निवेशों/पूंजीगत निधि के प्रकार**	**राशि (₹ करोड़ में)**
1.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड	अधिशेष निधि/समग्र निधि	1,655.60
2.	बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	अधिशेष निधि	1,164.61
3.	पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण	पूंजीगत/समग्र निधि	15.78
4.	भारतीय चिकित्सा परिषद्	चिन्हित/स्थायी निधि	357.08
5.	भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्	स्वसंसाधन निवेश निधि	99.17
6.	भारतीय भेषजी परिषद्	चिन्हित/स्थायी निधि	27.10
7.	भारतीय नर्सिंग परिषद्	निवेश (अन्य)	72.90
8.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्	चिन्हित/स्थायी निधि	0.94
9.	केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा-शास्त्र परिषद्	लोक जमा लेखे	3.73
10.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक ब्यूरो	स्वसंसाधन निवेश निधि	60.00
11.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्	बैंक में एफ.डी.आर. जनरल	830.00
12.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	बचत बैंक खाते	381.75
13.	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	सावधि जमा	1,371.69
14.	भण्डारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण	बचत बैंक खाते	2.15
15.	भारतीय पुनर्वास परिषद्	सामान्य आरक्षित निधि	8.75
कुल			**6,051.25**

अनुबंध 2.3

(पैराग्राफ 2.4.4 के संदर्भ में)

निष्क्रिय आरक्षित निधियों/जमाओं को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	निधि की प्रकृति	31 मार्च 2014 को शेष (₹ हजार में)	जब से निष्क्रिय
1.	8116.102-रेलवे राजस्व आरक्षित निधि-निवेश लेखे	आरक्षित	10,99	2001-02
2.	8116.XXX- रेलवे-शाखा लाईन् कंपनियों को ऋण	आरक्षित	11,77	2001-02
3.	8116.105-दूरसंचार राजस्व आरक्षित निधि	आरक्षित	82,91,70	2001-02
4.	8118.105-दूरसंचार पूंजीगत आरक्षित निधि	आरक्षित	6	2001-02
5.	8121.119-स्टाफ हितलाभ निधि (रेलवे)-निवेश लेखे	आरक्षित	1,00	1999-2000
6.	8121.111-आकस्मिकता आरक्षित निधि-विद्युत	आरक्षित	1,30,75	2006-07
7.	8223.101-अकाल सहायता निधि	आरक्षित	3	2008-09
8.	8229.101-शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि	आरक्षित	7	2002-03
9.	8229.102-चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रायोजन हेतु विकास निधियां	आरक्षित	60	2002-03
10.	8229.108-खनन क्षेत्र विकास निधि	आरक्षित	1,02	2002-03
11.	8229.117-राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिक कोर निधि	आरक्षित	3,25,13	2002-03
12.	8229.124 मादक व्यसन के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि	आरक्षित	33120	2013-14
13.	8229.126 चाय क्षेत्र के लिए विकास निधि	आरक्षित	62006	2010-11
14.	8230.101-विशेष रेलवे सुरक्षा निधि (वाणिज्यिक)	आरक्षित	581,12,02	2008-09
15.	8230.102-विशेष रेलवे सुरक्षा निधि (सामरिक)	आरक्षित	16,66,24	2007-08
16.	8235.101-सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधि	आरक्षित	75,86	2008-09

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	निधि की प्रकृति	31 मार्च 2014 को शेष (₹ हजार में)	जब से निष्क्रिय
17.	8235.104-रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्य निधि	आरक्षित	40,74,41	2003-04
18.	8235.105-सामान्य बीमा निधि	आरक्षित	2,61,32,01	2005-06
19.	8235.113-राष्ट्रीय नवीकरण निधियाँ	आरक्षित	17,70,20	2008-09
20.	8337.103-अंशदायी भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ कर्मचारी भविष्य निधि निवेश लेखा	जमा	65,12	2001-02
21.	8342.107-संपदा शुल्क के भुगतान के प्रति जमा	जमा	1,31	2008-09
22.	8342.110-दूरभाष आवेदन जमा	जमा	2,23,98,01	2005-06
23.	8342.111-टेलेक्स आवेदन जमा	जमा	7,93,06	2003-04
24.	8342.114-पट्टे पर दी गई दूरसंचार सुविधा पर जमा	जमा	1,69,47	2001-02
25.	8342.108-आयकर, भव्यकर, अतिरिक्त लाभ कर तथा अधिभार के जमा	जमा	1,21,61	2001-02
26.	8443.114-निर्यात व्यापार जमा	जमा	15,25,27	1988-89
27.	8443.127-पाकिस्तान में जा बसे ठेकेदारों/कर्मचारियों/पेशनरों के दावों को पूरा करने के लिए स्थानीय निकायों के जमा	जमा	21,07	1996-97
28.	8443.130-प्रोविडेंट समिति परिसमापन लेखे	जमा	13	2008-09
29.	8445.102-ब्रांच लाईन कम्पनियों के जमा	जमा	65	1992-93
30.	8448.103-छावनी निधियां	जमा	1	2000-01
31.	8448.109-पंचायत निकाय निधि	जमा	84	2008-09
32.	8448.111-चिकित्सा एवं धर्मार्थ निधियाॅ	जमा	52	1988-89
33.	8448-स्थानीय निधियों के जमा 120-अन्य निधियाँ	जमा	2,26	2004-05
34.	8449.104-खादान भविष्य निधियों के जमा	जमा	16,01	1988-89
35.	8449.106- भारत - अमेरिकी समझौता 1974 के अन्तर्गत लेखे	जमा	16	1991-92
36.	8449.107-आयकर, भव्यकर, ब्याज सहित अतिरिक्त लाभ कर तथा अधिभार के जमा	जमा	1,33,93	1991-92
37.	8449.108-ऋण से मुक्ति के लिए स्थानीय निकायों के जमा	जमा	32,97	2000-01

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	निधि की प्रकृति	31 मार्च 2014 को शेष (₹ हजार में)	जब से निष्क्रिय
38.	8449.113-तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास निधि	जमा	3,66,13	1999-2000
39.	8449.118-जापानी अनुदान सहायता प्रदत्त योजनाओं के लिए अग्रिम जमा	जमा	1,03,60	1995-96
40.	8450.101-पांडिचेरी का शेष	जमा	40,12,90	2008-09
41.	8450.102-गोवा, दमन एवं दीव का शेष	जमा	16,30,26	1988-89
42.	8450.104-अरूणाचल प्रदेश का शेष	जमा	56,82,51	1988-89
43.	8450.105-मिजोरम का शेष	जमा	1,24,41,38	1988-89
44.	8009.01.103-आई.सी.एस. भविष्य निधि	अन्य देयताएं	2,01	1999-2000
45.	8010.105-अन्य न्यास	अन्य देयताएं	19,23	1999-2000
46.	8010.102-अवध के स्वर्गीय राजा द्वारा दान	अन्य देयताएं	91,04	1992-93
47.	8011.102-पारिवारिक पेंशन निधि	अन्य देयताएं	6,10	2008-09
48.	8012.103-ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को जारी विशेष प्रतिभूति	अन्य देयताएं	1,62,83,05	1988-89
कुल			**16,74,75,73**	

अनुबंध 2.4

(पैराग्राफ 2.5.1-ग के संदर्भ में)

विदेश में किए गए क्रयों आदि के लिए उचंत लेखे की बकाया राशि (2005 से)

(₹ हजार में)

क्र.सं.	आयातक का नाम	मामलों की संख्या	राशि
1.	सड़क एवं भवन विभाग गुजरात	1	1104
2.	परिवार स्वास्थ्य सहायता महाराष्ट्र	1	218
3.	मैसूर सीमेंट लिमिटेड	1	4326
4.	रेल मंत्रालय	2	8399
5.	पाईराईट्स फॉस्फेट एवं रसायन लिमिटेड	2	249513
6.	रेल कोच कारखाना (कपूरथला)	1	1895
7.	रेलवे बोर्ड	1	13138
8.	रेल कॉयल स्प्रिंग	1	7111
9.	जल संसाधन मंत्रालय	2	5233
10.	पवन हंस लिमिटेड	1	574384
11.	दूरसंचार विभाग	6	14737
12.	उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर लिमिटेड	1	39
13.	भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड	3	14257
14.	गृह मंत्रालय	1	2255
15.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	3	3952
16.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय-तकनीकी	3	15292
17.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1	48297
18.	कोचीन पत्तन ट्रस्ट	1	3648
19.	दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम, दिल्ली	1	78009
20.	भिलाई इस्पात संयंत्र	1	1200
21.	कोल इंडिया लिमिटेड (प.बं)	3	231832
22.	सी.एम.ए.एल.-डी.एल.	1	348
23.	झांझरा भिलाई इस्पात संयंत्र	1	906
24.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	2	59427
25.	आ.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड, आन्ध्र प्रदेश	1	47476
26.	भारतीय हैलीकॉप्टर निगम	1	672356
27.	कृभको वर्षा कृषि तथा पूर्वी एवं पश्चिमी घाट परियोजना	1	7079
28.	वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग	1	4560
29.	प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	1	1132
30.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	1	14848

31.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	1	777
32.	एम ओ इ एफ-प.बं.	1	3691
33.	वित्त मंत्रालय	1	2505
34.	पर्यटन मंत्रालय	1	27634
35.	शहरी विकास मंत्रालय	1	66183
36.	राष्ट्रीय मानसिक विक्लांगता संस्थान	1	44
37.	योजना आयोग	1	7875
	कुल	**54**	**2195680**

अनुबंध 2.5

(पैराग्राफ 2.5.2 के संदर्भ में)

ऋण, जमा तथा प्रेषण के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघुशीर्ष)		31.03.2015 को शीर्ष (₹ हजार में)		अवधि जब से शेष प्रतिकूल हुए
विवरण सं. 13					
1.	8115.00.101	मूल्यह्रास आरक्षित निधि-रेलवे (वाणिज्यिक लाईनें)	डेबिट	12300932	2009-10
2.	8121.00.103	रेलवे पेंशन निधि-वाणिज्यिक लाईनें	डेबिट	12745048	2009-10
3.	8229.00.200	अन्य विकास एवं कल्याण निधि	डेबिट	1712901	2007-08
4.	8337.00.104	गैर-अंशदायी भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ कर्मचारी भविष्य निधि-निवेश लेखा	क्रेडिट	30819	2013-14
5.	8443.00.111	अन्य विभागीय जमा	डेबिट	516173	2006-07
6.	8445.00.104	रेलवे जमा-न्यास ब्याज खाता	डेबिट	198265	2005-06
7.	8445.00.800	रेलवे जमा-अन्य जमा	डेबिट	12202288	2005-06
8.	8446.00.102	अन्य डाक जमा	डेबिट	902648	2014-15
9.	8446.00.800	डाक जमा-अन्य जमा	डेबिट	145787	2005-06
10.	8448.00.102	स्थानीय निधि जमा-निगम निधियॉ	डेबिट	3	2007-08
11.	8448.00.104	स्थानीय निधियों के जमा- भारतीय बीमा संघ की निधियॉ	डेबिट	291	1976-77 से पूर्व
12.	8451.00.101	भोपाल गैस लीक आपदा राहत निधि-दावे एवं राहत निधियॉ	डेबिट	9316164	2005-06
13.	8451.00.102	भोपाल गैस लीक आपदा राहत निधि-दावे राहत निधि निवेश खाता	क्रेडिट	9220607	2005-06
14.	8550.00.101	वन अग्रिम	क्रेडिट	19203	2013-14
15.	8670.00.111	चेक एवं बिल-लेखा एवं लेखा कार्यालय इलैक्ट्रॉनिक सूचनाएँ	डेबिट	5612194	2011-12
विवरण सं.-14					
16	6002.00. 207	यूरोपियन आर्थिक समुदाय से ऋण	डेबिट	949425	2000-01
17	6002.00. 208	फ्रांस सरकार से ऋण	डेबिट	4616718	2000-01
18	6002.00. 223	स्विस संघीय सरकार और स्विस बैंक से ऋण	डेबिट	195491	2010-11
19	6002.00. 226	अंतरराष्ट्रीय विकास ऐजेंसी, सं.रा.अ. से ऋण	डेबिट	9317716	1995-96
20	6002.00. 227	पी.एल.-480 के अंतर्गत यू.एस.ए. सरकार से कर्जा परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा क्रेडिट	डेबिट	5699575	1995-96
21	6002.00.504	आई बी आर डी से लिए गए कर्जे के प्रति ऋण समायोजन	डेबिट	3059051	2014-15

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघुशीर्ष)		31.03.2015 को शीर्ष (₹ हजार में)		अवधि जब से शेष प्रतिकूल हुए
22	8014.00.107	पी एल आई बाल नीति योजना	डेबिट	2725	2014-15
विवरण सं.-14 क					
23	6001.00.105	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण एवं विकास बैंक को जारी की गई प्रतिभूतियां	डेबिट	404339	2010-11
24	6001.00.105	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष को जारी प्रतिभूतियाँ	डेबिट	215439	2002-03
25	6001.00.106	क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र-विशेष धारक बंधपत्र 1991	डेबिट	510	2014-15
विवरण सं.-15					
26.	6202.01. 203	विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा	क्रेडिट	1568	2004-05
27.	6215.02.800	अन्य ऋण	क्रेडिट	20400	2001-02
28.	6216.80.190	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रेडिट	2	2008-09
29.	6216.80.800	अन्य ऋण	क्रेडिट	11977	2010-11
30.	6225-01-800	अन्य ऋण	क्रेडिट	829	1994-95
31.	6245.01.101	उपदान सहायता	क्रेडिट	830	1986-87
32.	6245.02.101	उपदान सहायता	क्रेडिट	2157	1997-98
33.	6402.00.102	मृदा संरक्षण	क्रेडिट	7705	1995-96
34.	6402.00.203	भूमि-पुर्नुद्धार एवं विकास	क्रेडिट	592	2007-08
35.	6404.00.800	अन्य ऋण	क्रेडिट	4642331	2004-05
36.	6405.00.106	मत्स्यन नौकाओं का मशीनीकरण	क्रेडिट	532	2006-07
37.	6425.00.108	अन्य सहकारी समितियों को ऋण	क्रेडिट	4004370	2003-04
38.	6515.00.102	समुदाय विकास	क्रेडिट	158	1986-87
39.	6801.00.201	जल विद्युत उत्पादन	क्रेडिट	880938	2004-05
40.	6801.00.205	संचारण एवं वितरण	क्रेडिट	1361103	2005-06
41.	6851.00.102	लघु उद्योग	क्रेडिट	4664	2006-07
42.	7052.02.101	पोत-परिवहन विकास निधि समिति को ऋण	क्रेडिट	2941305	2011-12

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघुशीर्ष)		31.03.2015 को शीर्ष (₹ हजार में)		अवधि जब से शेष प्रतिकूल हुए
43.	7053.00.190	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रेडिट	377537	2010-11
44.	7475.00.102	व्यापार संस्थान	क्रेडिट	25000	2011-12
45.	7601.01.436	फसल कार्य-वाणिज्यिक फसलें	क्रेडिट	1	2012-13
46.	7601.03.413	सहकारिता-अन्य सहकारी समितियों को ऋण	क्रेडिट	4184	2012-13*
47.	7601.03.501	मृदा एवं जल संरक्षण -मृदा संरक्षण योजनाएं	क्रेडिट	2123	2012-13*
48.	7601.03.576	पशु-पालन-मवेशी एवं भैंस विकास	क्रेडिट	11	2012-13*
49.	7601.03.601	डेयरी विकास	क्रेडिट	29	2012-13*
50.	7601.03.727	ग्रामीण एवं लघु उद्योग-लघु उद्योग	क्रेडिट	139	2012-13*
51.	7601.03.786	बाढ़ नियंत्रण-अन्य ऋण	क्रेडिट	71707	2012-13*
52.	7601.03.787	समुद्री कटाव विरोधी योजनाएं-अन्य ऋण	क्रेडिट	1239	2012-13*
53.	7601.04.267	जल आपूर्ति-अन्य ऋण	क्रेडिट	149604	2012-13*
54.	7601.04.312	शहरी विकास- लघु/मध्यम शहरों का समेकित विकास	क्रेडिट	191427	2012-13*
55.	7601.04.360	अनुसूचित जन-जातियों का कल्याण-अन्य ऋण	क्रेडिट	408	2012-13*
56.	7601.04.411	सहयोग सहकारी ऋण समितियाँ	क्रेडिट	32522	2012-13*
57.	7601.04.413	अन्य सहकारी समितियाँ	क्रेडिट	1686	2012-13*
58.	7601.04.436	फसल कार्य-वाणिज्यिक फसले	क्रेडिट	131283	2012-13*
59.	7601.04.443	फसल कार्य-अन्य ऋण	क्रेडिट	336715	2012-13*
60.	7601.04.501	मृदा एवं जल संरक्षण-मृदा संरक्षण योजनाएं	क्रेडिट	96229	2012-13*
61.	7601.04.579	पशु-पालन-भेड़ एवं ऊन विकास	क्रेडिट	175	2012-13*
62.	7601.04.601	डेयरी विकास	क्रेडिट	36	2012-13*
63.	7601.04.726	ग्रामीण एवं लघु उद्योग-हस्तकरघा उद्योग	क्रेडिट	6960	2012-13*
64.	7601.04.727	ग्रामीण एवं लघु उद्योग-लघु उद्योग	क्रेडिट	853	2012-13*
65.	7601.04.729	ग्रामीण एवं लघु उद्योग-कॉयर उद्योग	क्रेडिट	354	2012-13*
66.	7601.04.747	ग्रामीण एवं लघु उद्योग-अन्य ग्रामीण उद्योग	क्रेडिट	1088	2012-13*
67.	7601.04.786	बाढ़ नियंत्रण-अन्य ऋण	क्रेडिट	4730	2012-13*

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघुशीर्ष)		31.03.2015 को शीर्ष (₹ हजार में)		अवधि जब से शेष प्रतिकूल हुए
68.	7601.04.825	अंतर्राज्यीय या आर्थिक महत्व के मार्ग-सड़क निर्माण कार्य	क्रेडिट	18359	2012-13*
69.	7601.04.826	अंतर्राज्यीय या आर्थिक महत्व के मार्ग - मशीनरी एवं उपकरण	क्रेडिट	106	2012-13*
70.	7601.04.871	अंतर्देशीय जल परिवहन - अन्य ऋण	क्रेडिट	897	2012-13*
71.	7601.07.800	अन्य ऋण	क्रेडिट	1580	2012-13
72.	7602.04.412	सहद्‌योग सहकारी ऋण समितियाँ	क्रेडिट	14	2012-13
73.	7610.00.203	अन्य वाहनों के क्रय हेतु अग्रिमें	क्रेडिट	3910.98	2004-05
विवरण सं.16					
74.	8002.00.103	राजकोष बचत जमा प्रमाणपत्र	डेबिट	6962	1976-77
75.	8002.00.105	बचत प्रमाण पत्र-बैंक श्रृंखला	डेबिट	189	2007-08

**प्रतिकूल शेष का कारण 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप शेष राशियों को बट्टे खाते में डालने तथा वित्त मंत्रालय द्‌वारा अपनाए जाने में विलम्ब के कारण है।*

अनुबंध 2.6

(पैराग्राफ 2.5.5 के संदर्भ में)

वार्षिक प्रोफार्मा लेखाओं की उपलब्धता

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	अंतिम बार तैयार किये लेखों की अवधि
कृषि मंत्रालय		
1.	दिल्ली दुग्ध योजना	2014-15
2.	शीत- सह हिमीकरण, संयन्त्र, कोच्ची	2009-10
परमाणु ऊर्जा विभाग		
3.	परमाणु ईंधन परिसर, हैदराबाद	2010-11
4.	भारी जल बोर्ड, मुबई	2010-11
रक्षा मंत्रालय		
5.	कैंटीन भंडारण विभाग	2013-14
वित्त मंत्रालय		
6.	सरकारी क्षारोद निर्माण कार्य, नीमच	2010-11
7.	सरकारी क्षारोद निर्माण कार्य, गाजीपुर	2009-10
8.	सरकारी अफीम कारखाना, गाजीपुर	2009-10
9.	सरकारी अफीम कारखाना, नीमच	2010-11
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
10.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	2006-07
11.	केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान का वनस्पति उद्यान, कांके, राँची	2011-12
12.	एच एल एल लाईफ केयर लिमिटेड	2014-15
13.	एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड	2014-15
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		
14.	फिल्म प्रभाग, मुंबई	2009-10
15.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	2013-14
विद्युत मंत्रालय		
16.	विद्युत विभाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2012-13
17.	विद्युत विभाग, लक्षद्वीप	2009-10
पोत परिवहन मंत्रालय		
18.	दीपस्तंभ एवं दीपपोत निदेशालय, नोएडा	2011-12
19.	अण्डमान फेरी सेवा	2004-05
20.	पोत परिवहन सेवाएं अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2009-10
21.	समुद्री विभाग (डाकयार्ड) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2003-04
22.	पत्तन प्रबंधन बोर्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1990-91
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय		
23.	चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम	2009-10
24.	राज्य परिवहन सेवा, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2013-14
शहरी विकास मंत्रालय		
25.	सरकारी मुद्रणालय, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1979-80

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	अंतिम बार तैयार किये लेखों की अवधि
26.	प्रकाशन विभाग	2000-01
27.	भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड़, नई दिल्ली	2011-12
28.	भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड़, नई दिल्ली	2011-12
29.	भारत सरकार मुद्रणालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली	2011-12
30.	भारत सरकार मुद्रणालय, निलोखेड़ी	2011-12
31.	भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद	2011-12
32.	भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला	2011-12
33.	भारत सरकार मुद्रणालय, कोयम्बटूर	2012-13
34.	भारत सरकार टेक्स्ट बुक मुद्रणालय, भुवनेश्वर	2007-08
35.	भारत सरकार टेक्स्ट बुक मुद्रणालय, मैसूर	2011-12
36.	भारत सरकार मुद्रणालय, कोलकाता	2011-12
37.	भारत सरकार मुद्रणालय, कोरट्टी	2012-13
38.	भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक	2012-13
39.	भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़	2011-12
40.	भारत सरकार टेक्स्ट बुक मुद्रणालय, चंडीगढ़	2011-12
41.	भारत सरकार मुद्रणालय, गंगटोक	2007-08
42.	भारत सरकार मुद्रणालय, सत्रगाची, हावड़ा	2011-12

अनुबंध 2.7

(पैराग्राफ 2.5.6 के संदर्भ में)

2014-15 के दौरान बट्टे खाते/स्थगित की गई हानियों तथा अप्राप्य की विवरणी

(₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	हानियों एवं अप्राप्य बकायों को बट्टे खाते में डालने के कारण							
	प्रणाली की विफलता		उपेक्षा/जालसाजी आदि		अन्य कारण		वसूली का स्थान	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
अंतरिक्ष विभाग	0	0	0	0	20	14.85	1	0.07
कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग	1	0.29	0	0	0	0	0	0
गृह मंत्रालय	0	0	0	0	35	3420.57	0	0
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	0	0	1	0.03	3	4.94	0	0
खनन मंत्रालय	0	0	0	0	3	0.29	0	0
डाक एवं दूर संचार विभाग	06	18.54	836	5030.15	42	9.79	27	18772.55
परमाणु ऊर्जा विभाग	0	0	0	0	27	6.17	0	0
कुल	**7**	**18.83**	**837**	**5030.18**	**130**	**3456.61**	**28**	**18772.62**

अनुबंध 3.1

(पैराग्राफ 3.2 के संदर्भ में)

प्राधिकरण तथा संवितरण

(` करोड़ में)

संवितरणों की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	बचत(-) आधिक्य (+)
क - सिविल					
दत्तमत					
I. राजस्व	1050284.25	30852.80	**1081137.05**	964415.05	(-) 116722.00
II. पूंजीगत (ऋण एवं अग्रिम सहित)	138109.14	9486.25	**147595.39**	114108.38	(-) 33487.01
योग	**1188393.39**	**40339.05**	**1228732.44**	**1078523.43**	**(-) 150209.01**
प्रभारित					
III. राजस्व	519135.02	383.86	519518.88	491297.66	(-) 28221.22
IV. पूंजीगत (ऋण एवं अग्रिम तथा लोक ऋण सहित)	4077250.69	73.31	4077324.00	3719862.57	(-) 357461.43
योग	**4596385.71**	**457.17**	**4596842.88**	**4211160.23**	**(-) 385682.65**
कुल योग	**5784779.10**	**40796.22**	**5825575.32**	**5289683.66**	**(-) 535891.66**
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			133960.20	109079.48	
कुल निवल प्रावधान			**5691615.12**		
कुल निवल संवितरण				**5180604.18**	

ख -डाक					
दत्तमत					
I. राजस्व	18141.35	344.66	**18486.01**	18556.42	(+) 70.41
II. पूंजीगत	518.30	0.01	**518.31**	170.89	(-) 347.42
योग	**18659.65**	**344.67**	**19004.32**	**18727.31**	**(-) 277.01**
प्रभारित					
III. राजस्व	0.20	3.64	**3.84**	0.14	(-) 3.70
IV. पूंजीगत	--	2.26	**2.26**	2.07	(-) 0.19
योग	**0.20**	**5.90**	**6.10**	**2.21**	**(-) 3.89**

कुल योग	**18659.85**	**350.57**	**19010.42**	**18729.52**	**(-) 280.90**
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			665.19	661.98	
कुल निवल प्रावधान			**18345.23**		
कुल निवल संवितरण				**18067.54**	

(` करोड़ में)

संवितरणों की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	बचत(-) आधिक्य(+)
ग - रक्षा सेवाएं					
दत्तमत					
I. राजस्व	151002.32	7936.31	158938.63	155167.76	(-) 3770.87
II. पूंजीगत	94257.00	0.01	94257.01	81741.90	(-) 12515.11
कुल	**245259.32**	**7936.32**	**253195.64**	**236909.66**	**(-) 16285.98**
प्रभारित					
III. राजस्व	74.45	399.22	473.67	339.48	(-) 134.19
IV. पूंजीगत	330.95	0.01	330.96	145.08	(-) 185.88
योग	**405.40**	**399.23**	**804.63**	**484.56**	**(-) 320.07**
कुल योग	**245664.72**	**8335.55**	**254000.27**	**237394.22**	**(-) 16606.05**
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			11425.75	10361.30	
कुल निवल प्रावधान			**242574.52**		
कुल निवल संवितरण				**227032.92**	

घ -रेलवे					
दत्तमत	293466.92	5809.82	299276.74	284864.29	(-) 14412.45
प्रभारित	261.62	61.66	323.28	268.92	(-) 54.36
योग	**293728.54**	**5871.48**	**299600.02**	**285133.21**	**(-) 14466.81**
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			99254.24	93994.81	
कुल निवल प्रावधान			**200345.78**		
कुल निवल संवितरण				**191138.40**	

योग

योग भा.सं.नि.	**दत्तमत**	**1745779.28**	**54429.86**	**1800209.14**	**1619024.69**	**(-) 181184.45**
	प्रभारित	**4597052.93**	**923.96**	**4597976.89**	**4211915.92**	**(-) 386060.97**
कुल योग भा.सं.नि.		**6342832.21**	**55353.82**	**6398186.03**	**5830940.61**	**(-)567245.42**
व्यय की कटौती में कुल वसूलियां				**245305.38**	**214097.57**	
विनियोग लेखे (भा.सं.नि.) के अनुसार कुल व्यय				**6152880.65**	**5616843.04**	
वित्त लेखे के आंकड़ों के साथ भिन्नता					**0**	
वित्त लेखे के अनुसार भा.सं.नि. से कुल संवितरण					**5616843.04**	

टिप्पणी: अनुदानों की मांगों में, प्रभारित संवितरण का प्रावधान विनियोग कहलाता है और दत्तमत संवितरण के लिए यह अनुदान कहलाता है।

भा.सं.नि.: भारत की संचित निधि

अनुबंध 3.2

(पैराग्राफ 3.2 के संदर्भ में)

अनुदानों/विनियोगों में निवल बचतें

प्रभावित अनुदान तथा विनियोग	अव्ययित प्रावधान		आधिक्य		निवल बचत(-) निवल आधिक्य (+)	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
क - सिविल						
दत्तमत (` करोड़ में)	126157.90	39680.42	9435.90	6193.41	(-) 116722.00	(-) 33487.01
अनुदानों की संख्या	93	64	1	1	--	--
प्रभारित (` करोड़ में)	28232.45	357461.43	11.23	0.0012	(-) 28221.22	(-) 357461.43
विनियोगों की संख्या	33	11	2	1	--	--
ख - डाक						
दत्तमत (` करोड़ में)	--	347.42	70.41	--	(+) 70.41	(-) 347.42
अनुदानों की संख्या	--	1	1	--	--	--
प्रभारित (` करोड़ में)	3.70	0.19	--	--	(-) 3.70	(-) 0.19
विनियोगों की संख्या	1	1	--	--	--	--
ग - रक्षा सेवाएं						
दत्तमत (` करोड़ में)	3770.87	12515.11	--	--	(-) 3770.87	(-) 12515.11
अनुदानों की संख्या	5	1	--	--	--	--
प्रभारित (`करोड़ में)	134.19	185.88	0.0013	--	(-) 134.19	(-) 185.88
विनियोगों की संख्या	4	1	1	--	--	--
घ - रेलवे						
दत्तमत (` करोड़ में)	9144.72	5757.42	456.56	33.13	(-) 8688.16	(-) 5724.29
अनुदानों की संख्या	13	2	2	1	--	--
प्रभारित (` करोड़ में)	26.21	28.83	0.68	--	(-) 25.53	(-) 28.83
विनियोगों की संख्या	7	3	3	--	--	--

अनुबंध 3.3

(पैराग्राफ 3.3 के संदर्भ में)

सिविल मंत्रालय/विभागों के अंतर्गत प्रभारित तथा दत्तमत प्राधिकरण एवं संवितरणों का वर्ष-वार समानुपात

(` करोड़ में)

		प्राधिकरण			संवितरण				
क्र.सं	वर्ष	दत्तमत	प्रभारित	कुल	दत्तमत	प्रभारित	कुल	प्रतिशतता	
								दत्तमत	प्रभारित
1.	2000-01	173677	530530	704207	160753	405289	566042	28	72
2.	2001-02	218136	481679	699815	201574	473950	675524	30	70
3.	2002-03	230649	547152	777801	213833	504119	717952	30	70
4.	2003-04	254328	564275	818603	231100	599889	830989	28	72
5.	2004-05	278555	703835	982390	252254	724942	977196	26	74
6.	2005-06	330051	1193138	1523189	301269	1288817	1590086	19	81
7.	2006-07	449178	1635986	2085164	415785	1670413	2086198	20	80
8.	2007-08	551115	1894750	2445865	519214	1818879	2338093	22	78
9.	2008-09	780316	2440552	3220868	744116	2404957	3149073	24	76
10.	2009-10	830706	3525606	4356312	768458	3349254	4117712	19	81
11.	2010-11	986064	3697775	4683839	918675	3104657	4023332	23	77
12.	2011-12	1060295	3875262	4935557	921280	3840960	4762240	19	81
13.	2012-13	1155063	4190305	5345368	977071	3816395	4793466	20	80
14.	2013-14	1222190	4493627	5715817	1014393	3975665	4990058	20	80
15.	2014-15	1228732	4596843	5825575	1078524	4211160	5289684	20	80

अनुबंध 3.4

(पैराग्राफ 3.6 के संदर्भ में)

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाली विवरणी

(`5 करोड़ और उससे अधिक)

(` करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष		प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
सिविल					
14 - दूरसंसचार विभाग					
1.	2071.01.101.01- सामान्य पेंशन	मू. सं.	3381.99 (+)662.54	4184.43	139.90
2.	2071.01.105.02-परिवार पेंशन	मू. सं.	695.70 (+)18.76	741.65	27.19
20 - रक्षा मंत्रालय					
3.	2052.00.092.02- रक्षा लेखा विभाग (डी.ए.डी.) प्रभारित	मू. सं.	0.20 0.40	7.49	6.89
21 - रक्षा पेंशन					
4.	2071.02.101.01 -थल सेना-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू. सं.	43965.41 (-)798.28	52654.12	9486.99
5.	2071.02.102.03 - नौ सेना-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू. सं.	1806.37 (-)26.92	2142.73	363.28
6.	2071.02.103. नौ सेना- अवकाश नकदीकरण	मू. सं.	210.59 (-)79.10	153.54	22.05
7.	2071.02.103.01 - वायु सेना - पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू. सं.	2905.91 (-)73.38	3417.24	584.71
8.	2071.02.103.03 - वायु सेना - अवकाश नकदीकरण	मू. सं.	244.02 (+)69.92	346.44	32.50
30 - पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय					
9.	5455.00.101.02-वायुमण्डलीय अवलोकन प्रणालियां नेटवर्क	मू. सं.	115.00 (-)88.00	43.54	16.54
32 - विदेश मंत्रालय					
10.	2061.00.101.01 - प्रबंधन तथा स्थापना	मू. सं.	1832.30 (+)159.60	2104.22	112.32
11.	2061.00.103.01 - विवेकाधीन व्यय	मू. सं.	1596.00 0.0034	1714.66	118.66

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाली विवरणी (`5 करोड़ और उससे अधिक)

(` करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष		प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
12.	3605.00.101.17-आई.टी.ई.सी. कार्यक्रम	मू. सं.	155.00	162.27	7.27
13.	3605.00.101.33-अफगानिस्तान को सहायता	मू. सं.	676.00 (+)34.00	723.52	13.52
35 - विनियोग- ब्याज भुगतान					
14.	*2049.01.122 से लघु बचतों के निवल संग्रहण के प्रति जारी विशेष भा.स. प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज*	मू. सं.	*3108.37* *(+)71.45*	*3273.14*	*93.32*
15.	2049.03.104.02-*अन्य राज्य भविष्य निधि*	मू. सं.	*3692.16* *(-)1247.64*	*2651.13*	*206.61*
16.	*2049.03.109.10 -भविष्य सेवानिवृति उपदान निधि के विशेष जमा*	मू. सं.	*9068.00* *(+)1550.00*	*10624.52*	*6.52*
17.	*2049.03.110.01 - भारत श्रेणी के असंवितरित वेतन हेतु बोनस*	मू. सं.	*5.21* *(-)3.45*	*12.39*	*10.63*
18.	*2049.05.103-रेलवे विकास निधि पर ब्याज*	मू. सं.	*248.39* *(-)68.07*	*196.24*	*15.92*
19.	*2049.05.105.01-रेलवे पेंशन निधि*	मू. सं.	*1.43* *(+)25.82*	*43.40*	*16.15*
20.	*2049.05.105.04-रेलवे पूंजीगत आरक्षित निधि पर ब्याज*	मू. सं.	*2.56* *(+)36.98*	*47.47*	*7.93*
38 - विनियोग- ऋण का पुनर्भुगतान					
21.	*6001.00.106.14- आय तथा धन का स्वैच्छिक प्रकटन 5-3/4% बंधपत्र 1985*	मू. सं.	*0.03*	*8.13*	*8.10*
22.	*6001.00.110-364 दिवसीय खजाना बिल*	मू. सं.	*136907.51* *(+)48.75*	*143004.76*	*6048.50*
23.	*6002.00.213-अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण*	मू. सं.	*8279.94* *(-)355.26*	*7936.62*	*11.93*
24.	*6002.00.216- पुनर्निर्माण तथा विकास हेतु अंतराष्ट्रीय बैंक से ऋण*	मू. सं.	*4160.22* *(-)15.87*	*4149.82*	*5.47*

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाली विवरणी (`5 करोड़ और उससे अधिक)

(` करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष		प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
40 - पेंशन					
25.	2071.01.104.01-सामान्य पेंशन	मू सं	2554.85 (-)220.00	2389.34	54.49
59 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग					
26.	2202.01.111.03-स्थापना तथा संबंधित व्यय	मू सं	37.20 (-)34.41	12.70	9.91
60 - स्कूली शिक्षा विभाग					
27.	2202.05.102.13-भारतीय भाषा के प्रोत्साहन हेतु अनुदानें	मू सं	230.95 (-)36.83	207.12	13.00
28.	2203.00.112.54-भारतीय विज्ञान संस्थान (भा.वि.सं.) तथा भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (भा.वि.शि.अ.सं.) को सहायता	मू सं	884.98 (-)66.74	823.66	5.43
67 - खनन मंत्रालय					
29.	2853.01.800.01-विभिन्न प्रक्रियाओं पर विविध मुख्य व्यय	मू सं	111.65 (-)91.35	29.72	9.42
77 - विद्युत मंत्रालय					
30.	6801.00.190.07-भारतीय राष्ट्रीय थर्मल पॉवर निगम लि. को ऋण	मू सं	Nil	7725.77	7725.77
93 - सांख्यिकीय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय					
31.	3454.02.204.19-क्षमता विकास (सी.एस.ओ. का क्षमता विकास तथा सांस्थानिक विकास एवं क्षमता निर्माण)	मू सं	122.75 (-)47.42	80.66	5.33
32.	3601.03.432.05-सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता	मू सं	89.60 (-)86.79	15.11	12.30
106 - जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा नवीकरण मंत्रालय					
33.	2711.01.800.30-नदी प्रबंधन गतिविधियां तथा सीमा नदियों से संबंधित निर्माण कार्य	मू	24.00	29.13	5.13

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाली विवरणी (`5 करोड़ और उससे अधिक)

(` करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष		प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
डाक सेवाएं **13 - डाक विभाग**					
34.	3201.01.101.03-डाक प्रभाग	मू अ सं	405.74 18.11 (+)76.97	513.90	13.08
35.	3201.02.101.10-ग्रामीण डाक सेवा	मू अ सं	2700.00 4.00 (+)46.00	2879.44	129.44
36.	3201.02.102.01-डाक छँटाई	मू अ सं	1241.97 11.93 (-)168.34	1105.31	19.75
37.	3201.04.101.01-लेखापरीक्षा स्टाफ के वेतन एवं भत्तों की लागत	मू	80.00	94.14	14.14
38.	3201.05.053.01-ईमारत	मू सं	77.77 (+)2.86	89.51	8.88
39.	3201.07.104.01-उपदान	मू सं	681.60 (-)59.50	648.79	26.69
40.	5201.00.104.14-डाक व्यवसाय केन्द्र की स्थापना	मू सं	44.00 (-)14.99	39.89	10.88
रक्षा सेवाएं **23 - रक्षा सेवाएं-नौसेना**					
41.	2077.00.101-नौसेना के वेतन एवं भत्ते (दत्तमत)	मू अ सं	3760.00 75.00 (+)142.00	4016.68	39.68
42.	2077.00.106 - मरम्मत एवं दुरूस्त (दत्तमत)	मू सं	511.07 (+)333.93	863.12	18.12
24 - रक्षा सेवाएं-वायु सेना					
43.	2078.00.105 - परिवहन	मू सं	823.69 (-)69.57	760.81	6.69
27 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय					
44.	4076.01.101-वायुयान तथा हवाई इंजन- थल सेना (दत्तमत)	मू	2127.99	2165.81	37.82

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाली विवरणी (`5 करोड़ और उससे अधिक)

(` करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	प्रावधान		वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
45.	4076.01.106-चल स्टाक- थल सेना (दत्तमत)	मू	275.07	378.21	103.14
46.	4076.01.112-राष्ट्रीय राईफल्स- थल सेना (दत्तमत)	मू	213.05	244.00	30.95
47.	4076.01.202 - निर्माण कार्य- थल सेना (प्रभारित)	मू	8.00	15.08	7.08
48.	4076.02.050 - भूमि- नौ सेना (दत्तमत)	मू	23.50	45.12	21.62
49.	4076.02.202 - निर्माण कार्य- नौ सेना (दत्तमत)	मू	580.81	644.30	63.49
50.	4076.02.204- नौसैनिक बेड़ा	मू	12576.06	13355.38	779.32
51.	4076.03.101 - वायुयान तथा हवाई इंजन- वायु सेना (दत्तमत)	मू	16271.43	22557.57	6286.14
52.	4076.03.202 - निर्माण कार्य- वायु सेना (दत्तमत)	मू अ	1415.84 0.0050	1636.66	220.82
53.	4076.03.111- कार्य- अ. एवं वि. (प्रभारित)	मू	4.00	83.40	79.40
				कुल	**33120.81**

अनुबंध 3.5

(पैराग्राफ 3.7 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ` 100 करोड़ या उससे अधिक* की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(` करोड़ में)		
सिविल				
राजस्व-दत्तमत				
1.	01-कृषि अनुसंधान एवं सहकारिता विभाग	22603.11	3114.80	14
2.	02-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	6144.44	1304.41	21
3.	03-पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग	2726.16	517.57	19
4.	05-नाभकीय विद्युत योजना विभाग	4223.49	499.24	12
5.	07-उर्वरक विभाग	77112.31	2020.45	03
6.	08-औषधीय विभाग	217.83	130.12	60
7.	11-वाणिज्य विभाग	5552.02	416.64	08
8.	14-दूरसंचार विभाग	14267.08	2344.93	16
9.	15-इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	3734.12	281.51	08
10.	17-खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग	123992.20	5028.52	04
11.	19-सांस्कृतिक मंत्रालय	2443.06	397.93	16
12.	20-रक्षा मंत्रालय	18270.67	103.74	01
13.	28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	2151.80	598.80	28
14.	29-पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	15377.50	3176.04	21
15.	30-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1515.07	281.93	19
16.	31-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	2488.41	693.60	28
17.	32-विदेश मंत्रालय	11264.37	1402.54	12
18.	33-आर्थिक कार्य विभाग	16157.52	885.54	05
19.	34-वित्तीय सेवाएं विभाग	11745.25	3834.92	33
20.	36-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	70757.00	9438.73	13
21.	40-पेंशन	25370.00	199.37	01
22.	41-भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग	3221.05	108.25	03
23.	42-राजस्व विभाग	11759.91	427.39	04
24.	43-प्रत्यक्ष कर	4342.89	249.64	06
25.	44-अप्रत्यक्ष कर	4884.02	719.78	15

* बचतों में आर्थिक उपाय के भाग के रूप में वित्त मंत्रालय द्वारा लागू अनिवार्य कटौती में शामिल था।

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ` 100 करोड़ या उससे अधिक* की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(` करोड़ में)		
26.	46-खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय	785.89	189.15	24
27.	47-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	36481.41	6505.28	18
28.	48-आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग (आयुष)	1252.09	577.72	46
29.	49-स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	1017.70	106.92	11
30.	50-एड्स नियंत्रण विभाग	1702.00	414.61	24
31.	51-भारी उद्योग विभाग	1139.56	171.44	15
32.	53-गृह मंत्रालय	1534.45	425.88	28
33.	55-पुलिस	51031.41	419.65	01
34.	56-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	2230.27	557.91	25
35.	58-आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	6008.68	3273.28	54
36.	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	82695.14	14615.25	18
37.	60-उच्चतर शिक्षा विभाग	27656.08	4486.90	16
38.	61-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	3287.18	158.45	05
39.	62-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	5783.82	1474.27	25
40.	64-विधि एवं न्याय	1992.88	241.96	12
41.	66-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	3693.51	932.51	25
42.	67-खनन मंत्रालय	1011.01	175.43	17
43.	68-अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय	3614.06	553.55	15
44.	69-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	2762.39	539.29	20
45.	71-पंचायती राज मंत्रालय	7000.70	3610.14	52
46.	75-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	63542.02	3231.84	05
47.	76-योजना मंत्रालय	1828.38	537.06	29
48.	77-विद्युत मंत्रालय	8228.16	3590.65	44
49.	83-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	20103.39	1430.69	07
50.	84-ग्रामीण विकास विभाग	121746.83	13116.63	11
51.	85-भू-संसाधन विभाग	3759.13	1252.72	33
52.	86-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	3546.03	646.11	18
53.	87-वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	3671.17	292.47	08
54.	88-जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	1517.24	170.27	11
55.	89-पोत परिवहन मंत्रालय	1258.70	253.37	20
56.	90-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	5750.77	1013.30	18

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ` 100 करोड़ या उससे अधिक* की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(` करोड़ में)		
57.	91-अशक्तता मामले विभाग	595.91	229.08	38
58.	92-अंतरिक्ष विभाग	3583.58	213.39	06
59.	93-सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	4905.79	840.74	17
60.	95-वस्त्र मंत्रालय	5547.74	1657.68	30
61.	96-पर्यटन मंत्रालय	1965.22	979.89	50
62.	97-जनजातीय कार्य मंत्रालय	517.40	172.31	33
63.	98-अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3132.76	175.32	06
64.	99-चण्डीगढ़	3044.70	109.84	04
65.	101-दमन एवं दीव	1291.03	119.70	09
66.	103-शहरी विकास विभाग	8713.64	4553.51	52
67.	106-जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा नवीकरण मंत्रालय	15143.17	9728.38	64
68.	107-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	21193.91	2652.77	13
69.	108-युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	1768.14	624.00	35
राजस्व - प्रभारित				
70.	*35-विनियोग-ब्याज भुगतान*	*449882.66*	*24784.40*	*06*
71.	*36-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण*	*64675.00*	*2861.68*	*04*
72.	*97-जनजातीय कार्य मंत्रालय*	*3913.63*	*476.04*	*12*
पूंजीगत - दत्तमत				
73.	04-परमाणु ऊर्जा	4408.46	1024.20	23
74.	05-नाभकीय विद्युत योजना	674.00	282.50	42
75.	09-नागरिक उड्डयन मंत्रालय	6545.10	730.15	11
76.	10-कोयला मंत्रालय	1647.00	598.17	36
77.	12-औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग	105.75	105.50	100
78.	14-दूरसंचार विभाग	3798.01	2859.02	75
79.	17-खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग	10678.26	192.89	02
80.	20-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	1620.72	439.57	27
81.	28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	353.50	145.49	41
82.	30-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	187.06	118.85	64
83.	32-विदेश मंत्रालय	3466.01	1179.02	34
84.	33-आर्थिक कार्य विभाग	12515.86	2621.50	21
85.	34-वित्तीय सेवाएं विभाग	24795.03	13725.47	55

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ` 100 करोड़ या उससे अधिक* की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(` करोड़ में)		
86.	42-राजस्व विभाग	106.01	105.80	100
87.	43-प्रत्यक्ष कर	752.01	682.14	91
88.	44-अप्रत्यक्ष कर	271.32	142.52	53
89.	47-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1964.52	1092.16	56
90.	55-पुलिस	9863.51	3924.49	40
91.	56-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	259.54	221.05	85
92.	75-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	2400.00	2400.00	100
93.	76-योजना मंत्रालय	786.49	269.48	34
94.	83-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	37436.27	1665.45	04
95.	89-पोत परिवहन मंत्रालय	516.09	181.20	35
96.	92-अंतरिक्ष विभाग	3656.58	1205.72	33
97.	98-अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	566.65	118.04	21
98.	103-शहरी विकास विभाग	8826.22	2137.48	24
99.	104-लोक निर्माण कार्य	832.33	274.80	33
100.	106-जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा नवीकरण मंत्रालय	228.63	132.20	58
पूंजीगत - प्रभारित				
101.	*36-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण*	*13000.00*	*1102.68*	*08*
102.	*38-विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान*	*4064025.03*	*356325.38*	*09*
रक्षा सेवाएं **राजस्व - दत्तमत**				
103.	22-रक्षा सेवाएं-थल सेना	100635.34	1496.71	01
104.	23-रक्षा सेवाएं- नौ सेना	14507.97	177.34	01
105.	24-रक्षा सेवाएं-वायु सेना	23127.57	495.88	02
106.	25-रक्षा आयुद्ध कारखाने	14308.66	1478.32	10
107.	26-रक्षा सेवाएं अनुसंधान एवं विकास	6359.09	122.62	02
राजस्व - प्रभारित				
108.	22-रक्षा सेवाएं-थल सेना	378.95	116.83	31
पूंजीगत - दत्तमत				
109.	27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	94257.01	12515.11	13
पूंजीगत - प्रभारित				
110.	27- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	330.96	185.88	56

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ` 100 करोड़ या उससे अधिक* की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(` करोड़ में)		
डाक सेवाएं पूंजीगत - दत्तमत				
111.	13-डाक विभाग	518.31	347.42	67
रेलवे राजस्व - दत्तमत				
112.	3-सामान्य अधीक्षण एवं सेवाएं	6472.70	366.92	06
113.	4-स्थायी मार्गों की मरम्मत एवं अनुरक्षण तथा निर्माण कार्य	10403.99	123.47	01
114.	5-चालन शक्ति की मरम्मत एवं अनुरक्षण	4920.70	138.01	03
115.	7-संयंत्र एवं उपकरण की मरम्मत एवं अनुरक्षण	6340.96	314.94	05
116.	9-प्रचालन व्यय -यातायात	19713.11	638.65	03
117.	10-प्रचालन व्यय -ईंधन	35181.17	6155.86	17
118.	11-स्टाफ कल्याण एवं सुविधाएं	5177.22	160.75	03
119.	12-विविध कार्य व्यय	5654.59	548.31	10
120.	13-भविष्य निधि, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	30142.70	506.94	02
पूंजीगत - दत्तमत				
121.	16-पूंजीगत	79272.06	5587.59	07
122.	16-रेलवे निधि, (मूल्यह्रास आरक्षित निधि, पूंजीगत निधि, विकास निधि)	17560.95	169.83	01
		कुल	**580970.12**	

अनुबंध 3.6

(पैराग्राफ 3.7 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ` 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(` करोड़ में)		
सिविल राजस्व (दत्तमत)					
1.	कृषि एवं सहकारिता विभाग	2012-13	20466.80	2480.33	12
		2013-14	22299.40	3317.48	15
		2014-15	22603.11	3114.80	14
2.	पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग	2012-13	2338.60	197.69	08
		2013-14	2534.50	394.49	16
		2014-15	2726.16	517.57	19
3.	वाणिज्य विभाग	2012-13	4054.85	186.76	05
		2013-14	4441.85	129.38	03
		2014-15	5552.02	416.64	08
4.	दूरसंचार विभाग	2012-13	11587.39	3985.03	34
		2013-14	12629.14	2010.10	16
		2014-15	14267.08	2344.93	16
5.	यांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2012-13	2877.54	1117.86	39
		2013-14	2872.50	849.55	30
		2014-15	3734.12	281.51	08
6.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के विकास का मंत्रालय	2012-13	1750.33	236.34	14
		2013-14	1847.98	193.80	10
		2014-15	2151.80	598.80	28
7.	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	2012-13	14005.25	925.97	07
		2013-14	15265.70	3324.67	22
		2014-15	15377.50	3176.04	21
8.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	2012-13	1464.45	406.00	28
		2013-14	1492.54	334.54	22
		2014-15	1515.07	281.93	19
9.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	2012-13	3012.34	1091.15	36
		2013-14	2815.66	715.93	25
		2014-15	2488.41	693.60	28
10.	आर्थिक कार्य विभाग	2012-13	9199.72	1587.03	17

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ` 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(` करोड़ में)		
		2013-14	10291.10	188.59	02
		2014-15	16157.52	885.54	05
11.	वित्तीय सेवाएं विभाग	2012-13	8535.26	1270.16	15
		2013-14	11468.99	746.54	07
		2014-15	11745.25	3834.92	33
12.	राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	2012-13	105786.55	21476.42	20
		2013-14	101945.69	17698.36	17
		2014-15	70757.00	9438.73	13
13.	राजस्व विभाग	2012-13	1167.05	371.53	32
		2013-14	10117.20	7536.54	74
		2014-15	11759.91	427.39	04
14.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2012-13	30685.78	5109.84	17
		2013-14	33012.35	5474.46	17
		2014-15	36481.41	6505.28	18
15.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी (आयुष) विभाग	2012-13	1161.23	406.04	35
		2013-14	1249.62	533.77	43
		2014-15	1252.09	577.72	46
16.	एड्स नियंत्रण विभाग	2012-13	1751.56	436.85	25
		2013-14	1782.01	309.03	17
		2014-15	1702.00	414.61	24
17.	भारी उद्योग विभाग	2012-13	558.87	184.78	33
		2013-14	930.97	382.86	41
		2014-15	1139.56	171.44	15
18.	गृह मंत्रालय	2012-13	2925.38	1345.01	46
		2013-14	2108.55	876.91	42
		2014-15	1534.45	425.88	28
19.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	2012-13	1725.56	183.32	11
		2013-14	1969.15	128.76	07
		2014-15	2230.27	557.91	25
20.	आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	2012-13	1163.01	226.46	19
		2013-14	1468.06	381.82	26
		2014-15	6008.68	3273.28	54
21.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	2012-13	70559.80	4691.40	07
		2013-14	77130.05	10152.69	13
		2014-15	82695.14	14615.25	18
22.	उच्चतर शिक्षा विभाग	2012-13	25379.08	4868.65	19

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ` 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(` करोड़ में)		
		2013-14	26950.08	2417.46	09
		2014-15	27656.08	4486.90	16
23.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	2012-13	4634.46	807.90	17
		2013-14	5254.97	849.56	16
		2014-15	5783.82	1474.27	25
24.	विधि एवं न्याय	2012-13	1515.60	331.98	22
		2013-14	1971.17	112.77	06
		2014-15	1992.88	241.96	12
25.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	2012-13	3071.88	632.60	21
		2013-14	3210.95	660.26	21
		2014-15	3693.51	932.51	25
26.	अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय	2012-13	3054.70	980.02	32
		2013-14	3410.99	384.25	11
		2014-15	3614.06	553.55	15
27.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	2012-13	1456.48	293.76	20
		2013-14	2648.21	1214.03	46
		2014-15	2762.39	539.29	20
28.	पंचायती राज मंत्रालय	2012-13	5350.76	1413.49	26
		2013-14	7200.70	3738.62	52
		2014-15	7000.70	3610.14	52
29.	योजना मंत्रालय	2012-13	1661.23	441.81	27
		2013-14	7181.53	5798.92	81
		2014-15	1828.38	537.06	29
30.	विद्युत मुत्रालय	2012-13	10949.40	9200.23	84
		2013-14	8045.87	4309.22	54
		2014-15	8228.16	3590.65	44
31.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2012-13	22495.36	2836.25	13
		2013-14	17203.60	533.44	03
		2014-15	20103.39	1430.69	07
32.	ग्रामीण विकास विभाग	2012-13	129923.04	26266.79	20
		2013-14	113304.88	15817.28	14
		2014-15	121746.83	13116.63	11
33.	भू-संसाधन विभाग	2012-13	3208.20	214.66	07
		2013-14	5772.86	3276.92	57
		2014-15	3759.13	1252.72	33
34.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	2012-13	2842.89	340.10	12

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ` 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(` करोड़ में)		
		2013-14	3372.22	776.36	23
		2014-15	3546.03	646.11	18
35.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	2012-13	3475.10	529.44	15
		2013-14	3561.31	409.77	12
		2014-15	3671.17	292.47	08
36.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	2012-13	1500.40	217.56	15
		2013-14	1502.07	210.75	14
		2014-15	1517.24	170.27	11
37.	पोत परिवहन मंत्रालय	2012-13	1403.45	566.08	40
		2013-14	1691.64	200.60	12
		2014-15	1258.70	253.37	20
38.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	2012-13	5708.33	939.48	16
		2013-14	6420.37	1203.02	19
		2014-15	5750.77	1013.30	18
39.	अंतरिक्ष विभाग	2012-13	3575.94	761.47	21
		2013-14	3052.21	324.53	11
		2014-15	3583.58	213.39	06
40.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	2012-13	4926.36	461.50	09
		2013-14	4949.36	109.59	02
		2014-15	4905.79	840.74	17
41.	वस्त्र मंत्रालय	2012-13	7775.70	3513.98	45
		2013-14	5519.98	1592.79	29
		2014-15	5547.74	1657.68	30
42.	पर्यटन मंत्रालय	2012-13	1279.98	347.72	27
		2013-14	1355.32	328.12	24
		2014-15	1965.22	979.89	50
43.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	2012-13	410.21	127.80	31
		2013-14	443.74	146.39	33
		2014-15	517.40	172.31	33
44.	शहरी विकास विभाग	2012-13	1321.73	232.27	18
		2013-14	1281.32	166.59	13
		2014-15	8713.64	4553.51	52
45.	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा नवीकरण मंत्रालय	2012-13	1937.32	966.23	50
		2013-14	1902.13	906.47	48
		2014-15	15143.17	9728.38	64
46.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2012-13	18584.03	1547.22	08

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ` 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(` करोड़ में)		
		2013-14	20640.02	2601.43	13
		2014-15	21193.91	2652.77	13
राजस्व (प्रभारित)					
47.	*राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण*	*2012-13*	*58357.46*	*13104.04*	*22*
		2013-14	*62134.40*	*8229.86*	*13*
		2014-15	*64675.00*	*2861.68*	*04*
48.	*जनजातीय कार्य मंत्रालय*	*2012-13*	*3627.80*	*905.69*	*25*
		2013-14	*3856.58*	*375.08*	*10*
		2014-15	*3913.63*	*476.04*	*12*
पूंजीगत (दत्तमत)					
49.	परमाणु ऊर्जा	2012-13	3822.32	1240.57	32
		2013-14	4111.36	1180.55	29
		2014-15	4408.46	1024.20	23
50.	रक्षा मंत्रालय (सिविल)	2012-13	1874.56	276.91	15
		2013-14	1838.42	742.03	40
		2014-15	1620.72	439.57	27
51.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के विकास का मंत्रालय	2012-13	349.00	121.25	35
		2013-14	353.01	128.56	36
		2014-15	353.50	145.49	41
52.	आर्थिक कार्य विभाग	2012-13	58961.13	52110.34	88
		2013-14	69431.73	63462.80	91
		2014-15	12515.86	2621.50	21
53.	वित्तीय सेवाएं विभाग	2012-13	15902.02	1249.36	08
		2013-14	30900.40	14017.40	45
		2014-15	24795.03	13725.47	55
54.	प्रत्यक्ष कर	2012-13	809.29	384.78	48
		2013-14	590.00	144.00	24
		2014-15	752.01	682.14	91
55.	अप्रत्यक्ष कर	2012-13	119.21	109.26	92
		2013-14	149.26	126.95	85
		2014-15	271.32	142.52	53
56.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2012-13	2298.32	998.37	43
		2013-14	2862.69	1585.55	55
		2014-15	1964.52	1092.16	56
57.	पुलिस	2012-13	9333.60	2999.21	32
		2013-14	9106.00	2760.84	30

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ` 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(` करोड़ में)		
		2014-15	9863.51	3924.49	40
58.	योजना मंत्रालय	2012-13	515.80	256.69	50
		2013-14	900.00	549.23	61
		2014-15	786.49	269.48	34
59.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2012-13	24643.50	5610.90	23
		2013-14	32264.15	2950.74	09
		2014-15	37436.27	1665.45	04
60.	पोत परिवहन मंत्रालय	2012-13	583.09	217.55	37
		2013-14	658.42	279.27	42
		2014-15	516.09	181.20	35
61.	अंतरिक्ष विभाग	2012-13	3138.22	1096.57	35
		2013-14	3738.96	1297.91	35
		2014-15	3656.58	1205.72	33
62.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2012-13	739.25	269.91	37
		2013-14	671.82	272.19	41
		2014-15	566.65	118.04	21
63.	शहरी विकास विभाग	2012-13	6346.84	927.18	15
		2013-14	6945.08	863.04	12
		2014-15	8826.22	2137.48	24
पूंजीगत (प्रभारित)					
64.	*राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण*	*2012-13*	*12000.00*	*1347.30*	*11*
		2013-14	*12000.00*	*1000.25*	*08*
		2014-15	*13000.00*	*1102.68*	*08*
65.	*विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान*	*2012-13*	*3786074.35*	*359181.41*	*09*
		2013-14	*4014248.55*	*502957.23*	*13*
		2014-15	*4064025.03*	*356325.38*	*09*
डाक सेवाएं **पूंजीगत (दत्तमत)**					
66.	**डाक विभाग**	2012-13	615.77	470.18	76
		2013-14	433.31	165.01	38
		2014-15	518.31	347.42	67
रक्षा सेवाएं **राजस्व(दत्तमत)**					
67.	रक्षा सेवाएं- थल सेना	2012-13	79980.55	463.60	01
		2013-14	88599.71	879.63	01
		2014-15	100635.34	1496.71	01

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ` 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(` करोड़ में)		
पूंजीगत (दत्तमत)					
68.	रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2012-13	79526.99	9043.67	11
		2013-14	86685.31	7592.40	09
		2014-15	94257.01	12515.11	13
रेलवे **राजस्व (दत्तमत)**					
69.	निधियों का विनियोग-मूल्यह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि, पेंशन निधि, पूंजीगत निधि, एवं ऋण सेवा निधि	2012-13	20025.75	8217.50	41
		2013-14	16249.85	4788.64	29
		2014-15	17560.95	169.83	01

अनुबंध 3.7

(पैराग्राफ 3.8 के संदर्भ में)

मामले जहॉं बचत से अधिक राशियों का अभ्यर्पण किया गया

(` करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	अनुभाग के अंतर्गत बचतें	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पण
सिविल **राजस्व -दत्तमत**				
1.	08- औषधीय विभाग	130.12	130.18	0.06
2.	10- कोयला मंत्रालय	76.35	76.38	0.03
3.	14- दूरसंचार विभाग	2344.93	2438.84	93.91
4.	67- खनन मंत्रालय	175.43	186.25	10.82
5.	71- पंचायती राज मंत्रालय	3610.14	3610.19	0.05
6.	93- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	840.74	857.59	16.85
पूंजीगत-दत्तमत				
7.	30-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	118.85	134.67	15.82
8.	67-खनन मंत्रालय	60.73	60.85	0.12
9.	73-कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	34.02	34.74	0.72
10.	93- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	14.37	15.56	1.19
रक्षा सेवाएं **पूंजीगत -दत्तमत**				
11.	27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	12515.11	12622.73	107.62
डाक सेवाएं **पूंजीगत -दत्तमत**				
12.	13-डाक विभाग	347.42	358.33	10.91

अनुबंध 3.8

(पैराग्राफ 3.9 के संदर्भ में)

मामले जहाँ बचतों के मुख्य भाग 30/31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचतें	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
		(` करोड़ में)				(` करोड़ में)
सिविल **राजस्व (दत्तमत)**						
1.	1-कृषि एवं सहकारिता विभाग	3114.80	3045.14	3045.14	98	69.66
2.	2- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	1304.41	1271.63	1271.63	97	32.78
3.	3- पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग	517.57	463.90	451.16	87	53.67
4.	5-नाभिकीय विद्युत योजनाएं	499.24	318.10	318.10	64	181.14
5.	7-उर्वरक विभाग	2020.45	2020.44	2020.44	100	0.01
6.	8-औषधीय विभाग	130.12	130.18*	130.18	100	--
7.	11-वाणिज्य विभाग	416.64	342.01	342.01	82	74.63
8.	14- दूरसंचार विभाग	2344.93	2438.84*	2438.84	104	--
9.	15-इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	281.51	162.84	162.84	58	118.67
10.	17- खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग	5028.52	22.29	22.29	0.4	5006.23
11.	19-संस्कृति मंत्रालय	397.93	365.95	365.95	92	31.98
12.	20-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	103.74	2.45	2.45	02	101.29
13.	28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के विकास का मंत्रालय	598.80	598.74	107.40	18	0.06
14.	29-पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय	3176.04	3162.37	3162.37	100	13.67
15.	30-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	281.93	237.31	6.66	02	44.62
16.	31-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	693.60	640.49	640.49	92	53.11
17.	32-विदेश मंत्रालय	1402.54	1332.80	1332.80	95	69.74
18.	33-आर्थिक कार्य विभाग	885.54	816.58	816.58	92	68.96

मामले जहाँ बचतों के मुख्य भाग 30/31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचतें	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
		(` करोड़ में)				(` करोड़ में)
19.	34-वित्तीय सेवाएं विभाग	3834.92	354.62	354.62	09	3480.30
20.	36-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	9438.73	7849.60	7849.60	83	1589.13
21.	41-भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग	108.25	87.43	87.43	81	20.82
22.	42-राजस्व विभाग	427.39	398.18	398.18	93	29.21
23.	43-प्रत्यक्ष कर	249.64	235.92	235.92	95	13.72
24.	44-अप्रत्यक्ष कर	719.78	563.02	563.02	78	156.76
25.	46-खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय	189.15	188.03	188.03	99	1.12
26.	47-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	6505.28	5991.68	5991.68	92	513.60
27.	48-आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग	577.72	572.38	572.38	99	5.34
28.	49-स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	106.92	102.49	102.49	96	4.43
29.	50-एड्स नियंत्रण विभाग	414.61	402.00	402.00	97	12.61
30.	51-भारी उद्योग विभाग	171.44	60.10	60.10	35	111.34
31.	53-गृह मंत्रालय	425.88	391.64	391.64	92	34.24
32.	55-पुलिस	419.65	153.38	153.38	37	266.27
33.	56-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	557.91	526.97	526.97	94	30.94
34.	58-आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	3273.28	2741.27	2741.27	84	532.01
35.	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	14615.25	14487.46	14487.46	99	127.79
36.	60-उच्चतर शिक्षा विभाग	4486.90	4427.86	4427.86	99	59.04
37.	61-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	158.45	147.56	147.56	93	10.89
38.	62-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	1474.27	1297.55	1297.55	88	176.72

मामले जहाँ बचतों के मुख्य भाग 30/31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचतें	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
		(` करोड़ में)				(` करोड़ में)
39.	66-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	932.51	900.91	900.91	97	31.60
40.	67-खनन मंत्रालय	175.43	186.25*	186.25	106	--
41.	68-अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय	553.55	550.09	550.09	99	3.46
42.	69-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	539.29	526.67	526.67	98	12.62
43.	71-पंचायती राज मंत्रालय	3610.14	3610.19*	3610.19	100	--
44.	75-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	3231.84	3231.81	3231.81	100	0.03
45.	76-योजना मंत्रालय	537.06	526.33	526.33	98	10.73
46.	77-विद्युत मुत्रालय	3590.65	3590.43	3590.43	100	0.22
47.	83-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	1430.69	794.58	794.58	56	636.11
48.	84-ग्रामीण विकास विभाग	13116.63	13114.57	13114.57	100	2.06
49.	85-भू-संसाधन विभाग	1252.72	1252.67	1252.67	100	0.05
50.	87-वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	292.47	288.96	2.24	01	3.51
51.	88-जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	170.27	166.49	66.49	39	3.78
52.	89-पोत परिवहन मंत्रालय	253.37	220.43	220.43	87	32.94
53.	90- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	1013.30	1006.86	1006.86	99	6.44
54.	91-अशक्तता मामले विभाग	229.08	228.52	228.52	100	0.56
55.	92-अंतरिक्ष विभाग	213.39	209.68	209.68	98	3.71
56.	93-सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	840.74	857.59*	857.59	102	--
57.	95-वस्त्र मंत्रालय	1657.68	1531.06	1531.06	92	126.62
58.	96-पर्यटन मंत्रालय	979.89	976.80	976.80	100	3.09
59.	97-जनजातीय कार्य मंत्रालय	172.31	168.09	168.09	98	4.22
60.	98-अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	175.32	174.89	174.89	100	0.43

मामले जहाँ बचतों के मुख्य भाग 30/31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचतें	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
		(` करोड़ में)				(` करोड़ में)
61.	99-चंडीगढ़	109.84	109.54	109.54	100	0.30
62.	101-दमन एवं दीव	119.70	118.53	118.53	99	01
63.	103-शहरी विकास विभाग	4553.51	4471.13	4471.13	98	82.38
64.	106-जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा नवीकरण मंत्रालय	9728.38	9280.88	9280.88	95	447.50
65.	107-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2652.77	2642.99	2642.99	100	9.78
66.	108-युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	624.00	621.18	621.18	100	2.82
राजस्व (प्रभारित)						
67.	*35-विनियोग-ब्याज भुगतान*	*24784.40*	*22954.72*	*22954.72*	*97*	*1829.68*
68.	*36-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण*	*2861.68*	*2861.68*	*2861.68*	*100*	--
69.	*97-जनजातीय कार्य मंत्रालय*	*476.04*	*474.95*	*474.95*	*100*	*1.09*
पूंजीगत (दत्तमत)						
70.	4-परमाणु ऊर्जा	1024.20	989.73	989.73	97	34.47
71.	5-नाभकीय विद्युत योजना	282.50	282.50	282.50	100	--
72.	9- नागरिक उड्डयन मंत्रालय	730.15	723.10	723.10	99	7.05
73.	12-औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग	105.50	101.84	101.84	97	3.66
74.	14- दूरसंचार विभाग	2859.02	2856.94	2856.94	100	2.08
75.	17- खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग	192.89	192.76	192.76	100	0.13
76.	20-रक्षा मंत्रालय	439.57	436.87	436.87	99	2.70
77.	28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के विकास का मंत्रालय	145.49	145.45	145.45	100	0.04
78.	32-विदेश मंत्रालय	1179.02	1176.14	1176.14	100	2.88
79.	33-आर्थिक कार्य विभाग	2621.50	1958.82	1958.82	75	662.68
80.	34-वित्तीय सेवाएं विभाग	13725.47	13725.47	13725.47	100	--
81.	42-राजस्व विभाग	105.80	105.66	105.66	100	0.14
82.	43-प्रत्यक्ष कर	682.14	676.24	676.24	99	5.90

मामले जहाँ बचतों के मुख्य भाग 30/31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचतें	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
		(` करोड़ में)				(` करोड़ में)
83.	44-अप्रत्यक्ष कर	142.52	132.65	132.65	93	9.87
84.	47-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1092.16	1062.00	1062.00	97	30.16
85.	55-पुलिस	3924.49	3493.91	3493.91	89	430.58
86.	56-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	221.05	215.69	215.69	98	5.36
87.	75-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	2400.00	2400.00	2400.00	100	--
88.	76-योजना मंत्रालय	269.48	268.62	268.62	100	0.86
89.	83-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	1665.45	1191.60	1191.60	72	473.85
90.	89-पोत परिवहन मंत्रालय	181.20	178.42	178.42	98	2.78
91.	92-अंतरिक्ष विभाग	1205.72	1202.38	1202.38	100	3.34
92.	98-अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	118.04	116.91	116.91	99	1.13
93.	103-शहरी विकास विभाग	2137.48	2071.30	2071.30	97	66.18
94.	104-लोक निर्माण कार्य	274.80	229.00	229.00	83	45.80
95.	106-जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा नवीकरण मंत्रालय	132.20	120.62	120.62	91	11.58
पूंजीगत (प्रभारित)						
96.	*36-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण*	*1102.68*	*1102.68*	*1102.68*	*100*	--
97.	*38-विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान*	*356325.38*	*336389.17*	*336389.17*	*94*	*19936.21*

अनुबंध 3.9

(पैराग्राफ 3.12 के संदर्भ में)

लघु/उप-शीर्ष को पुनर्विनियोग जो अनुपयोग के कारण निष्फल थे

(` 5 करोड़ से ज्यादा तथा उससे अधिक का पुनर्विनियोग)

(` करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उप-शीर्ष		कुल प्रावधान	शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि	शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचतें
सिविल						
1.	4-परमाणु ऊर्जा	4861.01.207.01-भा.ज.सं. से उत्पादन	मू.	111.00	18.00	69.18
2.		5401.00.800.32-तीस मीटर टेलीस्कोप (।। ए/बी.ए.आर.सी.)	मू.	1.00	11.70	12.70
3.	20-रक्षा मंत्रालय	2055.00.104.02-ज. एवं क. लाईट इंफेन्ट्री के संबंध में अदा किए गए प्रभार	मू. अ.	43.31	13.27	18.23
4.	38-विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान	6001.00.106.24 - 8% राहत बंधपत्र, 2002	मू.	11.32	6.12	15.42
5.		6001.00.106.31 - 6.5% बचतें बंधपत्र, 2003 (गैर-कर योग्य)	मू.	11.98	5.11	12.87
6.	47-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	4210.04.200.06-क्षेत्रीय लेप्रोसी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, आस्का, ओडिशा	मू.	0.05	5.55	5.60
7.	58-आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	2217.05.191.04-जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	मू. अ.	36.50 0.02	20.58	36.70
8.	106-जल संसाधन मंत्रालय	3602.02.666.01-राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.)	अ.	0.01	72.00	72.01
रक्षा सेवाएं						
9.	22-रक्षा सेवाएं-थल सेना	101 - थल सेना को वेतन एवं भत्ते (दत्तमत)	मू. अ.	54433.94 1674.00	325.01	534.12
10.		104 - गैर-सैनिकों के वेतन एवं भत्ते (दत्तमत)	मू.	4422.15	16.00	16.48

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उप-शीर्ष		कुल प्रावधान	शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि	शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचतें
11.	23-रक्षा सेवाएं-नौ सेना	111 -निर्माण कार्य (दत्तमत)	मू. अ.	932.34 215.91	22.25	47.00
12.	24-रक्षा सेवाएं-वायु सेना	101 - वायु सेना का वेतन एवं भत्ते (दत्तमत)	मू. अ.	8962.69 480.10	8.49	13.70
13.		110-भण्डार (दत्तमत)	मू. अ.	7899.64 1070.33	93.19	250.66
14.		111- निर्माण कार्य (दत्तमत)	मू. अ.	1945.67 375.00	33.84	230.92
15.	25-रक्षा आयुध कारखाने	054-उत्पादन (दत्तमत)	मू.	4989.38	10.62	39.11
16.	26-रक्षा सेवाएं अनुसंधान एवं विकास	102-गैर-सैनिकों के वेतन एवं भत्ते (दत्तमत)	मू.	2025.13	15.93	19.88
				योग	**677.66**	

अनुबंध 3.10

(पैराग्राफ 3.13 के संदर्भ में)

लघु/उप-शीर्ष से पुनर्विनियोग का परिणाम अंतिम अधिक व्यय में हुआ

(` 5 करोड़ तथा उससे अधिक से ज्यादा का पुनर्विनियोग)

(` *करोड़* में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	उप-शीर्ष		कुल प्रावधान	शीर्ष से पुनर्विनियोग की राशी	शीर्ष के अंतर्गत अंतिम अधिक व्यय
सिविल						
1.	4-परमाणु ऊर्जा	4861.01.204.13-तैयार उत्पादन का कम मूल्य	मू.	1110.00	18.00	69.18
2.		2071.02.101.01- थल सेना-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू.	43965.41	798.28	9486.99
3.	21. रक्षा पेंशन	2071.02.102.01- नौ सेना-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू.	1806.37	26.92	363.28
4.		2071.02.103.01- वायु सेना-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू.	2905.91	73.38	584.72
5.	35-विनियोग-ब्याज भुगतान	2049.03.109.12-ई.पी.एफ./ ई.डी.एल.आई. के विशेष जमा	मू.	1250.82	22.80	117.84
6.	68-अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	2225.04.277.04-अल्पसंख्यकों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	मू.	527.40	27.87	499.53
7.	106-जल संसाधन मंत्रालय	2702.02.005.01-केन्द्रीय भू-जल बोर्ड	मू.	136.35	18.00	26.74
				कुल	**985.25**	

अनुबंध 3.11

(पैराग्राफ 3.14 के संदर्भ में)

लघु/उप-शीर्ष के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
			(` करोड़ में)				
सिविल							
1.	14-दूरसंचार विभाग	3451.00.091.01-निदेशालय	--	89.65	--	89.65	उपचारात्मक याचिका दाखिल करने के औचित्य का निर्धारण करने हेतु संसाधित किए जा रहे मामले अथवा मामले में अन्य कोई वैधिक उपचार का सहारा लेने के कारण।
2.	17-खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग	2408.01.102.02-भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य को खाद्य अनाज लेन-देन पर देय आर्थिक सहायता	42000.00	3000.00	41995.35	3004.65	बिलों के गैर-समायोजन के कारण
3.		2408.01.102.10-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भा.खा.नि. तथा अन्य को खाद्य अनाज लेन-देन पर देय आर्थिक सहायता	50000.00	2000.00	50000.00	2000.00	
4.	34-वित्तीय सेवाएं विभाग	2416.00.800.02-किसानों को लघु अवधि क्रेडिट प्रदान करने हेतु ब्याज आर्थिक सहायता	6000.00	3476.71	6000.00	3476.71	प्रशासनिक कारणों के कारण लंबित दावों के गैर-निपटान के कारण।

लघु/उप-शीर्ष के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
			(` करोड़ में)				
5.	42-राजस्व विभाग	3602.01.110.01-सी.एस.टी. के चरणबद्ध करने के कारण राजस्व हानि हेतु सं.शा.क्षे. को क्षतिपूर्ति	--	241.56	--	241.56	सं.शा.क्षे. सरकारों से सी.एस.टी. क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण
6.	51-भारी उद्योग विभाग	*6860.60.600.02-भारतीय टायर निगम लिमिटेड को कर्जे*	--	*9.05*	--	*9.05*	न्यायालय के आदेश के दृष्टिकोण से निगम को समाप्त करने के कारण
रक्षा सेवाएं राजस्व (दत्तमत)							
7.	22-रक्षा सेवाएं-थल सेना	800-अन्य व्यय	2464.68	16.00	2021.80	458.88	व्यय में कटौती के कारण राशन, ईंधन तेल एवं स्नेहक और सेवानिवृत अंशदायी स्वास्थ्य योजना जैसे अति आवश्यक मांग का मिलना।
8.		109-निरीक्षण संगठन	832.45	10.00	819.66	22.79	एयरो इंडिया ईवेन्टस एवं कठोर मापन का कार्यान्वयन के कारण व्यय का कम बुकिंग
डाक सेवाएं राजस्व (दत्तमत)							
9.	13-डाक विभाग	3201.02.101.04-प्रीमियम उत्पादन सेवाएं	159.53	9.33	144.56	24.30	प्रत्याशित से योजना की गई गतिविधियों के संबंध में संहिता ओपचारिकताओं को अंतिम रूप न देने के कारण
10.		3201.02.102.01-डाक वर्गीकरण	1241.97	11.93	1105.31	148.59	अधिक संख्या में सेवानिवृत्ति के कारण जिसका परिणाम वेतन के अंतर्गत कम व्यय में हुआ

लघु/उप-शीर्ष के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
			(` करोड़ में)				
11.		3201.04.102.02-डाक लेखा कार्यालय परिमण्डल	330.33	10.24	320.47	20.10	यात्रा व्यय, वेतन आदि के अंतर्गत कम व्यय के कारण

अनुबंध 3.12

(पैराग्राफ 3.15 के संदर्भ में)

पूर्ण प्रावधान अव्ययित रहा (` 50 करोड़ तथा उससे अधिक)

(` करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग तथा उप-शीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	बचतें
सिविल			
अनुदान सं. 1-कृषि एवं सहकारिता विभाग			
1.	2401.00.105.23-मृदा स्वास्थ्य कार्ड	100.00	100.00
2.	2401.00.789.28-दालों तथा सब्जियों हेतु मूल्य स्थीरीकरण निधि	73.00	73.00
3.	2401.00.800.43-राष्ट्रीय कृषि-तकनीक अवसंरचना	68.22	68.22
अनुदान सं. 2-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग			
4.	2415.02.150.04-राष्ट्रीय अनुकूलन निधि	86.40	86.40
अनुदान सं. 5-नाभिकीय विद्युत योजना			
5.	2801.03.101.07-टी.ए.पी.एस. हेतु बी.डब्ल्यू.आर. ईंधन	306.53	306.53
अनुदान सं. 12-औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग			
6.	4059.01.201.03-प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केन्द्र, द्वारका	50.00	50.00
अनुदान सं. 28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय			
7.	3601.05.101.07-उ.पू. सड़क निगम	200.00	200.00
8.	3601.05.101.08-उ.पू. राज्यों में जैविक कृषि	100.00	100.00
अनुदान सं. 31-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय			
9.	3453.03.103.11-राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन	84.40	84.40
10.	3601.02.665.02-हरित भारत मिशन	51.00	51.00
अनुदान सं. 32-विदेश मंत्रालय			
11.	7605.00.055.01-नया क्रेडिट	158.00	158.00
अनुदान सं. 33-आर्थिक कार्य विभाग			
12.	3475.00.800.73-भारतीय एक्सिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता	450.00	450.00
13.	5466.00.210.01-ब्राजील, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रिका (ब्रिक्स) नया विकास बैंक (एन.डी.बी.) को अंशदान	100.00	100.00
14.	5475.00.797.01-सामाजिक एवं अवसंरचना विकास पूंजीगत निधि को अंतरण	1050.91	1050.91
15.	5475.00.800.21-पी.पी.पी. कार्यान्वयन (3पी. भारत)	500.00	500.00

पूर्ण प्रावधान अव्ययित रहा (` 50 करोड़ तथा उससे अधिक)

(` करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग तथा उप-शीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	बचतें
अनुदान सं. 34-वित्तीय सेवाएं विभाग			
16.	2416.00.800.01-राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को अनुदानें	50.00	50.00
17.	3465.01.190.08-राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कम्पनी (एन.सी.जी.टी.सी.) को सहायता	500.00	500.00
18.	4416.00.190.03-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के पुर्नपूंजीकरण हेतु सरकारी अंश का अंशदान	50.00	50.00
19.	6865.01.190.19-राष्ट्रीय आवास बैंक (एन.एच.बी.) को विश्व बैंक सहायता	85.00	85.00
अनुदान सं. 35-विनियोग-ब्याज भुगतान			
20.	*2048.00.200.13-सरकारी प्रतिभूतियों की वापस खरीद पर प्रीमियम का भुगतान*	*1000.00*	*1000.00*
21.	*2049.01.126-बाजार स्थिरीकरण योजना पर अदा किया ब्याज/छूट-बैंक में धन का जमा*	*1628.81*	*1628.81*
22.	*2049.05.105.08-मूल्य स्थिरीकरण निधि पर ब्याज*	*73.47*	*73.47*
अनुदान सं. 36-राज्य तथा सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरण			
23.	7601.06.200-अन्य अर्थोपाय अग्रिम (प्रभारित)	1000.00	1000.00
अनुदान सं. 42-राजस्व विभाग			
24.	4059.60.051.26-राजस्व भवन का निर्माण	100.00	100.00
अनुदान सं. 47-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग			
25.	2210.05.105.53-नए एम्स की स्थापना	50.00	50.00
26.	2210.06.800.39-स्वास्थ्य बीमा (सी.जी.ई.आई.पी.एस.)	50.00	50.00
27.	3601.02.263.01-राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	109.25	109.25
28.	3601.02.263.04-राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम	88.23	88.23
29.	3601.02.263.10-राज्य दवा नियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	139.20	139.20
30.	3601.02.263.11-राज्य खाद्य नियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	139.20	139.20
31.	4210.01.800.07-पर्यवेक्षक समिति के अनुसार उच्चतर शिक्षा का संस्थापन	80.00	80.00
अनुदान सं. 48-आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग (आयुष)			
32.	3601.02.228.03-अस्पताल एवं औषधालय (आयुष फ्लैक्सी - पूल सहित रा.ग्रा.स्वा.मि. सहित)	184.15	184.15

पूर्ण प्रावधान अव्ययित रहा (` 50 करोड़ तथा उससे अधिक)

(` करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग तथा उप-शीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	बचतें
अनुदान सं. 50-एड्स नियंत्रण विभाग			
33.	4210.04.200.11-राष्ट्रीय एड्स तथा एस.टी.डी. नियंत्रण कार्यक्रम	83.00	83.00
अनुदान सं. 51-भारी उद्योग विभाग			
34.	2852.80.003.15-अ. एवं वि. परियोजनाएं-थर्मल पॉवर संयंत्रों हेतु उन्नत अति-विशिष्ट-महत्वपूर्ण (उ.अ.वि.म.) प्रौद्योगिकी का विकास	100.00	100.00
35.	6854.60.800.01-लोक क्षेत्र उपक्रमों का पुनरूद्धार योजना का कार्यान्वयन	150.00	150.00
36.	6858.60.190.07-स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तथा विभाजन योजना (वी.आर.एस. वी.एस.एस.) का कार्यान्वयन तथा सांविधिक देयों का भुगतान	250.00	250.00
अनुदान सं. 55-पुलिस			
37.	2055.00.800.15-निर्भया निधि परियोजना	67.00	67.00
38.	4055.00.211.04-ई.पी.सी. पद्धति के माध्यम से के.स.पु.ब. हेतु पुलिस आवास	178.00	178.00
39.	4055.00.800.23-निर्भया निधि परियोजना	80.00	80.00
अनुदान सं. 60-उच्चतर शिक्षा विभाग			
40.	2202.03.112.07-उच्च्तर शिक्षा इलेक्ट्रानिक संसाधनों हेतु संकाय	156.94	156.94
41.	2202.03.112.08-वास्तविक कक्षाओं तथा प्रभावशाली मुस्त आनलाईन पाठ्यक्रमों की स्थापना (एम.ओ.ओ.सी.)	69.75	69.75
42.	2203.00.102.04-केन्द्रीय हिमालयी विश्वविद्यालय (सी.यू.एच.एस.), उत्कर्ष केन्द्रों एवं राष्ट्रीय मानवता उत्कर्ष केन्द्र के सृजन सहित बहु-अनुशासन अनुसंधान विश्वविद्यालयों की स्थापना	81.38	81.38
43.	2203.00.112.68-भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भा.प्रौ.सं.)/भारतीय प्रबंधन संस्थान (भा.प्र.सं.) की स्थापना	348.75	348.75
44.	2203.00.789.58-भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भा.प्रौ.सं.)/भारतीय प्रबंधन संस्थान (भा.प्र.सं.) की स्थापना	67.50	67.50
अनुदान सं. 64-विधि एवं न्याय			
45.	3602.04.891.01-न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं हेतु अनुदानें	60.00	60.00
अनुदान सं. 75-पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
46.	2802.80.102.01-घरेलू एल.पी.जी. तथा पी.डी.एस. मिट्टी के तेल पर आर्थिक सहायता	2930.00	2930.00

पूर्ण प्रावधान अव्ययित रहा (` 50 करोड़ तथा उससे अधिक)

(` करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग तथा उप-शीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	बचतें
47.	4802.02.190.17-इंडियन स्ट्रेटेजिक पैट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आई.एस.पी.आर.एल.)	2400.00	2400.00
अनुदान सं. 77-विद्युत मुत्रालय			
48.	2801.80.800.33-डी.आई.एस.सी.ओ.एम. की ऋण पुनर्संरचना हेतु वित्तीय सहायता	400.00	400.00
अनुदान सं. 84-ग्रामीण विकास विभाग			
49.	2515.00.800.23-ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुखसुविधाओं का प्रावधान (पी.यू.आर.ए.)	50.00	50.00
50.	2515.00.800.29-गांव उधमिता 'आरम्भ' कार्यक्रम	90.00	90.00
अनुदान सं. 90-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग			
51.	2225.01.789.10-हस्त सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास हेतु स्वयं रोजगार योजना	439.04	439.04
अनुदान सं. 95-वस्त्र मंत्रालय			
52.	2852.08.202.16-मूल्य समर्थन के अंतर्गत भारतीय कपास निगम से कपास का प्रापण	120.00	120.00
53.	2852.08.789.02-प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना	100.27	100.27
अनुदान सं. 96-पर्यटन मंत्रालय			
54.	3452.01.101.12-पर्यटन क्षेत्र	313.00	313.00
55.	3452.01.101.13-राष्ट्रीय तीर्थ स्थान सुंदरीकरण केन्द्र मिशन	62.00	62.00
अनुदान सं. 98-अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह			
56.	3225.60.101.01-उपग्रह प्रेषानुकरों को किराए पर लेना	150.00	150.00
अनुदान सं. 103-शहरी विकास विभाग			
57.	2217.05.191.12-100 स्मार्ट शहरों तथा जे.एन.एन.यू.आर.एम. के विकास हेतु मिशन के लिए एकल आम शीर्ष	58.00	58.00
58.	4217.02.800.01-राष्ट्रीय पूंजीगत क्षेत्रीय योजना बोर्ड निधि को अंशदान	80.00	80.00
59.	4217.60.190.10-लखनऊ मैट्रो	50.00	50.00
अनुदान सं. 106 -जल संसाधन मंत्रालय			
60.	2701.80.800.22-नदियों को आपस में जोड़ने हेतु वि.प.रि.	100.00	100.00
61.	3435.04.101.08-राष्ट्रीय गंगा योजना	1500.00	1500.00
62.	3435.04.101.09-नदी के सामने सुंदरीकरण हेतु घाट निर्माण कार्य	100.00	100.00

पूर्ण प्रावधान अव्ययित रहा (` 50 करोड़ तथा उससे अधिक)

(` करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग तथा उप-शीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	बचतें
63.	3601.02.101.52-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	920.00	920.00
64.	3602.03.478.03-सीमा क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन गतिविधियां तथा निर्माण कार्य	55.00	55.00
अनुदान सं. 108-युवा मामले एवं खेल मंत्रालय			
65.	2204.00.104.53-ज. एवं क. में खेल सुविधाओं की वृद्धि	200.00	200.00
66.	2204.00.104.54-राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज प्रणाली कार्यक्रम	50.00	50.00
		योग	**20565.40**

अनुबंध 3.13

(पैराग्राफ 3.16 के संदर्भ में)

उप-शीर्ष के अंतर्गत `100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(` करोड़ में)			
अनुदान सं. 1-कृषि एवं सहकारिता विभाग					
1.	2401.00.800.42-**खाद्यानों** एवं सब्जियों हेतु मूल्य स्थिरीकरण निधि	341.00	50.00	291.00	प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने एवं योजना की देरी से स्वीकृति के कारण।
2.	3601.02.446.01-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	9864.00	8363.88	1500.12	संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
3.	3601.02.460.02-बागवानी समेकित विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	1261.24	1118.77	142.47	प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण। योजना के कार्यान्वयन में अध्ययन तथा प्रगतिशील वृद्धि में विलम्ब के कारण।
4.	3601.02.789.12-फसल कृषि-वनस्पति फसलों की बागवानी	451.58	303.66	147.92	प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण। कार्य की धीमी गति तथा राज्य सरकार के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता।
अनुदान सं. 2-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग					
5.	2415.01.150.03-कृषि विशेषज्ञ नियुक्ति बोर्ड तथा कृषि सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय; बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रबंधन सहित आई.सी.ए.आर. मुख्यालय प्रशासन	530.30	284.11	246.19	रिक्त पदों को न भरने तथा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
6.	2415.01.150.07-कृषीय शिक्षा संस्थान, अनुसंधान तथा शिक्षा योजनाएं	554.13	423.39	130.74	संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत `100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(` करोड़ में)			
अनुदान सं. 4-परमाणु ऊर्जा					
7.	3401.00.004.07-टाटा स्मारक केन्द्र	525.00	391.00	134.00	कार्य की धीमी प्रगति के कारण पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के प्रति निधियों की कम आवश्यकता के कारण।
8.	4861.60.203.44-तीव्र प्रतिकारी ईंधन चक्र सुविधा (ती.प्र.ई.च.सु.)	490.00	189.98	300.02	एस.एस. शीट के प्रापण के स्थगन, व्यावसायिक सेवाओं तथा मोटर वाहनों के प्रति कम निधियों की आवश्यकता।
अनुदान सं. 5-नाभकीय विद्युत योजना					
9.	2801.03.800.04-कुडनकुलम में प्रतिवास विकास योजना	150.00	25.00	125.00	फील्ड स्तर पर कार्य की धीमी प्रगति के कारण
10.	4801.03.190.01-भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	181.00	72.50	108.50	संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
11.	6801.00.206.04-भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड को कर्जे	400.00	300.00	100.00	कर्जे एवं अग्रिमों के प्रति कम निधियों की आवश्यकता के कारण।
अनुदान सं. 7-उर्वरक विभाग					
12.	2401.00.105.14-स्वदेशी विनियंत्रित उर्वरकों की रियायती बिक्री हेतु भुगतान	13500.00	12000.00	1500.00	संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
13.	2401.00.105.15-आयतित विनियंत्रित उर्वरकों की रियायती बिक्री हेतु भुगतान	11170.30	8667.30	2503.00	संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती तथा कम उर्वरकों के आयात के कारण।
अनुदान सं. 9-नागरिक उड्डयन मंत्रालय					
14.	5053.01.190.01-एयर इंडिया लिमिटेड (पहले एन.ए.सी.आई.एल.)	6500.00	5780.00	720.00	संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती तथा विभिन्न परियोजनाओं की देरी से एवं अस्वीकृति के कारण।
अनुदान सं. 10-कोयला मंत्रालय					
15.	4803.00.800.01-कोयला उत्पादन क्षेत्रों का अधिग्रहण	1647.00	1048.83	598.17	कोयला उत्पादन क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत `100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(` करोड़ में)			
अनुदान सं. 11-वाणिज्य विभाग					
16.	3453.00.107.04-अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ब्याज आर्थिक सहायता	1625.00	1426.99	198.01	2014-15 हेतु ब्याज आर्थिक सहायता योजना की गैर-अधिसूचना के कारण संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती तथा मितव्ययी उपायों के कारण।
17.	3601.02.720.01-अवसंरचना एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियां	640.00	504.84	135.16	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
अनुदान सं. 14-दूरसंचार विभाग					
18.	2071.01.102.01-सामान्य पेंशन	989.11	792.45	196.66	कम दावों की प्राप्ति के कारण।
19.	3275.00.103.01-सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति	3159.00	2086.98	1072.02	संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
20.	3275.00.797.01-सार्वभौमिक सेवा बाध्यता विधि को अंतरण	3537.00	2086.98	1450.02	
21.	4859.01.190.13-आई.टी.आई. पुनरूद्वार (इक्विटी निवेश)	460.00	192.00	268.00	
22.	5275.00.800.03-रक्षा सेवाओं हेतु ओ.एफ.सी. आधारित नेटवर्क	2760.00	358.08	2401.92	ऑप्टिकल फाईबर केबल को डालने हेतु निविदा को विलम्ब से अंतिम रूप देने तथा मुकदमे के कारण इलेक्ट्रानिक संघटकों हेतु निविदा के विलम्ब के कारण।
अनुदान सं. 17-खादय् एवं लोक संवितरण विभाग					
23.	6860.04.190.06-खोई आधारित सह उत्पादन शक्ति परियोजना हेतु चीनी कारखाने	200.00	46.45	153.55	पर्यावरण प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट के गैर-प्रस्तुतीकरण, उपयुक्त दावों के गैर-प्रस्तुतीकरण तथा चीनी मिलों द्वारा विभिन्न स्वीकृतियों के कारण परियोजनाओं के गैर-कार्यान्वयन के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत `100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(` करोड़ में)			
अनुदान सं. 20-रक्षा मंत्रालय					
24.	4047.00.037.01-तटीय सुरक्षा संगठन	1550.00	1135.35	414.65	मितव्ययी उपायों के कारण।
अनुदान सं. 28-उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय					
25.	3601.02.101.14-उत्तर पूर्व तथा सिक्किम हेतु संसाधनों के गैर-व्यपगत पूल से केन्द्रीय सहायता	948.00	704.50	243.50	नई परियोजना को प्रारम्भ करने में विलम्ब तथा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
26.	3601.05.101.02-विशेष विकास परियोजना	582.00	437.99	144.01	व्यवहार्य प्रस्तावों की अप्राप्ति तथा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
अनुदान सं. 29-पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय					
27.	3601.02.269.01-निर्मल भारत अभियान	2345.64	1836.62	509.02	पिछले वर्ष के अव्ययित शेषों की उपलब्धता तथा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
28.	3601.02.789.19-जल निकासी एवं स्वच्छता-स्वच्छता सेवाएं	937.56	626.55	311.01	
29.	3601.02.789.20- जल आपूर्ति-ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	2344.82	2003.64	341.18	
30.	3601.02.796.19- जल निकासी एवं स्वच्छता- स्वच्छता सेवाएं	425.80	284.79	141.01	
अनुदान सं. 31-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय					
31.	3435.04.103.03-जल प्रदूषण से बचाव एवं नियंत्रण (उपकर)	250.00	129.14	120.86	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कम दावों की प्राप्ति तथा मितव्ययी उपायों के कारण। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (रा.प्र.नि.बो.) द्वारा उपकर संग्रहण के देरी से प्रेषण के कारण।
अनुदान सं. 32-विदेश मंत्रालय					
32.	3605.00.101.09-बांग्लादेश को सहायता	350.00	197.84	152.16	राजनीतिक कारणों के कारण अनुदान सहायता के प्रति कम निधियों की आवश्यकता के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत `100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(` करोड़ में)			
33.	3605.00.101.10-भूटान को सहायता	3065.99	2281.75	784.24	पूनात संचऊ-1 हेतु संशोधित लागत अनुमान के लिए संघ के मंत्रीमण्डल की अस्वीकृति, खोलंगच्छू जल विद्युत परियोजना तथा विद्युत खरीद करार के निविदा प्रक्रिया कार्य को अंतिम रूप न देने तथा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
34.	3605.00.101.11-नेपाल को सहायता	450.00	303.26	146.74	नेपाल सरकार द्वारा रेल लिंक परियोजना हेतु स्थल को सौंपने में देरी के कारण।
35.	3605.00.101.14-म्यांमार को सहायता	330.00	104.34	225.66	रीह टिडिम सड़कों, त्रिपार्श्व राजमार्ग के प्रति बिलों की अप्राप्ति, संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती तथा कलदान बहु-माडल ट्रांसिट परिवहन परियोजना के प्रति इन्वाईस की अप्राप्ति के कारण।
36.	3605.00.101.20-अफ्रीकी देशों को सहायता	350.00	142.86	207.14	संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
37.	7605.00.097.01-भूटान में चालू जल-विद्युत परियोजना हेतु कर्जे	3008.01	2113.42	894.59	
अनुदान सं. 33-आर्थिक कार्य विभाग					
38.	2075.00.797.01-प्रतिभूति विमोचन निधि	300.00	100.00	200.00	प्रतिभूति विमोचन निधि को अंतरण के प्रति कम निधियों की आवश्यकता के कारण।
39.	2235.60.797.02-असंगठित क्षेत्र संगठनों हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि	607.00	107.00	500.00	असंगठित क्षेत्र श्रमिकों हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि को अंतरण के प्रति कम निधियों की आवश्यकता के कारण।
40.	5475.00.800.12-अवसंरचना विकास हेतु सहायता-व्यवहार्यता अंतर निधीयन	670.00	365.00	305.00	संशोधित प्रक्षेपण के कारण कम निधियों की आवश्यकता के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत `100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(` करोड़ में)			
41.	7475.00.800.10-उधार हेतु नए करारों (एन.ए.बी.) के अंतर्गत आई.एम.एफ. को कर्जे	2972.08	2427.59	544.49	एन.ए.बी. के अंतर्गत आई.एम.एफ. को कर्जे प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण।
अनुदान सं. 34-वित्तीय सेवाएं विभाग					
42.	5465.01.190.33-लोक क्षेत्र बैंकों का पुनर्पूंजीकरण	11200.00	6990.00	4210.00	प्रत्याशित स्तर पर जोखिम परिसम्पत्ति अनुपात हेतु एक टियर-1 पूंजी का अनुरक्षण करने हेतु लोक क्षेत्र बैंकों को कम पूंजीगत सहायता प्रदान करने के कारण।
43.	5465.01.797.01-राष्ट्रीय निवेश निधि	11200.00	1253.30	9946.70	अपर्याप्त विनिवेश प्राप्तियों के कारण राष्ट्रीय निवेश निधि के माध्यम से लोक क्षेत्र बैंकों को कम पूंजीगत सहायता की आवश्यकता के कारण।
अनुदान सं. 35-विनियोग-ब्याज भुगतान					
44.	2049.01.115-अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज	800.00	433.57	366.43	अर्थोपाय अग्रिम के कम उपयोग तथ सरकारी खाते में आधिक्य नकद की उपलब्धता के कारण ओवरड्राफ्ट के कारण।
45.	2049.01.116-14 दिवसीय खजाना बिल	7250.00	3671.44	3578.56	राज्य सरकारों द्वारा कम निवेश के कारण
46.	2049.01.128-नकद प्रबंधन बिल	1500.00	93.57	1406.43	नकद प्रबंधन बिल के कम प्रचालन के कारण।
47.	2049.05.105.10-ऋण सेवा निधि पर ब्याज	352.19	9.84	342.30	निधि के कम उपचय के कारण।
अनुदान सं. 36-राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण					
48.	2245.80.103.02- *राज्य को गम्भीर प्रकृति की आपदाओं हेतु एनडीआरएफ से सहायता*	5050.00	3460.88	1589.12	कम आपदा होने के कारण

उप-शीर्ष के अंतर्गत `100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(` करोड़ में)			
49.	2245.80.797.02-*राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि को अंतरण*	5050.00	3460.88	1589.12	कम आपदाएं होने के कारण व्यय के बराबर राशि का आरक्षित निधि को अंतरण किया गया था।
50.	3601.01.104.18- *अभिशासन हेतु सहायता अनुदान* (*प्रभारित*)	4141.52	2784.63	1356.89	कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण।
51.	3601.04.104.19- *प्राथमिक शिक्षा अनुदान हेतु सहायता अनुदान*	5708.00	4648.00	1060.00	कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण।
52.	3601.02.101.01-सामान्य केन्द्रीय सहायता	28514.00	25470.34	3043.66	कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षित एवं प्रत्याशित व्यय विवरणियों के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण।
53.	3601.02.101.06-बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3500.00	3039.32	460.68	कार्यालय सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
54.	3601.02.101.07-अन्य परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	1261.00	507.86	753.14	कुछ राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति के कारण।
55.	3602.02.101.08-विशेष केन्द्रीय सहायता	11000.00	9671.00	1329.00	नीति आयोग द्वारा सभी योग्य विशेष श्रेणी के राज्यों को निधियों के गैर-आबंटन के कारण।
56.	3601.02.101.35-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (पि.क्षे.अ.नि.)	5050.00	3029.23	2010.77	उपयोग प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति तथा नीति आयोग द्वारा सिफारिश न किए जाने के कारण।
57.	3601.02.101.48- एल.डब्ल्यू.ई. प्रभावित जिलों हेतु एसीए	2640.00	1760.00	880.00	योजना की गई गतिविधियों के गैर-निष्पादन के कारण।
अनुदान सं. 38- विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान					
58.	6001.00.105.02-अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि (अं.वि.नि.)	2514.98	635.13	1879.85	प्रतिभूतियों के कम पुनर्भुगतान के कारण

उप-शीर्ष के अंतर्गत `100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(` करोड़ में)			
59.	6001.00.106.30-8% बचत बंधपत्र, 2003 (गैर करयोग्य)	1143.69	594.29	549.40	धारकों द्वारा विमोचन हतु प्रस्तावित कम दावों तथा बंधपत्र धारकों से कम दावों की प्राप्ति के कारण।
60.	6001.00.114-अर्थोपाय अग्रिम	500000.00	316116.00	183884.00	अर्थोपाय अग्रिमों के कम उपयोग तथा भा.स. के नगद शेष में आधिक्य के कारण ओवरड्राफ्ट के कारण।
61.	6001.00.127-नकद प्रबंधन बिल	100000.00	10000.00	90000.00	आधिक्य नगद शेष की उपलब्धता के कारण कम प्रचालन के कारण
62.	6002.00.208- फ्रांस सरकार से कर्जे	379.86	239.17	140.69	पुनर्भुगतान के गैर-कार्यान्वयन के कारण
63.	6002.00.217- जापान सरकार से कर्जे	4262.12	3717.80	544.32	पुनर्भुगतान अनुसूची के संशोधन के कारण
64.	6002.00.226- अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण, सं.रा.अ. से कर्जे	933.31	132.40	800.91	पुनर्भुगतान के गैर-कार्यान्वयन के कारण
अनुदान सं. 40- पेंशन					
65.	2071.01.102.01- सामान्य पेंशन	1961.80	1523.90	437.90	कम स्क्रोलों/दावों की प्राप्ति के कारण
66.	2071.01.115.01- सामान्य पेंशन	1620.00	1389.14	230.86	कम स्क्रोलों/दावों की प्राप्ति के कारण
अनुदान सं. 43-प्रत्यक्ष कर					
67.	4059.01.202- तैयार निर्मित आवास व अधिग्रहण	700.01	42.38	657.63	विभिन्न परियोजनाओं के स्थगन,केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजनाओं के समापन की धीमी गति, सम्पत्तियों की खरीद/निर्माण हेतु कुछ प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने तथा मितव्ययी उपायों के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत `100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(` करोड़ में)			
अनुदान सं. 44- अप्रत्यक्ष कर					
68.	2037.00.101.01-समुद्र सीमा शुल्क - मुख्य पत्तन	483.02	366.25	116.77	रिक्त पदों को न भरने, कम चिकित्सा दावों की प्राप्ति, कुछ पुरस्कार मामले, किराया, दरों का गैर-संशोधन तथा मितव्ययी उपायों के कारण।
69.	2038.00.101.01-आयुक्तालय	2943.51	2495.08	448.43	रिक्त पदों को न भरने, सेवा प्रदाताओं द्वारा लक्ष्य को पूरा न करने, किराए के गैर-संशोधन, कम घरेलू यात्राएं, कम चिकित्सा दावों की प्राप्ति तथा किराए पर ली गई कार्यालय बिल्डिंग के संबंध में किराया संशोधन के प्रस्ताव को अंतिम रूप न देने के कारण।
70.	4047.00.037-बचाव एवं अन्य कार्य	132.72	18.29	114.43	आपूर्तिकर्ताओं से जलयान आपूर्तिमापदण्डों के संबंध में स्पष्टीकरण की अप्राप्ति, विभिन्न अभिकरणों से स्वीकृतियों की अप्राप्ति के कारण विलंबित निविदा प्रक्रिया तथा संस्थापन कार्य हेतु समय सारणी के संशोधन के कारण।
अनुदान सं. 47-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग					
71.	2210.05.105.26-कैंसर अनुसंधान	172.00	70.43	101.57	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (चि.रा.कैं.सं.), कोलकाता के दूसरे परिसर की स्थापना में धीमी प्रगति, मीडिया के माध्यम से तम्बाकू प्रतिरोधी अभियान के प्रति कम निधियों की आवश्यकता तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु प्रस्तावों की अस्वीकृति के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत `100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(` करोड़ में)			
72.	2210.06.001.09-संक्रामक रोगों हेतु फ्लैक्सी पूल	1661.49	1128.47	533.02	आपूर्तियों के प्रापण हेतु कम निधि की आवश्यकता के कारण
73.	3601.02.226.01-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा हेतु मानव संसाधन	768.48	196.50	571.98	कम प्रस्तावों की प्राप्ति एवं संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती तथा उपयोग प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति के कारण।
74.	3601.02.263.03-राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयरोग एवं स्ट्रोक बचाव तथा नियंत्रण कार्यक्रम	415.20	258.73	156.47	संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कटौती तथा कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
75.	3601.02.789.28-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान विषमचिकित्सा	214.30	25.97	188.33	संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कटौती तथा उपयोग प्रमाण पत्रों की कम प्राप्ति के कारण
76.	3601.02.789.29-लोक स्वास्थ्य - रोगों से बचाव एवं नियंत्रण (स्वास्थ्य)	180.22	71.71	108.51	संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कटौती, प्रस्तावों तथा उपयोग प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति के कारण।
77.	3601.02.789.34-परिवार कल्याण - प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य	2541.20	1892.67	648.53	संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कटौती, प्रस्तावों तथा उपयोग प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति के कारण।
78.	3606.00.237.05-राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम तथा पोलियो विकिरण के सुदृढ़ीकरण हेतु सामग्री सहायता	718.10	153.80	564.30	कम प्रापण के कारण
79.	4210.03.105.12-एम्स प्रकार के अति-विशिष्ट अस्पताल सह शिक्षण संस्थान की स्थापना तथा राज्य सरकारी अस्पतालों का सुधार	844.00	247.50	596.50	पूंजीगत निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति तथा वाहनों एवं उपकरणों के प्रापण में धीमी गति के कारण
80.	4210.03.105.18-नए एम्स की स्थापना	390.00	10.00	380.00	पूंजीगत निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति तथा वाहनों एवं उपकरणों के प्रापण में धीमी गति के कारण

उप-शीर्ष के अंतर्गत `100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(` करोड़ में)			
अनुदान सं. 50- एड्स नियंत्रण विभाग					
81.	2210.06.101.33-राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	699.00	348.95	350.05	संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती तथा कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
अनुदान सं. 51- भारी उद्योग विभाग					
82.	2852.80.003.12-राष्ट्रीय आटोमेटिव जांच तथा अ. एवं वि. अवसंरचना परियोजना	426.94	241.91	185.03	31.12.2014 को परियोजना अवधि की समाप्ति के कारण
अनुदान सं. 53-गृह मंत्रालय					
83.	3454.02.800.08-राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका (रा.ज.पं.)	584.03	335.96	248.07	चार राज्य सरकारों हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका योजना को अंतिम रूप न देने के कारण।
अनुदान सं. 55-पुलिस					
84.	3601.04.117.01-राष्ट्रीय पुलिस एवं अन्य बलों के आधुनिकीकरण की योजना	1597.00	1423.57	173.43	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति, विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम से संबंधित योजना की गैर स्वीकृति तथा विद्यालयों के नए स्थान के कारण।
85.	4055.00.201.01-कार्यालय भवन	651.90	386.28	265.62	कुछ क्षेत्रों में कार्य की धीमी प्रगति तथा ठेकेदारों द्वारा बिलों के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण
86.	4055.00.203.01-महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल	1204.79	975.98	228.81	रशियन हैलीकाप्टर की खरीद हेतु कम निधियों की आवश्यकता, मशीनरी एवं उपकरण की खरीद हेतु प्रस्तावों की अस्वीकृति तथा कुछ क्षेत्रों में कार्य की धीमी प्रगति के कारण।
87.	4055.00.203.02-भारत तिब्बत सीमा पुलिस	481.34	345.01	136.33	मशीनरी एवं उपकरण की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप न देने तथा ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत कम दावों के कारण
88.	4055.00.206.03-सामान्य	126.95	25.60	101.35	प्रापण के प्रति प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत `100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(` करोड़ में)			
89.	4055.00.210.01-राष्ट्रीय पुलिस अकादमी	125.00	22.30	102.70	प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, कार्य की धीमी प्रगति तथा ठेकेदारों द्वारा बिलों के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण।
90.	4055.00.210.09-केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान	206.48	7.43	199.05	प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने के कारण।
91.	4055.00.212.08-दिल्ली पुलिस निर्माण कार्यक्रम	337.28	172.02	165.26	कार्यकारी अभिकरणों द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण
92.	4055.00.214.01-भारत-बांग्लादेश सीमा निर्माण कार्य	958.00	569.24	388.76	भूमि के गैर-अधिग्रहण, लोक विरोध विद्रोही गतिविधियों के कारण कार्य की धीमी प्रगति तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण
93.	4055.00.214.02-भारत-पाक सीमा निर्माण कार्य	300.00	145.86	154.14	भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध किसानों के आन्दोलन तथा सीमा क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण
94.	4055.00.214.03-भारत-चीन सीमा	367.00	153.03	213.97	अधिक ऊंचाई तथा प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण
95.	4055.00.214.05-भारत-नेपाल सीमा निर्माण कार्य	500.00	0.50	499.50	राज्य सरकारों द्वारा अवसंरचना सुविधाओं के सृजन हेतु भूमि अधिग्रहण के प्रति प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण
96.	4055.00.214.07-समेकित जांच पोस्टों की स्थापना	145.00	33.10	111.90	भूमि अधिग्रहण के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण
97.	4055.00.215.03-तटीय सुरक्षा हेतु राज्यों/सं.शा.क्षे. को सहायता	150.00	37.14	112.86	प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा उपयोग प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति के कारण।
अनुदान सं. 56- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय					
98.	3601.01.343.06-जम्मू एवं कश्मीर राहत एवं पुनर्वास	660	160.00	500.00	कश्मीरी प्रवासीयों के पुनर्वास की योजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण

उप-शीर्ष के अंतर्गत `100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(` करोड़ में)			
99.	4250.00.108.08-राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल	247.54	33.49	214.05	व्यय वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव की अस्वीकृति तथा सशस्त्र सीमा बल से नई बटालियन गैर-अधिष्ठापन के कारण
अनुदान सं. 58-आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय					
100.	2216.02.190.15-राजीव ऋण योजना (रा.ऋ.यो.)	629.19	0.22	628.97	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग की प्राप्ति,योजना के रिवैम्प/शामिल होने के कारण
101.	3601.04.169.01-जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना (ज.ला.ने.रा.न.मि.)	963.99	439.29	524.70	नई परियोजनाओं की अस्वीकृति के कारण
102.	3601.04.170.01-राजीव आवास योजना (रा.आ.यो.)	2070.00	1092.96	977.04	
103.	3601.04.435.05-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (रा.श.आ.मि.)	793.00	677.34	115.66	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग की प्राप्ति, उपयोग प्रमाणपत्रों तथा लेखापरीक्षित वार्षिक विवरणियों की अप्राप्ति के कारण
अनुदान सं. 59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मिशन					
104.	3601.02.165.01-मदरसा/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना	337.49	119.28	218.21	सम्भावित प्रस्तावों की कम संख्या की प्राप्ति तथा संशोधित अनुमान स्तर पर की गई कटौती के कारण
105.	3601.02.180.06-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रा.मा.शि.अ.)	3080.71	2354.74	725.97	
106.	3601.02.187.01-राज्यों को सहायता	8113.75	7150.59	963.16	
107.	3601.02.789.05- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	879.49	635.62	243.87	संशोधित अनुमान स्तर पर की गई कटौती के कारण
108.	3601.02.789.57-प्रारम्भिक शिक्षा विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	2402.70	2027.02	375.68	

उप-शीर्ष के अंतर्गत `100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(` करोड़ में)			
109.	3601.02.797.03-प्रारम्भिक शिक्षा कोष को अंतरण हेतु निधियां	27575.00	22319.19	5255.81	शिक्षा उपकर के कम संग्रहण के कारण संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण। प्रा.शि.को. द्वारा वित्तपोषित योजना अर्थात स.शि.अ. तथा म.भो.यो. में व्यय की प्रवृत्ति निम्न थी। इसलिए राशि को संशोधित अनुमान स्तर पर कम किया गया था।
अनुदान सं. 60-उच्चतर शिक्षा विभाग					
110.	2202.03.102.14-राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (रा.उ.शि.अ.)	140.74	6.77	133.97	व्यवहार्य प्रस्तावों की कम संख्या की प्राप्ति, संशोधित अनुमान स्तर पर की गई कटौती तथा मितव्ययी उपायों के कारण।
111.	2202.03.789.03-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय	543.89	443.39	100.50	व्यवहार्य प्रस्तावों की कम संख्या की प्राप्ति तथा मितव्ययी उपायों के कारण
112.	2202.03.800.19-ब्याज आर्थिक सहायता तथा गारंटी निधि हेतु अंशदान	1612.77	1225.27	387.50	कम दावों की प्राप्ति के कारण
113.	3601.04.189.02- सामान्य (सामान्य शिक्षा)- अन्य अनुदानें	1196.27	312.46	883.81	व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा संशोधित अनुमान स्तर पर की गई कटौती के कारण।
114.	3601.04.789.43- सामान्य (सामान्य शिक्षा)- अन्य अनुदानें	231.54	60.57	170.97	व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा संशोधित अनुमान स्तर पर की गई कटौती के कारण।
अनुदान सं. 62-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय					
115.	2230.01.111.05-असंगठित क्षेत्र कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना 2004	110.00	5.28	104.72	संपूर्ण तरीके में सामाजिक कार्ड के निर्गत की योजनाओं की शुरूआत नहीं होने के कारण तथा योजना के परिवर्तन को स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रस्तावित किया गया।

उप-शीर्ष के अंतर्गत `100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(` करोड़ में)			
116.	3601.04.326.02-आर.एस.बी.वाई. सहित असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा	828.29	412.52	415.77	उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्राप्ति नहीं होने के कारण।
117.	3601.04.789.47-श्रम-असंगठित कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा	259.86	85.72	174.14	उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्राप्ति नहीं होने के कारण।
अनुदान सं. 66-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय					
118.	2851.00.102.77-अवसंरचना विकास तथा क्षमता निर्माण (पूर्व में एम.एस.एम.ई. समूह विकास कार्यक्रम तथा एम.एस.एम.ई. विकास पोल)	260.00	106.29	153.71	कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
119.	2851.00.105.14-भारत नवोन्मेष, उद्यमिता तथा कृषि-उद्योग निधि	123.29	5.00	118.29	योजना के निर्माण में विलंब के कारण।
अनुदान सं. 68- अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय					
120.	3601.02.378.01-अल्पसंख्यकों के बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)	1094.00	766.44	327.56	संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर कटौती लागू होने के कारण
अनुदान सं. 69- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय					
121.	2810.00.101.01-नवीन एवं नवीकरणीय ग्रिड पारस्परिक नवीकरणीय विद्युत	1454.00	1082.49	371.51	संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधान में कमी होने से तकनीकी अभ्यर्पण के कारण
अनुदान सं. 71- पंचायती राज मंत्रालय					
122.	3601.02.471.01- पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदानें	3233.20	1767.37	1465.83	पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता तथा संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधान की कमी के कारण
123.	3601.02.471.02-राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	635.80	358.41	277.39	
124.	3601.02.789.01- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पंचायती	955.80	412.83	542.97	
125.	3601.02.796.01- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पंचायती	1121.00	656.80	464.20	

उप-शीर्ष के अंतर्गत `100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(` करोड़ में)			
अनुदान सं. 76-योजना मंत्रालय					
126.	3454.02.206.01-भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	1437.14	1104.61	332.53	कम सलाहकारों को किराये पर लेने, सम्मेलनों/सेमिनारों की बैठक नहीं होने, विज्ञापन और प्रचार के लिए कम निधि की आवश्यकता तथा घरेलू/विदेशी यात्रा के कारण।
127.	3475.00.800.83- लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पूर्व में नाम-योजना लेखांकन एवं लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली)	199.57	64.17	135.40	संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधान की कटौती, श्रमशक्ति के आऊटसोर्सिंग के लिए प्रस्तावों के अनुमोदन में विलंब तथा राज्य परियोजना मॉनिटरिंग स्थापना के कारण
128.	5475.00.800.17- लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पूर्व में नाम-योजना लेखांकन एवं लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली)	170.00	0.32	169.68	कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा मशीनरी एवं उपकरण के प्रापण के लिए प्रस्ताव के गैर-भौतिकीकरण के कारण संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधान में कटौती के कारण
अनुदान सं. 77 -विद्युत मंत्रालय					
129.	2801.06.102.03-ग्रामीण विद्युतीकरण निगम - राजीव गांधी ग्रामीण विद्यतीकरण योजना के लिए	4140.10	2413.97	1726.13	संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधान में कटौती के कारण।
130.	2801.06.789.01-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण (आर.जी.जी.वी.वाई.)	710.00	460.44	249.56	
131.	2801.80.004.02-केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	295.53	79.82	215.71	योजना के देर से अनुमोदन के कारण।
132.	2801.80.800.15-ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	137.55	9.00	128.55	सलाहकारों के चयन प्रक्रिया के पूरे नहीं होने के कारण प्रस्तावित योजना के अंतिम रूप नहीं दिऐ जाने के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत `100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(` करोड़ में)			
133.	2801.80.800.26-त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम (APDRP)	144.50	16.78	127.72	संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
134.	4801.02.190.02-भारतीय राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम	915.00	73.74	841.26	भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण खानों के गैर आबंटन के कारण।
135.	6801.00.190.04-विद्युत वित्त निगम	873.59	490.81	382.78	संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
अनुदान सं. 83 - सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय					
136.	3054.02.337.06- एन.एच. से भिन्न सड़क अनुरक्षण	567.99	451.20	116.79	संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधान के कटौती तथा जम्मू एवं कश्मीर में बाढ़ के पश्चात दुर्गम मौसम स्थितियों के कारण।
137.	3601.02.105.01- राज्य सड़क हेतु अनुदानें	2607.06	2064.75	542.31	कम उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्राप्ति के कारण।
138.	3601.02.105.02- आर्थिक महत्व के अंतर-राज्य की सड़कें	292.63	93.11	199.52	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
139.	5054.01.101.02- राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि से वित्तपोषित कार्य	150.00	37.99	112.01	विभिन्न राज्य सरकारों से नये पुलों के निर्माण के लिए कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
140.	5054.01.337.01- सड़क विंग के अंतर्गत कार्य	2412.56	1713.31	699.25	संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधान में कटौती, निविदा प्रापण के अंतिम रूप न दिया जाना तथा कार्य की धीमी प्रगति के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत `100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(` करोड़ में)			
141.	5054.02.337.03- बी.आर.डी.बी. के अंतर्गत कार्य	2392.09	2066.06	326.03	खराब मौसम स्थिति के कारण कार्य की धीमी प्रगति, पहाड़ी इलाकों में कठिन सड़क भूभाग तथा संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधानों की कटौती के कारण।
अनुदान सं. 84- ग्रामीण विकास विभाग					
142.	2501.06.102.01- आजीविका - कार्यक्रम घटक	175.26	56.61	118.65	ग्रामीण स्वतः रोजगार प्रशिक्षण संस्थान से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होना, राष्ट्र ग्रामीण आजीविका मिशन, राज्य सरकारों, आई.टी. आधारित निगरानी प्रणाली का प्रापण न होना एवं संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
143.	2501.06.102.05- महिला स्वतः सहायता समूह की ब्याज अनुदान	567.60	397.96	169.64	संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
144.	2505.02.797.01- राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को हस्तांतरण	636.00	513.31	122.69	निधियों के कम हस्तांतरण से कार्यान्वयन अभिकरणों को कम निधि के निर्गम के कारण।
145.	2515.00.800.26- बी.पी.एल. सर्वेक्षण	519.30	332.34	186.96	संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधान के कटौती के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत `100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(` करोड़ में)			
146.	3601.02.416.01- इंदिरा आवास योजना - कार्यक्रम घटक	5829.96	4475.69	1354.27	राज्य सरकारों के पास पिछले वर्ष की अव्ययित शेष की उपलब्धता एवं संशोधित अनुमानित खर्च पर प्रावधान की कटौती के कारण।
147.	3601.02.417.01- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	9483.47	7035.27	2448.20	संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर बजट प्रावधान की कटौती के कारण।
148.	3601.02.418.01- आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	511.41	114.32	397.09	
149.	3601.02.418.02- आजीविका - ई.ए.पी. घटक	590.00	416.00	174.00	
150.	3601.02.789.16- ग्रामीण आवास - इंदिरा आवास योजना	5325.02	3431.17	1893.85	
151.	3601.02.789.17- स्वतः रोजगार कार्यक्रम - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	296.62	66.30	230.32	कम प्रस्तावों की प्राप्ति, राज्य सरकारों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेषों की उपलब्धता तथा संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
152.	3601.02.796.17- स्वतः रोजगार कार्यक्रम - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	214.79	48.01	166.78	
अनुदान सं. 85- भू-संसाधन विभाग					
153.	3601.02.661.01- एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम	2296.50	1704.84	591.66	राज्य सरकारों से प्रस्तावों की कम संख्या में प्राप्ति तथा संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
154.	3601.02.789.21- एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम	567.00	375.85	191.15	
अनुदान सं. 86- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग					
155.	3425.60.200.66- तकनीकी अनुसंधान केन्द्र	118.75	1.00	117.75	संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर तथा आर्थिक उपायों में कटौती लागू करने के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत `100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(` करोड़ में)			
अनुदान सं. 87- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग					
156.	3425.60.151.02- राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ	2485.50	2203.63	281.87	संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर कटौती लागू करने के कारण।
अनुदान सं. 89- पोत परिवहन मंत्रालय					
157.	5051.01.104.07- अन्य व्यय	173.00	54.44	118.56	निकर्षण प्रस्तावों का अनुमोदन नहीं होने के कारण।
अनुदान सं. 90- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय					
158.	2225.01.789.22- एस.सी. के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृति	171.00	15.08	155.92	छात्रवृति के लिए पर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति नहीं होने तथा प्रशासनिक व्यय के लिए कम निधि की आवश्यकता के कारण।
159.	3601.03.789.08- अनुसूचित जनजातियों के कल्याण - आर्थिक विभाग	1036.80	700.00	336.80	कुछ राज्य सरकारों के पास अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण।
अनुदान सं. 92- अंतरीक्ष विभाग					
160.	5402.00.101.01- विक्रम साराभाई अंतरीक्ष केंद्र (वी.एस.एस.सी.)	367.41	241.75	125.66	सामाग्री के प्रापण के स्थगन तथा संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
161.	5402.00.101.20- ध्रुवीय उपग्रह लाँच व्हिकील कंटीन्यूएशन	374.20	61.25	312.95	डी.एम.सी. - 3 तथा टोलिओस -I उपग्रहों को लौंच करने के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत `100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(` करोड़ में)			
अनुदान सं. 93- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय					
162.	2553.00.101.01- अनुदान सहायता	3950.00	3350.00	600.00	कर्नाटक में चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने तथा जिला प्राधिकरण द्वारा समय से उपयोगिता/लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को प्रस्तुत नहीं होने के कारण।
अनुदान सं. 95- कपड़ा मंत्रालय					
163.	2851.00.800.50- पाँच वृहत समूह की स्थापना - (i) बरेली में जरी, (ii) लखनऊ में चिकन, (iii) कच्छ में कढ़ाई, (iv) सूरत में विद्युत करघा समूह तथा (v) त्रिपुरा में हथकरघा समूह	190.00	27.12	162.88	परियोजनाओं को अंति रूप दिये जाने में विलंब के कारण।
164.	2852.08.202.13 - आधुनिकीकरण तथा तकनीकी उन्नयन (टी.यू.एफ.एस.)	2199.73	1883.10	316.63	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम दावों की प्राप्ति के कारण।
165.	2852.08.202.27- एकीकृत कपड़ा पार्क	222.99	78.26	144.73	कार्यान्वयन अभिकरणों से व्यवहार्य प्रस्तावों के कम प्राप्ति तथा कपड़ा पार्क की अवसंरचना पूर्ण न होने के कारण।
अनुदान सं. 96- पर्यटन मंत्रालय					
166.	3452.80.104.01- प्रत्यक्ष व्यय	446.20	279.79	166.41	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय से कम बिलों की प्राप्ति तथा संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर कटौती लागू करने के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत `100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(` करोड़ में)			
अनुदान सं. 97- जनजातीय मंत्रालय					
167.	*3601.02.796.02-* अनुसूचित जानजातियों का कल्याण - संविधान के अनुच्छेद *275(1)* के प्रावधानों के अंतर्गत अनुदानें *(*प्रभारित*)*	*2492.00*	*2171.99*	*320.01*	कुछ राज्य सरकारों से पूर्ण/पर्याप्त प्रस्ताव की प्राप्ति नहीं होने तथा संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर कटौती लागू करने के कारण।
168.	*3601.03.796.08-* अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा *(*प्रभारित*)*	*589.60*	*375.59*	*214.01*	कुछ राज्य सरकारों से पूर्ण/पर्याप्त प्रस्तावों/उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्राप्ति नहीं होने तथा संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर कटौती लागू करने के कारण।
अनुदान सं. 103- शहरी विकास विभाग					
169.	2217.05.191.14- राष्ट्रीय विरासत शहर कार्यक्रम	200.00	0.87	199.13	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांगों की प्राप्ति के कारण।
170.	3601.04.315.02- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन	6496.27	997.95	5498.32	
171.	3601.04.318.01- पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास परियोजना (एन.ई.आर.यू.डी.पी.)	252.90	150.99	101.91	
172.	3602.04.315.01- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन	420.50	7.77	412.73	
173.	4216.01.106.03- शहरी विकास निर्माण	609.00	499.89	109.11	जारी कार्यों के धीमी प्रगति तथा मितव्ययी उपाय के कारण।
174.	4217.60.190.08- अन्य मेट्रो परियोजना	1462.27	338.99	1123.28	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्राप्ति के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत `100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(` करोड़ में)			
175.	6217.60.191.17- अन्य मेट्रो परियोजना को पास थ्रो सहायता	1778.48	1141.85	636.63	
176.	6217.60.191.18- अधीनस्थ कर्ज ब्याज मुक्त ऋण	1360.00	888.02	471.98	
अनुदान सं. 104- लोक कार्य					
177.	4059.01.051.01- भवन	323.63	150.20	173.43	जारी कार्य की धीमी प्रगति तथा ग्राहक विभाग से व्यय स्वीकृति की गैर-प्राप्ति के कारण।
106 - जल संसाधन मंत्रालय					
178.	2701.80.800.11- जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	173.62	56.64	116.98	स्थल के उन्नयन के लिए कम प्रस्ताव की प्राप्ति, जल उपलब्धता के पुनर्मूल्यांकन के लिए अध्ययन का आयोजना के लिए विलंब से स्वीकृति एवं संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधानों की कटौती के कारण।
179.	2702.02.005.16- भूमिगत जल प्रबंधन एवं विनियमन	350.00	138.22	211.78	सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रक्रिया की अपूर्णता, मशीनरी के खरीद के लिए प्रापण प्रक्रिया का गैर-भौतिकीकरण तथा खोजी कुओं के कम निर्माण के कारण।
180.	3435.04.101.06- राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम	530.01	267.46	262.55	कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
181.	3435.04.800.01- विद्यमान बजट से एक एन.सी.टी. के लिए जल परियोजना	500.01	320.00	180.01	वित्त मंत्रालय से स्वीकृति/सहमति के गैर-प्राप्ति के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत `100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(` करोड़ में)			
182.	3601.02.101.50- महाराष्ट्र की बोडवाड़ परिसर सिंजन योजना परियोजना	200.00	66.66	133.34	संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधानों की गैर-प्राप्ति तथा राज्य सरकारों से प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण।
183.	3601.02.101.51- त्वरित सिंचाई लाभ एवं बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	7568.64	3201.07	4367.57	
184.	3601.02.796.26- मध्यम सिंचाई - त्वरित सिंचाई लाभ एवं बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	160.58	59.97	100.61	संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधानों की कटौती के कारण।
अनुदान सं. 107- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय					
185.	2235.02.102.18- एकीकृत बाल विकास सेवाएं	213.00	54.15	158.85	रिक्त पदों को न भरने, तकनीकी एजेंसियों से दावों की प्राप्ति न होने तथा चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र प्रशासन तथा योजना पुनरीक्षण अधीन होने के कारण।
186.	3601.02.356.09- आई.जी.एम.एस.वाई. को शामिल करते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन	437.68	278.19	159.49	सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित अनुमान की अस्वीकृति तथा गैर-मूल्यांकन के कारण।
डाक सेवाएं **अनुदान सं. 13- डाक विभाग**					
187.	3201.02.102.01- डाक छँटाई	1253.90	1105.31	148.59	बचतें समय से मामलों के निस्तारण न होने, योजना निधि में कटौती तथा
188.	3201.07.102.01- पेंशन का परिवर्तित मूल्य	442.60	325.53	117.07	

उप-शीर्ष के अंतर्गत `100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(` करोड़ में)			
189.	5201.00.104.62- मशीनरी उपकरण	274.40	13.77	260.63	सेवानिवृति की अधिक संख्या के कारण थी। यह भी कहा गया कि चालू व्यय की समीक्षा की गई तथा निधि के लिए परियोजना वास्तविक मांग के संदर्भ में निर्देश जारी किए गए थे।
रक्षा सेवाएं अनुदान सं. 22 - रक्षा सेवाएं - थल सेना					
190.	*2076.00.101 - थल सेना के भुगतान एवं भत्ते*	*349.00*	*237.15*	*111.85*	*धनपालन मामले में संवितरण कटौती के कारण।*
191.	2076.00.800 - अन्य व्यय	2480.68	2021.80	458.88	अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए मुक्त संशाधनों के व्यय की कटौती के कारण।
अनुदान सं. 23 - रक्षा सेवाएं - नौसेना					
192.	2077.00.110 - भण्डार	4928.70	4151.44	777.26	पेट्रोल, तेल एवं लुब्रीकेन्टस के मूल्य में कटौती के कारण।
अनुदान सं. 24 - रक्षा सेवाएं - वायु सेना					
193.	2078.00.800- अन्य व्यय	562.10	454.65	107.45	कुछ नमूना प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण।
अनुदान सं. 25 - रक्षा आयुध कारखाना					
194.	2079.00.110- भण्डार	6606.74	5686.27	920.47	'आपूर्ति से सेवाएं' के लक्ष्य में कटौती के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत `100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(` करोड़ में)			
195.	2079.00.800- अन्य व्यय	1273.79	910.51	363.28	125 एम.एम.एफ.एस.ए.पी.डी.एस. के तकनीकी अंतरण के लिए अग्रिम भुगतान के लिए भुगतान सूचि में परिवर्तन के कारण।
अनुदान सं. 26 - रक्षा सेवाएं अनुसंधान एवं विकास					
196.	004- अनुसंधान/अनुसंधान विकास	895.35	732.85	162.50	महानिदेशक वैमानिकी विकास एजेंसी एवं अन्य अनुसंधान एवं विकास बोर्ड द्वारा मांग में कटौती के कारण।
अनुदान सं. 27 - रक्षा सेवाएं पर पूंजीगत परिव्यय **01- थल सेना**					
197.	4076.01.050 - भूमि	281.00	178.39	102.61	यथा प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण मामलों के गैर-फलन के कारण।
198.	4076.01.102 - भारी एवं मध्यम वाहन	2692.16	1306.66	1385.50	महानिदेशक आयुध कारखाना द्वारा कम उपयोग तथा नई योजनाओं के गैर-फलन के कारण।
199.	4076.01.103 - अन्य उपकरण	15591.93	9772.72	5819.21	नई योजनाओं के गैर फलन, महानिदेशक आयुध कारखाना द्वरा कम उपयोग तथा प्रतिबद्ध दायित्व मामलों में फिसलन के कारण।
200.	4076.01.202 - निर्माण कार्य	5259.78	4507.78	752.00	विवाह आवास परियोजना के अधीन ठेकों के निरस्तीकरण तथा थल सेना वृहद परियोजना/अन्य परियोजना के कम खर्च के कारण

उप-शीर्ष के अंतर्गत `100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(` करोड़ में)			
02- नौसेना					
201.	4076.02.103 - अन्य उपकरण	4358.10	3654.17	703.93	आर.ई. स्तर पर लागू कटौती तथा निश्चित उपकरण के वितरण कार्यक्रम में विलंब की दृष्टि से प्रतिबद्ध देयताओं में आवश्यक कटौती के कारण।
202.	4076.02.104- संयुक्त स्टाफ	1028.87	643.95	384.92	आर.ई. स्तर पर लागू कटौती, योजना, परियोजना, ए.एम.सी. की दिव्य दृष्टि एवं एस.एफ.सी. परियोजना की कम प्रगति के कारण।
203.	4076.02.205- नौसेना गोदी	1612.87	635.45	977.42	आर.ई. स्तर पर कम कटौती तथा डी.जी.एन.पी. के निश्चित ठेकों के गैर निष्कर्ष के कारण।
03- वायु सेना					
204.	4076.03.102- भारी एवं मध्यम वाहन	194.29	33.26	161.03	आर.ई. स्तर पर लागू कटौती के कारण तथा नई योजनाओं के गैर-फलन के कारण।
205.	4076.03.103 - अन्य उपकरण	15352.17	8218.55	7133.62	आर.ई. स्तर पर लागू कटौती तथा कुछ प्रमुख उद्देश्यों जैसे एम.आर.एस.ए.एम., डब्ल्यू.सी.डी.एम.ए., एल.एल.टी.आर. (थेल्स), एल.एल.टी.आर. (बी.ई.एल.), एल.एल.क्यू.आर.एम., जी.एस.ए.टी. आदि की प्राप्ति न होने के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत `100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(` करोड़ में)			
04- रक्षा आयुध कारखाना					
206.	4076.04.052- मशीनरी तथा उपकरण	707.71	485.74	221.97	आर.ई. स्तर पर लागू कटौती के कारण तथा मे. ज्योति सी.एन.सी. मशीन, चेन्नई को भुगतान नहीं हेने के कारण से मशीन की प्राप्ति न होना।
207.	4076.04.111- कार्य	452.00	299.87	152.13	आर.ई. स्तर पर लागू कटौती के कारण तथा एम.ई.एस. द्वारा कम उपयोग के कारण।
05- अनुसंधान एवं विकास					
208.	4076.05.052- मशीनरी एवं उपकरण	8541.10	6947.38	1593.72	आर.ई. स्तर पर लागू कटौती के कारण।
209.	4076.05. 111- कार्य	753.15	451.74	301.41	

अनुबंध 3.14

(पैराग्राफ 3.17 के संदर्भ में)

उप-शीर्षों के अंतर्गत निरंतर बचतों को दर्शाने वाले विवरण

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचते	बजट प्रावधान के सापेक्ष बचट की प्रतिशतता
			(` करोड़ में)			
परमाणु ऊर्जा						
1.	4861.60.203.44-तीव्र रिएक्टर ईंधन चक्र सुविधा (एफ आर एफ सी एफ)	2012-13	580.00	--	580.00	100
		2013-14	263.00	8.51	254.49	97
		2014-15	490.00	189.98	300.02	61
दूरसंचार विभाग						
2.	2071.01.102.01-सामान्य पेंशन	2012-13	1019.31	711.67	307.64	30
		2013-14	925.00	686.67	238.33	26
		2014-15	989.11	792.45	196.66	20
3.	3275.00.103.01-सेवा प्रदाता को क्षतिपूर्ति	2012-13	2689.10	625.00	2064.10	77
		2013-14	2683.80	2163.45	520.35	19
		2014-15	3159.00	2086.98	1072.02	34
विदेश मंत्रालय						
4.	3605.00.101.14-म्यांमार को सहायता	2012-13	302.21	121.88	180.33	60
		2013-14	450.00	164.86	285.14	63
		2014-15	330.00	104.34	225.66	68
आर्थिक मामलों का विभाग						
5.	2235.60.797.02-असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि	2012-13	1000.00	120.00	880.00	88
		2013-14	609.55	200.00	409.55	67
		2014-15	607.00	107.00	500.00	82
विनियोग ब्याज भुगतान						
6.	2049.01.116-14 दिवसीय ट्रेजरी बिल (भारित)	2012-13	5200.00	4285.65	914.35	18
		2013-14	7150.00	3616.53	3533.47	49
		2014-15	7250.00	3671.44	3578.56	49
7.	2049.01.126-बैंको मे बाजार स्थिरीकरण योजना के जमा धन पर ब्याज/छूट	2012-13	110.00	--	110.00	100
		2013-14	1630.38	--	1630.38	100
		2014-15	1628.81	--	1628.81	100
राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों को अंतरण						
8.	3601.01.104.18-अभिशासन के लिए अनुदान	2012-13	3528.82	1636.10	1892.72	54
		2013-14	3629.02	1879.35	1749.67	48
		2014-15	4141.52	2784.63	1356.89	33
9.	3601.02.101.35-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी आर जी एफ)	2012-13	6990.00	5338.00	1652.00	24
		2013-14	5000.00	3530.52	1469.48	29
		2014-15	5050.00	3039.23	2010.77	40
10.	7601.06.200-अन्य अर्थोपाय अग्रिम	2012-13	1000.00	--	1000.00	100
		2013-14	1000.00	--	1000.00	100
		2014-15	1000.00	--	1000.00	100

विनियोग-ऋण का पुन भुगतान						
11.	6001.00.106.30-8% बचत बाँड, 2003 (कर योग्य)	2012-13	10594.43	5413.95	5180.48	49
		2013-14	1063.60	429.45	634.15	60
		2014-15	1143.69	594.29	549.40	48
12.	6001.00.114-अर्थोपाय अग्रिम	2012-13	700000.00	124648.00	575352.00	82
		2013-14	500000.00	242425.00	257575.00	52
		2014-15	500000.00	316116.00	183884.00	37
पेंशन						
13.	2071.01.115.01-सामान्य पेंशन	2012-13	1440.00	1283.64	156.36	11
		2013-14	1450.00	1290.81	159.19	11
		2014-15	1620.00	1389.14	230.86	14
स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय						
14.	3606.00.237.05-राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम एवं पोलियो उन्मूलन के मजबूती के लिए पदार्थीय सहायता	2012-13	332.36	94.21	238.15	72
		2013-14	332.36	159.43	172.93	52
		2014-15	718.10	153.80	564.30	79
15.	4210.03.105.12-एम्स की तरह सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल सह शिक्षण संस्थान तथा राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन	2012-13	1376.21	854.62	521.59	38
		2013-14	1475.00	803.58	671.42	46
		2014-15	844.00	247.50	596.50	71
भारी उद्योग विभाग						
16.	2852.80.003.12-राष्ट्रीय स्वचालित परीक्षण तथा आर एवं डी अवसंरचना परियोजना	2012-13	488.48	341.94	146.54	30
		2013-14	341.94	--	341.94	100
		2014-15	426.94	241.91	185.03	43
गृह मंत्रालय						
17.	3454.02.800.08-राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर	2012-13	1754.82	759.43	995.39	57
		2013-14	1045.27	459.44	585.83	56
		2014-15	584.03	335.96	248.07	42
पंचायती राज मंत्रालय						
18.	3601.02.471.01-पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान	2012-13	3817.81	2355.40	1462.41	38
		2013-14	4216.50	1817.20	2399.30	57
		2014-15	3233.20	1767.37	1465.83	45
19.	3601.02.789.01-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पंचायती राज	2012-13	818.10	601.05	217.05	27
		2013-14	1008.94	434.00	574.94	57
		2014-15	955.80	412.83	542.97	57
योजना मंत्रालय						
20.	3454.02.206.01-भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	2012-13	1300.00	1090.05	209.95	16
		2013-14	1819.00	1194.68	624.32	34
		2014-15	1437.14	1104.61	332.53	23

21.	3475.00.800.83-लोक वित्त प्रबंधन संस्थान (पूर्व नाम-नियोजन लेखा एवं लोक वित्त प्रबंधन संस्थान)	2012-13	130.00	14.45	115.55	89
		2013-14	160.99	59.95	101.04	63
		2014-15	199.57	64.17	135.40	68
विद्युत मंत्रालय						
22.	2801.06.789.01- राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	2012-13	600.00	50.21	549.79	92
		2013-14	709.36	344.63	364.73	51
		2014-15	710.00	460.44	249.56	35
23.	2801.80.004.02-कैंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	2012-13	265.00	40.36	224.64	85
		2013-14	298.73	17.76	280.97	94
		2014-15	295.53	79.82	215.71	73
24.	2801.80.800.15-ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	2012-13	197.40	41.50	155.90	79
		2013-14	189.41	64.12	125.29	66
		2014-15	137.55	9.00	128.55	93
25.	4801.02.190.02-राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड	2012-13	720.04	214.24	505.80	70
		2013-14	474.00	301.45	172.55	36
		2014-15	915.00	73.74	841.26	92
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय						
26.	5054.01.337.01-सडक प्रभाग के अंतर्गत कार्य	2012-13	5613.80	893.72	4720.08	84
		2013-14	3704.83	2533.17	1171.66	32
		2014-15	2412.56	1713.31	699.25	29
27.	5054.02.337.03-बी आर डी बी के अंतर्गत कार्य	2012-13	2630.71	2350.70	280.01	11
		2013-14	2799.92	2231.13	568.79	20
		2014-15	2392.09	2066.06	326.03	14

अनुबंध 4.1

(पैरा 4.6.1 एवं 4.7.3 के संदर्भ में)

वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के नियम 8 में समाहित विषय शीर्ष तथा उनका विवरण

विषय शीर्ष	विवरण
विषय वर्ग 1 (कार्मिक सेवाएं एवं लाभ)	
01- वेतन	इसमें यात्रा खर्चों (अवकाश यात्रा रियायत के अलावा) के अतिरिक्त मानदेय तथा अवकाश नकदीकरण सहित कार्मिकों के सभी प्रकार के वेतन तथा भत्ते शामिल होंगे। यह विषय शीर्ष वर्गीकरण व्यय भत्तों सहित राज्यों के प्रमुखों और अन्य उच्चाधिकारियों के भत्तों तथा परिलाभ पर हुए व्यय को दर्ज करने के लिए भी उपयोग किया जाएगा।
02- मजदूरी	इसमें वर्तमान में आकस्मिकता से देय कर्मियों एवं श्रमिकों की मजदूरी शामिल होगी।
03- समयोपरि भत्ता	राशि का भुगतान अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी को उनके कार्य दिवस के अतिरिक्त कार्यालयी समय के बाद कार्यालयी कार्य संपन्न करने हेतु किया जाएगा।
04- पेंशन संबंधी प्रभार	इसमें सरकारी कर्मचारियों, संसद सदस्यों, स्वतंत्रता सेनानियों आदि के पेंशन के भुगतान एवं सभी प्रकार की ग्रेच्युटी के अलावा सेवा निधि अनुदान एवं अंशदायी भविष्य निधि शामिल होगा। तथापि, इसमें सामाजिक सुरक्षा व्यय जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि शामिल नहीं होगा।
05- पारितोषिक	इसमें केवल सरकारी सेवकों को केवल मंत्रालय/विभाग में परिचालित होनेवाली, योजनानुसार प्रदान की गई राशि शामिल होगी।
06- चिकित्सकीय उपचार	इसमें सरकारी सेवकों/पेंशनरों के चिकित्सकीय प्रतिपूर्ति के लिए प्रदान की गई राशि शामिल होगी।
विषय वर्ग 2 (प्रशासनिक व्यय)	
11- घरेलू यात्रा व्यय	इसमें भारत में की गई सेवा के लिए सभी प्रकार के यात्रा खर्च, परिवहन एवं निर्धारित यात्रा भत्ता सहित शामिल होगा लेकिन छुट्टी यात्रा रियायत को छोड़कर जो कि वेतन का भाग होगा। इसमें गैर-कार्यालयी सदस्यों को भारत में यात्रा के दौरान या.भ./म.भ. भी शामिल होगें।
12- विदेशी यात्रा व्यय	इसमें वैज्ञानिकों की विदेशी प्रतिनियुक्ति भारत से बाहर के दौरे, सहित पर किए जाने वाला व्यय शामिल होगा। इसमें गैर-कार्यालयी सदस्यों के भारत से बाहर किए जाने दौरों पर या.भ./म.भ. पर व्यय भी शामिल होगा।

विषय शीर्ष	विवरण
13- कार्यालयी व्यय	इसमें कार्यालय संचालन के लिए किए जाने वाले वाली सभी आकस्मिक खर्चे शामिल होंगे जैसे कि फर्नीचर, डाक, कार्यालयी मशीनों एवं उपकरणों का अनुरक्षण एवं खरीद, सर्द और गर्म मौसम प्रभार (आकस्मिक निधि से कर्मचारियों को किए भुगतान को छोड़कर), टेलीफोन, विद्युत और जल प्रभार, लेखन-सामग्री, फार्मों की छपाई, कार्यालयी उद्देश्य के लिए स्टाफ कार एवं अन्य वाहनों जैसे- एम्बुलेंस, वैन इत्यादि की खरीद एवं अनुरक्षण। इसमें कार्यालयी उपयोग के लिए गाड़ियों पर किए जाने वाला पी.ओ.एल. व्यय भी शामिल होगा।
14- किराया, दरें एवं कर	इसमें किराए पर लिए गए भवनों के किराये, निगम दरें एवं करें आदि शामिल होंगे। इसमें भूमि का पट्टा प्रभार भी शामिल होगा।
15- रॉयल्टी	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
16- प्रकाशन	इसमें कार्यालयी कोड, नियमावली एवं अन्य दस्तावेजों के छपाई पर हुए व्यय शामिल होंगे चाहे वे मूल्यांकित हो या अमूल्यांकित लेकिन प्रचार सामाग्री की छपाई पर व्यय शामिल नहीं होगा। इसमें प्रकाशन की बिक्री पर अभिकर्ताओं को दिए जाने वाली छूट भी शामिल होंगी।
20- अन्य प्रशासनिक खर्चे	इसमें विभागीय कैंटीन, आवभगत/मनोरंजन खर्चे, उपहार तथा किए गए दौरों पर व्यय, सम्मेलनों/सेमीनारों/कार्यशालाओं आदि पर व्यय तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर व्यय शामिल होगा।
	विषय वर्ग 3 (संविदात्मक सेवाएँ एवं आपूर्तियाँ)
21- आपूर्तियां तथा सामग्रियां	इसमें सामग्रियों तथा आपूर्तियों, भण्डार तथा उपकरण आदि पर व्यय शामिल होगा।
22- शस्त्र और गोला बारूद	इसमें पुलिस तथा अन्य अर्द्ध सैनिक स्थापनाओं को शस्त्र और गोला बारूद पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा।
23- राशन की लागत	इसमें पुलिस तथा अन्य अर्द्ध सैनिक स्थापनाओं के राशन पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा।
24- पी.ओ.एल.	इसमें पुलिस एवं अन्य अर्द्ध सैनिक वाहनों के पी.ओ.एल. पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा। यह क्षेत्रीय गतिविधियों के लिए परिवहन वाहनों के पी.ओ.एल. पर किए जाने वाले व्यय को शामिल करेगा, लेकिन उनको छोड़कर जो कार्यालय चलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं।
25- कपड़ा और तंबू	इसमें पुलिस तथा अन्य अर्द्ध सैनिक के कपड़े और तंबू पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा।
26- विज्ञापन एवं प्रचार	इसमें प्रचार सामग्री के प्रकाशन एवं बिक्री के लिए अभिकर्ताओं को दिया जाने वाला कमीशन शामिल होगा। इसमें मेलों व प्रदर्शनियों पर व्यय भी शामिल होगा।
27- लघु निर्माण कार्य	इसमें निर्माण कार्यों, मशीनरी तथा उपकरणकी मरम्मत एवं अनुरक्षण पर किया गया व्यय दर्ज होगा।

विषय शीर्ष	विवरण
28- व्यवसायिक सेवाएं	इसमें कानूनी सेवाओं के प्रभार, परामर्श शुल्क, स्टाफ कलाकारों को शुल्क, परीक्षाएं आयोजित करने के लिए परीक्षकों, निरीक्षकों आदि को पारिश्रमिक, आकाशवाणी, दूरसंचार, दूरदर्शन द्वारा नैमित्तिक कलाकारों को पारिश्रमिक तथा अन्य सभी प्रकार के पारिश्रमिक के प्रभार शामिल होंगे। इसमें दी गई सेवाओं, अन्य विभागों जैसे रेलवे, पुलिस आदि द्वारा की गई आपूर्तियों के भुगतान शामिल होंगे, की गई आपूर्तियों तथा एक कार्यालय को चलाने के लिए की गई सेवाओं को पृथक करते हुए उन मामलों में व्यय खर्चे के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।
30- अन्य संविदात्मक सेवाएँ	इसमें सेवा या प्रतिबद्धता प्रभारों तथा प्राप्त उपहारों के सैद्धांतिक मूल्य आदि पर व्यय शामिल होगा।
विषय वर्ग 4 (अनुदान, इत्यादि)	
31- सहायता अनुदान-सामान्य	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
32- अंशदान	इसमें अंतर्राष्ट्रीय निकायों की सदस्यता पर व्यय शामिल होगा।
33- आर्थिक सहायता	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
34-छात्रवृत्ति/वृतिछात्र	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	इसमें पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में जारी राशियां शामिल होंगी।
36- सहायता अनुदान- वेतन	इसमें वेतन के भुगतान हेतु सहायता अनुदान के रूप में जारी राशियां शामिल होंगी।
विषय वर्ग 5 (अन्य व्यय)	
41- गुप्त सेवा व्यय	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
42- एकमुश्त प्रावधान	इसमें योजनाओं/उप-योजनाओं/संगठनों जहाँ प्रावधान ₹ 10 लाख से अधिक न हो के संबंध में व्यय शामिल होंगे। अन्य सभी मामलों में, व्यय के अन्य विषयों का अलग-अलग ब्यौरा भी दिया जाएगा।
43- उचंत	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
44- विनिमय विभिन्नता	विदेशी स्रोतों से ऋण/अग्रिम की प्राप्ति तथा उसके पुनर्भुगतान के समय विनिमय की दर में विभिन्नता को संबंधित सेवा व्यय शीर्ष के अंतर्गत इस विषय शीर्ष के अंतर्गत डेबिट किया जाएगा।
45- ब्याज	इसमें पूंजी पर ब्याज तथा ऋणों पर छूट शामिल होंगी।
46- केन्द्र राज्य संसाधनों का अंतरण	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।

विषय शीर्ष	विवरण
50- अन्य प्रभार	इसमें विवेकाधिकार अनुदानों में से भुगतान शामिल होगा। अन्य छूटें, उत्पाद शुल्क, क्षतिपूर्ति, इनाम तथा पुरस्कार आदि तथा अन्य व्यय जो इन विशिष्ट विषय शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किये जा सकते, वे इस शीर्ष में डेबिट किए जाएंगे।
विषय वर्ग 6 (पूंजीगत परिसम्पत्तियों की प्राप्ति और अन्य पूंजीगत व्यय)	
51- मोटर वाहन	कार्यालय को चलाने के लिए प्रयोग में आने वाले वाहनों से अलग कार्यात्मक गतिविधियों (जैसे-एम्बुलेंस वैन) के लिए प्रयोग किए जाने वाले परिवहन वाहनों का खरीद एवं अनुरक्षण शामिल।
52- मशीनरी तथा उपकरण	इसमें एक कार्यालय को चलाने के लिए आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर मशीनरी उपकरण औजार आदि तथा विशिष्ट निर्माण कार्यों के लिए अपेक्षित विशेष औजार तथा संयंत्र शामिल होंगे।
53- मुख्य निर्माण कार्य	इसमें भूमि के अधिग्रहण तथा ढ़ांचों की लागत भी शामिल होगी।
54- निवेश	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
55- ऋण तथा अग्रिम	इसमें अन्य सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र उद्‌यमों, उपक्रमों तथा अन्य सरकारी निकायों आदि को दिए गए सभी ऋण तथा अग्रिम शामिल होंगे।
56- उधारों का पुनर्भुगतान	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
60- अन्य पूंजीगत व्यय	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
विषय वर्ग 7 (लेखा समायोजन)	
61- मूल्यह्रास	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
62- आरक्षितें	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
63- अंतः खाता अंतरण	इसमें आरक्षित निधि से तथा अंतरण इत्यादि को, पूंजी से राजस्व को वापस लिखना शामिल होगा।
64- बट्टे खाते/हानियां	बट्टे खाते में डाली गई अवसूली योग्य ऋण, हानियां, व्यापारिक हानियां शामिल होंगी।
70- वसूलियां कटौती	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।

अनुबन्ध - 4.2

(पैराग्राफ 4.7.3 क्र.सं.13 के संदर्भ में)

पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के बजाय अनुदान सहायता सामान्य के अंतर्गत दर्ज व्यय

(₹ करोडों में)

क्रम. सं.	राज्य/यूटी	संस्वीकृति विवरण	संस्वीकृत विषय/ प्रयोजन	संस्वीकृत राशि
1.	नागालैण्ड	I-12020/5/2015-एनसीबी-II दिनांक 30.03.2015	मदें नामत: जेनरेटर, वाहन,परिवहन हेतु टाटा मोबाइल, मोटरसाईकल बुलटप्रूफ जैकेट तथा हेलमेट	0.59
2.	नागालैण्ड	I-45011/19/2012-एडी (सीडी) दिनांक 09.12.2014	देश में अग्नि तथा आपातकाल सेवाओं की आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत उपकरणों के लिए	2.00
3.	नागालैण्ड	I-45011/13/2014-एडी (सीडी) दिनांक 31.07.2014	अति असुरक्षित जिलों में सिविल रक्षा साधनों का सृजन	1.54
4.	नागालैण्ड	VI-21011/58/2014-पीएम-I दिनांक 19.06.2014	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यकलाप	16.37
5.	झारखण्ड	VI-21011/58/2014-पीएम-I दिनांक 27.08.2014	योजनेत्तर कार्यकलापों के अंतर्गत उपकरणों की खरीद	7.30
6.	झारखण्ड	VI-21011/58(ii)/2014-पीएम-I दिनांक 09.10.2014	योजनेत्तर कार्यकलापों के अंतर्गत उपकरणों की खरीद	7.77
7.	झारखण्ड	VI-21011/58(ii)/2014-पीएम-I दिनांक 09.10.2014	योजनेत्तर कार्यकलापों के अंतर्गत उपकरणों की खरीद	0.57
8.	झारखण्ड	VI-21011/58/2014-पीएम-I दिनांक 05.08.2014	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यकलाप	14.03
9.	जे एण्ड के	I-45011/19/2012-एडी(सीडी) दिनांक 09.12.2014	देश में अग्नि तथा आपातकाल सेवाओं के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत उपकरणों के लिए	2.00
10.	जे एण्ड के	VI-21011/58/2014-पीएम-I दिनांक 19.06.2014	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यकलाप	60.81
11.	आंध्रप्रदेश	VI-21011/58(ii)/2014-पीएम-I दिनांक	योजनेत्तर कार्यकलापों के अंतर्गत उपकरणों की खरीद	4.01

क्रम. सं.	राज्य/यूटी	संस्वीकृति विवरण	संस्वीकृत विषय/ प्रयोजन	संस्वीकृत राशि
		31.03.2015		
12.	आंध्रप्रदेश	VI-21011/58(ii)/ 2014-पीएम-I दिनांक31.01.2015	योजनेत्तर कार्यकलापों के अंतर्गत उपकरणों की खरीद	10.05
13.	आंध्रप्रदेश	I-45011/13/2014-एडी(सीडी) दिनांक 09.12.2014	अग्नि तथा आपातकाल सेवाओं के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत राज्य अग्नि सेवाओं के लिए उपकरणों का प्रावधान	2.00
14.	आंध्रप्रदेश	VI-21011/58/2014-पीएम-I(भाग-IV) दिनांक 13.10.2014	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यकलाप	37.28
15.	हरियाणा	VI-21011/58(ii)/2014-पीएम-I दिनांक 09.10.2014	योजनेत्तर कार्यकलापों के अंतर्गत उपकरणों की खरीद	6.62
16.	हरियाणा	VI-21011/58(ii)/2014-पीएम-I दिनांक09.10.2014	योजनेत्तर कार्यकलापों के अंतर्गतउपकरणों की खरीद	2.62
17.	हरियाणा	VI-21011/58/2014-पीएम-I दिनांक28.08.2014	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यकलाप	17.49
18.	तमिलनाडु	VI-21011/58(v)/2014-PM-I, दिनांक 29.10.2014	योजनेत्तर कार्यकलापों के अंतर्गत उपकरणों की खरीद	28.61
19.	तमिलनाडु	VI-21011/58/2014-पीएम-I, दिनांक19.06.2014	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यकलाप	53.09
20.	उत्तर प्रदेश	VI-21011/84(vi)/2014-पीएम-I दिनांक 17.03.2015	योजनेत्तर शीर्षों के अंतर्गत उपकरणों की खरीद	1.90
21.	उत्तर प्रदेश	VI-21011/84(xi)/2014-पीएम-I दिनांक17.03.2015	योजना शीर्षों के अंतर्गत निर्माण कार्यकलाप	1.87
22.	उत्तर प्रदेश	VI-21011/58(ii)/2014-पीएम-I दिनांक 09.10.2014	योजनेत्तर कार्यकलापों के अंतर्गत उपकरणों की खरीद	49.29
23.	उत्तर प्रदेश	VI-21011/58(ii)/2014-पीएम-I दिनांक09.10.2014	योजनेत्तर कार्यकलापों के अंतर्गत उपकरणों की खरीद	11.71

क्रम. सं.	राज्य/यूटी	संस्वीकृति विवरण	संस्वीकृत विषय/ प्रयोजन	संस्वीकृत राशि
24.	उत्तर प्रदेश	VI-21011/58/2014-पीएम-I दिनांक 28.08.2014	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यकलाप	96.30
25.	उत्तराखण्ड	VI-21011/58(ii)/2014-पीएम-I दिनांक 09.10.2014	योजनेत्तर कार्यकलापों के अंतर्गत उपकरणों की खरीद	0.62
26.	उत्तराखण्ड	VI-21011/58/2014-पीएम-I दिनांक 05.08.2014	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यकलाप	5.13
27.	उत्तराखण्ड	VI-21011/58/2014-पीएम-I दिनांक 25.07.2014	योजनेत्तर कार्यकलापों के अंतर्गत उपकरणों की खरीद	2.44
28.	बिहार	I-45011/19/2012-एडी(सीडी) दिनांक 09.12.2014	अग्नि तथा आपातकाल सेवा के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत उपकरणों का प्रावधान	2.00
29.	बिहार	VI-21011/58/2014-पीएम-I दिनांक 05.08.2014	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यकलाप	42.10
30.	मेघालय	I-45011/19/2012-एडी(सीडी) दिनांक 09.12.2014	अग्नि तथा आपातकाल सेवाओं के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत उपकरणों का प्रावधान	2.00
31.	मेघालय	VI-21011/58(ii)/2014-पीएम-I दिनांक 09.10.2014	योजनेत्तर कार्यकलापों के अंतर्गत उपकरणों की खरीद	0.83
32.	मेघालय	VI-21011/58/2014-पीएम-I दिनांक 05.08.2014	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यकलाप	5.72
			योग	**496.66**

अनुबन्ध 5.1

(पैराग्राफ 5.5.8 (घ) के संदर्भ में)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में वर्ष-वार बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

वर्ष	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	उपयोगिता प्रमाणपत्र की लम्बित कुल राशि (₹ लाख में)
1991-92	2	6.20
1992-93	7	81.36
1993-94	17	140.69
1994-95	21	135.36
1995-96	18	142.24
1996-97	10	129.43
1997-98	14	222.52
1998-99	30	284.56
1999-2000	21	230.39
2000-2001	40	380.23
2001-2002	39	1016.48
2002-2003	36	460.62
2003-2004	64	674.86
2004-2005	95	658.03
2005-2006	148	1773.35
2006-2007	130	1787.13
2007-2008	213	3510.87
2008-2009	213	2794.89
2009-2010	230	3407.68
2010-2011	182	3519.03
2011-2012	157	4074.15
2012-2013	121	5227.85
2013-2014	203	13856.20
योग	**2011**	**44514.12**

अनुबन्ध 5.2

(पैराग्राफ 5.5.17 के संदर्भ में)

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में वर्ष-वार बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

वर्ष	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की संख्या	उपयोगिता प्रमाणपत्र की लम्बित कुल राशि (₹ लाख में)
1983-84	9	0.72
1984-85	12	11.28
1985-86	11	4.48
1986-87	8	6.45
1987-88	20	7.58
1988-89	25	84.48
1989-90	40	20.26
1990-91	24	75.28
1991-92	0	0.00
1992-93	9	174.71
1993-94	6	59.57
1994-95	7	32.51
1995-96	21	110.83
1996-97	24	30
1997-98	25	134.50
1998-99	17	195.92
1999-00	19	520.65
2000-01	13	42.42
2001-02	5	6.28
2002-03	8	10.40
2003-04	21	31.50
2004-05	18	431.82
2005-06	19	189.02
2006-07	14	362.65
2007-08	41	301.25
2008-09	32	788.10
2009-10	21	175.60
2010-11	76	432.06
2011-12	38	407.45
2012-13	25	271.24
2013-14	116	651.14
योग	**724**	**5570.15**

शब्दावली

विनियोग	:	विनियोग का अर्थ है, विनियोग की प्राथमिक इकाई में सम्मिलित निधियों के विशिष्ट व्यय को वहन करने हेतु आबंटन।
विनियोग लेखे	:	विनियोग लेखे, संसद द्वारा बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत अनुदान तथा प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल तथा अनुपूरक) के प्रति हुए वास्तविक व्यय तथा प्रत्येक अनुदान अथवा विनियोग के अंतर्गत बचत अथवा आधिक्य को प्रस्तुत करते हैं।
विनियोग अधिनियम	:	संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित होने के पश्चात् यह राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। बिल को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के पश्चात् यह अधिनियम बन जाता है।
विनियोग विधेयक	:	लोक सभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अंतर्गत अनुदान किए जाने के बाद यथा-सम्भव शीघ्र भारत की समेकित निधि में से (क) लोक सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, तथा (ख) भारत की समेकित निधि पर भारित व्यय किन्तु जो संसद के समक्ष पहले से रखे गए विवरण में दर्शायी हुई राशि से किसी भी स्थिति में अधिक न हो की पूर्ति के लिए अपेक्षित समस्त धन के विनियोग के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।
पूंजीगत व्यय	:	इसके अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण हेतु भुगतान, शेयरों में निवेश तथा सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम आते हैं।
पूंजीगत प्राप्तियां	:	पूंजीगत प्राप्तियों में सरकार द्वारा जनता से लिए गए ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए उधार, विदेशी सरकारों से लिए गए ऋण, सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूलियां, विनिवेश से प्राप्तियां आदि शामिल है।
प्रभारित विनियोग	:	संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अंतर्गत समेकित निधि पर 'प्रभारित' व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशि को प्रभारित विनियोग कहा जाता है।
भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.)	:	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत संघटित निधि, जिसमें सभी प्राप्तियों, राजस्वों और कर्जो का प्रवाह होता है। भा.स.नि. से समस्त व्यय दत्तमत्त अथवा प्रभारित विनियोग द्वारा किया जाता है। यह राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय) तथा पूंजीगत लेखा (लोक ऋण तथा कर्जे इत्यादि) नामक दो प्रभागों से निर्मित है।

भारत की आकस्मिकता निधि	:	संसद द्वारा विधि अनुसार अग्रदाय के रूप में, एक ऐसी आकस्मिकता निधि स्थापित की गई है जिसमें विधि द्वारा निर्धारित राशियां समय-समय पर डाली जाएंगी तथा उक्त निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गयी है जिसमें से अपपेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु उनके द्वारा अग्रिम दिया जा सके जब तक संविधान के अनुच्छेद 115 अथवा 116 के अंतर्गत इस प्रकार का व्यय संसद द्वारा विधि अनुसार प्राधिकृत न हो जाए।
लो.वि.प्र.प्र. (इससे पहले के.यो.यो.मॉ.प्र. के नाम से प्रचलित)	:	लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (इससे पहले के.यो.यो.मॉ.प्र. के नाम से प्रचलित) केन्द्रीय योजनागत योजना मॉनीटरिंग प्रणाली (के.यो.यो.मॉ.प्र.) योजना आयोग की एक केन्द्रीय क्षेत्र योजनागत योजना है जो लेखा महानियंत्रक द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत भारत सरकार की योजनागत योजनाओं के लिए एक समान लेन-देन आधारित ऑन-लाइन निधि प्रबंधन तथा भुगतान प्रणाली एवं एम.आई.एस. को स्थापित किया गया है। इस मंच का विस्तार अब राज्य खजानों में सीधे प्राप्त होने वाली योजनागत निधियों के प्रभावी भुगतान के लिए राज्य सरकारों तक किया जा चुका है।
ऋण शोधन	:	देय मूलधन तथा ब्याज का ऋणदाता को भुगतान। इसमें आमतौर पर सेवा प्रभार आदि शामिल होते हैं।
अनुदान मॉगें	:	अनुदान मांगें किये जाने वाले व्यय की सकल राशि के लिए होती हैं तथा यह व्यय की कटौती में ली जाने वाली वसूलियों को पृथक रूप से दर्शाती है तथा इन्हें संसद में दो स्तरों में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान मांगें वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ प्रस्तुत की जाती हैं। अनुदानों के लिए विस्तृत मांगें लोकसभा में सम्बद्ध मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होने के कुछ दिन पहले उस मंत्रालय द्वारा सदन के पटल पर रखी जाती है।
	:	चूंकि अनुदान मांगें सकल व्यय के लिए होती है तथा वार्षिक वित्तीय विवरण प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत होने वाले निवल व्यय को दर्शाता है, अत: सकल व्यय की कटौती में प्राप्तियों को समायोजित करने के पश्चात् दोनों के योग में सामंजस्य किया जाना चाहिए।

ई-लेखा : मूल लेखांकन समाधन (मू.ले.स.) लेखांकन प्रक्रिया की दक्षता तथा शुद्धता को सुधारने के उद्देश्य से सिविल लेखा संगठन हेतु एक इलेक्ट्रानिक भुगतान तथा लेखांकन साफ्टवेयर समाधान प्रदान करता है। वेतन एवं लेखा कार्यालयों में प्रयुक्त साफ्टवेयर तथा अन्य आफलाईन इंटरफेस पर तथा उसके इर्द गिर्द इसे निर्मित किया गया है। कॉम्पेक्ट आधारित तथा यह मूल्य संवर्धित रिपोर्टिंग तथा मानीटरिंग क्रियाविधि हेतु दैनिक, मासिक तथा वार्षिक लेखांकन प्रक्रिया के समाकलन सहित मूल लेखांकन की एक प्रणाली प्रदान करता है।

अधिक अनुदान : ऐसे मामलों में जहां व्यय अनुदान/विनियोग के पृथक 'खण्ड' अर्थात राजस्व (प्रभारित), राजस्व (दत्तमत्त), पूंजीगत (प्रभारित) तथा पूंजीगत (दत्तमत) में प्राधिकृत राशियों से सार्थक रूप में बढ़ जाते हैं, अनुदान/विनियोग को अधिक अनुदान माना जाता है।

बाह्य ऋण : सरकार द्वारा विदेशों से, अधिकतर विदेशी मुद्रा में अनुबन्धित ऋण अर्थात् विश्व बैंक, आई.बी.आर.डी. आई.डी.ए. आदि से कर्जा।

राजकोषीय घाटा : यह राजस्व प्राप्तियों तथा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के अतिरिक्त ऋण की अदायगी के उपरान्त निवल राशि सहित हुए कुल खर्च का आधिक्य है। यह सरकार की कुल उधारी तथा लम्बित ऋण में हुए इजाफे को भी दर्शाता है।

संघटक लागत पर स.घ.उ. : संघटक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, इसे उत्पन्न करने में प्रयुक्त संघटकों की लागत द्वारा स.घ.उ. का मापक है अर्थात् उन संघटकों द्वारा अर्जित आय द्वारा इसे बाजार मूल्य पर स.घ.उ. में से अप्रत्यक्ष करों की कटौती तथा रियायतों के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है।

बाजार मूल्य पर स.घ.उ. : बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर कुल अंतिम खर्च को प्रदर्शित करता है। यह एक निश्चित अवधि के दौरान देश में अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य है। इसका आकलन चालू कीमतों या आधार वर्ष के दौरान लागू कीमतों पर किया जाता है।

आन्तरिक उधार : भारत में जनता से लिए गए नियमित ऋण, आन्तरिक उधार के अंतर्गत आते हैं, इसे "भारत में उठाया गया कर्ज" भी कहते हैं। यह समेकित निधि को क्रेडिट किए गए कर्जो तक सीमित होता है।

मुख्य शीर्ष : लेखे में वर्गीकरण की प्रमुख इकाई, मुख्य शीर्ष के रूप में जानी जाती है। मुख्य शीर्ष के लिए चार अंकों का एक कोड आवंटित किया गया है, पहला अंक यह सूचित करता है कि मुख्य शीर्ष एक प्राप्ति शीर्ष है या राजस्व व्यय शीर्ष अथवा पूंजीगत व्यय शीर्ष या ऋण शीर्ष है।

लघु शीर्ष : लघु शीर्ष को तीन अंकों वाला कोड आवंटित किया गया है, जो प्रत्येक उप-मुख्य शीर्ष/मुख्य शीर्ष (जहां कोई उप मुख्य शीर्ष न हो) के अंतर्गत "001" से प्रारंभ होता है।

नई सेवा : इसका अभिप्राय पहले से संसद के संज्ञान में न लाये गये किसी नए नीतिगत निर्णय द्वारा उत्पन्न हुए तथा निर्धारित सीमा से बाहर किए गए व्यय से है जिसमें एक नया कार्यकलाप अथवा एक नए निवेश का तरीका शामिल होता है।

सेवा का नया साधन : किसी वर्तमान गतिविधि के एक महत्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न तथा निर्धारित सीमा से बाहर किया गया एक विशाल व्यय।

मूल अनुदान : किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा के लिए 'वार्षिक वित्तीय विवरण' में उपलब्ध की गई राशि को मूल अनुदान अथवा विनियोग कहा जाता है।

प्रारंभिक घाटा : राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटा दिया जाए तो प्रारंभिक घाटा निकल आता है। सरकार की राजस्व प्राप्तियों तथा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में उसके ब्याज रहित व्यय के आधिक्य के रूप में भी इसे देखा जा सकता है।

लोक लेखा : समेकित निधि में शामिल धन के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा अथवा उसके पक्ष में प्राप्त सभी प्रकार के धन को भारत के लोक लेखे में क्रेडिट किया जाता है [भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2)]। इसमें 'कर्ज' से संबंधित ऐसे लेन-देन शामिल होते हैं जो समेकित निधि में शामिल नहीं होते। लोक लेखा लेन-देन संसद द्वारा दत्तमत/विनियोग के अधीन नहीं होते हैं और शेष अग्रेनीत किए जाते हैं।

लोक ऋण (भारत का) : भारत सरकार द्वारा लिया गया आंतरिक तथा बाह्य उधार।

पुनर्विनियोजन : विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से ऐसी दूसरी इकाई को निधियों का अंतरण।

राजस्व घाटा : यह राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय के आधिक्य के बराबर होता है।

राजस्व व्यय	:	यह सरकार के सामान्य अनुरक्षण व्यय, ब्याज भुगतानों सब्सिडी तथा अंतरण आदि चलाने के लिए किया जाता है। यह चालू व्यय है जिससे परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं होता है। राज्य सरकारों अथवा अन्य वर्गों को दिए गए अनुदानों को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है भले ही कुछ अनुदान परिसम्पत्तियां सृजन करने के उद्देश्य से किए गए हों।
राजस्व प्राप्तियां	:	इसमें सरकार द्वारा उद्ग्रहीत करों तथा शुल्कों से प्राप्त आय, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर ब्याज तथा लाभांश, शुल्क तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।
स्टॉक	:	स्टॉक प्रमाण पत्र के रूप में रखी गई सरकारी प्रतिभूति का एक रूप, जो पृष्ठांकन तथा सुपुर्दगी द्वारा हस्तातरणीय न हो बल्कि जो हस्तांतरण दर्ज करके तथा लोक ऋण कार्यालय की बहियों में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करके हस्तांतरित किया जा सके।
अनुपूरक अनुदान	:	यदि संविधान के अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार निर्मित किसी कानून द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त पाई जाती है अथवा उस पर वर्ष के मूल बजट में परिकल्पित न की गई किसी 'नई सेवा' पर अनुपूरक अथवा अतिरिक्त व्यय की चालू वित्त वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई हो तो सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 115(1) के प्रावधान के अनुसार अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग प्राप्त किया जाता है।
बचत का अभ्यर्पण	:	केन्द्र सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों अथवा विनियोगों में पायी गयी प्रत्याशित बचतों को वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व इस प्रकार के अभ्यर्पणों को स्वीकार करने की सूचना लेखापरीक्षा अधिकारी तथा लेखा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को सूचित किया जायेगा।
बचत	:	जब व्यय बजट प्रावधान से कम होता है, तब बचत होती हैं।
दत्तमत्त अनुदान	:	अन्य व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अंतर्गत संसद का मतदान अपेक्षित होता है, को दत्तमत्त अनुदान कहा जाता है।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in